

YEARLY ACADEMIC JOURNAL

2018-19

Volume : XVIII
ISSN : 2348-9014



Kalindi College

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE COLLEGE
(University of Delhi)
East Patel Nagar, New Delhi - 110008

YEARLY ACADEMIC JOURNAL

5

Kalindi College

Volume: XVIII

2018-19

ISSN: 2348-9014



(UNIVERSITY OF DELHI)
East Patel Nagar
New Delhi - 110008



Editorial

With pleasure, we present to you the eighteenth volume of the Yearly Academic Journal. We are nearing the end of the second decade of publication and we have done our best in making this exercise worthwhile for our contributors as well as readers. With the articles being subject to peer review and plagiarism checks, the journal is aspiring to bring together research articles in various disciplines which shall be intellectually edifying for all. As always, we would like to thank all our colleagues, former and current, who have treated this as a labour of love and worked towards its successful publication. We remain committed to the original vision of the journal that quality research makes us teach better by renewing our enthusiasm towards our subject.

Pushpa Bindal and Triranjita Srivastava's article, 'Experimental Investigations on Excited Modes in Planar Optical Waveguide', studies excited modes in a planar optical waveguide by using prism coupling technique. Paveine Vehmai's article 'American Dream and its implications for Black Women' analyses the intersectional theme of race, sex, gender, and class through the discourse of American Dream in the 20th century. The essay primarily focuses on Ann Petry's first novel *The Street* (1946) along with reference to Richard Wright's *Native Son* (1940), considered an important text in the African-American protest literature. Manisha and Sunita Mangla, in the article on 'Role of Social Media in Election Campaigns (with Special Reference to WhatsApp and Facebook)', study social media revolution, its impact on political parties, their functionality, and the psychology of the voters. The article takes into account the virtual consumption of common people to study the concept of virtual gratification by comparing it with the reality principle. In the article, 'Internet Usage Pattern and Preferences: A Comparative study of Urban and Rural Youth in Delhi (India)', Divyani Redhu and Manisha provide a comparative study of the internet usage patterns and preference in Delhi by the youth in the age-group 15-24 years. The study of changing communicating patterns is also undertaken by the researchers that mainly reflects how the nature of social relationships have modified due to an increase in the number of internet users. Anita Verma's article on, 'Consumer Behaviour and Consumers' Adoption to Digital Payment System', critically looks at the digitization of economic and monetary transactions and its challenges. The article elaborates various digital payment systems, effectively illustrating its growing usage and popularity. In the article on 'Qualitative Analysis of E-commerce Security Issues: A case-based research', Aastha Verma looks into the challenges of security and cyber threat and provides a protection framework of e-commerce security threats. The study has been undertaken using case-based research methodology including data collection of 12 cyber security cases and phenomenological interviews.

The themes are diverse, though this year, in the English section, we see a clear preference for areas relating to the interface of society and technology. This is no surprise considering that we live in a highly digitized world, one that is becoming increasingly virtualized by the day. The articles on consumer behavior, physics and literature provide an interesting departure from this.

I would like to thank the Co-editor Punita Verma for her involvement and support. It is perhaps, besides the point, to emphasize that without the contribution of the members of the Editorial committee, this would have been inconceivable. So, thank you to Reena Jain, Raksha Geeta, Triranjita Srivastava, Shipra Gupta, Vishvajeet Vidyalankar and Tanu Sharma. Special thanks to our referees for helping us in our effort to achieve a greater degree of professionalism. We laud the Principal Dr. Anula Maurya for her interest in and enthusiasm towards the journal over the years.

Hope you have a good time reading this issue.

Chaity Das

Editor

Yearly Academic Journal, Vol. XVIII

सम्पादकीय

शोध संस्कृति की उज्ज्वल मशाल

शिक्षा संस्थानों में शोध प्रक्रिया को बढ़ावा देकर ही हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। नए शोध विकास की नई दिशाएं निर्धारित करता है। कालिंदी महाविद्यालय का सौभाग्य है कि हमारी वार्षिक अकादमिक जर्नल सभी विषयों में शोध के समान अवसर प्राप्त करवाती है। हिंदी भाषा तथा मानविकी विषय इतिहास, राजनीति आदि में तो मौलिक शोध कार्यों की अनिवार्यता निरंतर बढ़ती जा रही क्योंकि इन क्षेत्रों में यदि श्रेष्ठ शोध कार्यों व उनकी गुणवत्ता पर ध्यान न दिया गया तो शिक्षा और समाज का भला मुश्किल में पड़ सकता है। किसी भी क्षेत्र में मौलिक अनुसन्धान शिक्षकों के स्तर को भी बनाये रखती हैं। इस वर्ष भी शोध संस्कृति के विकास में हमारे अध्यापकों ने अपना योगदान दिया है। वार्षिक एकेडमिक जनरल के इस अंक की एक उपलब्धि यह भी है कि महाविद्यालय के विभिन्न ज्ञान अनुशासन के विद्यार्थियों द्वारा संपन्न एक शोध परियोजना भी है "विज्ञापनों का सामाजिक संदर्भ" जिसमें हिंदी विशेष की पांच छात्राओं ने *रक्षा गीता व रेखा मीणा* के साथ मिलकर यह शोध संपन्न किया है। इस शोध में विज्ञापन के महत्वपूर्ण पक्ष को प्रस्तुत किया है साथ ही उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर छात्राओं ने अपने ढंग से विचार किया है यह शोध छात्राओं को भविष्य में भी शोध की संभावनाओं, उनके महत्व को आगे बढ़ाने में सहायक होगा इसके अतिरिक्त बाबा भीमराव अंबेडकर को केंद्र में रखकर लिखे गए दो शोध भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं जो देश के विकास में बाबा का महत्व निर्धारित करते हैं सभी जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज राजनीति आर्थिक वैचारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन करने में अत्यंत संघर्ष के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी यह दोनों शोध एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किए गए हैं *मीना चरांदाव जी मंजूशर्मा जी* दोनों का अथक परिश्रम इसमें दिखाई देता है डॉ मंजू ने इसे हिंदी की लेखिकाओं के सन्दर्भ से जोड़कर विषय को विस्तार दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्राचीन प्रणाली के महत्व को वैश्विक परिदृश्य में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण का इतिहास विभाग की *कृष्णा कुमारी जी* ने किया है कि क्यों हमें आज पुनः भारतीय शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो एक छात्र या विद्यार्थी के आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जबकि ब्रिटिश राज के समय से आधुनिक काल की शिक्षा पद्धति आज भी हमारे भारतीय शिक्षा को दिग्भ्रमित कर रही है। भारतीय समाज आज भी अंधाधुन में नई-नई स्थापनाएं कर रहा है जिसमें समाज के हर वर्ग को स्थान देने के लिए विमर्श किए जा रहे हैं एक नया विमर्श जो किन्नर समुदाय को उनकी अस्मिता और पहचान को निर्धारित करने के लिए प्रयत्नरत है *विभा* का यह कार्य अन्यतम है जो इस क्षेत्र में शोध की संभावनाओं को और अधिक विकसित करने में भूमिका निभाएगा। भारतीय समाज में नारी की व्यथा को पंखुड़ी सिन्हा की कविताओं के माध्यम से *भारती जी* ने एक अच्छा प्रयास किया है जो भारतीय समाज में नारी की स्थिति का चित्रण करता है तो साथ ही एक प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए, नारी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है। *भावना शुक्ला जी* का शोध गीतिकाव्य का अंतर्मुख वर्तमान में गीतिकाव्य के महत्व को पुनः स्थापित करता है क्योंकि मन की भावनाओं का महत्व कहीं पीछे छूट रहा है और बौद्धिकता के युग में मनुष्य अत्यंत कठोर और स्वार्थी होता चला जा रहा है ऐसे परिवेश में पुनः गीतिकाव्य का महत्व निर्धारित करना अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास है। आशा

करते हैं हम हमारी प्रिंसिपल मैडम और अपने सभी सहयोगी यों का आभार व्यक्त करते हैं कि अकादमिक जनरल के माध्यम से शोध संस्कृति का जो विकास हो रहा है वह सदैव इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे।

रक्षा गीता

(सम्पादक हिंदी अनुभाग)

सम्पादकीयम्

नाटक काव्य की एक ऐसी विधा है जिसमें ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म आदि समस्त सांसारिकता की अनुगुञ्ज स्वतः ही उसमें निहित होती है। संस्कृत नाट्यशास्त्र के आद्याचार्य भरतमुनि ने नाटक की सृष्टि का उद्देश्य सामान्यजनों की लोकव्यावहारिकता में शास्त्रीयत्व के अनुप्रवेश को अङ्गीकार किया है, जिसमें उक्त सभी प्रकार की विद्याओं का समावेश की उद्घोषणा है-

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न स योगो न तत्कर्म नाऽऽयेस्मिन् यत्र दृश्यते ॥ ना.शा.

नाट्योत्पत्ति प्रसङ्ग में आचार्य ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही इस तथ्य की उद्घोषणा की है, कि अभिनय के लिए सङ्कलित सामग्री पाठ, सङ्गीत, अभिनय तथा रस को क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से अधिग्रहित किया गया है-

जग्राह पाठ्यमृगवेदात् सामभ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथवर्णादपि ।। ना.शा.

प्रचलित अवधारणा के अनुसार जब लोकसामान्य के लिए शास्त्रों का अवगाहन कठिन हो गया था या जब वे सभी इसके साक्षात् अध्ययन के प्रति अरुचि रखने लगे अथवा जब शास्त्रों के प्रति उनमें शिथिलता आने लगी; तब नाट्य नामक पञ्चम वेद की रचना की गयी थी। उक्त शास्त्र का उद्देश्य मनोरञ्जन के माध्यम से आचार, व्यवहार, विद्या, धर्म, कौशल आदि गुणों का उपदेश करना था।

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम् ।

विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति ॥

विनोदजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति ।।। ना.शा.

किसी भी नाटक की कथावस्तु एवं उसके सम्पूर्ण परिधि में केन्द्रबिन्दु के रूप में उपस्थित वस्तु नायक ही होता है। अतः लोकानुकरण हेतु आवश्यक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण नायक के चयन के प्रति नाटककार का अत्यन्त श्रमसाध्य प्रयत्न होता था। कथावस्तु में परिचय नायक की अवधारणा का उदय कैसे हुआ ? नाटक लोक को प्रस्तुत करता है तो कौन सा नायक के सन्दर्भ में भी उक्त कथन को सत्य माना जाए ? आदि अनेकविध प्रयोजनों का निरूपण शोष-पत्र में वर्णित एक अन्य शोध पत्र में भारतीय दर्शन में निहित आध्यात्मिक तत्त्वों के विवेचन हेतु सारांश रूप से प्रयत्न दृष्टिगोचर है। इस धरा पर दर्शन और अध्यात्म परस्पर एक दुसरे के पूरक हैं। अध्यात्म की नींव दर्शनशास्त्र ही है जिससे दोनों का मिल-मिलाप पूर्वक एक-दुजे की सैद्धान्तिकता को पूर्ण करते हैं।

उक्त उभयविध शोध-पत्रों का विषय नाट्य के नायक एवं दर्शन का सामान्य दिग्दर्शन कराने में समर्थ हैं।

डा. विश्वजीत विद्यालङ्कार

सम्पादक, संस्कृत अनुभाग

Index

Title	Authors	Page No.
• Digital Payment system: A Revolutionary Concept of India	Anita Verma	1-5
• Qualitative Analysis and Inquiry of E – commerce Security Issues: A Case based Research	Aastha Verma	6-18
• American Dream and its Implication for Black Women	Paveine Vemai	19-22
• Internet Usage Pattern and Preferences: A Comparative Study of Urban and Rural Youth in Delhi (India)	Divyani Redhu and Manisha	23-30
• Role of Social Media in Election Campaigns (With special reference to Whatsapp and Facebook)	Manisha and Sunita Mangla	31-37
• Experimental Investigations on Excited Modes in Planar Optical Waveguide	Pushpa Bindal and Triranjita Srivastava	38-42
• शिक्षा और दीक्षा : वैश्विक परिदृश्य में	कृष्णा कुमारी	43-49
• हिंदी गीतिकाव्य का अंतर्मन	भावना शुक्ला	50-54
• स्त्री जीवन की दास्तान और समाज	भारती	55-60
• स्त्री सशक्तिकरण में डॉ.भीमराव अम्बेडकर की भूमिका(स्त्री लेखिकाओं के सन्दर्भ में)	मंजू शर्मा	61-65
• डॉ भीमराव अम्बेडकर	मीना चरन्दा	66-90
• विज्ञापनों का सन्दर्भ	रक्षा गीता, रेखा मोना, नाज़ परवीन, रूपम मिश्रा, शिवानी कौशिक, निशा, पारुल पांचाल	91-116
• आत्मकथा के आईने में किन्नर जीवन	विभा ठाकुर	117-127
• भारतीय दर्शनों में आध्यात्मिक चिंतन	मंजु लता	128-131
• नाट्यशास्त्र में लोकजीवन : नायक के सन्दर्भ से	विश्वजीत विद्यालङ्कार	132-136

wallets through which mobile payments can be made. Mobile payments are defined as "payment for goods, services and bills with a mobile device such as mobile phone, smart-phone, or personal digital assistant (PDA) by taking advantage of wireless and other communication technologies". Today, we still pay cash and checks, but several other payment instruments, such as credit and debit cards are widely used. The use of paper money is declining, but at a slow pace as the Automated Teller Machine (ATM) which is used by consumers primarily as cash dispenser is continued to grow. The financial environment of the country is changing due to the onslaught of many services at display to make payment digitally.

In recent years, some studies have highlighted the cost and convenience benefits of using electronic payments and, in particular, card payment instruments. However, cash and other paper-based payment instruments are still being largely used by consumers in most developing countries. Annamalai, Muthu & Iakkuvan (2008) in their article "Retail transaction: Future bright for plastic money" projected the growth of debit and credit cards in the retail transactions. They also mentioned the growth factors, which leads to its popularity, important constraints faced by banks and summarized with bright future and scope of plastic money. Substantiating the same Clifford (2009) in their report "The problem regarding fake currency in India" posited that the country's battle against fake currency is not getting easier and many fakes go undetected. The author called for a need to go digital. Das and Agarwal (2010) stated that Cash as a mode of payment is an expensive proposition for the Government. The country needs to move away from cash-based towards a cashless (electronic) payment system. This will help reduce currency management cost, track transactions, check tax avoidance / fraud etc. enhance financial inclusion and integrate the parallel economy with main stream.




Source: Adapted from Davis (1989)

Further, Bansi and Amin (2012) suggested that suitable technology changes should be adopted by the economy, among all the changes in economy digital payment leads to some drastic changes in to the transaction. Out of many other benefits of e-payment system Jan (2006) in the article "E payments and e-banking" opined that e-payments will be able to check black money. Taking fullest advantage of technology, quick payments and remittances will ensure optimal use of available funds for banks, financial institutions, business houses and common citizen of India. He also pointed out the need for e-payments and modes of e-payments and communication networks.

the growth of services and trade with a variety of services such as mobile phones, internet access, and digital content (MTRC). By utilizing advantages of services and other communication technologies, India can still pay cash and cheques but several other payment mechanisms such as mobile and other cards are widely used. The use of paper money is declining but it is still prior to the National Payment Authority (NPA) which is used by government primarily as cash dispenser is continued to grow. The financial environment of the country is changing due to the availability of more services at display to make payment digitally.

In recent years, many studies have highlighted the cost and convenience benefits of using electronic payments and, in particular, cash payment mechanisms such as other paper-based payment mechanisms are still being largely used by consumers in most developing countries. International Monetary & Bank (IMB) in their article 'Global transactions: 2 steps higher for growth' discussed the growth of India and other growth in the world economies. They also emphasized the growth factors which lead to its economic expansion, including the use of mobile and commercial cash higher rates and scope of electronic money. Subsequently, the article outlined (MTRC) in their report. The conclusion regarding India economy is that, provided that the country is able to spend less money and getting more and more factors go unobserved. The author called for a need to go digital and agreed (MTRC) stated that 'with a mode of payment as an appropriate preparation for the Government. The country needs to move away from cash-based economy to a digital electronic payment system. This will help reduce currency management costs, bank transactions, check on provisions, fund the balance financial inclusion and integrate the parallel economy with main stream.



Source: Integrated from (MTRC) (2010).

Further, Gupta and Kumar (2012) suggested that suitable technology changes should be adopted by the economy, among all the changes in economy digital payment leads to some drastic changes in the transaction (not of more, other benefits of a government system has). (MTRC) in the article 'The government and a banking' argued that a government will be able to check black money. Taking full advantage of technology, quick payments and transactions will ensure optimal use of available funds for health, financial institutions, business houses and commercial centers of India. He also pointed out the need for a payment and transfer of a payment and communication network.

Digital Payment system: A Revolutionary Concept of India

Anita Verma

Department of Commerce, Kalindi College, University of Delhi, New Delhi-110008

Corresponding author: vermas67@gmail.com

ABSTRACT

Over the years technological progression has provided efficient and effective payment system devoid of cash which is known popularly as digital or electronic payment. Specifically, electronic payment system provides a medium through which economic exchanges take place without visiting brick and mortar banks or with no physical presence of the transacting parties. Despite the growing importance of this mode of payment because of its easy usage, this subject is also important to explore as many eminent researchers have empirically established its link with economic growth. This article is an attempt to explore the advantages, issues, challenges and opportunities of digital payment system.

Keywords: Digital Payment System, Technology, Internet, Communication, Security.

1. INTRODUCTION


Digital payment is a type of an e-commerce transaction system to include electronic payment system for buying and selling products without cash or cheque. Commonly we mainly think of electronic payments as referring to online transactions or the internet system, there are actually many forms of digital/electronic payment systems. As technology system is developing the devices used for transacting electronically continues to increase while the cash and cheque transactions percentage continues to decrease. Complete adoption of digital payment in developed economies is showing its ripple effect in developing economies as well. In the US, for example, the bank cheques have decreased from 85% of non-cash payments in 1979 to 59% in 2002 and the electronic payment system have grown up to 41%. The Internet system has become the active trade intermediary system within short span of time.

Digital payment has also revolutionized retailing through internet by making consumers to sit in their homes, offices and buy different products and items from all over the globe. Further, India has been using electronic payment systems for many years now still many commercial sectors have a predominance of cash transactions, and payment through digital mode is yet to pick up. Cards (both credit and debit) are one of the most secure and convenient modes of cashless payment in retail market. The aim of any country's payment system is to encourage secure, convenient and affordable modes of payment. The retail payments in India primarily depend on cash and card based payment systems. Just like an ATM card is used to collect money over a machine rather than a bank counter, or transactions carried over the net involve paperless transactions, the question now is how effectively we can encourage usage of plastic money.

Furthermore, within the last decade or so, our world has become rapidly more digitized. For example, we now have internet purchases and social interactions made via social networks on the Internet. Two important factors that have contributed to this development are the use of mobile phones, and the use of the Internet. We are more 'on the go' than ever and get things done while we are on the go via our digital services turning the world to a mobile village. There are electronic

wallets through which mobile payments can be made. Mobile payments are defined as "payment for goods, services and bills with a mobile device such as mobile phone, smart-phone, or personal digital assistant (PDA) by taking advantage of wireless and other communication technologies". Today, we still pay cash and checks, but several other payment instruments, such as credit and debit cards are widely used. The use of paper money is declining, but at a slow pace as the Automated Teller Machine (ATM) which is used by consumers primarily as cash dispenser is continued to grow. The financial environment of the country is changing due to the onslaught of many services at display to make payment digitally.

In recent years, some studies have highlighted the cost and convenience benefits of using electronic payments and, in particular, card payment instruments. However, cash and other paper-based payment instruments are still being largely used by consumers in most developing countries. Annamalai, Muthu & Liakkuvan (2008) in their article "Retail transaction: Future bright for plastic money" projected the growth of debit and credit cards in the retail transactions. They also mentioned the growth factors, which leads to its popularity, important constraints faced by banks and summarized with bright future and scope of plastic money. Substantiating the same Clifford (2009) in their report "*The problem regarding fake currency in India*" posited that the country's battle against fake currency is not getting easier and many fakes go undetected. The author called for a need to go digital. Das and Agarwal (2010) stated that Cash as a mode of payment is an expensive proposition for the Government. The country needs to move away from cash-based towards a cashless (electronic) payment system. This will help reduce currency management cost, track transactions, check tax avoidance / fraud etc. enhance financial inclusion and integrate the parallel economy with main stream.



Source: Adapted from Davis 1989)

Further, Bansi and Amin (2012) suggested that suitable technology changes should be adopted by the economy, among all the changes in economy digital payment leads to some drastic changes in to the transaction. Out of many other benefits of e – payment system Jain (2006) in the article "E-payments and e-banking" opined that e- payments will be able to check black money. Taking fullest advantage of technology, quick payments and remittances will ensure optimal use of available funds for banks, financial institutions, business houses and common citizen of India. He also pointed out the need for e-payments and modes of e-payments and communication networks.

2. COMPONENTS OF DIGITAL PAYMENT SYSTEM

India has been using electronic payment systems for many years now. However, there is predominance of cash transactions and payment through digital mode is yet to pick up like in developed nations of the world. On the other side the current economic environment of the country (India) also indicates on the complete replacement of cash transactions with digital transactions in the years to come. As per the report of leading newspaper the cashless transactions have soared to 300% after the Government's latest economic measure of "Demonetization" to curb black money.

The Digital -wallets, use of debit credit cards, online transfers and e- payments are the major components of digital payment system. A brief explanation of each is as below:

- **Digital -Wallets**

On a global perspective digital - wallets are enabling economies to transition to a cashless society. The major tech giants all have solutions of their own - there's Apple Pay, Google Wallet, and Samsung Pay, to name a few. The popular digital wallet in India includes: 1) **Paytm** started out with mobile recharges, DTH plans, and bill payments, and then launched an e-commerce marketplace in February 2014. Its wallet partners include Uber, Book-my-show, and Make my-trip, along with others in categories such as shopping, travel, entertainment, and food. It has a license from RBI to set up a payments bank, enabling it to offer current and savings account deposits, issuing debit cards and offering Internet banking services. 2) **Free Charge** lets one recharge any prepaid mobile phone, postpaid mobile, electricity bill payments, DTH and data card in India. It recently added metro card recharging as a feature of its platform. The wallet can be topped up with debit cards, credit cards and net banking, and can be managed via an app or from the Web browser. 3) **MobiKwik**- MobiKwik can also be used to recharge mobiles and pay bills, but it's also accepted across merchants such as Book-My-Show, Make-My-Trip, Domino's Pizza, eBay, among others. MobiKwik has also tied up with Big Bazaar and Sagar Ratna franchises enabling mobile payments. It has a section with cash backs offers listed on its website with include both online and offline players. 4) **Vodafone M-pesa**: Vodafone M-pesa claims to be India's largest cash out network, with over 85,000 M-pesa agents spread across the country. The service lets you send money to anyone, to recharge prepaid numbers, DTH connections, postpaid Vodafone numbers, utility bills and online shopping.

- **Debit/Credit Cards**

A debit/credit card is a small plastic card issued to users as a system of payment. It allows its holder to buy goods and services based on the holder's promise to pay for these goods and services. The issuer of the card creates a revolving account and grants a line of credit to the consumer (or the user) from which the user can borrow money

For payment to a merchant or as a cash advance to the user. The use of sophisticated technologies particularly by the foreign banks has sizably increased the expectations of customers. In the years to come, more sophistication in the information technologies is expected. This is likely to bring about a radical change in the marketing of banking services. In an age of electronic banking, the manually operated public sector commercial banks would find it difficult to survive. This makes it essential that even the public sector commercial banks promote the use of Technologies.

- **Online transfers and e - payment**

Online transfer and e-payment is a type of an e-commerce transaction system to include electronic payment system for buying and selling products that are offered through the Internet. Commonly we mainly think of electronic payments as the referring to online transactions on the internet system, there are actually many forms of electronic payment systems. As technology system is developing, the devices and processes range to transact electronically continues to increase while the cash and cheque transactions percentage continues to decrease.

The customer needs to fill the credit or debit card details such as card number, card expiry date, CVV (Card Value Verification Code) in the payment gateway during the payment.

3. CONCLUSION

1. E-commerce has its main link in its development on-line in the use of payment methods. The risk to the online payments is theft of payments data, personal data and fraudulent rejection on the part of customers due to which customers are more wary of trusting E – commerce.
2. Having proper security and privacy dimensions as perceived by consumers as well as sellers are managed for more safety then both consumers and service providers can benefit from e-payment systems. This leads to increase national competitiveness in the long run. The successful implementation of electronic payment systems is pivotal.
3. In contrast to previous years where studies examined consumer adoption considering technology, security & architecture. Social, cultural & economic issues, or multiple categories, in recent studies are focusing on technology, security & architecture issues and impact on consumer adoption.
4. In developing countries which are technologically less advanced then developed nations there is a need to intensify the public enlightenment program about the cashless system so that everybody gets acquainted with the system before its introduction since it will affect everybody.
5. A high rate of illiteracy aggravates the situation so all people must be brought into the system. The government should design special enlightenment programmes for the non-literates, using probably signs and symbols to educate this segment on how to operate the cashless system (post on sale vis-à-vis mobile phones).
6. With all the above points mentioned above is concluded that since the world is moving from cash to a cashless one through the use of electronic- based transactions, it is imperative for India too to move in the same direction. The benefits of the above suggestion include increased economic growth, greater financial inclusion, and faster access to capital reduces risk of cash related crimes.

REFERENCES

- [1] Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [2] Churchill, G. (1979). A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs. *Journal of Marketing Research*, 14 (2), 66 – 78.
- [3] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–339.
- [4] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- [5] Hox, J.J., & Bechger, T.M. (1998). An Introduction to Structural Equation Modelling. *Family Science Review*, 11 (4), 354-373.
- [6] Jin, C., & Villegas, J. (2007). The effect of the placement of the product in film: Consumers' emotional responses to humorous stimuli and prior brand evaluation. *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing*, 15 (2), 244–255.
- [7] Kim, C., Tao, W., Shin, N., & Kim, K. S. (2010). An empirical study of customers' perceptions of security and trust in e-payment systems. *Electronic Commerce Research and Applications*, 9(1), 84-95.
- [8] Legris, P., Ingham, J., & Collette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. *Information & Management*, 40, 191–204.
- [9] Lu, J., Yu, C. S., Liu, C., & Yao, J. E. (2003). Technology acceptance model for wireless Internet. *Internet Research*, 13(3), 206-222.
- [10] Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments—A qualitative study. *The Journal of Strategic Information Systems*, 16(4), 413-432.
- [11] Muthen, B.O. (2002). Beyond SEM: General Latent Variable Modelling. *Behaviormetrika*, 29 (1), 81-117.
- [12] Özer, G., Özcan, M., & Aktaş, S. (2010). Muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullaniminin teknoloji kabul modeli (TKM) ile incelenmesi. *Journal of Yasar University*, 3278, 3293.

- [13] Srivastava, S. C., Chandra, S., & Theng, Y. L. (2010). Evaluating the role of trust in consumer adoption of mobile payment systems: An empirical analysis. *Communications of the Association for Information Systems*, 27, 561-588.
- [14] Zhou, T. (2013). An empirical examination of continuance intention of mobile payment services. *Decision Support Systems*, 54(2), 1085-1091.

Qualitative Analysis and Inquiry of E – commerce Security Issues: A Case based Research

Aastha Verma

Department of Commerce, Kalindi College, University of Delhi, New Delhi-110008

Corresponding author: aastha178@gmail.com

ABSTRACT

The advancement in ICT technology has revolutionized the market and produced benefits for both consumer and producer at various fronts. E-commerce is extensively used for buying and selling of products over the internet resulting into manifold increase in business profits. However in hindsight, trade through electronic medium is marred with untackled challenges of security and cyber threat. This research is an attempt to conduct a qualitative examination through case based research methodology which involves a step wise process of analyzing and investigating theory. The data is also collected through 12 cyber security cases and 14 phenomenological in-depth interviews. The study generates a protection framework of e-commerce security threats. The framework will aim to serve both business and consumers to avert possible online security frauds.

Keywords: Ecommerce, Security threats, Case Study

JEL Classification: O3

1.INTRODUCTION

We are entering a new phase of globalization driven by digital connectivity. The flow of data and information is leading to a much greater global connectedness than attained by any other agent of globalization. According to a report of Mc Kinsey 2017 this connectivity with respect to e-commerce means consumers are less restricted by physical borders than ever, and they are happily shopping across national lines. The report forecast that by 2020, people around the world will spend \$1 trillion on cross-border e-commerce. One of the major issues surrounding the ecommerce/electronically enabled business transactions today is of security and privacy. Security is one of the principal and continuing concerns that restrict customers and organizations engaging with ecommerce.

Further, with the rapid development of E-commerce, security issues are grabbing people's attention. The security of the transaction is the core and key issue of the development of E-commerce. Web applications increasingly integrate third-party services. The integration introduces new security challenges due to the complexity for an application to coordinate its internal states with those of the component services and the web client across the Internet. A potential barrier to the online purchasing is the increasing threat of cybercrimes because a crime has always a negative effect on commercial growth as well as consumer sentiments.

There are many types of scams used to prey on the online consumer, a common scam is general merchandise fraud, which occurs when a consumer purchases merchandise online, but the merchandise is never delivered. Another common type is Internet services fraud, where consumers are charged for services that are marketed as being free. Credit card fraud frequently occurs when credit card numbers are stolen and used for purchase merchandise from online retailers. Cybercrime not only directly affects consumers in negative ways, but also the targeted company's information systems may fall victim (Berkowitz, 2003).

Therefore it is in this regard the study aims to explore the area of e-commerce security threats through qualitative research for the purpose of generating a protection framework of e-commerce security threats. The framework will aim to serve both business and consumers to avert a possible

online security fraud. To achieve the same present research has adapted the suggestive conceptual framework of case based research developed by Edwards (1998). This involves a step wise process of case based research to achieve the objective.

2. THEORETICAL BACKGROUND

2.1 Explanation of Security Threats

A security threat has been defined as a "circumstance, condition, or event with the potential to cause economic hardship to data or network resources in the form of destruction, disclosure, and modification of data, denial of service, and/or fraud, waste, and abuse (Kalafatis and Whinston, 1996). Security is the protection against these threats. Under this definition, threats can be made either through network and data transaction attacks, or through unauthorized access by means of false or defective authentication. Security in B2C electronic commerce is reflected in the technologies used to protect and secure consumer data. Security concerns of consumers may be addressed by many of the same technology protections as those of businesses, such as encryption and authentication. Further, delineation of privacy and security is similar to the distinction that Hoffman et al. (1999) use in identifying 'environmental control' as separate from 'control over secondary use of information'.

2.2 Types of Security Threats

The most common security threats in the E-commerce environment are Malicious code (viruses, worms, Trojans), Unwanted programs (spyware, browser parasites, Phishing/identity theft, Hacking and cyber vandalism, Credit card fraud/theft, Spoofing (pharming)/spam (junk) Web sites, DoS and dDoS attacks, Sniffing, Insider attacks, Poorly designed server and client software. In order to have a successful ecommerce environment protection against threats is pivotal. scholars and practitioners in the field of e-commerce over the years have generated a captivating list of attributes that defines trustworthiness which comes through a sense of protection in the customer while transacting online (Cassell and Bickmore, 2000; Friedman et al., 2000; Urban et al., 2000). One commonly cited study identified six features of Web sites that enhance consumer perceptions of the marketer's trustworthiness (Cheskin and SA, 1999). Many other scholars also reinforced the belief that only after security concerns have been addressed will consumers consider other Web features (i.e. reputation, ease of navigation, transaction integrity) to determine the extent to which they can trust and/or feel comfortable transacting with the marketer (Dayal et al., 1999; Hoffman et al., 1999; Ovens, 1999).

3. OBJECTIVE OF THE STUDY

The main objective of this study is to analyse the possible threats and major security issues which are associated with e-commerce. The aim is also to execute a detailed investigation of the number of case studies taken from all over the globe as well as the analysis of the responses of phenomenological¹ interviews. Ultimately a detailed combined analysis of all the cases and interviews synthesizes a guiding protective framework for the customers, merchants, researchers and policy makers to avert e-commerce frauds.

4. RESEARCH METHODOLOGY

¹Phenomenological interviews – The phenomenological approach to interviewing applies questions based on themes of experience contextualization, apprehending the phenomenon and its clarification. The method of questioning employs descriptive and structural questioning as well as novel use of imaginative variation to explore experience.

This paper adapts a case based research approach suggested by Edwards (1998) to generate new knowledge & insight about the topic through integrating important security issues and solutions taken from the cases from all over the world. Figure 1 below describes the process of research methodology followed for meeting the objectives

Step 1 – Descriptive: This step involves collection of the selected secondary data through various sources. In this research 12 most popular e-commerce security threat cases were selected. In order to obtain information from customers, phenomenological case study method is used in which the data is obtained from 14 individuals fell prey to cyber crimes through in-depth interviews. In this type of method the central research question focuses on participants' experiences.

Step 2 – Theoretical Heuristic: This step reviews, critiques and synthesizes major 12 cases of ecommerce security reported on authentic online sources. The transcripts of interview responses were also analyzed carefully for some common patterns, similarities and distinctions. This process led to categorization, conceptualization and theory building utilizing the secondary data.

Step 3 – Theory Testing: The information/knowledge base generated from the above step is subjected to data validity and reliability (triangulation method explained in section 5), data interpretation and framework building. Synthesizes of knowledge from remedial actions and corrective measures adopted in international ecommerce markets as well as individual's experiences helped in producing insights to prevent occurrence of such events in future by generating a guiding framework presented in last section of this paper.




Figure 1: Case Base Research Methodology

5. CASES OF E-COMMERCE SECURITY THREAT

CASE 1:

Name of the organisation	Sony
Country	New York/ Boston
Date	April 2011
Type of security threat	Server threat (database threat)
Case details	Hackivist group bombarded Sony's servers with distributed denial of service attacks. The group halted its attacks and accepting they were only hurting Sony's end users: the gamers.

Effective party/loss	The personal details of millions had compromised. 1.8 million users' names, home addresses, email addresses, birth dates, passwords, profile data, purchase history and billing address, credit card details.
Damage control measures	Sony hired a Chief Information Security Officer, Added software to help monitor and defend against attacks, improved security protection and encryption
Source	Sony Play Station Hacked (2011). Retrieved from https://www.nytimes.com

CASE 2:

Name of the organisation	Ebay
Country	Worldwide
Date	May 2014
Type of security threat	Database threat
Case details	The online auction giant reported a cyber-attack that exposed names, addresses, date of birth, and encrypted passwords of 145 million users. The company said the hackers got into the company network using the credentials of 3 corporate employees and had complete inside access for 229 days during which they were able to make their way to the user database.
Effective party/loss	Hackers accessed personal data of all 145 million users, ranking it among the biggest such attacks launched on a corporation to date.
Damage control measures	EBay urged 145 million customers to change their passwords. Followed by encrypted passwords and other personal information, as a precautionary measure
Source	Cyber thieves took data of 145 million Ebay users (2014) Retrieved from https://www.businessinsider.in

CASE 3:

Name of the organisation	JP Morgan Financial Services
Country	USA

Date	July, 2014
Type of security threat	Hacking
Case details	Hackers stole the login credentials for a JPMorgan employee. Most big banks use a double authentication scheme, known as two-factor authentication, which requires a second one-time password to gain access to a protected system. But JPMorgan's security team had apparently neglected to upgrade one of its network servers with the dual password scheme. It was an unusual customer fraud related to the attack which exposed contact information for 76 million households and 7 million small businesses
Effective party/loss	The largest bank in the nation was the victim of a hack during the summer of 2014 that compromised the data of more than half of all US households – 76 million, plus 7 million small businesses.
Damage control measures	Authorities caught hackers and charged them 23 counts, including unauthorized access of computers, identity theft, securities and wire fraud and money laundering.
Source	What lies behind the JP Morgan chase cyber-attack (2014), Retrieved from https://www.economist.com/finance

CASE 4:

Name of the organisation	Global Information solutions company, EQUIFAX
Country	USA
Date	July 2017
Type of security threat	Data breach
Case details	Malicious hackers won access to its systems by exploiting website application vulnerability. Equifax did not immediately disclose whether PINs and other sensitive information were compromised. Equifax stated that the delay was due to the time needed to determine the scope of the intrusion and the large amount of personal data involved.
Effective party/loss	Employees and Clients.

Damage control measures	Equifax agreed to a number of data security rules under a consent order with eight state financial regulators. The order describes specific steps the credit bureau must take, including conducting security audits at least once a year, developing written data protection policies and guides, more closely monitoring its outside technology vendors, and improving its software patch management controls.
Source	Equifax's data breach by the numbers the full breakdown (2017). Retrieved from https://www.cnet.com/news

CASE 5:

Name of the organisation	Yahoo
Country	World Wide
Date	2014
Type of security threat	Data Theft
Case details	Yahoo received a bundle of data back in November that they were told had been taken in a hack. External computer forensics experts analysed the information and confirmed that it is likely to be customer data associated with one billion accounts that was stolen in August 2013.
Effective party/loss	The information taken could have included names, email addresses, telephone numbers, dates of birth and hashed passwords. In some cases security questions and answers were also taken, a number of which were unencrypted meaning they can be easily read.
Damage control measures	In March, the Department of Justice charged four men, including two Russian intelligence officers, with the 2014 breach. On March 15, 2017, the FBI officially charged the 2014 breach to four men, including two that work for Russia's Federal Security Service (FSB).
Source	Half a billion Yahoo data stole in state sponsored hack (2014). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Data_breaches .

CASE 6:

Name of Organisation	Home Depot
Country	USA
Date	September, 2014

Type of security threat	Data Theft - Malware
Case details	Home Depot experienced malware used in the attack has not been seen in previous attacks, describing the malware as "unique" and "custom-built."
Effective party/loss	Home depot announces that 56 million credit cards were compromised in a breach that lasted from April to September 2014—making this latest retail breach larger than Target's 40-million card breach. Home Depot agreed to pay at least \$19.5 million to compensate U.S. consumers harmed by a 2014 data breach affecting more than 50 million cardholders.
Damage control measures	The company said that the hackers' method of entry has been closed off, the malware eliminated from its network, and that it had rolled out "enhanced encryption of payment data".
Source	With-56-million-cards-compromised-home-depots-breach-is-bigger-than-targets (2014). Retrieved from https://www.forbes.com/sites/katevinton

CASE 7:

Name of the organisation	Deloitte
country	US
Date	September, 2017
Type of security threat	Hacking
Case details	Hackers gained details from the organization's blue chip clients. The attack had been gone unnoticed for months. The Hackers compromised the firm's global email server through administrator's account that gave them privileged unrestricted access to all areas.
Effective party/loss	Hackers had potential access to usernames, passwords, IP addresses, architectural diagrams for businesses and health information. Some emails had attachments with sensitive security and design details.
Damage Control Measures	It had informed government authorities and regulators of the breach. Deloitte remains deeply committed to ensuring that its cyber-security defences are best in class. It invested heavily in protecting confidential information and continually reviewed and enhanced cyber-security
Source	Deloitte hit by cyber-attack revealing clients secret emails (2017). Retrieved from https://www.theguardian.com/business/

CASE 8:

Name of the organisation	Uber
Country	USA
Date	November, 2014
Type of security threat	Hacking
Case details	Uber software engineers used login credentials to access data stored on an Amazon Web Services account that handled computing tasks for the company. A patchwork of state and federal laws require companies to alert people and government agencies when sensitive data breaches occur. Uber said it was obligated to report the hack of driver's license information and failed to do so.
Effective party/loss	In October 2016, hackers stole names, email addresses, and phone numbers of 57 million Uber riders around the world, along with data on more than 7 million drivers, which included over 600,000 drivers' license records.
Damage control measures	At the time of the incident, Uber took immediate steps to secure the data and shut down further unauthorized access by the individuals. Uber paid the hackers \$100,000 to delete the data, and then kept details of the breach quiet under the guise of the legitimate bug bounty program offered by Uber. Which later recognised a mistake and Uber is now required to submit every audit report of its privacy program to the FTC, as opposed to only submitting the initial audit report.
Source	Uber concealed cyber attack that exposed 57 million people data (2017), Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles .

CASE 9:

Name of the organisation	US office of personnel management
Country	US
Date	2014
Type of security threat	Phishing

Case details	The data breach consisted of two separate, but linked, attacks. ^[3] It is unclear when the first attack occurred but the second attack happened on May 7, 2014 when attackers posed as an employee of Key Point Government Solutions, a subcontracting company. The FBI arrested a Chinese national suspected of helping to create the malware used in the breach.
Effective party/loss	Personal information of 22 million current and former federal employees, stolen data included 5.6 million sets of fingerprints, The stolen data included 5.6 million sets of fingerprints
Damage control measures	OPM is now offering "a comprehensive suite of monitoring and protection services" to those impacted.
Source	Office of Personal management data breach, 2014 Retrieved from https://federalnewsradio.com

CASE 10:

Name of Organisation	TSMC, National Health Care Service
Country	Taiwan, England, Scotland
Date	May 2017
Type of security threat	Malware
Case details	The Wanna Cry ransomware attack was a May 2017 worldwide cyber-attack by the Wanna Cry ransomware crypto worm, which targeted computers running the Microsoft Windows operating system by encrypting data and demanding ransom payments in the Bit coin cryptocurrency
Effective party/loss	The attack was estimated to have affected more than 200,000 computers across 150 countries, with total damages ranging from hundreds of millions to billions of dollars. One of the largest agencies struck by the attack was the NationalHealthService hospitals in England and Scotland.
Damage control measures	The attack was stopped within a few days of its discovery due to emergency patches released by Microsoft, and the discovery of a kill switch that prevented infected computers from spreading Wanna Cry further.
Source	Wanna Cry ransomware attack (2017) Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/

CASE 11:

Name of the organisation	RSA security
Country	Globally
Date	17 MARCH 2011
Type of security threat	CLIENT THREAT (VIRUS)
Case details	A well-crafted e-mail with the subject line "2011 Recruitment Plan" tricked an RSA employee to retrieve from a junk mail folder and open a message containing a virus that led to a sophisticated attack on the company's information systems. Hackers have stolen data about the security tokens used by millions of people to protect access to bank accounts and corporate networks. RSA's Secure ID tokens are used by millions of people alongside passwords to beef up security. The information stolen reduced the effectiveness of this two-factor authentication system if a company came under a broader attack by malicious hackers.
Effective party/loss	The information extracted does not enable a successful direct attack on any of our RSA Secure ID customers.
Damage control measures	RSA recommended reminding users about the dangers of responding to suspicious e-mails, to limit who can access critical infrastructure systems and to reinforce all policies surrounding Secure ID token use.
Source	Cyber-attack could put customers at risk (2011). Retrieved from https://www.bbc.com/news/technology .

CASE 12:

Name of organisation	Global Impact
Country	Russia and Eastern Europe
Date	October 2017
Type of security threat	Trojan (client threat)
Case Details	The main way Bad Rabbit spreads is drive-by downloads on hacked websites. Bad Rabbit comes with a potent trick up its sleeve in that it contains an SMB component which allows it to move laterally across an infected network and propagate without user interaction.
Effective party/loss	Initial targets include Ukraine's Ministry of Infrastructure and Kiev's public transportation system. The Russian news service Interfax also issued an official update stating that it had been hacked and that it

	was working to restore its systems.
Damage control measures	Microsoft has issued a security advisory to check event logs for the following IDs: 1102 and 106 and run a defender offline scan to prevent the ransomware from rebooting the affected system.
Source	Bad rabbit ransomware (2017), Retrieved from https://www.kaspersky.com/blog

6. PHENOMENOLOGICAL IN-DEPTH INTERVIEWS

Semi structured phenomenological in-depth interviews were conducted with 14 participants who were exposed to any type of cybercrime. The participants were traced using social media. Table : 1 contains a list of core questions posed during interviews and responses received. The responses of interviews were audio taped and simultaneously side notes were prepared which transcribed into a verbatim text of written statements. The responses were further analyzed by re-reading the interview transcripts to identify themes emerging from the respondents' answers. The responses were analyzed for synthesizing some meaningful information, identification of a common theme and pattern in consumer behaviour. Further, for assuring the credibility of the information triangulation method as suggested by Denzin (1978) was adopted. This involved using multiple perspectives to interpret a single set of information.

Table I: Interview Questions and Responses

<i>Thank you for your participation in my study. Please give your honest opinion about each question or statement. Please be as descriptive as possible in your answer.</i>	
Interview Questions	Responses
<ul style="list-style-type: none"> • Please share your occupation, age bracket (18-28, 29-38, 39-48, 49-58, 59>). • What do you think about cyber-attacks/crimes? • Explain how you fell prey to a cyber or internet/online crime. • Explain the incident in detail? • What action was taken from your side to cover your loss. • What precautionary measures you always take now before an online transaction. • You think that authorities have a bigger role in averting such incidents. • What other safety guidelines you can suggest to others. 	<p>Respondents questioned aged from 21 years to 46 years.</p> <p>There were 8 males and 6 females</p> <p>They were IT professionals, bankers, business owners and Government employees.</p> <p>Mostly of the above trapped, tricked while making an online payment, few were hooked/cheated through fake call and the rest experienced credit card information theft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shop from secure websites. • Research the website before placing order. • Use your intuition before engaging in an online transaction. • Be cautious of electronic signatures. • Be aware of behavioural marketing and cookies.

Don't keep your sensitive or protected files in folders that have a revealing name, Choose passwords with numbers, upper and lower case, 8 digitals long, and have special characters, Get regular audits, set up an advisory board, continuous internal security reviews.

REFERENCES

- [1] Berkowitz, B.S. (2003), "Cyber security: who's watching the store?", *Issues in Science and Technology*, Vol. 19 No. 3.
- [2] Cassell, J., Bickmore, T., 2000. External manifestations of trustworthiness in the interface. *Communications of the ACM* December, 50–56.
- [3] Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient. eCommerce Trust Study, January 1999.
- [4] Dayal, S., Landesberg, H., Zeisser, M., 1999. How to build trust online. *Marketing Management* 8 (3), 64–71.
- [5] Denzin, N. 1978, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, New York: McGraw-Hill
- [6] Edwards, D. J. A. (1998). Types of case study work: A conceptual framework for case-based research. *Journal of Humanistic Psychology*, 38(3), 36-70.
- [7] Friedman, B., Kahn, P.H. Jr., Howe, D.C., 2000. Trust online. *Communications of the ACM* December, 34–40.
- [8] Kalakota, R., Whinston, A.B., 1996. *Frontiers of Electronic Commerce*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- [9] Ovans, A., 1999. Is Your web site socially savvy? *Harvard Business Review* 77 (3), 20–21.
- [10] Saban, K.A., McGivern, E. and Saykiewicz, J.N. (2002), "A critical look at the impact of cyber crime on consumer Internet behavior", *Journal of Marketing Theory and Practice*, Vol. 10 No. 2, pp. 29-37.
- [11] Urban, G.L., Sultan, F., Qualls, W.J., 2000. Placing trust at the center of your internet strategy. *MIT Sloan Management Review* (1), 39–48.
- [12] Yuanqiao Wen, Chunhui Zhou "Research on E-Commerce Security Issues". 2008 International Seminar on Business and Information Management

7. DISCUSSION AND CONCLUSION

There are various applications of E-commerce in banking, insurance, travel, education etc. Any transaction that is completed solely through electronic measures can be considered e-commerce. E-commerce is playing very good role in online retail marketing and people's use of this technology is increasing all over the world. E-commerce security is the protection of e-commerce assets from unauthorized access, use, alteration, or destruction. Dimensions of e-commerce security entails Integrity: prevention against unauthorized data modification, No repudiation: prevention against any one party from reneging on an agreement after the fact, Authenticity: authentication of data source. Confidentiality: protection against unauthorized data disclosure, Privacy: provision of data control and disclosure, Availability: prevention against data delays or removal. Fraudsters are constantly looking to take advantage of online shoppers prone to making novice errors.

In order to protect the customers and merchants from falling prey to fraudulent activities some precautionary measures are necessary to be taken. This study uses step wise case based research process, value of each step depends upon the validity of preceding steps. The study involved technical procedures for data collection, data reduction and data interpretation. During data collection special care was given that it is free from errors and during interviews no leading questions should be asked. Further, this study discussed E-commerce security issues, security measures, digital E-commerce security threats.




Figure 2: Protection framework for E commerce security threats

On the basis of the cases reviewed and in depth interviews a suggestive framework as in Figure: 2 is developed for the possible protection against threats. As per the cases analyzed and interview responses few guidelines are discussed as follows: Change your passwords from time to time,

Don't keep your sensitive or protected files in folders that have a revealing name, Choose passwords with numbers, upper and lower case, 8 digitals long, and have special characters, Get regular audits, set up an advisory board, continuous internal security reviews.

REFERENCES

- [1] Berkowitz, B.S. (2003), "Cyber security: who's watching the store?", *Issues in Science and Technology*, Vol. 19 No. 3.
- [2] Cassell, J., Bickmore, T., 2000. External manifestations of trustworthiness in the interface. *Communications of the ACM* December, 50-56.
- [3] Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient. eCommerce Trust Study, January 1999.
- [4] Dayal, S., Landesberg, H., Zeisser, M., 1999. How to build trust online. *Marketing Management* 8 (3), 64-71.
- [5] Denzin, N. 1978, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, New York: McGraw-Hill
- [6] Edwards, D. J. A. (1998). Types of case study work: A conceptual framework for case-based research. *Journal of Humanistic Psychology*, 38(3), 36-70.
- [7] Friedman, B., Kahn, P.H. Jr., Howe, D.C., 2000. Trust online. *Communications of the ACM* December, 34-40.
- [8] Kalakota, R., Whinston, A.B., 1996. *Frontiers of Electronic Commerce*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- [9] Ovans, A., 1999. Is Your web site socially savvy? *Harvard Business Review* 77 (3), 20-21.
- [10] Saban, K.A., McGivern, E. and Saykiewicz, J.N. (2002), "A critical look at the impact of cyber crime on consumer Internet behavior", *Journal of Marketing Theory and Practice*, Vol. 10 No. 2, pp. 29-37.
- [11] Urban, G.L., Sultan, F., Qualls, W.J., 2000. Placing trust at the center of your internet strategy. *MIT Sloan Management Review* (1), 39-48.
- [12] Yuanqiao Wen, Chunhui Zhou "Research on E-Commerce Security Issues". 2008 International Seminar on Business and Information Management

American Dream and its Implication for Black Women

Paveine Vemai

Department of English, Kalindi College, University of Delhi, New Delhi-110008

Corresponding author: paveinevehmai@gmail.com.

ABSTRACT

*The paper is an attempt to analyze the role of race, class and gender in the pursuit for better life in America in the mid 20th Century America. The quest for the grand promise of "The Dream" by a black American woman is evaluated through the novel, *The Street* (1946) by Ann Petry. The paper is a critique of the concept that America is the idealistic and the exceptional nation where its entire citizens have equal access to the opportunities offered by its constitution.*

Keywords: American Dream, Racism, Gender, Class, Segregation, Protest Novel

1. INTRODUCTION

"American Dream", which is one of the most evocative phrases of the national lexicon, is premised on the assumption of "American exceptionalism"—that America offer opportunities for a good life that is simply unavailable in any other parts of the world. The declaration of independence reads, "all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness." William Penn calls the nation "a good poor man's country", Gunnar Myrdal likewise observed that the American Creed was grounded on, "the essential dignity of the individual human being, of the fundamental equality of all men, and of certain inalienable rights to freedom, justice, and a fair opportunity...."(As quoted in Jillson,3)

However, race, gender, wealth, ethnicity, and religion seem to have always been the determining and conditional factors for its citizenship. Treatment of blacks has been the most glaring deviation from the American Creed. As Jillson elaborates, the constitution continues to recognize slavery, without ever mentioning the word, through its provision on continued importation, representation, taxation and subsequent legal guarantees concerning the return of fugitive slaves long after slave trade formally ended in 1808 till the outbreak of Civil War. (Jillson, 9) The paper is a study of Ann Petry's first novel, *The Street* (1946) through the lens of the national ethos as discussed above. The concept of the dream and its implication for a black woman would be closely examined. As Lutie Johnson the protagonist of the novel is someone who dreams and fantasies herself to be the spiritual offspring of Ben Franklin. She closely follows up Franklin and his precepts in her own quest for success. She however is inevitably thwarted by the pressures of what Hernton calls the "three isms" racism, capitalism, and sexism (Clarkson, 496). Primary focus of the article is on the novel *The Street*, but it will also refer to Richard Wright's *Native Son* (1940) which is considered as quintessential document of the African-American protest novel. Since Ann Petry's protagonist emerged as another strident voice a progenitor or native daughter. The paper will examine how the interactions and negotiations of race and gender necessarily limit or provide undue privilege to a particular race/gender in America. It will seek to throw insight into how black women pursue the "American Dream" in traditionally "American" terms. And what is the role played by rampant violent expressions of hate and hostility across an individual's surroundings in guiding their action towards fulfilling one's dream.

2. TRAJECTORY OF EXCLUSIONS

Post Civil war, the legal emancipation did little to improve the life of the African-Americans. As several laws and practices of the reconstruction era continue to perpetuate racist sentiment and discrimination in different forms. Lynching for instance became a common method of re-imposing the notion of white supremacy. Nearly 3,500 African Americans in the United States were lynched between 1882 and 1968, mostly from 1882 to 1920 (As quoted in Katyal, 198). The Jim Crow Laws of equal but separate systems was another such schemes. The struggle continues during the Civil Rights movements of the 1950s and racism is still a matter of concern today. As Derrick Bell declared, "racism is permanent" (Jillson 9). Jennifer Hochschild likewise suggests, how the Dream is less perfect because of the continuous struggle for racial equality and the growing sense of alienation among African-American (Brown, 268). Patterns of exclusion have existed permiciously with multiple factors determining an individual's accessibility to the dream. The intersections of sex, gender, race and class played a significant role towards enabling or excluding a person from its claim to the grand promise of success.

3. ANN PETRY, *THE STREET*

Ann Petry utilized the mass of details gathered in the investigative report she had done for the Harlem weekly *The People's Voice* on urban ghetto housing, on black male unemployment and its relationship to "broken" marriages, on education, childrearing and sexual violence in the ghetto. She demonstrates how juvenile delinquency and the breakdown of black urban communities were not due to domineering black mothers (Moynihan Report of 1966) but because of rampant institutional racism. Set in 1940's Harlem Street, *The Street* portrays lives in a ghetto that had been ravaged by the depression and by decades of racial injustice and segregation. It is the first novel by an African American focusing on the struggles of a working class mother in an urban ghetto. It highlights the darker side of the society where social issues are shaking people's life and the social dilapidation in Harlem which cause day to day life extremely difficult for a black woman.

Harlem is an all-black city of "primitive joy," of "liquor-rich laughter, banana-rich laughter," where blacks of all possible skin shades abandon themselves to "pure voluptuous jazzing" (McKay, 108). Petry's novel subverts several notions of this claim by representing blacks in all of their humanity and complexity. For instance, her characters went to the bar to "capture the illusion of having some of the things" they lack not necessarily because the bar provides one (Petry, 145). The blacks themselves aren't necessary all harmonized, loving and homogenized as a community. As evident in the attitude of Boots, who instead of being sympathetic towards Lutie is no different from the white man Junto, as he contemplates, "Sure, Lutie would sleep with Junto, but he was going to have her first....After all, he is white and this time a white man can have a black man's leavings" (Petry, 423). Lutie Johnson, embodies the female version of the archetypal quest for the American dream. Patterning her life after Benjamin Franklin's, Lutie Johnson embarks on an expedition she hopes would bestow the trappings of success upon herself and Bub, her eight-year-old son. She has always believed in the rags-to-riches story and the protestant ethic of hard work and success. Even before going to work at the Chandlers' the white family where she work as a cook, Lutie was a model of thrift and hard work. She only hears the Chandlers expressing what she has felt before when he expressed about America as: 'Richest damn country in the world—', 'Hell! Make it while you're young. Anyone can do it—' (Petry, 43). Listening to such vibrant optimism for a year, she reabsorbed similar spirit for herself. She swallows the idea that anybody could be rich if he wanted to and worked hard enough and figured it out carefully enough. Thus, despite her failed marriage, and her struggle working at a laundry, going to night school for a low-ranking civil service job that barely allows her to rent a twenty-nine dollar a month flat, she keeps her hope alive that success would ultimately be hers. She would recall Ben Franklin and his loaf of bread, and grinned thinking "You and Ben Franklin" comparing herself to him when she couldn't afford the delicacies she craves for (Petry, 63).

However, Lutie's odyssey from Jamaica, New York, to Lyme, Connecticut, to Harlem bestows upon her little more than disillusionment. For "no matter at what point she started, she always ended up at the same place" (Petry, 183). She realized her futile plan as she laments, "Only you forgot...you were black and you underestimated the street outside" (Petry, 389). Her marriage failed because she stayed away from home to provide for the family because Jim, her husband couldn't get a job. Subsequently, Jim found another woman but Lutie couldn't even remarry for divorce was an expensive business for a woman like her.

At the Chandler's she was treated indignantly by the white folk who stared at her with queer and speculative look saying, "Sure, she's a wonderful cook. But I wouldn't have any good looking colored wench in my house" (Petry, 40). Lutie realized it wasn't just because she was a colored, but because she was colored:

Apparently it was an automatic reaction of white people—if a girl was colored and fairly young, why, it seemed to reason she had to be a prostitute. If not that—at least sleeping with her would be just a simple matter. All one had to do was make the request. In fact, white man wouldn't even have to do the asking because the girl would ask them on sight (Petry, 45).

Mrs. Chandler and other white woman couldn't know or imagine that any black woman might have a distrust and a dislike of white men far deeper than the distrust they had of black women, for "the moment they saw the color of her skin they knew how she must be" (Petry, 46). It is interesting to see how their distrust for their own husband gets overshadowed in their prejudice against the black women. A black woman, Lutie cannot hope for solidarity as women who shared similar experience of gendered victimhood, for the racial prejudice and suspicion surpasses it. Lutie faces sexual harassment both from the white and black men alike; Super, Junto and Boots Smith. The stereotypical assumption regarding black women especially a beautiful one, as easy going and immoral is reflected through voices like Mr. Crosse who goes on to comment; "you know a good looking girl like you shouldn't have to worry about money". It does not really matter if Lutie is virtuous, industrious and non-compromising for the apriori assessment will not be reviewed. Ann Petry brings forth the miserable plight of black women in the face of racism and male dominated society through her powerful storyline. Petry also depicts two other black female characters that circumvent the quest of American dream: Mrs. Hedges, operates a bordello in the apartment building where Lutie lives, she also oversees the day-to-day events on "the street." Min serves as the downtrodden and subservient companion of William Jones, the building superintendent. Far from being minor characters, Mrs. Hedges and Min embody history of black women subverting the vacuous dream myth and how they (re)configure the mythic American quest for economic and emotional security in the face of the twin scourges of racism and sexism.

Petry's graphic portrayal of the inevitable downfall of her character, Lutie Johnson is remarkable. By constructing a proletarian protest novel from the point of view of a black woman, Petry both criticized and developed that genre. In her review *A Checkered Career*, Barbara Christian analyzes *The Street* in comparison with Richard Wright's novel *The Native Son*, and why the angry male protagonist was seen as more emblematic of the black ghetto than Petry's industrious, upwardly mobile black woman. The two novels have much in common. Both Bigger Thomas and Lutie Johnson are trapped by the physical and social space which their race and poverty condemn them to move in. At a pivotal moment in the novel, each is employed as a servant to a wealthy white family whose racial and sexual stereotypes influence their tragic fate. Both kills in the course of each novel as a result of the social or sexual myth imposed on them.

But major differences as Christian pointed out; Wright adopts major western philosophical framework of existentialism, and Marxism to articulate the psychology of Bigger who does not care about family or believe in the American dream. Lutie on the other hand believes that she might be able to save her son from degradation of the street, is worried not so much about womanhood as she is about the mundane; about food (for example the red dye in the meat she and other mothers

are forced to buy); about housing—not only the rent she can barely afford but the claustrophobia of three tiny rooms; about her son, and whether her attempts to protect him from the dangers of his own street are futile; about her own body as she maneuvers in the terrain of male desire where both black and white men see her as sexual prey. Perhaps the most telling disparity between these two protest novels arises out of their parallel plots as Christian puts it: both protagonists kill, but the conditions and the effects of their acts are very different. Bigger Thomas accidentally kills Mary Dalton, a white woman in whose bedroom he is trapped, because of his fear (a well-founded one) that he will be accused of having raped her. Lutie Johnson, defending herself against being raped, kills Boots, a black man. Bigger is psychologically liberated by breaking the Great American Taboo (that of a black man having sexual relations with a white woman); he is defended by a Marxist lawyer in a trial that is as much about the meaning of oppression as it is specifically about his crime; and he comes to some self-knowledge just before his execution by the State.

In contrast, Lutie Johnson flees to another ghetto after her act of self-defense, leaving her child behind to the white world of the juvenile hall, because she is convinced that he is better off there than with her, his powerless and now criminal mother. Lutie does not draw the attention of Marxist lawyers. She does not become a cause célèbre. After all, how could a black woman be raped? And even if she were, after all, all she did was to kill a black man. While Wright's novel employs the outlines of the crime story intact with a murderer on the run, Petry's novel is not about adventure so much as it is about cramped space, about doors of opportunity that shut one after another in Lutie Johnson's face.

4. CONCLUSION

The grand promise of the "American Dream" therefore remains but a hollow and a distant utopia for black women. There is a vast disparity in the patterns of inclusion/exclusion between the two races and gender. The so called "inalienable" rights of an individual to life and pursuit of happiness is, time and again thwarted and dismantled by various constraining factors. For, to be a woman and a Negro the dream would remain but illusion never to be materialized. Black artist or male Negro could at least assert their identity within the colored framework like Bigger Thomas, but not black women. Lutie Johnson's story illustrate how, neither Benjamin Franklin's philosophy, nor literacy, beauty, intelligence or morality can rescue her. Though she did manage to escape death and imprisonment, but it was not without the ultimate sacrifice that rips apart any mother or woman's heart. The Dream thus in practice has always been more open to some than to others. As Howard University's Jane Flax argued, "the normative American citizen has always been a white man..."(Jillson,8)

REFERENCES

- [1] Brown, Roland. Rev. of *Facing up to the American Dreams: Race, Class and the Soul of the Nation*, by Jennifer L.Hochschild. *The Journal of Politics* Vol 59, (1997):267-270.
- [2] Christian, Barbara. "A Checkered Career: *The Street* by Ann Petry" *The Women's Review of Books*, Vol. 9,10/11 (Jul., 1992):18-19 Old City Publishing.
- [3] Jillson, Carl. *Pursuing the American Dream: Opportunities and Exclusion Over Four Centuries*.(2004) Kansas University Press
- [4] Katyal Akhil, and Anannya Dasgupta eds. (2014) *This Unsettling Place: Readings in American Literature. A Critical Anthology*. Delhi: Book Land Publishing Co.
- [5] Keith Clark. *A Distaff Dream Deferred? Ann Petry and the Art of Subversion*. *African American Review*, Vol.26:3 (1992):495-505. Indiana State University Press.
- [6] McKay, Claude.(1987) *Home to Harlem*. North Eastern University Press,
- [7] Petry, Ann Lane. (1946) *The Street*. Boston: Houghton Mifflin.
- [8] Wright, Richard. *The Native Son* (1940) First Perennial Library Edition.

Internet Usage Pattern and Preferences: A Comparative Study of Urban and Rural Youth in Delhi (India)

Divyani Redhu¹ and Manisha²

¹University School of Mass Communication, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, India

²Department of Journalism, Kalindi College, University of Delhi, East Patel Nagar, Delhi-110008

¹Corresponding author: manisharajeev999@gmail.com

ABSTRACT

The impact of the changing technology can be seen in different spheres of our lives. Particularly talking about the advent of internet, there is no denying the fact that it has led to a revolution which no one would have imagined before its existence. Internet has been responsible for some of the most far-reaching changes in society over the past quarter-century¹. Taking into account the Asia – Pacific region, India is at the second spot (46.2 crore users), only after China (75.1 crore users) in terms of the number of internet users as of January 2018 (The Statistics Portal, 2018). Despite the huge number, as per the 2018 report of Internet and Mobile Association of India (IAMAI) and market research firm IMRB International, the overall internet penetration in India is currently around 31 percent². Additionally, there is a striking contrast in the internet penetration even in different geographical regions of India, specifically the Rural and Urban regions. Particularly talking about the youth; they are the ones who are inseparable from internet. Be it social media, online surfing or merely scrolling links on internet, it has almost become the lifeline for the youngsters. As a result of which, not only the way communication took place has changed, but at the same time, the engagement with internet via any medium which is being used has also undergone a massive shift. Thus, the paper aims to bring to the front a comparative analysis of the internet usage pattern and preference in the Urban and Rural zones of Delhi, India by the youth (15-24 years of age). Also, the aim is to know about the changing communication patterns of the respondents.

Keywords: Internet, Usage, Communication, Youth, Delhi.

1. INTRODUCTION

“We are all now connected by the Internet, like neurons in a giant brain.”

- Stephen Hawking

In recent years, digital media and internet have made their foray in various aspects of our day to day lives and the extent of their involvement in our lives is even affecting the knowledge generation, communication, and creative expressions³. Today, digital media and internet are omnipresent and force of the economy, society, and education⁴. Individuals utilize the Internet to get to the required all pervasive, as the new technology is not just limited to any individual, profession or institution. Because online information is so readily available today, the Internet has become a potential driving

¹ Schroeder, R. (2018). The internet in theory. In Social Theory after the Internet. UCL Press. doi:https://www.jstor.org/stable/j.ctt20krxdr.4

² Agarwal, S. (2018, February 20). Internet users in India expected to reach 500 million by June: IMAI. The Economic Times. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/internet-users-in-india-expected-to-reach-500-million-by-june-iamai/articleshow/63000198.cms

³ Ito, Mizuko et al. “Foreword.” Youth, Identity, and Digital Media. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. vii–ix. doi:10.1162/dmal.9780262524834.vii

⁴ Yi, Z. (n.d.). Internet Use Patterns in the United States. Chinese Librarianship: An International Electronic Journal, 29. Retrieved from http://www.iclc.us/cliej/cl25yi.pdf

data. Subsequently, societal and instructive associations are tested to utilize the Internet all the more proficiently. Given this scenario, it is essential to understand the patterns of Internet usage. Studies have been done on Internet technology, technological developments, and services in different parts of the world, but few studies have been undertaken particularly about the individual Internet usage.

Taking into account the technical aspect, the Internet is the network of networks. Taking into account the Asia – Pacific Region, India is at the second spot (46.2 crore users), only after China (75.1 crore users) in terms of the number of internet users as of January 2018 (The Statistics Portal, 2018). Urban India with an estimated population of 45.5 crore (455 million) already has 29.5 crore (295 million) internet users. Rural India, with an estimated population of 91.8 crore (918 million) as per 2011 census, has only 18.6 crore (186 million) internet users leaving out potential 73.2 crore (732 million) users in rural India. Still, it cannot be denied that within a very short span of time, internet technology has certainly emerged as a revolution.

The potential of Indian market in case of internet has been talked about repeatedly. But, on the flip side, talking particularly about the comparison between urban and rural population in India, what is astonishing is the striking gap in the internet usage of urban and rural Indian population. Though, the government has been persistently pushing towards Digital India, but, when it comes to the facts and figures on the paper, presently the story is quite different. It would not be wrong to say that as per the above mentioned figures, though the internet growth rate in rural India may seem higher and the one possessing more potential; but the fact is that, even today, the overall internet users in rural India are critically low⁵.

It would not be wrong to say when it comes to the internet usage and access, the facts that exist most of the times can be misleading, not in terms of the credibility of the same, but on the basis of the population that is distinctively being referred by them. Today, for a person living in the metro cities, reading stories about ill – effects of over usage of internet, excessive dependence on the same or social disconnectedness due to usage of internet etc. may seem like an everyday affair. But, the question that needs to be pondered upon is whether this approach is in itself a skewed and half-truth kind of a scenario. It is so because the contrasting figures of internet usage in urban and rural areas tell a different story altogether, particularly when whole of India is taken into account.

Thus, keeping in mind these contrasting facts pertaining to India, the effort of the researchers is to find out whether the same contrast exists when the urban and rural youth of Delhi, a metro city is taken as the area of study.

2. EXCESSIVE DEPENDENCE ON INTERNET

The Internet is a global system of interconnected computer networks that has turned into a vital piece of present day life. It has turned into an undeniably prevalent idea similar to other subjectively gratifying actions (e.g., drug use, shopping, working, running, gambling, and now a days, even using the computer), using the Internet can also become the object of addiction⁶. Different terms are popularly used to describe this phenomenon of excessive Internet use. Though, questions have been raised regarding the consideration of the Internet as the source of gambling or an object of addiction, it isn't clear what unequivocally Internet addicts end up being dependent on, albeit different conceivable outcomes have been proposed with time.

Internet use has both positive and negative aspects⁷. The positive outcomes of Internet use include enhanced self-confidence, increased frequency of communication with family and friends, and feelings of empowerment. India is not an exception to this global trend of increase in Internet

⁵ (The New Indian Express, 2018)

⁶ Grover S, Chakraborty K, Basu D. Pattern of internet use among professionals in India: Critical look at a surprising survey result. *Ind Psychiatry J*. 2010;19:94–100. doi: 10.4103/0972-6748.90338

⁷ Guan SS, Subrahmanyam K. Youth Internet use: Risks and opportunities. *Curr Opin Psychiatry*. 2009;22:351–6. doi: 10.1097/YCO.0b013e32832bd7e0.

use. As mentioned above, India is at the second spot (46.2 crore users), only after China (75.1 crore users) in terms of the number of internet users as of January 2018, as per the Statistics Portal.

3. LITERATURE REVIEW

According to the literature, teachers and students constitute the prime internet users. Jones and Madden (2002) conducted a study on college students' Internet usage. Browsing the Internet was a daily based action; as per the study, 73% of college students used the Internet more in comparison of library for research purpose. 79% of the students concurred "that Internet use has had a positive impact on their college academic experience" (Jones and Madden, 2002). Princeton Research Associates for the Pew Internet & American Life Project led across the country phone based studies, and examined how respondents penetrated the Internet. The data results demonstrate that all respondents (59%) of the general population did not penetrate the Internet more than the college students (86%) (Jones and Madden, 2002). These examinations appear to be constrained on the grounds that it isn't realized what factors impact individuals' Internet use.

Mehra and Papajohn (2007) conducted a study on the international teaching assistants (260), at a representative state university in a semi-rural setting in the United States. They did the analysis of 130 reverted surveys. The variables like gender, marital status, and age were found to be noteworthy indicators in explaining the correlations between communication and information intersections in international teaching assistants' usage of the Internet as per the study conducted.

Kumar and Kaur (2006) surveyed 792 teachers and 1,188 undergraduate students in India, and determined that the World Wide Web is a significant tool for teaching, research, and learning. These researchers found that 1,587 (99%) respondents surfed the Internet for the World Wide Web. Although, the study did not determine the factors influencing the Internet use.

Most of the research relating to internet usage patterns have been conducted on the university staff or students, most likely the reason being the availability of easy access to these groups by the researchers. One such study on the internet usage patterns and purpose of internet usage conducted on the students of Istanbul University revealed that internet surfing not just helps students in their awareness of technology, but in addition to the same, it also directs them in the direction of research and innovation. Hence, the author determined that contrary to the prejudice, spending time online may not be a completely futile exercise for students, but more or less a productive activity (Mujgan Hacioglu Deniz, 2015). A similar study surveyed the faculty members at the University of Kuwait to investigate their patterns, purposes, impact and problems encountered due to internet usage. The researcher found that most of the faculties who were using internet for more than five years have found it to bring effectiveness and efficiency to their work but they also desired improving their internet skills through formal training (Al-Ansari, 2006).

4. DISCUSSING THE OBJECTIVES AND METHODOLOGY

Talking about mobile access and connectivity, India's telecom subscriber base, mobile and landline combined, touched the 1.18 billion mark at the end of February 2017, growing 1.17% over the previous month, according to regulator TRAI.

According to the report of IDC (March 2017), Delhi topped the list of maximum smartphone users in India, followed by Mumbai. The subscriber base of internet users in urban area in Delhi was 18.73 million as on 31.01.2016. It had a share of 8.45% in the total subscriber base of internet users in urban area in India as on 31.01.2016. Delhi remained the circle with the highest teledensity of 236.38, while Bihar has the lowest at 56.91. The all-India teledensity currently stands at 86.25.

The research paper on the topic has been written with the following objectives in mind:

- To understand the internet engagement pattern and preferences of youth in Delhi
- To do a comparative analysis of the internet usage pattern and preference in the Urban and Rural zones of Delhi




Figure 1. Facts about Delhi (Source: http://www.delhi.gov.in/DoIT/DoIT_Planning.pdf)

The United Nations, for statistical purposes, defines 'youth', as those persons between the ages of 15 and 24 years. Thus, keeping the same in mind and taking into account the purpose of the study, i.e. to do a comparative analysis of the internet usage pattern and preference in the Urban and Rural zones of Delhi, a study was conducted among the respondents of above mentioned age group. The tool of the survey was questionnaire. Number of respondents was 200. Out of the 11 districts in Delhi, 2 rural zones (Kanjhawala – North West Delhi, Chhawla – South West Delhi) and 2 urban zones (Rohini – North West Delhi, Dwarka – South West Delhi) were chosen by the researchers keeping in mind the accessibility factor. 50 respondents from each of the 4 areas were chosen from the above mentioned age bracket.

5. FINDINGS

On being asked about having internet access, 100% respondents responded in affirmative and none of the respondents from the total mentioned about not having access to internet.

When asked about the type of internet connection, Out of 200 respondents, majority of respondents from rural areas had only mobile data (68). From the 68 respondents in the rural zones, 32 were females and 36 were males. On the other hand, only wi-fi was chosen by 18 respondents from urban zones, out of which a majority of 16 respondents were females (Figure 2).




Figure 2. Type of Internet Connection

When the respondents were asked about owning a smartphone, out of the 186 respondents who replied in affirmative, 96 were from urban and 90 from rural zones. In the urban zones of Dwarka and Rohini, no striking difference was there on the basis of gender as out of 96 respondents of the urban zones, 47 were females and 49 were males. However, in the rural zones of Kanjhawala and Chhawla, out of the 90 respondents who responded for owning a smartphone, 63 were males and only 27 were females. The 14 who said No were in the age bracket of 15 – 17 years. Out of the 14 respondents, 8 were from the rural zones and 6 from the urban zones.

On being asked about the medium of accessing internet, 132 respondents chose smartphone (64 were from the urban zones and 68 from the rural zones). This was followed by 37 respondents who chose laptops/desktops. Out of these 37 respondents, 28 respondents were from the urban zones and only 9 respondents were from the rural zones. The age bracket majorly accessing internet on laptop/desktop was from 15 – 17 years. (Figure 3)




Figure 3. Medium of Accessing Internet

When the respondents were asked about the frequency of accessing internet, 96 respondents in total responded about accessing internet more than 5 times a day (51 from urban and 45 from the rural zones). The option of 1-2 times was chosen by 48 respondents (23 from urban and 25 from the rural zones). Surprisingly, the option of accessing internet every alternate day was chosen by 12 respondents only, out of which 9 were from the urban zones and only 3 from the rural zone (Figure 4).




Figure 4. Frequency of Accessing Internet

Chatting/Social Networking was chosen by a total of 86 respondents as the online activity that the respondents mostly engaged. Out of 86, it was chosen by a majority of 53 respondents from rural zones. This was followed by 27 respondents from rural zones in the audio-video content. Online shopping was chosen by a majority of 23 respondents from urban zones. (Figure 5).




Figure 5. Online Activity Mostly Engaged in

Out of 200 respondents, Whatsapp was chosen by 71 respondents in total as the mostly used application. This was followed by 53 respondents in favour of Facebook. 43 respondents from rural zones chose WhatsApp, followed by 26 who chose Facebook. Instagram (12) and Twitter (10) were majorly chosen by urban respondents.

When the respondents were asked whether they would be ready to spend more if the rates of the internet data plan increase; surprisingly, a majority of 173 respondents chose to spend more on the data plan, with 83 from rural and 90 from urban zones. Only 24 respondents chose not spending more money on data plan out of which 17 were from urban zones. (Figure 6).




Figure 6. Willingness to Spend More on Data Plan if the Rates Increase

Lastly, when the respondents were asked about the time spent online daily, surprisingly, out of the total 200 respondents, 64 respondents spent more than 7 hours daily online. Out of 64 respondents in more than 7 hours, 38 were from rural and 26 from urban zones. 52 respondents spent 5 – 7 hours online daily followed by the other options. Less than 1 hour was majorly chosen by the respondents of 23-24 years of age. 1-3 hours was chosen by respondents from 15-18 years of age majorly (16 respondents out of the total 29). (Figure 7).




Figure 7. Time Spent Online Daily

6. CONCLUSION

With the help of the close ended questionnaire that was given to the respondents, the researchers were able to gather information about aspects like the preferred medium of internet access by the respondents, time spent by them online, mostly used applications etc. Overall, with regards to the information as received by 200 respondents from specifically the youth of urban and rural zones of Delhi, it can easily be said that the acute gap in internet access and usage that has been mentioned in several reports and projections for the whole of India cannot be generalized for Delhi. However, the small sample size is certainly a limitation of the study.

Strictly on the basis of the responses by 200 respondents, it would not be wrong to say that internet has made its foray even into the rural pockets. Rather, the potential in rural pockets is more than that of the urban zones in some aspects as per this study. Beginning with the question of internet access (with reference to Delhi), it was a contrast to the scenario of internet usage of urban and rural India. It is being said as, out of the 200 respondents, not even a single respondent chose about not having internet access, either from the urban or rural zones. Also, when asked about the type of internet connection, the rural respondents even outshined the urban respondents in case of internet access using mobile data (out of total 89 respondents choosing the mobile data, a majority of 68 were from the rural zone).

In addition, it needs to be taken into account that no striking difference was found out by the researchers on the basis of gender (male and female) even in the rural zones of Delhi. However, the difference that stood out most was in the case of 15 – 17 years age group. It was the age group of 15 – 17 years that were the majority respondents in case of responding about not having a smartphone, the group that majorly accessed internet on laptop/desktop and surprisingly, even in those who spent between 1 – 3 hours online every day.

To conclude, it cannot be negated that in a very short span of time, the market that smartphone and internet have carved for themselves is huge and the youth has a major role to play in the same. With mobile network becoming more accessible, and Internet Service Providers offering unlimited data plans at the price of peanuts, online engagement is booming than ever in India⁸. But, despite the same, a limit certainly needs to be set down in order to minimize the negative impacts of excessive online engagement or internet addiction. The Internet, like mobile phones and other electronic gadgets, has become a part and parcel of modern life. An in-depth interview of the

⁸ Ito, Mizuko et al. "Foreword." *Youth, Identity, and Digital Media*. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. vii–ix. doi:10.1162/dmal.9780262524834.vii

subject, with corroboration of history from the family members, might be a more reasonable approach to diagnose Internet addiction⁹. However, the findings of the present study must be considered within its limitations due to the small sample size and use of only close ended questionnaires. For future research in a related area, the area of research may be expanded beyond only Delhi, with the usage of interviews and focus group discussions to delve deeper in the subject.

REFERENCES

- [1] Bansode, S.Y. Bridging Digital Divide in India: Some initiative, 2008, p.60.
- [2] Boyd, D. (2015). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, New Haven, Yale University Press, 2015, 281 p., ISBN : 978-0-300-19900-0
- [3] Dutta, Subrat (2003) "Impact of Information Communication Technology on Society." *Yojna*, 47, no. 7: 24.
- [4] Griffiths M. Internet addiction: Does it really exist? In: Gackenbach J, editor. *Psychology and the Internet*. Waltham, Massachusetts: Academic Press; 1998. pp. 61–75.
- [5] Grover, S., Basu, D., & Chakraborty, K. (2010). Pattern of Internet use among professionals in India: Critical look at a surprising survey result. *Industrial Psychiatry Journal*, 19(2), 94. doi:10.4103/0972-6748.90338
- [6] Guan SS, Subrahmanyam K. Youth Internet use: Risks and opportunities. *Curr Opin Psychiatry*. 2009;22:351–6. doi: 10.1097/YCO.0b013e32832bd7e0.
- [7] Ito, Mizuko et al. "Foreword." *Youth, Identity, and Digital Media*. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. vii–ix. doi:10.1162/dmal.9780262524834.vii
- [8] Jones, Steve, & Madden, Mary. (2002). *The Internet goes to college: How students are living in the future with today's technology*. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
- [9] Kumar, Rajeev, & Kaur, Amritpal. (2006). Internet use by teachers and students in engineering colleges of Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh states of India: An analysis. *Electronic Journal of Academic and Special Librarianship*, 7(1). URL: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v07n01/kumar_r01.htm.
- [10] Lucky, A.T. The effect of Digital Divide on information Accessibility among undergraduate students of AhmaduBello University Zaria, *Research Journal of Information Technology* 5(1):01-10, 2013, ISSN: 2041-3106, pub-March- 01-2013.
- [11] McPherson, T. (2008). *Digital youth, innovation, and the unexpected*. Cambridge, MA: MIT.
- [12] Mehra, Bharat & Papajohn, Dean. (2007). "Global" patterns of communication-information convergences in Internet use: Cross-cultural behavior of international teaching assistants in a culturally alien information environment. *The International Information & Library Review*, 39, 12-30.
- [13] Neena, S., Bridging the digital Divide in India: Some challenges and opportunities, world libraries, 2007, Retrieved 15 dec 2018, from <http://www.Worlib.org/vol.no.1/pring/singh-print.html>.
- [14] Ortega Egea, Jose Manuel; Menendez, Manuel Recio; & Gonzalez, Maria Victoria Roman. (2007). Diffusion and usage patterns of Internet services in the European Union. *Information Research*, 12(2). URL: <http://InformationR.net/ir/12-2/paper302.html>.
- [15] The New Indian Express. (2018, March 03). Wide gap in Internet Use in urban, rural India. Delhi
- [16] Shaffer HJ. The most important unresolved issue in the addictions: Conceptual chaos. *Subst Use Misuse*. 1997;32:1573–80.
- [17] Subrahmanyam, K. (2012). *Digital youth: The role of media in development*. Heidelberg: Springer.

⁹ Grover S, Chakraborty K, Basu D. Pattern of internet use among professionals in India: Critical look at a surprising survey result. *Ind Psychiatry J*. 2010;19:94–100. doi: 10.4103/0972-6748.90338

Role of Social Media in Election Campaigns (With special reference to Whatsapp and Facebook)

Manisha and Sunita Mangla

Department of Journalism, Kalindi College, University of Delhi, East Patel Nagar, Delhi-110008

Corresponding author: manisharajeev999@gmail.com

ABSTRACT

The term 'new media' covers the various types of media that either relate to computers or rely on computational technology for redistribution. Some of the forms of new media are text, audio, video, images, virtual world, human-computer interface, etc. New Media often combines Internet accessible computer-mediated text, photos and videos with web links, seeking participation from the audiences and forming a participant community of content producers and content consumers. Social media, which is a type of new media, is interactive computer-moderated technology which makes creating and sharing of ideas, information, career interests and various other forms of expressions through virtual networks and communities possible.

In this era of advancing new media, every view holds the potential to be broadcasted to the public at the click of a button. Social media has brought a revolution in the way people think, write and react. The desire for instant gratification bundled with the easy availability of networking platforms, or rather 'venting medium,' at ones' fingertips has created voracious digital hunger. Common people now feel empowered as they now have a channel to voice their opinions. Everyone from politicians to actors, editors to opinionators – a fatal combination of opinion makers and opinion breakers – are present virtually and are far more accessible than in real life.¹

This paper looks at how social media has revolutionized the way political parties function, the need for real as well as virtual gratification of the common man and if new media can play a role in influencing the voters.

Keywords: New media, Social media, Politics, Political processes

1. INTRODUCTION

The term, new media generally refers to those digital media which are interactive, integrate two-way communication and involve any way of computing, in contrast to elementary media, such as radio, TV or telephone. In the last two decades, partly as a consequence of liberalization, deregulation and privatization, India has witnessed a transformation in the spheres of media and communication. One of the most palpable changes has been the arrival of mobile phones. This technology has penetrated rapidly, extending across classes and geographies becoming close to omnipresent within a short period of time. The internet, too, is spreading its arms, although slowly, subject to various challenges, with mobile internet being the fastest growing segment. Social media is here now and is deepening globalization in a spectacular manner. These trends are expected to speed up with the prediction of a larger number of people logging on to the internet using low-cost smartphones in the coming years.²

The fact that India with a whopping 996 million mobile phones is second only to China is often boasted to show that India has arrived at the pearly gates of new media. While media and communication technologies have advanced their scale and scope, the role of government has to be reexamined in this context. The governance functions, the regulatory aspects and even the public

¹Donsbach, W. (2004). Psychology of News Decisions: Factors behind Journalists' Professional Behavior. *Journalism*, 5(2), 131–157. <https://doi.org/10.1177/146488490452002>

²Crilly, R., & Gillespie, M. (2019). What to do about social media? Politics, populism and journalism. *Journalism*, 20(1), 173–176. <https://doi.org/10.1177/1464884918807344>

sphere have all been impacted by the growth in new media. This paper attempts to understand the shifting landscape of new media in India and, also, in its political context.

2. REVIEW OF LITERATURE

Politics has been deemed to be 'practical art.' However, at the beginning of the twenty-first century, it has also evolved to be a technological one. The dramatic increase of social media in the Indian political process began with the entrance of Internet on the voting arena around 2014 when Facebook ventured on India campuses as 'cruising and schmoozing' network.³ Now, in 2019, a variety of the channels of social media are blasting across the political sphere, with unanticipated, and, yet unknown effects.

Shaili Chopra (2014) believes that electronic voting, multiplying political use of tweets and texts, internet campaigning, blogging and vlogging, online polls and Facebook 'friends' all hooting for their favored candidates, concern or policy indicate towards a common point: for good or for bad, social media has crept into the India political process in the form that reforms it. She has stated that this is a case in spite of three bedrock realities:

- a. It gets more refined, nuanced and potentially enveloping instantly,
- b. It is ever more omnipresent,
- c. We wouldn't ever get as much information as we want.

In the digital era, computers do not just imply computing, they imply life. Similarly, 'personal' media is no more restricted to one's private life. They have expanded to also cover the stresses between the changes pertaining to culture, society and economy and stability, expanding from small crisis and victories of suburban households to the huge aspirations of the combined governance.⁴ They are about remaking the places of work, reconsidering the journalism, transforming trade, education and consumer identity. The new media has, indeed, revolutionized the traditional ways of teaching, learning, dating, parenting, staying well, planning travels, filing taxes, understanding the world and most importantly governing the country. It has restructured the practice, process and the very nature of politics (Braman, 2006).

3. METHODOLOGY

The nature of research that will be used in this study to understand the role of social media, including Facebook and WhatsApp, on the Indian politics will be qualitative. This study is based on the meta-analysis of the books and the articles written by renowned political personalities on the subject. As the conclusion of the data analyzed is in the descriptive format, like words and sentences, the research adopts the content analysis methodology.

Content Studied and Unit of Analysis

The content analysis was conducted by studying the books published on the subject, the role of *social media in the Indian political sphere*, published in the period starting from 2000 to 2018. Literature was searched on Google Books database with the keywords, "social media", "elections", "political campaign" and "Facebook during elections". The keywords were restricted to find only the titles, abstracts or author-mentioned keywords mentioned in the relevant texts. The year, 2000 was chosen as the start time for the analysis and, therefore, the information about the analysis in the last 18 years is evaluated in this literature review.

³Ruigrok, N., Atteveldt, W. van, Gagestein, S., & Jacobi, C. (2017). Media and juvenile delinquency: A study into the relationship between journalists, politics, and public. *Journalism*, 18(7), 907-925. <https://doi.org/10.1177/1464884916636143>

⁴ Bae, S. Y. (2017). The social mediation of political rumors: Examining the dynamics in social media and belief in political rumors. *Journalism*. <https://doi.org/10.1177/1464884917722657>

The content, on the basis of the relevant keywords, published in 21 books published by eminent writers was skimmed to get the first idea. In the second stage, the whole text was read thoroughly in order to gain an in-depth understanding of the case studies. During this phase, relevant parts of the text were highlighted and further used to summarize the findings.

4. OBJECTIVE

The study aims to establish a strong link between the emergence of social media and its growing connection with Indian politics. It also aims to find out what the prominent personalities from the political world had to write on this subject and how they affirm the fact that the dependency of political leaders to be 'online' in order to gain popularity among the masses, showcase their works and understand the general pulse of the common man is growing by the day.

5. FINDING AND ANALYSIS

After a thorough analysis of the relevant titles searched on Google Books database, the study could be categorized into four fields. Google Books is a service from Google, Inc, which allows for searching the entire texts of books and magazines which Google has scanned, changed to text and stored up in its digital database. Thus, we are sure to not miss out on any relevant text, which could have added any additional information apart from what has already been mentioned in the study.

The findings of the study are related to (i) emerging trend of usage of social media channels, like WhatsApp and Facebook for political purposes, (ii) agenda of political parties behind using these channels, i.e., mobilization (iii) investigation of the method of circulation of messages and digital activism and (iv) analysis of political engagement and its link as either an precursor or consequence of social media usage. Some of the works by well-known authors have been briefly discussed below.

One can gauge the seriousness of political parties regarding the newly discovered digital story by the fact that they are conducting social media workshops as a part of their business plans for elections. Google Hangouts, Skype calls and Facebook groups are the real place of meetings where all the brainstorming is happening. Politicians are commonly sighted with smartphones now and, also, are tweeting from public events, sharing pictures of their visits and engaging with voters online. India's government bodies are now realizing the immense power in 'viral' and even learning ways to disseminate information effectively (Singhal and Rogers, 2010).

Singhal also believes that national leaders, election contestants and official government organizations are now active on social networking websites, using it as an extension of their daily business. For instance, the Prime Minister, too, is active on social networking sites, like Facebook and Twitter, and is frequently feeding the nation with political and national updates. There is no doubt in saying that the use of social media by government organizations or political outfits is a quicker and more effective way to share information and a cost-effective platform to hold discussions and engagements with the masses of the country. As of now all across the world, web applications are emerging to offer real-time platforms to the people so that they could report any issues as and when they encounter them, be it potholes, traffic challenges, connecting with emergency services or women's safety.

One way in which social media changes the political discourse is by offering itself as a tool for solutions. In fact, this is the time when social media has superseded being taken on its face value as an information disseminator and superimposing itself to solve real problems of the citizens. As more and more people want to be a part of this solution, the power of social media is emerging as an important benchmark for change. In India, it was the turning point when Delhi witnessed its worst rape caste incident. In a widely reported event, a woman was beaten horrendously and gang-raped in a private bus she had hired to reach home with a male friend. The woman, however, later succumbed to her injuries and died a few days after. This incident shook the consciousness of the common man and challenged the questions and structures which defined the rules for women safety in India. As a result, there was a public display of mass rage. The nation not only recorded a large number of rallies and protests being organized all over but also witnessed massive social media

revolt, where millions of people created pages on social media, organized meetings through communication on these channels and voiced their anger through Twitter or Facebook. The government was compelled to take the issue on priority. 'Nirbhaya' was one of the top trends on Twitter. People from all over the world expressed their anger, shock and disgust and demanded reforms in women's safety in India. This triggered the release of a dozen applications made towards ensuring women safety, including Guardian, Sakhi, On Watch, etc. These apps allowed women to send SOS messages to their 'favorite' contacts whenever they were in a situation of distress. Social media was, indeed, central in connecting, networking and increasing awareness among the common man in the aftermath of the rape case.

Powerful as this was of anger was, there have been numerous such incidents, which have impacted the politics of the nation. A lot of people have used social media to gain support, drawing people together, holding public posts or just to reach out to the audiences. To an extent, the rise of the PM Narendra Modi remains a social media phenomenon. The leader had hardly any media exposure except from the past two years. However, he continued to manifest his popularity via direct channels, like social media. There are thousands of case studies which have been able to stir a buzz among people, like the hanging of 26/11 terrorist, Ajmal Kasab, speeches and rallies by Rahul Gandhi and Modi triggering hashtag wars, corruption scams, cyclones, death of the leader, Atal Bihari Vajpayee, and internal security challenges – all paved their ways to social media for news flow and reactions.

Politics and Social Media

New media is known for its characteristics, like convergence, mobility, connectivity, interactivity, speed, simulation and multi-modality. Also, given the ease of availability through cheap smartphones, new media is a real game changer. Researchers have coined a new term 'instantaneity' which highlights the quick response facilitated by the new media, especially evident in social media.⁵ The last few years have exhibited the immense potential in social media through the widespread exchange between the people of India about causes, issues, debates and politics. In fact, it has had an impact to extract the political bone in every citizen.

The population engaged in social media has risen sharply over the last two years. According to a ComScore survey, over 25 percent of all the time spent online in India is spent on social media compared to 33 percent in Russia and 38 percent in Brazil. The rising interest of Indian citizens in social media has got the politicians to sit up and take notice because a majority of these people browsing sites like Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr or Blogspot are below the age of 35. Engaging with this demographic will be essential to forming any political strategy in the nation.

According to Raman (2014), the political parties have been compelled to up their social media game in order to join the digital sphere after seeing these trends. In August 2013, Congress formally organized its first meet up of all its state and national leaders so as to understand and strategize the party's social media voice. The BJP, too, under the leadership of Narendra Modi, conducted a workshop to make his party workers aware of the digital avenues of campaigning. The primary agenda behind these efforts by the parties was to educate the leaders of the rules of the various social media platforms and the etiquettes required to use them.

Social media is cited as a wind of change. And this change was becoming evident in the mounting interest of the common man. Riding this wave was Aam Aadmi Party (AAP), who employed social media in an extraordinary way with engagement and fundraising as their main plan. The budding and active brigade of AAP actively used Facebook in order to assemble gatherings and agenda setting. They also employed Twitter to disseminate fresh revelations against political rivals and implored their followers to donate online in an attempt to ensure transparency. AAP experienced real benefits from social media which not only made people cognizant of their plans but also ensured transparency.

Political parties are slowly learning to tap the potential in social media. They are now planning the hashtags and, also, integrating their speeches with their tweets. Political leaders realize that the

⁵ Noam, E. (2018). Beyond the mogul: From media conglomerates to portfolio media. *Journalism*, 19(8), 1096–1130. <https://doi.org/10.1177/1464884917725941>

common man is now a part of political mindshare or is actively seeking it. A phone user with a camera phone is now a journalist and anyone posting on Twitter is a self-proclaimed editor.⁶

Arvind Gupta from the BJP IT Cell believes that social media is changing the politics as we have seen it. It is setting new trends and influencing the masses. People are consuming it more than television or radio. He says, 'Social media sets the narrative in a manner that since there are no intermediaries, everyone has got an equal chance to broadcast and create a wave. This allows for dissemination for all kinds of views without any one person or group controlling the narrative. In such a competitive space, only the popular and best ideas survive the scrutiny.'

New Media and Mobilization

Technology has greatly enhanced the speed and reach of social and political movements. In fact, it has enabled news events to cascade via intrapersonal communication into street gathering in a matter of a few hours. Geography is no longer a barrier and people are even registering their presence via websites, online petitions and emails. Rheingold (2002) used the term 'smart mobs' in order to explain such mobilization for social or political activism purposes, using convergent technologies like smartphones or the internet to act in unison. Rheingold believes that this has led people to have political collective action with the people they had not known before, in places they were not able to organize before and at a speed they were not able to muster before.

The brutal assault and gang-rape incident, also talked about before, was a case where new media played a vital role in bringing disparate elements of society to stand together demanding justice for the young girl. The protest, organized five days after her death due to fatal injuries, took place at India Gate lawns, Raisina Hills and Rashtrapati Bhavan and was mediated through new media platforms, like Facebook, WhatsApp and Twitter. The top national dailies acted as a catalyst for the movement and this was picked by the online new media. The petition, "President: CJI: Stop Rape Now!" received over 70,000 signatures on the online petition sites change.org. The event pages on Facebook, like, "Protest at India Gate: Assemble at Nizamuddin GoleChakkar" alerted netizens to orchestrate the protests. Of course, both online and offline media came together to provoke a considerable crowd of protestors at India Gate on December 21, 2012.

This case came into prominence once again when a documentary based on the incident, named 'India's Daughter' was produced by BBC. The film by Leslie Udwin was scheduled to be released on International Women's Day on March 5, 2015, but after the release of few excerpts from the movie, which showed the interviews of a remorseless perpetrator and his lawyer defending him, the permission to broadcast the movie in India was withdrawn. The movie, however, went viral on YouTube and was the subject of heated debate and arguments on new media platforms with prominent hashtags #IndiasDaughter, #justiceforNirbhaya, #NirbhayaInsulted and #banBBC seen trending on Twitter.

While on one hand, the power of media in mobilizing public opinion and organizing social and political movements is well established by existing discourses, the same power could well be used to stir up unrest and help undesirable elements of society, too (Srivastava, 2014). The number of people connected with new media is going up by the day thereby narrowing the digital divide in the country.⁷ A channel which is affordable, easy, interactive, and gives equal access to the government as to the market and to the people will undoubtedly find new audiences. New media is also preferred over traditional media in making the voice of an individual count and is also a disruptive force. Therefore, social media holds the potential to distort the perceptions about any political leader or party. According to Jeffrey and Doron (2013), as modern communication increases bandwidth, smartphone networks being able to stream faster data and device capacity increases, the end user is interacting with more complex data being exchanged on social media. The online communities serve and produce social realities. In the present role, social media

⁶ Craig, G. (2010). Dialogue and dissemination in news media interviews. *Journalism*, 11(1), 75–90. <https://doi.org/10.1177/1464884909349582>

⁷ Deuze, M. (2006). Ethnic media, community media and participatory culture. *Journalism*, 7(3), 262–280. <https://doi.org/10.1177/1464884906065512>

jeopardizes inciting a social reality where some groups could oppose not only about what to do but also about what the truth is.

Digital Activism

Gibson (2009) has defined activism as engagement in actions designed to nurture social change or, on the contrary, to resist it. Researchers argue that people participate in collective actions and social movements because either they strongly believe in something or they are deeply discontented about something. Social networks are considered to be key aspects of social movement phenomenon. They are intertwined with the World Wide Web and mobile phones. Social media along with other digital mechanism are changing the way people feel, live and how they converse and communicate with each other. They have given way to cross-boundary social systems and the speed, reliability, scale and affordability of digital networks have in turn enabled unparalleled expansion in scope and reach of digital activism. Digital activism is the use of digital technology, like smartphones, for political campaigning and social change.

Contemporary social movements are actively using these technologies as tools of communication and mobilization. This could well be a substitute for traditional media and could serve as both means and a target of social and political protest.⁸ Digital technology has a key role to play in social and political activism, for it helps in information dissemination, networking and action coordination. By serving as a potential forum for the development of a sense of solidarity, unity, and trust, the new media can help build a collective identity among participants and supporters of a movement (Logan, 2010).

The recent case of Kanhaiya Kumar, President of the Student Union of Jawaharlal Nehru University could be an important case to study here. On Feb 9, 2016, Kanhaiya was arrested under the charges of sedition. Soon after his arrest, people from across the nation poured their comments and tweets on all the social media channels in his support. This was a great example where people did not actually come out in the streets, but showed their support through the new media, thereby pressurizing the government to change its decision. The popular hashtags, then, were #StandwithJNU and #Azadi, which successfully provoked the emotions of the people.

6. CONCLUSION

From the beginning of usage of Internet in India, a great amount of interest has been given to how political parties would gain from their presence online. New media has not just redefined the way the political parties make communication possible among its members but also has changed the way the political leaders contest with each other in social campaigning. Additionally, the Internet has been complimented for being a great opportunity to energize political participation by establishing the interaction between political parties and voters. Political parties are now seeking the direct involvement of people in their movements, a contribution to the party fund, signing petitions or even voicing their views in various debates on policy issues. Today, the approach to campaigning in any election, championing any social-cause, or seeking opinion has also moved to new platforms. Digital strategizing is now pivotal to chalking political gatherings and elections. The manifestos of the political parties are no more the schemes of an alliance but are laid bare in open. Campaigning calls for a party's interactive presence on social platforms, like YouTube, Facebook, Twitter, and Pinterest. The common man is now central to a party's thought process. There is no space left to bundle up, as every diction is analyzed and commented upon. Politics today is about not just getting elected, but also getting 'socially elected'.

The modern technologies of communication and assets are a vital means for social movement as they tell about the plan and control collective action. The political arena, which is composed of the political dialogs, campaigns and evolution, has experienced massive changes with the emergence of new media. The effect it could have on civic engagement and democracy has augmented as new

⁸Lischka, J. A. (2018). Logics in social media news making: How social media editors marry the Facebook logic with journalistic standards. *Journalism*. <https://doi.org/10.1177/1464884918788472>

media betters itself and expands the capacity of the traditional media and, thus, the new media has devised a new arrangement of communication.

Ganesh and Thakkar (2005) affirmed that new media, in its form of digital activism, consolidates civic engagement and democratic participation. Surprisingly, it concludes in larger victories when it operates on a parallel basis with conventional activism. The Internet allows the spreading large amount of information allowing the masses to inspect political issues as per to their own requirements and interests. As a result of this, they find themselves at better positions to form their own opinions and participate better in decision-making concerning political affairs. The larger act of democratization of the internet in order to make and receive information is most likely to affect the general structure of democracy.

Further to this role, new media also connects people, stirs a buzz among them, gets the public sharing, allows campaigners to identify the voters, merge demographics, target precise groups, mobilize support and persuade them to participate. When a portion of these people, otherwise a part of the masses, get actively engaged in political mechanisms, they grow into a great vehicle to spread the word and influence the opinions (Nayar, 2012). It also diffuses power among masses, furthering the grassroots control over political candidates and leaders. This interaction help the political parties refine their political plans in accordance with the expectations and demands of the voters expressed via the internet. Similarly, parties are able to manage their supporters in a better manner so as to organize them in crucial moments of fundraising or campaigning. This would, undoubtedly, motivate people to be politically active and efficiently involved in the process of constructive nation-building.

REFERENCES

- [1] Retrieved February 21, 2019, from <http://pewinternet.org/Reports/2011/The-Social-Side-of-the-Internet.aspx>
- [2] Singhal, A. & Rogers, Everett M. (2010). *India's communication revolution: From bullock carts to cyber marts*. New Delhi: Sage Publications.
- [3] Logan, R. (2010). *Understanding new media: Social shaping and social consequences*. London: Sage Publication.
- [4] Braman, S. (2006). *Change of state: Information, policy and power*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [5] Rheingold, H. (2002). Smart mobs: The power of the mobile many. *Smart mobs: The next social revolution*. Cambridge, MA: Perseus Publishing.
- [6] Jeffrey, D. & Doron, A. (2013). *Cell phone nation: How mobile phones have revolutionized business, politics and ordinary life in India*. Delhi, India: Hachette India.
- [7] Srivastava, R. (2014). Media anchoring positive protests against sexual assault in India. Association for Progressive Communication. Retrieved February 21, 2019, from <https://www.apc.org/en/blog/media-anchoring-positive-protests-against-sexual-assault-india>
- [8] Gibson, R. K. & Ward, S. J. (2009). Parties in the digital age – a review. *Representation*, 45 (1), 87.
- [9] Patrut, B. & Bogdan, P. (2014). *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*. New York: NY: Springer.
- [10] Chopra, S. (2014). *The Big Connect: Politics in the Age of Social Media*. Delhi: Random House India.
- [11] Ganesh, K. & Thakkar, U. (2005). *Culture and the Making of Identity in Contemporary India*. New Delhi: Sage.
- [12] Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.
- [13] Hudson, H. (1997). *Global connections: International telecommunications infrastructure and policy*. New York: John Wiley & Sons.
- [14] Kuhn, T. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago, USA: University of Chicago Press.
- [15] Nayar, P. (2012). *Digital Cool: Life in the age of new media*. New Delhi: Orient Blackswan.
- [16] Raman, A. (2014). The cheap mobile is a top-five invention. *Outlook 19 Anniversary Special*, p. 42.
- [17] Murdock, G. & Golding P. (eds). (1997). *The political economy of the media*. UK: Edward Elgar Publishing.

Experimental Investigations on Excited Modes in Planar Optical Waveguide

Pushpa Bindal[#] and Triranjita Srivastava^{1,*}

Department of Physics, Kalindi College, University of Delhi, New Delhi-110008

[#]Equal Contribution

¹Corresponding author: triranjita@gmail.com

ABSTRACT

In this paper, we present an experimental study on excited modes in a planar optical waveguide by prism coupling technique. We considered a symmetric planar optical waveguide, prepared by symmetric coating of $\text{AgNO}_3 + \text{NaNO}_3$ (in ratio of 80:20) over a thin glass slide. Using He-Ne Laser as a light source we obtained four distinct modes in the form of curved lines on a screen.

Keywords: Planar Optical waveguide, Waveguide Modes, Prism Coupling Technique

1. INTRODUCTION

The optical waveguides are the vital elements of integrated optics. Since faster and huge data transportation along with its processing is the need of hour; therefore, electronics and photonics both the fields are witnessing developmental research activities. The electronic circuit elements can now be fabricated below 100 nm, resulting in small sized functional devices such as mobiles, televisions, computers, etc. but, they prevent the processor speed above 10 GHz. On the other hand, the photonic interconnects, such as optical fibers and waveguides offer ultra-fast and large information carrying capacity (~ few THz).

One of the simplest photonic components is a planar optical waveguide. Such waveguides are thin films made of high refractive index material embedded between lower refractive index materials. The waveguidance occurs due to multiple total internal reflections (as shown below) at the boundary of media of two different refractive indices [1 - 3]. If the light wave is launched into the high index film at an angle which is greater than the critical angle of the total internal reflection, the light wave at the boundary gets confined inside the waveguide. In this case, a stationary guided light mode travels along the length of the waveguide with an effective propagation constant with the amplitude of the electromagnetic field varying along the cross section of the waveguide. Figure 1, illustrates the light propagation through planar optical waveguide.



Figure 1. Light propagation through planar optical waveguides

The planar waveguides are the basic building elements of integrated waveguides. Such waveguides are mainly used to guide and route the optical signals to the desired locations by implementing bends or splitters. This leads to various optical devices such as bends, Y-splitters, directional couplers, Mach-Zehnder interferometers, connectors, optical switches, multiplexers/de-multiplexers etc. Moreover, the planar waveguides are widely used for chemical/bio-sensing applications. They also have potential applications as polarization beam splitters and wavelength selectors.

In order to characterize the optical waveguides numerous methods are available. One method that is particularly well adapted is the prism coupling technique. In this method the laser beam is incident on a prism at appropriate angle, which gets coupled into a planar dielectric waveguide. In this paper, we present the experimental study of excited modes in planar optical waveguide by prism coupling technique.

2. PHYSICAL UNDERSTANDING OF MODES

A guided mode is considered as the superposition of two plane waves propagating in the core of the waveguide at angles $\pm \cos^{-1} \left(\frac{\beta}{k_0 n_1} \right)$, where $k_0 = 2\pi/\lambda$; free space vector and β is the propagation constant. Such plane waves undergo total internal reflection at the core-cladding interface. However, if the angle of propagation of waves does not correspond to that of a guided mode, then the waves will destructively interfere in the core and no energy will be transmitted through the waveguide.

3. EXPERIMENTAL SETUP

In order to experimentally study the concept of modes, we employed the well-known prism coupling technique. It is to be mentioned that, here we considered a symmetric planar optical waveguide, which was prepared by symmetric coating $\text{AgNO}_3 + \text{NaNO}_3$ (in ratio of 80:20) over a thin glass slide at 320°C for 30 mins. Light from a He-Ne laser ($\sim 633 \text{ nm}$ wavelength) is launched into 90° prism placed over the chosen waveguides. In order to have resonant coupling of the laser light into the various modes, the state of polarization should be properly matched with that of the modes. We used s-polarized He-Ne laser which would selectively excite the TE modes of the waveguide. Here, the refractive index of the prism is greater than that of the core of the waveguide. The prism is clamped on top of the waveguide (as shown in Fig. 2), which creates a small air gap between the prism base and waveguide, thereby producing an evanescent wave. Hence, the laser light incident upon the hypotenuse of the prism, undergoes frustrated total internal reflection and gets coupled into the core of the waveguide.

It is to be mentioned that the guided modes are excited when phase matching condition is satisfied. i.e.




Figure 2. Coupling of light into a planar optical waveguide

$$n_p \cos \phi = n_1 \cos \theta \quad (1)$$

where n_p is the refractive index of prism, n_1 is the refractive index of core of waveguide, ϕ is the angle of incidence on prism, θ is the angle corresponding to a guided mode. Here, the propagation constant of the mode is given by

$$\beta = k_0 n_p \cos \phi = k_0 n_1 \cos \theta_0 \quad (2)$$

where θ_0 is the angle of incidence at resonance.

Therefore, by measuring the angle ϕ , we can calculate the mode effective index n_{eff} of the waveguide using the following formula [1]:

$$n_{eff} = \frac{\beta}{k_0} n_p \sin \left(A + \sin^{-1} \left(\frac{\sin \psi}{n_p} \right) \right) \quad (3)$$

where A is the angle of prism and ψ is the angle corresponding to each line with respect to normal incidence.

Also, since the different guided modes will have different n_{eff} values, so, the corresponding coupling angles ψ will also be different, hence the excited modes will be reflected in form of curved lines at different angles on a screen placed perpendicular to the optical waveguide (as shown in Fig. 3).




Figure 3. Experimental Setup of Prism Coupling Technique

4. RESULTS AND DISCUSSION

We set the apparatus as given in Fig. 3, (the actual experimental arrangement is shown in Fig. 4) and the achieved the resonant coupling of laser light into the waveguide as shown in Fig. 4. The spots within the waveguide depict different modes propagating through the waveguide.

Further, rotating the prism and waveguide arrangement i.e. circular stage, the modes within the waveguide, came out and are seen as curved lines on the screen (as shown in Fig. 5). We observed 4 lines on the screen, which depict that 4 modes are propagated through the waveguide. The calculations of the mode effective indices of all these modes are given below.




Figure 4. The actual experimental setup showing the resonant excitation of modes in the forms of spot within the waveguide




Figure 5. Visual depiction of modes on the screen

TABLE I: Measurement of angle ψ

Refractive index of Prism = 1.723

Angle of Prism A = 60°

Angle for Normal Incidence = 165.333°

S. No.	Angle corresponding to each mode (Degree)	ψ (Degree)	n_{eff}
1	170.366	5.033	1.54189
2	173.033	7.700	1.56245
3	175.666	10.333	1.58157
4	177.333	12	1.59306

Therefore, by measuring the angle ψ , we obtained the mode effective indices of the various modes excited within the waveguide.

5. CONCLUSION

As physicists, we all, very well understand the importance of concept of modes of a physical system. It is not an easy task to teach undergraduate students the concepts of modes conceptually and visually. In this work, we have made an endeavor to experimentally obtain and observe the modes excited within a planar optical waveguide. Since, the students study this area in a theory paper; it is a visual treat and conceptual comprehension of the concept of modes of an optical system. We would like to mention that, it is possible to extend the work to actually fabricate a directional coupler consisting of identical/non-identical planar optical waveguide separated by a small distance. This can further be studied as an optical switch.

REFERENCES

- [1] Ajoy Ghatak and K. Thyagarajan, "Introduction to Fiber Optics," Cambridge University Press, Cambridge (1998). Reprinted by Foundation Books, New Delhi (2008).
- [2] Ghatak and K. Thyagarajan, "Optical Electronics," Cambridge University Press, Cambridge (1989).
- [3] P. Pal (Ed), "Fundamentals of Fiber Optics in Telecommunication and Sensor Systems," Wiley Eastern, New Delhi (1992).
- [4] S. S. Sastry, "Introduction to Numerical Methods," PHI (2005).
- [5] M. R. Shenoy, Sunil K. Khijwania, Ajoy Ghatak and Bishnu P. Pal (Ed), "Fiber optics through experiments," Viva Books, New Delhi.

शोधसार

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्मजात शक्तियों की स्वभाविक और सामंजस्यपूर्ण उन्नति में योग देती है एवं उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है एवं जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है। इतना ही नहीं उसके व्यवहार विचार तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति उसके दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होता है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को आत्मसात करना है जो बालक और मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से लेकर आत्मा में विद्यमान हो।

शिक्षा का अर्थ है सीखना ज्ञान को अर्जित करने एवं अनुसंधान के द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल साक्षर बनाना है अपितु उसे सुसंस्कृत एवं सभ्य मानव बनाना भी है। इसके लिए छात्रों में त्याग शिष्टाचार विनय कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का होना जरूरी है। हमारा इतिहास साक्षी है कि हमारी शिक्षा छात्रों की भौतिक आवश्यकता पूर्ति या उसे जीवित रहने की साधन एकत्र करने मात्र सीमित नहीं थी, बल्कि वह उनके चरित्र का निर्माण भी करती थी। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हमारी शिक्षा प्रणाली का ध्येय था। सर्वांगीण शिक्षा के द्वारा मानव कल्याण की प्रेरणा, गुरु शिष्य परंपरा का पूर्ण निर्वाह एवं उनके दायित्वों का ज्ञान करवाया जाता था। ऋषि आश्रमों में रहकर छात्र सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। राजपुत्र हो या सामान्य गुरुकुल में सबों के साथ एक समान व्यवहार और कार्य होता था। आज हमें अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति की उतनी ही प्रासंगिकता है।

महाभारत में सर्व प्रथम 'शिक्षा का प्रयोग आदि पर्व में होता है। शांति पर्व में कहा गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है अज्ञानता से नहीं इसलिए ज्ञान का वरण करना चाहिए।

विद्या ददाति विणयम्, विनया दयाति पात्रताम् ।

अध्ययन का अर्थ ही है सीखना जानना पढ़ना, छात्रों को निर्देश दिया गया है कि भगवान की आज्ञा है और उसे कुशलतापूर्वक पालन करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा वास्तविक अर्थ में सम्पूर्ण

जीवन की शिक्षा है, जो जीवन के लिए और जीवन से ही ली जाती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के संबंध में मनु कहते हैं कि शीघ्र बुद्धि को बढ़ाने वाले शास्त्रों को तथा वेदार्थ को बतलाने वाले नियमों का सर्वदा मनन करना चाहिए। शिक्षा मानव के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। मानव विकास के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा एक अशिक्षित पार्श्विक प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य को भी सुसभ्य एवं श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है।

मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। विकास संबंधी धारणा प्राचीन काल में वर्तमान काल की भौतिकता प्रेरित धारणा से विल्कुल भिन्न थी। शिक्षण पद्धति मुख्यतः प्रत्यक्ष तथा मौखिक थी। आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और शिष्य ध्यान से सुनते थे और याद करते थे। इसप्रकार हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रवचन, भाषण, श्रवण-मनन, चिंतन एवं कंठस्त करना आदि प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण कराया जाता था। पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों में मुख्य रूप से वेद, पुराण, उपनिषद् पाकविद्या, शिल्पकला, गणित, राजशास्त्र, युद्ध विद्या, अस्त्र विद्या आदि शामिल थे। शिक्षा दो भागों में विभाजित थी प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा।

मौखिक शिक्षा प्रणाली प्रमुख रूप से इसलिए अपनाई गयी थी क्योंकि उस समय प्रायः लिखित भाषा से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पूर्णतः अलिखित थी। शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था इसलिए विदेशों से अनेक जिज्ञासु यहां आकर विद्या अध्ययन करते थे। कला-कौशल संबंधी तथा व्यवसायिक विषयों, सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान दिलाता है। इसके साथ-साथ वाद-विवाद को भी विशेष स्थान दिया गया था। विषय के पक्ष तथा विपक्ष पर बोलने की छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिक्षकों द्वारा नियमित अध्ययन के अतिरिक्त वर्तमान की तरह ही शिक्षा केन्द्रों में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता था और शिष्यों के लिए भिन्न-भिन्न विषयों पर भाषण आयोजित किये जाते थे। विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न स्थानों से शिष्यों को भी सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाता था।

हमारा समस्त कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही चलता है। हम किसी भी कार्य को तबतक करते ही जाते हैं जबतक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। जैसे-जैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती जाती है वैसे-वैसे हमारे कार्य प्रक्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। इसप्रकार हम उद्देश्य या लक्ष्य के द्वारा शिक्षा की सीमा को निश्चित करते हैं, जबकि इसका उद्देश्य आदर्श एवं सर्वांगीण विकास पर परिलक्षित होना चाहिए।

मनुस्मृति में भी कहा गया है कि किसी को शिष्य बनाने के पहले उनमें उन गुणों का परख करना चाहिए कि वे शिक्षा के अनुरूप आचरण कर सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसे छात्र जो विद्या के इच्छुक नहीं हैं उन्हें विद्या देना समय व्यर्थ करना है। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने के पहले प्रवेश परीक्षा उनकी योग्यता को निर्धारित करता था।

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को चरित्रवान एवं नैतिक भावनाओं के सम्यक विकास करना है। डा. आल्टेकर के अनुसार प्राचीन भारत में छात्रों का चरित्र निर्माण प्रत्यक्ष उपदेशों और कुछ सदाचार के नियम राष्ट्रीय विभूतियों के उदाहरण आदि द्वारा किया जाता था। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र को उन्नत करना है। मनुष्य में नैतिकता की भावना का विकास और उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर उसके स्वभाव को आदर्श बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के वृक्ष में यदि पाण्डित्य और ज्ञान का फल निकलता है तो सदाचार और शील का भी निकलना चाहिए।

प्राचीन शिक्षण प्रणाली एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जो आध्यात्मिकता और ज्ञान से लेकर युद्ध के विषय और अच्छे नैतिकता के साथ स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देती थी। शिक्षाओं के समस्याओं एवं बाद-विवाद के लिए गुरुकुल में सम्मेलन आयोजित किया जाता था। जहाँ शिक्षा के अनेक समस्याओं पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। जो शिष्य के ज्ञान संबंधी विचारों के कठिनाई को दूर करने में प्रेरणादायक होते थे। संस्कृत भाषा शिक्षा का माध्यम था, तत्कालीन समाज में संस्कृत के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ चुका था। आचार्य द्वारा समय-समय पर शिष्यों में शिष्टाचार, विनम्रता, आज्ञाकारिता तथा सुशीलता आदि की परीक्षा लिया जाता था। शस्त्रविद्या सिखाने के पश्चात् शिष्यों की शस्त्र निपुणता को परखने के लिए उनकी व्यवहारिक परीक्षा ली जाती थी। परिक्षाएँ वर्तमान की तरह औपचारिक न होकर विशुद्ध रूप से अनौपचारिक थी। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र थे जहाँ विदेशी से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये तीन केन्द्र तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जिसकी तुलना आज के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड से की जाती है। दक्षिण भारत में अग्रहारों द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार शताब्दियों तक होता रहा। बौद्ध एवं जैन, मठों एवं विहारों द्वारा शिक्षण कार्य में योगदान दिया जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। गार्गी, मैत्रेयी, उर्वशी आदि विदुषी स्त्रियाँ थी लेकिन बाद के काल में उनकी स्थिति में गिरावट आयी। हालाँकि यह शिक्षा प्रणाली वर्ण व्यवस्था के आधार पर बँटी हुई थी। शुद्रों को शिक्षा व्यवस्था और व्यवसायिक ज्ञान से वंचित रखा गया था।

प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था। कलान्तर में उस शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इस्लामी शासन के संक्रमण काल में कई चुनौतियाँ एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस्लामी शिक्षा का लक्ष्य मुसलमानों में ज्ञान की बृद्धि करना था एवं दूसरा लक्ष्य इस्लाम का प्रसार करना। मुहम्मद साहब के अनुसार प्रत्येक मुसलमान पुरुष एवं स्त्री सभी को ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। उनके अनुसार शिक्षा से बढ़कर कोई दूसरा उपहार नहीं है, जो माता-पिता बच्चों को दे सके लेकिन इन सबका सबसे बड़ा दोष यह था कि यह लोगों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रलोभन देता था, यही कारण था कि मुस्लिम शासक विद्यार्थियों को प्रशासन में सिपहसलार, वजीर, काजी जैसे पदों पर नियुक्त करते थे। बहुत से हिन्दुओं ने भी उच्च पद प्राप्त करने की लालसा में फारसी का अध्ययन किया और उच्च पद हासिल किए।

मध्य युग में शैक्षणिक कार्य प्रणाली धर्माचार्यों और रहस्यवादियों द्वारा नियंत्रित की जाती थी। धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। तुर्की सत्ता की स्थापना के बाद शिक्षा प्रसार हेतु अनेक प्रकार की संस्थाओं जैसे मकतब, मदरसे और खानकाहों की स्थापना की। मुसलमान परिवार में शिष्यों की शिक्षा मकतब संस्कार से प्रारंभ होती थी। मकतब - प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्र था जो संपन्न परिवार के घरों के बैठक में परिवार और आस-पास के शिशु शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गरीब बच्चों को उस परिवार के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती थी। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कंठस्त करते थे। वहां गणित आदि की ज्ञान के साथ-साथ अरबी एवं फारसी भी विद्यार्थियों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था।

मदरसा- उच्च शिक्षा का केन्द्र था। राज्य द्वारा स्थापित मदरसों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। हसन निजामी ने ताजुल मआसिर में मुहम्मद गोरी द्वारा अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की जानकारी देते हैं। इसी तरह अनेक सल्तनत सुल्तानों ने अपने शासनकाल में मदरसों की स्थापना की। खानकाहा- भी एक शिक्षा का केन्द्र था, जिसमें सूफी संतों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी।

मुगलकाल में भी शिक्षा के वही केन्द्र थे। मुगलशासकों ने शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किए। अकबर के समय में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई सरकार की तरफ से विद्वानों को वजीफे एवं जागीरें दी गयीं। उसने सभी धार्मिक वर्गों के विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। अकबर ने अबुलफजल की सलाह से शिक्षा की विस्तार के लिए पाठ्यक्रम और नियमावली बनायीं। उसने परम्परागत शिक्षा प्रणाली में सुधार किया एवं तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि दिखाई। उसके शासनकाल में संस्कृत की पुस्तकों का अनुबाद फारसी भाषा में कराया गया बाद के आने वाले मुगलशासकों ने भी शिक्षा एवं विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। सल्तनत की तरह ही मुगलकाल में भी स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्त्रियों के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था। मुस्लिम समाज में राज परिवार की स्त्रियों को छोड़कर अन्य वर्ग की स्त्रियों एवं बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं था। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन, ग्रंथों की रचना और उनका पठन-पाठन बराबर होता रहा।

भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के साथ ही इसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। मार्टिन कार्नाय जैसे लेखकों का मानना है कि औपनिवेशिक शासनाधीन देशों में शिक्षा का ढाँचा औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी प्रभुत्व की बैठता तथा अपने आर्थिक हितों की सिद्धि के लिए रचा गया होता है। शिक्षा तंत्र के माध्यम से नए मूल्यों का विकास तथा औपनिवेशिक शासन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा। इस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया अपनी पहचान खोता चला गया। लार्ड मेकाले की शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया था कि भारत में प्रशासन के लिए विद्यार्थियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत में विशिष्ट लोगों को तैयार करना है। इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज में पृथक् रखने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिक के बच्चों को शिक्षित करने का तात्पर्य है उन्हें जीवन में अपने कार्य के लिए अयोग्य बना देना। इस काल के शिक्षा प्रणाली को यदि देखा जाय तो यह सच सामने आता है कि शिक्षा नगर तथा उच्च वर्ग तक केन्द्रित था।

यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली गई। लार्ड मेकाले और राजाराम मोहन राय के वाद-प्रतिवाद के फलस्वरूप वेन्टिक ने शिष्य किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य यूरोपीय इतिहास, विज्ञान इत्यादि की पढ़ाई हो। अब शिक्षा भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी ने ले लिया। वुड डिस्पैच ने भारत में शिक्षा प्रसारण को समन्वित योजना प्रस्तुत की बह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैगनाकार्टा माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक कोष जुटाए गये, जबकि प्राच्य विद्या के लिए कोष में कटौत की गई।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो आज हमारे देश में चल रही है बह मेकाले की पद्धति की कड़ी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल साबित हुई। क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इस प्रणाली की वजह से विद्यार्थियों का शारीरिक एवं आत्मनिर्भरता का विकास नहीं हो पाता है। आजादी के बाद ऐसा माना जाता था कि भारत की शिक्षा प्रणाली का पूर्णरूप से बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियां भी बनाई गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शिक्षा की महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में उचित भागीदारी देकर सबों को शिक्षा का समान अवसर दिया लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विकास काफी निराशाजनक रहा है।

वैश्विक परिवेश में शिक्षा का अर्थ बड़ा ही तेजी से बदला है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था एवं बाजार बाद के नए चेहरे निजीकरण तथा उदारीकरण का विचारधारा ने शिक्षा को भी एक उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित करने की वजाय प्रति वर्ष लाखों दिशाहीन नवयुवकों एवं युवतियों की फौज तैयार कर रही है। बी.ए.-एम.ए. करने के बाद भी सक्रियता या जीवन व्यवहारों के नाम पर व्यक्ति अपने को ठगा महसूस करता है। वास्तविक योग्यता और व्यवहारिकताहीन व्यक्ति एक अनबूझ पहली बनकर देश और समाज के लिए बोझ बन जाता है।

गांधी जी बुनियादी शिक्षा नीति पर जोर देते थे, लेकिन उनकी यह नीति कितनी अमल योग्य रही है एवं अनैतिकता की बेड़ियों को तोड़ने में कितना सफल रहा, यह अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आज भी विश्व में भारतीय छात्र अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारतीय छात्रों में विदेशों से डिग्रीयां लाने की होड़ मची हुई है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय छात्र एवं छात्राएं अमेरिकी बच्चों को पीछा छोड़ रहे हैं। साइंस हो या गणित जहां भारतीय बच्चे अव्वल हैं, वहीं धर्म एवं संस्कार के आधार पर भी उनका स्थान अव्वल है। यह हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति की ही देन है जहां बच्चों की स्मरण करने की शक्ति गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से

प्रेरित है। छात्र गणित से लेकर दूसरे विषयों में भी सभी मौखिक रूप से हल करने की पद्धति में महारत हासिल किए हुए हैं। भारतीय छात्र विदेशों में तो लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के युवा विदेशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

बगैर नैतिक शिक्षा के हमारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। हम कितना ही इंजीनियर, डाक्टर एवं वैज्ञानिक पद को लें, लेकिन बगैर नैतिक शिक्षा के यह सभी अर्थहीन साबित होंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मशीनरी ज्ञान से ज्यादा इंसानों को इंसान बनाने की जरूरत है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था शिक्षा का उद्देश्य मेहनत और सुक्ष्मता से सोचने की क्षमता विकसित करना है। बुद्धिमत्ता और सदाचार यदि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। आज लोग चरित्र से ज्यादा प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। एक अंधी दौड़ चल पड़ी है जिसमें शिक्षा भी एक प्रतिष्ठा का माध्यम बनाया जा चुका है। विदेशों से डिग्रियां पाना एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है।

वास्तव में शिक्षा से आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया और प्रयोग से है जो मनुष्य को सीखने के रूप में वाल्यावस्था से ही चलती है और जीवन पर्यन्त चलती रहती है। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अनुभवों में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। शिक्षा को जीवन यापन करने का एक मात्र साधन न बनाते हुए एक पवित्र वस्तु माना जाय। हमारी परंपरा एक समावेशी शिक्षा प्रणाली की रही है, जो आध्यात्मिकता और दर्शन से लेकर युद्ध के विषय और अच्छे नैतिकता के साथ-साथ स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देती थी। हमें शिक्षा के सम्पूर्ण विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है तभी एक सम्पूर्ण और उन्नत समाज एवं राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी।

हमारा समाज शास्त्रों की इस उक्ति को सही मायने में समझ पाएगा।

अभिवादन शीलस्य नित्यम् वृद्धोपसेविनः, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्

संदर्भ

1. वाशम ए.एल., "अद्भुत भारत" (1996) शिवपाल अग्रवाल एंड कम्पनी आगरा
2. चंद्र, बिपिन अनामिका, "भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन" (2000) पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लिमिटेड
3. मुखिया हरवंश, "मध्यकालीन भारत नये आयाम" (2001) राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली
4. हबीब इरफान, "मध्यकालीन भारत" (1983), राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली पटना
5. बेलेमी फास्टर जॉन "इतिहास के पक्ष में" (1992) ग्रन्थ शिल्पी
6. अहमद कयामुद्दीन, "अल बिरूनी", (1992) नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया
7. शर्मा राम शरण "प्रारंभिक भारत का परिचय" (2004) ओरिएंट लॉन्गमैन - हैदराबाद

8. . शुक्ला आर. एल "आधुनिक भारत का इतिहास", (2001) हिंदी माध्यम कार्यन्तय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय

9. सरकार सुमित(2001) , सामाजिक इतिहास लेखन की चुनौती -ग्रन्थ शिल्पी

हिंदी गीतिकाव्य का अंतर्मन

भावना शुक्ला

हिन्दी विभाग ,कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 110008

bhavnasharma30@gmail.com

शोधसार

अभिव्यक्ति की आकुलता, एक से अनेक हो जाने की अभिलाषा और संवाद सेतु के संधान की जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण हैं। आदिकाल से मनुष्य अपने को स्वर और संकेत द्वारा अभिव्यक्त करता रहा है। कालांतर में उसे वाणी का वरदान मिला। विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व में पहले गीत (काव्य या पद्य) का अवतरण हुआ। प्रमाण स्वरूप लोकगीत और वेद को प्रस्तुत किया जा सकता है। काव्य का अर्थ है कवि का कर्म। कवि का कर्म अर्थात् उसकी कृति मम्मट आचार्य ने कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से अधिक महत्व दिया है। आचार्य आनंदवर्धन अपने ग्रंथ "ध्वन्यालोक" में कहते हैं— 'अपार एक काव्य संसारे कविरेकाः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। शोध गीतिकाव्य का अंतर्मन वर्तमान में गीतिकाव्य के महत्व को पुनः स्थापित करता है क्योंकि मन की भावनाओं का महत्व कहीं पीछे छूट रहा है और बौद्धिकता के युग में मनुष्य अत्यंत कठोर और स्वार्थी होता चला जा रहा है ऐसे परिवेश में पुनः गीतिकाव्य का महत्व निर्धारित करना प्रयास है।'

काव्य की परिभाषा-- आचार्य वामन ने काव्य के लक्षण और स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा है-- "काव्य शब्दों गुणालंकारसंस्कृत्योःशब्दार्थ-योवर्तते" अर्थात् गुणों और अलंकारों से संस्कृत (भूषित) शब्द और अर्थ के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है-- 'काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है।'

अलंकार का अर्थ है सौंदर्य और सौंदर्य का समावेश दोषों के बहिष्कार और गुण तथा अलंकार के आदान से होता है। वह नित्य धर्म है अलंकार अनित्य- केवल गुण सौंदर्य की सृष्टि कर सकते हैं परंतु केवल अलंकार नहीं अर्थात् गुण की स्थिति अनिवार्य है, अलंकार की वैकल्पिक। इस प्रकार वामन के अनुसार गुणों से अनिवार्यतः और अलंकारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द-अर्थ का नाम काव्य है वामन की इसी परिभाषा को ध्वनि वादी मम्मट ने यथावत स्वीकार करते हुए काव्य का लक्षण किया है। 'तददोषो शब्दार्थो सगुणावन्लान्कृति पुनःकापि' काव्य उस शब्दार्थ का नाम है जो दोषों से रहित और गुणों से युक्त हो- साधारणता अलंकृत भी हो परंतु यदि कहीं अलंकार न भी हो तो कोई हानि नहीं। अर्थात् दोषों से रहित तथा गुणों से अनिवार्यतः एवं अलंकारों से साधारणता युक्त शब्द- अर्थ को काव्य कहते हैं।

आचार्य भामहः 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् - साहित' अर्थात् सामंजस्यपूर्ण अर्थों को काव्य कहते हैं। आचार्य कुतक का मत है वक्रोक्ति युक्त बंध (पद रचना) में सह भाव से व्यक्त शब्द अर्थ ही काव्य है - दूसरा वर्ग आत्मकाव्यियों का है के अंतर्गत भरत, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि आचार्य आते हैं। भरत ने रसमयी सुखमय मृदुल ललित पदावली को काव्य माना है। आगे के आचार्यों ने इसी मत में संशोधन परिवर्धन करते हुए उसे रसात्मक वाक्य अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कहा है। इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ का वाक्य "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्" और पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा- 'रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' अनेक हिंदी कवियों ने दिलीप काव्य के संदर्भ में अपना मत प्रकट किया है। कवि श्रीपति के ग्रंथ काव्य सरोज में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है - 'शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान् ताको काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान'

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी "रसज्ञ रंजन" में लिखते हैं गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो कुछ छंदोबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहां कहीं पाया जा जाये चाहे वह गद्य हो या पद्य वही काव्य है। लक्षण-हीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काम नहीं कहलाए जा सकते और लक्षण युक्त होने से सभी गद्य- बंध काव्य कक्षा में सन्निविष्ट किए जा सकते हैं।

कवि जयशंकर प्रसाद ने कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहा है। कवि सुमित्रानंदन पंत कविता को प्राणों का संगीत मानते हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा ने कविता की परिभाषा इन शब्दों में दी है 'कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परंतु अब तक ऐसी कोई परिभाषा ना बन सकी जिसमें तर्क वितर्क की कोई संभावना ना रही हो। धुंधले अतीत भूत से लेकर वर्तमान तक और वाक्य रसात्मक काव्यम से लेकर आज के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप और उपयोगिता के संबंध में कहा जा चुका है वह परिमाण में कम नहीं परंतु अब तक ना मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो सका है और ना उसकी बुद्धि का समाधान। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्याएं लेकर आता है जिनके समाधान के लिए नई दिशाएं खोजती हुई मनोवृत्तियां उपयुक्त के काव्य और कलाओं को एक विशिष्ट रूपरेखा देती हैं मूलतत्त्व ना जीवन की कभी बदले हैं और ना काव्य के कारण वह उस शाश्वत चेतना से संबद्ध है जिस के तत्त्वतः एक रहने पर ही जीवन की अनेकरूपता निर्भर है'

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के संदर्भ में अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है 'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार के जय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं'

भारतीय मनीषियों की खातिर पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य को परिभाषित करने का यत्न किया। बर्इसवर्थ कहते हैं- काव्य शांति के समय स्मरण किए हुए प्रबल मनोवैर्गों का यत्न किया है। बर्इसवर्थ कहते हैं- काव्य शांति के समय स्मरण किए हुए प्रबल मनोवैर्गों का स्वच्छंद प्रवाह है।

कालरिज का कथन है- "कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है।"

मैथ्यू अर्नाल्ड ने कविता को जीवन की आलोचना माना है। डॉक्टर जानसन का कथन है की "कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है।"

भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण कविता को परिभाषित किया है।

हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों की अर्थवान लय युक्त, रसवती सोऽद्देश्य प्रस्तुति ही काव्य है।

गीतिकाव्य - संस्कृत आचार्य गीत और मुक्तक में कोई मौलिक भेद नहीं मानते थे। संभवता इसीलिए उन्होंने गीतिकाव्य स्वरूप पर पृथक् रूप से विचार नहीं किया। हिंदी के कतिपय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के समान ही गीतिकाव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का यत्न किया है। डॉक्टर श्यामसुंदर दास के मतानुसार- गीतिकाव्य कभी अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और वह जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर उसे भावों से रंजित करता है। आत्मभिव्यंजन सबधी कविता गीतिकाव्य में ही छोटे-छोटे के पद मधुर भावना पूर्ण आत्मनिवेदन सी जान पड़ती है उसमें शब्द की साधना के साथ-साथ स्वर्ग की भी साधना होती है। भावना सुकोमल होती है और एक-एक पद में हो कर समाप्त हो जाती है। कभी उसमें अपने अंतरतम को स्पष्टतया दृष्टव्य कर देता है। वह अपने अनुभवों एवं भावनाओं से प्रेरित होकर उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति कर देता है।

डॉक्टर श्यामसुंदर दास द्वारा---- गीतिकाव्य कि जो परिभाषा दी गई है उससे निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। 'आत्मभिव्यंजन, भावमयता, गेयता, मधुरता, शब्द चयन संगीतात्मक का, सुकोमल भावना'। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीतिकाव्य को मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखा। उनके अनुसार मुक्तक में प्रबंध के समान वह रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थाई प्रभाव ग्रहण करता है इसमें तो रस के ऐसे छूटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता।

शुक्ल जी के कथन के निष्कर्ष को इन दो बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। मुक्तक में रखकर आनंद की क्षणिकता है, संक्षिप्तता है, जीवन के खंड दृश्य का उद्घाटन होता है। हमने पाया कि गीतिकाव्य के संदर्भ में जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से डॉक्टर श्यामसुंदर दास का मत वैभिन्न है उसी प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनसे सहमत हैं। वह लिखते हैं कि आधुनिक

प्रगीत मुक्तक कवि के भावावेग के क्षणों की रचना होती है। उनके गीत की सहज और हल्की गति होती है इनकी गुलदस्तों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

डॉक्टर द्विवेदी ने सजग किया है कि "परंतु इतना स्मरण रखना उचित है कि आजकल के प्रगीत मुक्त को मैं यद्यपि व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्राधान्य है तो भी वे इसलिये हमारे चित में आनंद का संचार नहीं करते, जो बात हमारे मन को आनंद से तरंगित कर देती है वही हमारी अपनी होती है। इसलिए यद्यपि आज के अच्छे मुक्तक लेखक कवि की विषय-ग्राहिता हमारा द्वारा समर्पित ना होकर आत्मानुभूति मुल्क है तथापि वह पाठक के भीतर पहले से वासना में स्थित भावों को उद्बुद्ध करके ही संचार करती है। परंतु वह उतना ही सामाजिक है जितना अतिशय कालीन रुढ़ियों की योजना के भीतर ग्रहीत मुक्तक होता था। इस प्रकार दोनों में समानता की मात्रा कम नहीं है। व्यक्तिगत होने के कारण इन अनुभूतियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। पुराने का वर्णन केवल भावनीय मनोरोगों की अपेक्षा में ही होता था। वह विभाव अब आलंबन रूप में योजित होने लगे हैं। और वह अनुभव अब मनुष्य के बाहर के जगत के कल्पित मनोरोगों के संबंध में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। ऐसा करने से भाषा में अधिकाधिक लाक्षणिकता आने लगी है क्योंकि अब प्रकृति को यदि आलंबन बनाकर उसमें अनुभव और भावों की योजना की जाएगी तो लक्षण व्यक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा।

द्विवेदी जी के विचारों के मंथन से जो सूत्र गीतिकाव्य के संदर्भ में प्रकट होते हैं। वे इस प्रकार हैं। भावावेग का प्राधान्य, विच्छिन्न होकर भी प्रभावशील, वैयक्तिक होते हुए भी साधारणीकरण में सक्षम, विषय परंपरा के स्थान पर आत्मानुभूति से, अनुभूतियों का क्षेत्र व्यापक, भाषा की लाक्षणिकता।

हिंदी की प्रसिद्ध और प्रतिनिधि गीतकर्त्री, श्रीमती महादेवी वर्मा ने गीतिकाव्य के संदर्भ में जो भी विचार व्यक्त किए उन पर भी दृष्टिपात करना लाभदायक होगा। "सफल गायक वही है जिसके गीतों में सामान्यतया अर्थात् जिसकी भाव तीव्रता में दूसरों को अपने सुख दुख की प्रतिध्वनि सुन पड़े और यह तब स्वतः संभव है जब गायक अपने सुख दुखों की गहराई या दूसरों के उल्लास विचार से सच्चा तादात्म्य कर गाता है।" 'गीत यदि दूसरे का इतिहास ना कहकर वैयक्तिक सुख-दुख ध्वनित कर सकें तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है इसमें संदेह नहीं। साधारण गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख-दुखात्मक वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। 'सुख-दुख के भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है' महादेवी जी के विचारों से स्पष्ट होता है कि गीतिका में सुख-दुख का चित्रण होता है शब्दावली में संक्षिप्तता होती है, गेय हो, तथा भावावेशमयी अवस्था हो।

प्रख्यात नाटककार एवं समीक्षक डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि गीतिकाव्य की रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ही होती है। विचारों की एकरूपता होती है। आशा यह है कि डॉक्टर वर्मा आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, और विचारों की एकरूपता को गीतिकाव्य का

आवश्यक तत्व मानते हैं। आचार्य नंददुलारे बाजपेई ने अनेक स्थानों पर कविता गीत और प्रगीत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। "प्रगीत में कवि की भावना कल्पना उसकी अभिव्यंजना और उसके द्वारा निर्मित प्रगीत के रूप में भी एकता यह तादात में स्थापित हो जाता है और इसी अवस्था में प्रगीत अपने वास्तविक काव्योत्कर्ष को प्राप्त करता है। इन द्विविध तत्वों के एकदम समीप आ जाने और अंतर को देने में की प्रगीत का प्रगीत्व है।" आचार्य बाजपेई के अनुसार गीतिकाव्य कवि की भावना-कल्पना, व्यंजना और तादाद की शक्ति को प्रमुख माना गया है।

महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य संकलन पल्लव के प्रथम संस्करण की भूमिका में कविता के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किए हैं वास्तव में उन्हें गीतिकाव्य के ही संदर्भ में समझना चाहिए। मैं लिखते हूँ कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण रूप हमारे अंतर्मन प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद में ही बहने लगता है उसमें एक प्रकाश की संपूर्णता स्वारैक्य तथा संयम आ जाता है कविता हमारे प्राणों का संगीत है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो हो शेर की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर छलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सकें, जो झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हो। जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न है। पंडित जी के विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है कमलकांत पदावली, चित्र में भाषा संगीत मेहता तथा भाव और भाषा, के ऐक्य के पक्षधर हैं। डॉक्टर नगेन्द्र ने आत्मनिवेदन और मनोरंजन को गीतिकाव्य का प्रमुख तत्व माना है। पंडित रामदहिन मिश्र सरल सुंदर, शब्द ध्वनि, कोमल कल्पना, अनुभूति की तीव्रता और संगीतमयता के समुच्चय को आवश्यक मानते हैं।

सन्दर्भग्रन्थ

1. त्रिपाठी डॉ. लीलाधर गीतिकाव्य का विकास
2. किशोर आशा "आधुनिक गीतिकाव्य का स्वरूप एवं विकास" प्रथम संस्करण (1971) विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी
3. शुक्ल डॉ. भावना, अग्रवाल ओम प्रकाश हिंदी गीतिकाव्य (2006) -- रतन भण्डार आगरा संस्करण
4. डॉ. नगेन्द्र, "आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ" (1962) नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
5. शुक्ल आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास (संवत् 2015) नगरी प्रचारणी सभा काशी

स्त्री जीवन की दास्तान और समाज

भारती

हिन्दी विभाग, कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1100

bharti9206@gmail.com

शोधसार

पंखुरी सिन्हा की कविताओं में अनुभूतिपरक स्थितियाँ एवं खुरदरे होते जाते मानवीय रिश्तों की तल्खी नजर आती है। इनकी अधिकांश कवितायें स्त्री जीवन के अनुभव एवं संवेदनाओं को गहरे स्तर तक जोड़ती हैं। कई कवितायें स्त्री होने के दंश को दिखाती हैं। इनकी कविताओं में जो आत्मकथन है वह कहीं निजी अनुभवों की तल्खी के रूप में तो कभी समाज से संवाद स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। इनकी कविताओं का स्वर प्रतिरोध के तेवर तो कभी मौन की चुप्पी के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा औरत को समाज की नजर से देखे जाने की परम्परा रही है। इनकी कविताओं में यातनाओं के स्वर और सम्बंधों की टूटन की जो अभिव्यक्ति है, वह स्त्री जीवन की विडम्बना को ही प्रस्तुत करती है।

पंखुरी सिन्हा की कवितायें पितृसत्तात्मक मूल्यों को चुनौती देती हैं और उनकी सोच के दायरों को रेखांकित करती हैं। इनकी कविताएँ बताती हैं कि समाज के रीति-रिवाज सिर्फ स्त्री को ही अनुशासित करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना जैसी पंक्तियों को चरितार्थ करती एवं समाज के ठेकेदारों को आईना दिखाती 'अनहद' कविता इस दृष्टि से देखी जा सकती है- यह समाज सान्त्वना तो नहीं देता पर औरत होने की सजा जरूर देता है। 'हमदर्दी', 'अनहद', 'ऐसी साजिश नहीं रचते' और 'तलाक के बाद की औरत' इत्यादि कवितायें एक अकेली औरत की दास्तान बयां करती हैं तो दूसरी ओर 'काबू में लड़कियाँ' समाज के ताने-बाने की गिरफ्त को दिखाती हैं। 'अंतर' जैसी कवितायें बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को केंद्र में रखकर स्त्री और पुरुष भेद को प्रस्तुत करती हैं-

‘वो सारी शर्म जो लिपेटी जाती है

उस सिमटती हुई लड़की की काया में

इतनी हिंसा के साथ लपेटी जाती है वो शर्म

वह हीनता, वह जघन्य दुर्घटना उसके चारों ओर

जबकि बलात्कारी का शरीर

मुक्त होता है, अपराध के बाद भी,

सजा के बाद भी

सिर्फ पुरुष होने की वजह से...'1

यहाँ स्त्रियों के प्रति समाज के नजरिये और रवैये पर पंखुरी सिन्हा ने बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से चोट की है।

इसी प्रकार 'ऐसी साजिश नहीं रचते' कविता को भी लिया जा सकता है। यह कविता आधुनिक नौकरीपेशा लड़की की जद्दोजहद प्रस्तुत करती है जिसमें आफिस में नौकरी करने की स्थितियाँ तक नहीं बची हैं। उन्हें बार-बार कुछ भयानक से प्रस्तावों का सामना करना पड़ता है जिन्हें स्वीकार करना उसकी जद में नहीं है- 'वो अब भी नौकरी ढूँढ रही है/ सलामी बजाकर, गीत गाकर/ बात ये नहीं, कि नौकरी मिली नहीं/ या करने नहीं दी गयी/ बात बस इतनी कि ये नहीं होता/ और बस नहीं होता/ कबूल नहीं ये/ कि एक कदम भी आगे बढ़ाने पर/ भयानक सा एक प्रस्ताव आये...'2 यह कविता समकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को बखूबी रखती है और हमारे समाज की विडम्बनापूर्ण स्थितियों को भी दिखाती हैं जिसमें स्त्रियों को आगे बढ़ना तो दूर, उसे नौकरी करने का माहौल तक मुहैया नहीं है। समाज में एक अकेली औरत की जद्दोजहद और असुरक्षा का बोध भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है 'लाल बिंदी से रश्क' कविता इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है- 'क्यों रश्क हो रहा है/ उसकी लाल बिंदी से मुझें/ वो औरत जो लाल बिंदी लगाए/ महफूज है अपने घर में/ कुछ इस तरह की मात दे/ मेरी दौडती भागती दफ्तरी दुनिया की सारी फाइलें'3 यहाँ जगदीश चतुर्वेदी का यह कथन बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है- "स्त्रियों के सन्दर्भ में जन्मना उनके कार्यक्षेत्र को तय करने वाले नियम, पुराने विचार व व्यवहार जो पूर्वआधुनिक समाज के विचार और व्यवहार हैं, के एकमात्र अवशेष हैं"4

'ये पेशेवर बोलने वाले हैं/ हर बार जब कोई औरत अकेली होती है/ ये ढेरों ढेर बोलते हैं/ कुछ बताना इन्हें सरहदें इनकी'5 पंखुरी सिन्हा की कविताओं में निजी सम्बंधों के खुरदरेपन की टीस और टूटन बहुत ही मर्मान्तक स्तर पर अभिव्यक्त हुई है। 'भूत और भविष्य', घूंट भरना, 'टूट जाये तार जैसे', नुक्ता बदल कर, 'प्रणय युद्ध' और 'उसके जुल्मों की दिनचर्या' इत्यादि कवितायें सम्बंधों की टूटन से ही उपजी हैं- "सबके आगे/ ऊँचा बोलने पर/ इसलिए मुश्किल थी/ मूल्यों में हास की कोई भी निंदा/ कुछ इस तरह की थी/ उसके जुल्मों की दिनचर्या मुझ पर..."6 इसी प्रकार 'प्यार के बिम्ब' कविता भी देखी जा सकती है जिसमें सम्बंधों का वही खुरदरापन और टीस मौजूद है-

"अपने आप निभ जाती है

शादी, जिंदगी, कविता

निभ जाते हैं

प्यार और बिम्ब

प्यार के भी

निभ जाता है

संधि विच्छेद भी

अगर ईमानदारी से तोड़ा गया हो ...”7

किसी के घर में आग लगी हो पर समाज के ठेकेदारों को इससे क्या? वो अपने सैंकने और दूसरों के घरों पर छीटाकसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 'घर बाहर' कविता इस दृष्टि से देखी जा सकती है-“इन दिनों कहीं भी बाहर जाने पर/ मेरा घर मुझे दिखवाया जाता था/ उन्नीसवीं शताब्दी की नज़रों से/ सामने वाले की खिड़की से...”8 स्त्रियों घरेलू हिंसा का शिकार होती रही हैं। वे अनन्त यातनाएँ जीवन पर्यन्त भोगती हैं। पंखुरी सिन्हा की कविताओं में इन यातनाओं को अपना स्वर और अभिव्यक्ति मिली है। 'बेरहमी' कविता में यह स्वर मुखर रूप से अभिव्यक्त हुआ है-

“इतनी बेरहमी से उखाड़े गए

नाखून मेरे

कि कुछ का कुछ हो गया

इतना ज्यादा कबुलवाया गया मेरा प्यार

कि प्यार की जगह स्वाभिमान छा गया”19

इनकी कविताओं में यातनाओं के स्वर और सम्बंधों की टूटन की जो अभिव्यक्ति है, वह स्वयं जीवन की विडम्बना को ही प्रस्तुत करती है।

विश्वनाथ त्रिपाठी 'बहस पार की लंबी धूप' कविता संग्रह की भूमिका में लिखते हैं-“पंखुरी सिन्हा की जो कवितायें मैंने पढ़ी, उनमें जिए हुए जीवन की संवेदनाओं का ताप है। यह ताप ऐकांतिक है, यानि उनका अपना है। लेकिन वह स्थितियों की, सम्बंधों की उलझन एवं रगड़ से पैदा हुआ है। वह सिर्फ विश्वसनीय नहीं, मर्मन्तक भी है-

जिंदगी दहकती रही

जैसे बांस के बने फट्टे पर

बहती रही जाने किन बारिशों की नावों में

और मेरी बेंटी

जिसे लगभग उसी वक्त पैदा होना था

धमकती रही बनकर सूरज की रौशनी

मेरे बेहद उदास दिनों पर

धमकती रही वह बनकर

मेरे अक्षरों की आवाज़...(मेरी बेटी के पैदा होने का साल)

...ये कवितायें बेहद अव्यवस्थित और संगतिहीन जिंदगी में संतुलन और व्यवस्था ढूँढने की कोशिश की कवितायें हैं, जो पाठक को विक्षुब्ध विसंगति के यथार्थ का साक्षात् कराती हैं" 110

इनकी कविताओं में मानवीय रिश्तों एवं संवेदनाओं की पड़ताल भी मौजूद है। 'मित्रता पर जोर', 'ताना-बाना' और 'FIR दायर करो' इत्यादि कविताओं में मानवीय रिश्तों की तल्खी दिखाई देती है- "बनाते हैं हम दोस्त, जहाँ तक मुमकिन हो बनाना/ हर कही हुई बात को, देकर एक अच्छा सा मोड़/ करके उसका खूबसूरत सा इस्तेमाल..." 11 इसी प्रकार 'F I R दायर करो' कविता में भी मानवीय संवेदनाओं की सिकुड़न को दिखाया गया है-

"जो मारा गया चौक में कल

वो आदमी हमारा कौन था...

क्या कहती थी हत्या उसकी

और वह लड़की

जिसकी रेती गयी गर्दन

सड़क पर

और हम फिर शामिल हुए जूलूस में

कि हमारा ज़मीर जिन्दा था..." 12

"प्रायः सभी कवयित्रियों की रचनाओं में आग का सन्दर्भ अनिवार्यतः मौजूद है। उसमें प्रतिरोध आक्रोशी मुद्रा ही नहीं, दबा-ढका प्रतिरोधी तेवर तक देखा जा सकता है" 113 'रक्तिम सन्धियां' कविता-संग्रह में रचनाकार की जो बेचैनी है, वह प्रतिरोध की बेचैनी है जो कहीं विद्रोह बनकर उभरी है तो कहीं चुप्पी बनकर। 'हमारी तकलीफों की रिपोर्ट' और 'चुप्पी संवाद है' इत्यादि कवितायें इसी प्रतिरोध और बेचैनी से उपजी हैं- "चुप्पी संवाद है, चुप्पी विद्रोह भी/ चुप्पी कहती है, कि मंजूर नहीं/ यूँ जबरदस्ती की बातें/ हमें एक अख्तियार है/ दुनिया शर्मसार है/ ताकीद है हमें/ कि करें हम केवल मर्जी से सवाल" 114 इसी प्रतिरोध की बेचैनी को और आम आदमी की तकलीफों को फाइलों में तब्दील होते हुए भी इनकी कविता में देखा जा सकता है-

“जिन तकलीफों की रिपोर्ट लिखाई हमने

क्या हुआ उनका

फाइल बनकर रह गयी, रिपोर्ट हमारी

खाली खबरें आती रहीं

इन, उन, अखबारों में...”¹⁵

‘रक्तिम सन्धियाँ’ काव्य-संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी का कथन बिल्कुल सही मतीत होता है-
“हमारा समय इस कदर बेचैन और अस्थिर है कि वह कवियों को भी ऐसा ही बना देता है। ऐसे में कविता राहत नहीं बनती, वह बेचैनी का ही इजहार होती है। पंखुरी सिन्हा की कविताएँ इसी दोहरी बेचैनी से उपजी हैं: बेचैन सचाई से घिरी एक बेचैन कवयित्री। अपने समय से लेकर निजी सम्बंधों तक उनकी कविता बेबाकी से अन्वेषण करती है। कभी-कभार उसमें भाषा और भगिमा का, कहन और कथन का अटपटापन या असंयम का प्रमाण नहीं बल्कि उस बेबाकी की शिद्दत का साक्ष्य है”¹⁶

इनकी कविताओं में प्रश्नाकूलता का स्वर है। ये कवितायें प्रश्न पूछती हैं समाज से, व्यवस्था से, सहकर्मियों से, सर्वसत्ताधारियों से, अपने वर्चस्व की राह में पग पग पर रोड़ा अटकाने वाले मनुवादियों से, यहाँ तक की स्त्रियों से भी प्रश्न पूछती हैं। यह प्रश्नाकूलता कहीं सपाटबयानी के रूप में मुखरित हुई है तो कहीं चुप्पी और मौन के रूप में। इनकी कविताओं में कहीं भाषा का अटपटापन दिखाई देता है तो कहीं अपनी बात न कह पाने की तल्खी दिखाई देती है। सिकुडती मानवीय संवेदना इनकी कविताओं में रूपाकार लेती हैं।

सन्दर्भ-सूची

1. सिन्हा पंखुरी, “रक्तिम सन्धियाँ”, पृष्ठ 87 (2015) साहित्य भंडार इलाहबाद
2. वही, पृष्ठ 27
- 3., “सिन्हा पंखुरी, बहस पार की लंबी धूप”, पृष्ठ 128 (2017) बोधि प्रकाशन
4. चतुर्वेदी सं० जगदीश स्त्री सिंह सुधा, “अस्मिता: साहित्य और विचारधारा”, पृष्ठ 18 (2004) आनंद प्रकाशन कलकता

5. सिन्हा पंखुरी, "रक्तिम सन्धियाँ," पृष्ठ 15 (2015 साहित्य भंडार इलाहबाद

6. सिन्हा पंखुरी, बहस पार की लंबी धूप, पृष्ठ 67 (2017) बोधि प्रकाशन जयपुर

2. वही, पृष्ठ 71

7. वही, पृष्ठ 71

8. वही, पृष्ठ 121

9. सिन्हा पंखुरी रक्तिम सन्धियाँ, पृष्ठ 52 (2015) साहित्य भंडार इलाहबाद २०१५

10. सिन्हा पंखुरी, "बहस पार की लंबी धूप", पृष्ठ 7 (2017) बोधि प्रकाशन

11. सिन्हा पंखुरी, "रक्तिम सन्धियाँ," पृष्ठ 19 (2015 साहित्य भंडार इलाहबाद

12. वही, पृष्ठ 9

13. वंशी बलदेव नारी विमर्श: आधी दुनिया का जलता संविधान, (2008) लोकवाणी संस्थान

14. सिन्हा पंखुरी रक्तिम सन्धियाँ, पृष्ठ 94 (2015) साहित्य भंडार इलाहबाद

15. वही, पृष्ठ 11

16. वही, आवरण पृष्ठ

स्त्री सशक्तिकरण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका

(स्त्री लेखिकाओं के सन्दर्भ में)

मंजू शर्मा

हिन्दी विभाग, कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 110008

manjusharmadu@gmail.com

शोधसार

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Dr. Bhimrao Ambedkar

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्त्री-पुरुष समानता के अग्रदूत माने जाते हैं। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका अक्षुण्ण रही है। हिन्दू कोड बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। यह बिल सन १९५१ में संसद में पेश किया गया जिसमें विवाह-विच्छेद, सम्पत्ति में अधिकार आदि सम्मिलित था। स्त्री-पुरुष समानता के अग्रदूत तथा स्त्री सशक्तिकरण का मूलमंत्र देने वाले डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। उन्होंने स्त्री की दशा में सुधार लाने हेतु सन १९५१ में संसद में एक बिल पेश किया जिसे 'हिन्दू कोड बिल' के नाम से जाना जाता है। इस शोध में स्त्री सशक्तिकरण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। तथा हिंदी लेखिकाओं को सशक्त करने में

अर्थ सदा से ही शक्ति का अनुगामी रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री का पुरुष पर निर्भर होना उसके जीवन की एक अन्यतम त्रासदी रही है। पिता, पति, पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों के रूप में सदैव पुरुषों पर ही भरण-पोषण हेतु निर्भर रहना उसकी नियति रही। स्त्री की परवशता ही उसकी दयनीय स्थिति का मूलधार थी। आर्थिक समानता के पक्षधर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में समानता, स्त्री-शिक्षा, विवाह-विच्छेद, सम्पत्ति में अधिकार जैसे मूलभूत मुद्दों को उठाकर स्त्री की दयनीय दशा सुधारने की दिशा में अनेकों प्रयास किये।

हिन्दू कोड बिल --- भारतीय समाज में हिन्दू स्त्री को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु एवं उनकी दशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लाया गया। डॉ. अम्बेडकर ने एक ऐसे कानून का निर्माण किया जिसे हिन्दू कोड बिल कहा जाता है। इस में कानून सौ फीसदी स्त्री के हक में बनाने का प्रयास किया गया। यह स्त्री की दशा को संवारने में संजीवनी बूटी का काम करने वाला कानून था। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से पुरुष प्रधान संस्कृति पर कुठाराघात करते हुए भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार देकर गौरवान्वित करने का प्रयास डॉ. अम्बेडकर ने किया। इस बिल द्वारा हिन्दू महिला को विवाह, तलाक, संपत्ति, आदि हेतु विविध प्रावधान किये गये। हिन्दू कोड बिल के प्रमुख अधिनियम निम्न-लिखित हैं -

१. हिन्दू विवाह अधिनियम।
२. विशेष विवाह अधिनियम।
३. गोद लेना दत्तक ग्रहण आयु संरक्षता अधिनियम।
४. हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम।
५. निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण अधिनियम।
६. अप्राप्त वयं असंरक्षण समानता अधिनियम।
७. उत्तराधिकारी अधिनियम।
८. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
९. हिन्दू कोड बिल में पिता की सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम।

हिन्दू कोड बिल संवैधानिक तरीके से स्त्री हितों की रक्षा का प्रयास है। उपरोक्त अधिनियमों द्वारा डॉ. अम्बेडकर स्त्रियों की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया द्वारा सुधार के हिमायती थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे हिन्दू कोड बिल द्वारा भारतीय समाज की समस्त नारी जाति के कल्याण के इच्छुक थे। नारी समानाधिकार हेतु डॉ. अम्बेडकर का यह प्रयास निश्चित ही एक सराहनीय कदम था। इसके अतिरिक्त डॉ. अम्बेडकर का 'स्त्रियों को मतदान का अधिकार' दिलाने में सशक्त भूमिका रही है। उन्होंने स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ मतदान के अधिकार द्वारा सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक मिसाल पैदा की। आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, सिनेमा, खेलकूद, ग्लैमर, समाजसेवा, आदि में अपना परचम लहरा रही है। महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, अमृता प्रीतम, अरुंधती रॉय, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मेधा पाटकर, सुनीता विलियम्स, मीराकांत, अनामिका, नासिरा शर्मा, साइना नेहवाल, मानसी चिल्लर, सुनीता फोगाट, पी.वी. सिन्धु, साक्षी मालिक, आदि इसके जीवंत एवं सशक्त उद्धरण हैं।

आज की स्त्री केवल घर-गृहस्थी चलाने तक ही सीमित नहीं है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रही है। शिक्षा के अधिकार प्राप्त होने से उसके आत्मविश्वास में तो बढ़ोतरी हुई ही है साथ ही वह आत्मनिर्भर बनकर अपनी स्थिति को भी सुधार रही है। समाज में स्त्रियों के शिक्षित होने का दोहरा फायदा है। शिक्षा से जहाँ एक ओर वह अपनी स्थिति को सुधार सकती है वहीं दूसरी ओर परिवार एवं समाज को भी शिक्षित कर सकती है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि स्त्री सशक्तिकरण की यह लहर केवल शहरों में ही अधिक फैल रही है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों का समुचित सदुपयोग नहीं कर पा रही

है। शिष्टा के अभाव के कारण ही आज भी स्त्रियाँ पुरुषों के अत्याचार एवं शोषण चक्र में पिसने को मजबूर हैं।

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी स्त्रियों की प्रगतिशील एवं सशक्त भूमिका स्थापित की जा सकती है। भक्तिकाल में मीराबाई के युग में आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नारी रूपी आवरण में निज पीड़ा को व्यक्त करती हैं। मीरा परिवार एवं विवाह संरचना करने की हिमायती रही है जहाँ पति के रूप में राणा जैसा क्रूर, आत्मकेन्द्रित, कृष्ण जैसा संवेदनशील पुरुष जो ईश्वर है। इस सन्दर्भ में प्रो. रोहिणी अग्रवाल है- "मीरा सह अस्तित्वपरक समाज की परिकल्पना करना चाहती है। वह सभ्यता संबंधों में परस्पर समानता, सद्भाव और हार्दिकता की मांग करती है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे का विलय न करे बल्कि साथ-साथ विकास और परिष्कार की संभावनाओं को फलीभूत करे।" (स्त्री लेखन: स्वप्न और संकल्प-प्रो. रोहिणी अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली प्र.स. २०११ पृ. २४)

ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की भावना ने स्त्रियों में आत्मप्रतिष्ठा का भाव जगाया। बकौल पूनम कुमारी "ईश्वरीय भक्ति अथवा धर्म ऐसा ही सशक्त संबल था जिसकी पृष्ठभूमि पर स्त्रियों ने अपनी बात कही। पुरुषों के लिए स्त्रियों को इस आधार भूमि से वंचित करना असंभव था क्योंकि ईश्वरीय भक्ति अथवा प्रेम सर्व सुलभ था। ईश्वर पर समान रूप से सबका अधिकार था एवं उसके प्रति अभिव्यक्तियों पर प्रत्यक्षतः कोई पाबन्दी नहीं लगा सकता था। अतः ईश्वर के प्रति अपने उद्गारों में स्त्रियों ने जाने-अनजाने अपने व्यक्तिगत जीवनानुभवों और आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्त किया।" (डॉ. पूनम कुमारी-मध्यकालीन हिंदी काव्य का स्त्री पक्ष अनामिका पब्लिशर्स दिल्ली प्र.स. २०१५ पृ. ४०) स्त्री भक्त कवियों ने स्त्री चेतना को पहचाना तथा पुरुष भक्तों के समान हक मिलने की बात कही। स्त्रियों में इस स्वचेतना का विकास मीरा के साथ-साथ अन्य भक्त कवयित्रियों में भी मिलती है। अण्डाल, अक्क महादेवी, जनाबाई, लल्लद्देद, आदि इसके सशक्त प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में दीक्षित थेरी गाथाओं में भी स्त्रियों की चेतना का संचार हुआ जिनमें ऋषिदासी, कृशा गौतमी, अम्बपाली, आदि का नाम उल्लेखनीय है।

आधुनिक काल में प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, सरीखे रचनाकारों ने जीवंत एवं सशक्त स्त्री पात्रों की रचना की। चाहे गोदान की धनिया हो या सिलिया, चाहे त्यागपत्र की मृणाल हो, चाहे शेखर एक जीवनी की रेखा हो। बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने स्त्री चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति देने हेतु स्त्री विमर्श, प्रथम महिला पत्र (वाला बोधिनी) का प्रकाशन शुरू किया। स्त्री सरोकारों एवं मुद्दों को चित्रित करने, उनकी समस्याओं को उठाने में छायावादी काव्यधारा की महादेवी वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान जैसे सशक्त स्त्री रचनाकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। महादेवी वर्मा कृत शृंखला की कड़ियाँ में स्त्री मन की विविध समस्याओं का सटीक एवं भावपूर्ण चित्रण किया गया है जैसे 'लछमा का चरित्र' इसी सन्दर्भ में आर्थिक स्वाधीनता पर आधारित महादेवी वर्मा का लेख 'स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न' बड़ा ही प्रासंगिक प्रतीत होता है।

स्वातंत्र्योत्तर युग में स्त्री रचनाकारों ने साहित्य सृजन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है। स्त्री जीवन की विविध समस्याओं, पीड़ाओं, कष्टों, कुंठाओं, आकांक्षाओं, आदि को मुखरता से अभिव्यक्ति प्रदान करना इन स्त्री रचनाकारों का मूल मंतव्य रहा है। स्त्री रचनाकारों की त्रयी-कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा एवं मन्नू भंडारी परंपरा एवं विद्रोह के संधिकाल में खड़ी महिला रचनाकार हैं। मित्रो मरजानी (कृष्णा सोबती); 'पचपन खम्बे लाल दीवारें' (उषा प्रियंवदा) तथा 'आपका बंटी', 'बंद दरवाजों के मकान', 'तीन निगाहों की एक तस्वीर' (मन्नू भंडारी)-इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो स्त्री की विविध दशाओं का निरूपण करती हैं।

समकालीन युग में सर्वाधिक साहित्य लेखन का आधार स्त्री सरोकार, विमर्श एवं समस्याएँ ही हैं। आज अधिकांश रचनाएँ स्त्री मुद्दों एवं नारी अस्मिता को केंद्र में रख कर रची जा रही हैं। कृष्णा सोबती कृत 'मित्रो मरजानी' एक दबंग औरत की तस्वीर प्रस्तुत करती है जबकि उषा प्रियंवदा कृत 'रुकोगी नहीं राधिका', 'शेष यात्रा' 'पचपन खम्बे लाल दीवारें', आदि परंपरा एवं आधुनिकता के द्वंद्व में फंसी आधुनिक स्त्री अस्मिता को ढूँढने का प्रयास है। मन्नू भंडारी कृत 'आपका बंटी' हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है जो मील का पत्थर है। इसके अतिरिक्त चित्रा मुद्गल कृत भूख, आवां, आदि-अनादि, ताशमहल, पोस्ट बॉक्स न. 203 नाला सोपारा, मैत्रेयी पुष्पा कृत इदन्नमम, चाक, अल्मा कबूतरी, त्रिया हठ, नासिरा शर्मा कृत पारिजात, शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, पत्थरगली, मृदुला गर्ग कृत हरी बिंदी, चितकोबरा, कठगुलाब, मृदुला सिन्हा कृत सीता पुनि बोली, ढाई बीघा जमीन, देखन में छोटे लगे, ज्यों मेहँदी को रंग, बिटिया है विशेष, अनामिका कृत दस द्वारे का पीजरा, तिनका तिनके पास, अलका सरावगी कृत कलिकथा वाया बाइपास, गीतांजली श्री कृत मेरा शहर उस बरस, आदि की एक लम्बी कड़ी है जो स्त्री अस्मिता, चेतना, समानता के लिए निरंतर संघर्षरत है। बकौल डॉ. सुमित पी.वी. "समाज में नारी का शोषण जहाँ भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम ये महिला उपन्यासकारों ने किया है। उनकी सोच कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, स्त्री-पुरुष संबंधों, बदलते पारिवारिक संबंधों से लेकर स्त्री मन के विभिन्न भावों को समेटने की थी। कुल मिलाकर स्त्रीवादी या स्त्री उपन्यासों का लक्ष्य नारी मुक्ति ही रहा है।" (अनामिका का साहित्य: स्त्री विमर्श-डॉ. सुमित पी.वी., के.एल. पचौरी प्रकाशन, गाज़ियाबाद प्र.स.पृ. ६५)

आज चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो या कन्या भ्रूण हत्या की, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की घटनाएँ हो या तीन तलाक का मुद्दा हो-इन सभी पर गंभीरता से विचार-विमर्श, कानून बनना स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में होने वाले प्रयासों को ही दर्शाता है। जिसमें डॉ. अम्बेडकर की भूमिका असंदिग्ध है तो उनकी प्रेरणा से स्त्रियों को मिलने वाला आत्मविश्वास और उनका लेखन भी केंद्र में है। यद्यपि ये प्रयास स्त्री अधिकारों की एक छोटी सी उड़ान है किन्तु भीमराव अम्बेडकर द्वारा देखे गए स्वप्न को चरितार्थ करने में अपनी विशिष्ट भूमिका रखते हैं। अभी तो यह शुरुआत भर है। स्त्रियों का हौसला एवं प्रयास स्त्री सशक्तिकरण के मार्ग को अवश्य ही प्रशस्त करेगा। यह दिशा इतनी सरल तो नहीं है किन्तु हरिवंशराय बच्चन के शब्दों में कहा जा सकता है कि ---

"लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती ,कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती"

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. रोहिणी अग्रवाल, "स्त्री लेखन:स्वप्न एवं संकल्प" (प्र.स.2011) राजकमल प्रकाशन,दिल्ली
2. डॉ.पी.वी.सुमित "अनामिका का साहित्य:स्त्री विमर्श"(2015),के.एल.पचौरी प्रकाशन,गाज़ियाबाद
3. कुमार. डॉ.पूनम, "मध्यकालीन हिंदी काव्य का स्त्री पक्ष" (प्र.स.2015) पब्लिशर्स दिल्ली

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

मीना चरन्दा

राजनीति विज्ञान विभाग, कालिन्दी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 110008

meenacharanda@gmail.com

शोधसार

डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन का उद्भव भारतीय सामाजिक स्थिति की देन है। उन्होंने यहाँ के समाज में उस मनुष्य को उत्पीड़ित एवं तड़पते देखा जिसे वह अपने अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बना पाये। क्योंकि मनुष्य हिन्दु समाज व्यवस्था की संकीर्ण एवं संकुचित सीमाओं से जकड़ा हुआ मनुष्य था, जो छुआछूत एवं ऊँच नीच की जंजीरों से बंधा हुआ था और वह जो अशिक्षा, अज्ञान तथा अन्याय से बोझिल बना दिया गया था। यह मनुष्य शुद्ध, अछूत तथा दलित था। उस पर अनेक सामाजिक नियम थोप रखे थे। ऐसे नियम जिन्हें ईश्वरीय, पवित्र और अकाट्य कहा गया। ये सामाजिक नियम, जो वर्णाश्रम या जाति व्यवस्था द्वारा स्थापित किये गये थे, इतने कठोर थे कि उन्हें तोड़ना तथ संशोधित करना असंभव था। उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व का तो कभी एहसास नहीं हुआ। अतः डॉ. अम्बेडकर ने दिव्य सामाजिक नियमों एवं बंधनों से इनको सामाजिक आजादी दिलाने का संकल्प लिया था। इस शोध में डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक महत्त्व को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं उद्देश्य की व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान रचयिता के रूप में, हिन्दू कोड बिल, जातिप्रथा का उन्मूलन, स्त्रियों के अधिकार, विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री तथा आधुनिक युग के निर्माता के रूप में, सामाजिक क्रांति में अग्रदूत, सामाजिक विचारक के रूप में, दलित वर्गों को जागृत करने के रूप में सहारनीय कार्य किए। डॉ. अम्बेडकर को भी हिन्दू समाज में पैदा होने के कारण जाति प्रथा का शिकार होना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर की जन्म जाति 'महार' थी। महार जाति को गांव की सेवा से लेकर पहरेदारी तक के कार्य करने पड़ते थे। मुगलों, मराठों और पेशवाओं की सेना में कई महार थे, लेकिन 1898 ई. में गटेकर आयोग के निर्णय के अनुसार सेना का विभाजन जातियों के आधार पर जैसे मराठा, राजपूत, गोरखा, सिख जाट इत्यादि के आधार पर पुनर्गठित किया गया, चमारों और महारों को अछूत होने के कारण सेनाओं से निष्कासित कर दिया गया। 1892 ई. से ही सेना में अछूतों की भर्ती बन्द कर दी गई थी।¹ इस समय में कुछ अछूत धर्म बदलकर विशेष रूप से सिख बनकर सेना में भर्ती हो गए थे। इन पर बहुत अत्याचार किए जाने लगे।

भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन् 1891 ई. को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मदनगढ़ कस्बे से पांच मील दूर अम्बावडे नामक एक छोटे गाँव में हुआ।

डॉ. अम्बेडकर के पिता जी रामजी सेना में प्रारम्भ में सिपाही भर्ती हुए थे और बाद में उन्नति करते करते सूबेदार मेजर के पद पर पहुँच गए थे। साधारण लोग उन्हें सूबेदार रामजी के नाम से ही पुकारते थे। सूबेदार रामजी एक धार्मिक, परिश्रमी, चुस्त और उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वह बौद्धिक रूप से बहुत ही सशक्त थे। समाज सुधार के कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। 1892 में जब ब्रिटिश सरकार ने अछूतों की भर्ती बन्द कर दी तब

उन्होंने उस समय के प्रमुख समाज सुधारक और बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश रानाडे की सहायता से उस समय के गवर्नर को एक ज्ञापन पेश किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से अछूतों के साथ किए गए अत्याचार के विरुद्ध रोष प्रकट किया था। कुछ समय के पश्चात् इस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि डॉ. अम्बेडकर को अपने पिता के पुराने कागजों में से प्राप्त हुई और उसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया है।²

डॉ. अम्बेडकर की माता भीमाबाई सूबेदार मेजर मुरवाडकर की सुपुत्री बहुत ही सरल, बुद्धिमान और गम्भीर स्वभाव की थी जब भीमराव 5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ सख्ता बीमार हो गई। उनका बहुत उपचार करवाया गया लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सकी और चल बसी, भीमराव को अपनी माता के आकस्मिक निधन का बड़ा आघात पहुँचा।

अम्बेडकर उपनाम— महाराष्ट्र के लोग अपना उपनाम बनाने के लिए गाँव के पीछे 'कर' शब्द बढ़ा देते थे, चूँकि भीमराव का प्रारम्भिक गाँव अंबावडे था। गाँव के नाम के साथ 'कर' लगने के बाद भीम का उपनाम अंबावडेकर बन गया। भीमराव अम्बेडकर का नाम अंबावडेकर से अम्बेडकर कैसे बना इसका भी एक इतिहास है। डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में "अम्बेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण अध्यापक हमें पढ़ाते थे। वह हमें कुछ अधिक पढ़ाते तो नहीं थे परन्तु मेरे साथ वह बहुत स्नेह करते थे। अध्यापक के समय मुझे खाना खाने के लिए स्कूल से बहुत दूर जाना पड़ता था। अम्बेडकर अध्यापक को यह बात पसन्द न थी वह अपने घर से खाना बाँधकर ले आते और उसमें से कुछ मुझे भी देते थे। छुआछूत के कारण वे दूर से ही रोटी मेरे हाथों में फेंकते थे। एक दिन उन्होंने ही मुझे कहा कि यह तुम्हारा नाम अम्बावडेकर बोलने में सरल नहीं है, इसलिए तुम अम्बेडकर उपनाम लगाया करो और उन्होंने ही रजिस्टर में ऐसा दर्ज कर लिया।"³ इस प्रकार बाबा साहब का नाम भीमराव अम्बेडकर पड़ गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने बाल्यकाल के दिनों से ही बहुत परिश्रमी एवं लग्नशील थे। भीम का सम्पूर्ण परिवार सन्त कबीर का भक्त था क्योंकि कबीर का दृष्टिकोण बहुत ही प्रिय एवं मानववादी था। परन्तु धार्मिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक गीत, भीम को अपने स्कूल के दिनों में कोई सहायता न दे सके। विशेषतया: उस समय जब उन्होंने छुआछूत की यातनाओं का अनुभव किया। अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों में ही भीम को यह कटु अनुभव हो गया कि छुआछूत तथा जातिवाद क्या है। "भीम एवं उनके माई को सामान्यतः कक्षा सदन के एक कोने में उस टाट की पट्टी पर बिठाया जाता था, जिसे वे अपने पैरों से ले आते थे। अध्यापक उनकी कापियों को नहीं छुआ करते थे। उनसे न कोई पूछा जाता था और न किसी कविता के उच्चारण के लिए कहा जाता था। उन्हें यह पता था कि कहीं वे दूषित (अपवित्र) न हो जाये। जब दोनों बच्चे को प्यास लगती थी तब वे अपने मुँह ऊपर की ओर कर लिया करते थे। जिनमें कोई मेहरबानी करके पानी उड़ेल दिए करता था, मानो की उनके मुँह पाइप के समान थे।"

भीमराव को अपने जीवन के आरम्भिक वर्षों में बहुत ही कष्ट झेलने पड़े थे। वे फर्श पर चटाई के ऊपर ही सोते थे, वह धीमी दीपक की लौ में ही पढ़ते थे। जब उनका एडमिशन एनफिंस्टन हाई स्कूल में हुआ वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ऊँची जाति के विद्यार्थी अपनी रोटियों वाले डिब्बे बोर्ड के पीछे रखा करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक भीमराव को चिढ़ाकर कहने लगे, "अरे तू तो महार है, तू पढ़ लिखकर क्या करेगा" भीमराव यह अपमान सहन न कर सके। "सर पढ़ लिखकर मैं क्या करूँगा, यह पूछना आपका काम नहीं है, यदि पुनः आपने कभी भी मेरी जाति का उल्लेख करके मुझे चिढ़ाया तो मैं कहे देता हूँ कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।"⁴ एनफिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव को अन्य चोट लगी जो उन्हें समस्त जीवन न मूल सकी। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परन्तु स्कूल के अध्यापकों ने उन्हें संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति न दी। बाबा साहब ने स्वयं कहा कि "मुझे संस्कृत भाषा पर बहुत गर्व है

मैं चाहता था कि संस्कृत का विद्वान बनू परन्तु ब्राह्मण अध्यापक के संकीर्ण विचारों के कारण मैं संस्कृत से वंचित रह गया।" लेकिन बाद में अम्बेडकर ने अपने परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ ली और स्वयं संस्कृत के विद्वान बन गए। "अछूत कौन और कैसे?" और "शूद्रों की खोज" इन दोनों पुस्तकों में उनके संस्कृत भाषा के विद्वान होने का प्रमाण मिलता है। जो खोज हजारों ब्राह्मण पण्डित भी नहीं कर सकें। वह बाबा साहब ने कर दिखाई, संस्कृत ग्रन्थों की खोज से उपजी उपरोक्त दोनों पुस्तकों का उत्तर अभी तक कोई अमिमानी ब्राह्मण नहीं दे सका।

भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन भीमराव बहुत ही साहसी थे। उन्होंने जाति अमिमानियों के साथ टकराते हुए, निर्धनता एवं विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए, प्रत्येक अत्याचार, अपमान और संकट का सामना करते हुए 1907 में मैट्रिक पास कर ली। 1907 में एक अछूत का मैट्रिक पास कर लेना, एक साधारण बात नहीं थी। शास्त्राधारित सम्य हिन्दू समाज में एक अछूत होने के नाते, भीम को अनेक कष्टों एवं यातनाओं का सामना करना पड़ा। कई अवसरों पर मजाक उड़ाया गया। एक बार एक नाई ने उनके बाल इसलिए काटने से मना कर दिया कि उसका उस्तरा दूषित एवं अपवित्र हो जायेगा। यद्यपि वही नाई मैसों के बाल काटा करता था और उससे उसका उस्तरा अपवित्र नहीं होता था। घोड़ी भी उनके कपड़े नहीं धोया करता था। इन सब घटनाओं से उन्हें इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान हुआ कि उसकी जाति के सदस्यों पर कितने जुल्म दाये जाते हैं। स्वयं के अनुभव ने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराया।⁵

भीमराव अम्बेडकर बम्बई के एलफिस्टन कालेज में प्रविष्ट हो गए, उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई आरम्भ की और इन्टर आर्ट्स (एफ.ए) की परीक्षा उत्तीर्ण की। भीमराव अम्बेडकर की ज्ञान प्राप्ति की क्षुधा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, दूसरी ओर सूबेदार राम जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, उनमें अम्बेडकर को उच्च शिक्षा दिलवाने का सामर्थ्य नहीं था। भीमराव ने अपने जीवन में बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसके बावजूद भी उन्होंने अपने हौसले को बुलन्द रखा। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया कि बड़ौदा रियासत के महाराजा सियाजीराव गायकवाड ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने भीमराव के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति नियत कर दी। एलफिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर मूलर ने भी भीमराव अम्बेडकर की भरपूर सहायता की। प्रोफेसर मूलर भीमराव को कपड़े और पुस्तकें आदि देकर सहायता करते रहते थे। एक अछूत का कॉलेज में 'प्रविष्ट होना उस समय एक अनहोनी सी बात थी। अम्बेडकर के लिए नया वातावरण, नया जीवन, नया परीक्षण और विद्या प्राप्ति का ऐसा प्राप्ति का ऐसा अवसर था जो उस समय किसी को कम ही प्राप्त होता था। परन्तु कॉलेज में भी छूआछूत की लानत ने उनका पीछा न छोड़ा। कॉलेज का होटल का मालिक एक ब्राह्मण था इसलिए भीमराव को होटल से पानी या चाय आदि नहीं दी जाती थी। भीमराव अम्बेडकर रूढ़िवादियों की ओर से किए गए अपमान और निरुत्साह का मुकाबल करते हुए विद्या प्राप्ति की ओर बढ़ते गए 1912 में भी भीमराव अम्बेडकर ने बी.ए. पास की थी कि महाराष्ट्र में स्वतंत्र आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था? ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार और हिंसा जोर-शोर से आरम्भ कर दी। कई देशभक्त मौत के घाट उतार दिए गए। समाचार पत्रों के कई सम्पादकों को आजीवन कारावास का दण्ड दे दिया गया। इन ब्रिटिश अत्याचारों के समूह में अम्बेडकर की प्रतिक्रिया बहुत ही ध्यान देने योग्य थी। "ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक आय का विकास" नामक पुस्तक में भारत में ब्रिटिश सरकार के विषय में लिखा है कि "ब्रिटिश सरकार की सन्तुष्टि भारत दण्ड संहिता द्वारा मिली हुई शक्ति के साथ नहीं हुई, उसने ऐसे दबाने वाले और अत्याचारपूर्ण पूर्व कानून बनाए जिनके समान कानून संसार में कहीं भी नहीं ⁶

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मानव जीवन और समाज के प्रायः सभी पक्षों का वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टि से विश्लेषण किया है। वर्तमान युग में अनेक समाज विज्ञानों का विकास हुआ है जिनमें से एक समाजशास्त्र भी है। वैसे समाजशास्त्र पूर्व में राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र, आदि के अन्तर्गत ही पढ़ा जाता था, किन्तु जैसे-जैसे विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई, वैसे-वैसे अनेक नये शास्त्र तथा विषयों का अध्ययन के क्षेत्र में पृथक-पृथक अस्तित्व एवं विधायी में आए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रमुख समाज विज्ञानों राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। सामान्यतः समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जीवन और समुचित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रियों के एक सम्प्रदाय विशेष ने समाजशास्त्र को सामाजिक सम्बन्धों, कार्यों एवं घटनाओं का ही नहीं, अपितु उनके स्वरूपों का अध्ययन भी माना है। समाजशास्त्र समाज में मनुष्यों के सम्बन्धों उनके ऋणों, प्रकारों क्रियाओं, घटनाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन करता है।⁷

वर्तमान काल में समाजशास्त्रियों का एक नया सम्प्रदाय विकसित हुआ जिसे समन्वयात्मक सम्प्रदाय कहते हैं। इसी सम्प्रदाय के विचार अधिक प्रचलित हैं। इसके अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र विश्वकोषात्मक और सकारात्मक है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को समाज विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार "समाजशास्त्र जीवन को पूर्णतः और एक पूर्ण के रूप में देखने की चेष्टा करता है।"⁸

समाजशास्त्र और समाजदर्शन के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर न केवल एक समाजशास्त्री थे, अपितु एक समाज दार्शनिक भी थे, क्योंकि उन्होंने समाज का अध्ययन तथ्यात्मक तथा मूल्यात्मक दोनों ही रूपों में किया। "डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज, विशेषकर हिन्दू समाज का ऐतिहासिक प्रसंग में अध्ययन किया और उसके कार्यकारण सम्बन्धों की खोज की। उन्होंने समाज का तथ्यपरक वर्णन किया और यह परीक्षा भी थी कि सामाजिक समूहों में न्याय तथा सामाजिक उपयोगिता कहाँ तक मिलती है। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था का अध्ययन स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व की कसौटी में रखकर किया ताकि वर्णन और मूल्यांकन दोनों साथ-साथ चल सके। भारत में समाजशास्त्र का विकास वर्तमान काल में ही हुआ फिर भी यहाँ समाजशास्त्र को इतना महत्व नहीं मिला जितना कि समाजदर्शन को, क्योंकि समाजदर्शन यहाँ परम्परा, धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में समाज दर्शन का इतिहास अति प्राचीन है। उसी के अनुसार भारत की सामाजिक संस्थाओं एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक समाजशास्त्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने भारत की सामाजिक स्थिति का व्यापक खोज तथ्यपरक विश्लेषण किया और साथ ही, एक समाज दार्शनिक होने के नाते उसके प्रयोजन तथा अर्थ को भी खोजा।"⁹

भारत में जाति प्रथा एवं उन्मूलन : डॉ. अम्बेडकर के विचार

भारतीय समाज की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य बड़े ही विलक्षण हैं। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से एक विकराल समस्या है यह समस्या जितना व्यावहारिक रूप से उलझी है उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इन्द्रजाल है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके फलितार्थ गहन हैं, होने को तो एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम विकराल हैं।

"जब तक भारत में जातिप्रथा विद्यमान है, तब तक हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सकें और यदि हिन्दू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जातपात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी।¹⁰ सर. एच. रिजले के अनुसार— जाति का अर्थ है, परिवार का या परिवार समूह का संगठन, जिसका

साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो एक से पौराणिक पूर्वजों-पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसा व्यवसाय अपनाने पर बल देता है और संजातीय समुदाय का हामी हो। डॉ. केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह (क) उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है, जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं (ख) कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं।¹¹

जाति के सम्बन्ध में फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार का सिद्धांत तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग, विशिष्ट पारंपरिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत हो, उसकी समय-समय पर बैठके होती हो, कुछ उत्सवों पर मेले हो, एक सा व्यवसाय हो, जिसका विशिष्ट संकट रोटो-बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो, और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र से विनियमित होते हों, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो संवृद्ध समुदाय पर प्रतिबंध और दण्ड लागू करने में सक्षम हो और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय हो।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यदि इन विद्वानों को व्यक्तिगत रूप से समझा जाये तो किसी की परिभाषा की पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसमें से किसी ने भी आवश्यक तत्वों को सम्मिलित नहीं किया है। डॉ. अम्बेडकर की सम्मति में एक ही जाति में विवाह करने की व्यवस्था जाति की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण है। इसको जातीय विवाह प्रथा कहते हैं। यही जाति व्यवस्था का मूलाधार है। डॉ. अम्बेडकर का मानना था किसी ओर समाज में शादी विवाह के सम्बन्ध में इतने अधिक कठोर नियम है, जो कि किसी दूसरे समाज में नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इस नियम की कठोरता जाति व्यवस्था का मुख्य कारण है। जब मनु ने 'मनुस्मृति' की रचना की तो इन नियमों को धर्म से साथ जोड़ दिया और कहा कि समुदाय के बाहर शादी करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। अतः ईश्वर की इच्छा को न मानना पाप समझा जायेगा। पाप का फल आगामी जन्म में मिलेगा अर्थात् अनेक शारीरिक एवं मानसिक दण्ड भोगने पड़ेंगे। वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए भी दण्ड विधान बनाया गया। ऐसे कठोर नियम बनाने का अभिप्राय सामुदायिक जीवन को स्थिर रखना था, जिसके द्वारा शक्ति का केन्द्र एक ही स्थान पर रहे।

जबकि डॉ. भीमराव अम्बेडकर वैज्ञानिक एक मानववादी मूल्यों के समर्थक थे। वे प्राचीन हिन्दू समाज-व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि इस समाज व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, प्रेम और सदभावना, ज्ञान एवं सुखी जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। वे नवीन सामाजिक संरचना चाहते थे जो वर्ग अथवा जाति के आधार पर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। डॉ. अम्बेडकर जातिवाद एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित किसी भी समाज को न्योयोचित नहीं मानते थे। वे एक नवीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अम्बेडकर के अनुसार, "आदश समाज वह होगा, जो स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व पर आधारित है।"¹² ये शब्द डॉ. अम्बेडकर को बहुत प्रिय थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही समाज का विकृत रूप देखा था। स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व, शब्दों को बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण किया था। उनके समाज दर्शन में इनका मुख्य स्थान है। क्योंकि ये शब्द बौद्धिक प्रेरणा एवं मानव-सेवा के स्रोत हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार "विधेयात्मक दृष्टि से, मेरा समाज दर्शन तीन शब्दों में निहित है— स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने अपने दर्शन को फ्रांस की क्रांति से लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें बौद्ध धर्म में हैं, न राजनीतिक विज्ञान में। मैंने अपने महान गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से इनका अनुकरण किया है।"¹³

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि भारतीय समाज में तो स्वतंत्रता की और भी अधिक आवश्यकता है। हिन्दू समाज में व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने का अधिकार होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर अपनी आदर्श समाज व्यवस्था में निजी सम्पत्ति के अधिकार को मान्यता देते थे। इसलिए वह व्यक्ति को अपनी पसन्द का कार्य करने पर अधिक बल देते थे। अपनी जीविका कमाना, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इससे सामाजिक क्षमता भी बढ़ती है और व्यक्ति भी सुखी रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कुछ मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, तो स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान रहे। 14

डॉ. अम्बेडकर का यह मानना था कि व्यक्ति की कर्म-स्वतंत्रता छीनना अर्थात् पसन्द का कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता न देना, उसको काँसना है। 'दासता' का अर्थ केवल कानून के द्वारा दण्ड से ही नहीं, बल्कि उस सामाजिक अवस्था से भी है, जिसमें मनुष्यो का व्यवहार दूसरे लक्ष्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा कुछ लोगों को दूसरे व्यक्तियों द्वारा निश्चित व्यवहार करने को, बाध्य ही नहीं किया जाता, वरन् उन्हें न करने पर दण्डित भी किया जाता है, उसके उनकी पसन्द के कार्य नहीं दिए जाते हैं। 15

इसी तरह डॉ. अम्बेडकर एक आदर्श समाज के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें धार्मिक संस्था बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक एकता के लिए डॉ. अम्बेडकर धर्म को अति आवश्यक मानते थे, किन्तु राजनैतिक दृष्टि से वह राज्य को धर्म निरपेक्ष ही मानते थे। धर्म निरपेक्ष राज्य की किसी धर्म-विशेष पर बल नहीं देना चाहिए। राज्य की दृष्टि से सभी धर्मावलम्बी समान होने चाहिए। 16

डॉ. अम्बेडकर एकता के सिद्धान्त में प्राथमिकता की समता को भी यथोचित स्थान देते थे। इसका अर्थ है कि "किसी भी व्यक्ति को बिना विशेष परिस्थितियों के कोई भी सुविधा एवं प्राथमिकता देनी नहीं चाहिए।" 17 वे लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें आवश्यक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। ऐसा कार्य न्याय और निष्पक्षता के लिए किया जाना चाहिए। 18 डॉ. अम्बेडकर अवसरों की एकता पर बल नहीं देते। उनका केवल इतना ही कहना था कि कोई समाज अपने सदस्यों में उत्तमता का विकास करना चाहता है तथा प्रगतिशील और उत्तरदायी बनाना चाहता है, तो ऐसा करना केवल समता को आधार मानकर ही सम्भव हो सकता है। 19

डॉ. अम्बेडकर के समाज की जड़े सामान्य हित, सर्वकल्याण, स्वतंत्रता एवं समता में निहित हैं। आदर्श समाज का यह विचार रचनात्मक एवं गतिशील है। मानवीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं, ताकि समाज में उत्पादित वस्तुओं का लाभ सभी लोग उठा सकें। सांस्कृतिक एवं भौतिक मूल्यों का सभी आनन्द ले सकें।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर तथा दलित आन्दोलन
'दलित' मराठी, गुजराती, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का एक प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ है गरीब और उत्पीड़ित। लेकिन सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक संदर्भों में 'दलित' शब्द को एक निम्न सांस्कृतिक अर्थ मिल जाता है। आन्दोलन और साहित्य के साथ 'दलित' शब्द को एक निम्न समझ का सम्प्रेषण होता है। इस विशिष्ट संदर्भ में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग सतर के दशक की शुरुआत में बाबा साहब अम्बेडकर के नवबौद्ध अनुयायियों ने किया था। इस 'दलित' शब्द में अन्तर्निहित था, "जिसे तोड़ दिया गया है और जिसे उसके सामाजिक दायरे से ऊपर बैठे लोगों ने जानबूझकर

नियोजित रूप से कुचल डाला है। इस शब्द में छूआछूत कर्म सिद्धांत और जातिगत श्रेणीक्रम का नकार निहित है।²⁰

घनश्याम शाह मानते हैं कि "दलित गरीब और निचले अस्पृश्य तबके की पहचान का शब्द है, जिसे संवैधानिक तथा प्रशासनिक भाषा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 341 (1,2) चिन्हित है (1-1) दलित शब्द से मोटे तौर पर आशय जनसंख्या के उस शोषित व पीड़ित वर्ग से है जो परम्परागत आधार पर सदियों से सामान्यता सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों से वंचित रहा है।²¹

'दलित' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1930 में 'डिप्रेस्ड क्लास' समाचार पत्र में दलित बंधु शब्द के रूप में हुआ। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 'अनटचेबल पत्रिका' में प्रकाशित एक लेख में अछूतों के लिए ब्रोकन पीपुल्स (टूटे लोग) का प्रयोग किया, जिसका अर्थ 'दलित' से ही लिया गया। 1905 में 'दलित' शब्द का प्रयोग यूरोप के देशों में भी हुआ जिसका अर्थ उपेक्षित, शोषित, डिप्रेस्ड वर्ग से लिया गया।²² बाबा साहब अंबेडकर ने दलित जातियों में अछूत जातियों को ही शामिल किया जैसे बुनकर, घोबी, मोची, मंगी, चमार, डंगरी, डफली वादक आदि।²³

'दलित' शब्द के भाव में समय के अनुसार परिवर्तन आने लगा, जहां एक दौर में उसे तमाम अनुसूचित जाति तथा जनजाति और गरीब, भूमिहीन लोगों के साथ जोड़ा जाता था, वहीं अब 'दलित' शब्द को केवल अस्पृश्य जातियों की पहचान के रूप में ही परिभाषित किया गया और दलित की पहचान उन लोगों के संदर्भ में की जाने लगी, जिन्हें गांव-देहात के बाहरी डोरों पर रहने के लिए विवश किया गया।

प्रोफेसर गोपाल गुरु का मानना है कि 'दलित' शब्द उस पहचान को बताना है कि वो कौन है? यह शब्द सामाजिक बदलाव और क्रांति की भावना के लिए संघर्ष संदेश देता है।²⁴ दलित जो अस्पृश्य जातियों के मध्य मिन्नताओं को नकार कर एक सामूहिक रूप प्रदान करता है। 'दलित' शब्द एक ऐसा ध्वज अथवा वट वृक्ष है जिसके नीचे शूद्रों की सभी छोटी-बड़ी जातियां खड़ी हो सकती हैं। यह शब्द क्रांतिकारी संघर्ष की पहचान के रूप में हमारे सामने आया है। विगत वर्षों में दलित शब्द का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ा है और लगभग सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनैतिक दलों के द्वारा 'दलित' शब्द का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। दलित अस्पृश्य तथा उपेक्षित समाज की सामूहिक पहचान का 'भावोन्मुखी' शब्द बन गया है जो इन तमाम निम्न और पिछड़ी जातियों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है जो इन तमाम निम्न और पिछड़ी जातियों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है तथा पिछले दशकों की राजनीति में दलित शब्द को लामबंदीकरण का एक माध्यम कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

भारत में दलित आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से होता है। 19वीं शताब्दी से भारत में नवजागरण-का समय था। जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई। जिसके जनक राजा राम माहेन राय थे (1972-1833), इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिन्दुत्ववादी और मार्क्सवादी दोनों इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय राष्ट्रीयता का पितामह करार दिया है। वे एक समाज सुधारक थे, जो हिन्दु समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने सती-प्रथा को कानूनन बंद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानन्द (1863-1902), महादेव गोविंद रानाडे (1842-1901), स्वामी दयानन्द (1824-1883), डॉ. ऐनीबेसेन्ट (1847-1933), बाल गंगाधर तिलक (1856-1920) और डॉ. भगवान दास (1869-1939) इत्यादि ने हिन्दू समाज सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया था। ऐसी ही एक दूसरी लहर महाराष्ट्र में पदा हुई, वह दलित मुक्ति के आंदोलन की

अपीलों की जगह सीधी कार्यवाही करनी शुरू कर दी थी। जिन मन्दिरों तथा संस्थाओं, सार्वजनिक जगहों में दलितों का परिवेश निषिद्ध था। वहाँ अन्दर जाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश सरकार से इन सुधारों को सहायता प्रदान कर रही थी। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने संगठित होकर सीधी कार्यवाही शुरू कर दी थी। सीधी कार्यवाही का अर्थ यही है कि अपीलों की जगह अब विद्रोह ने ले ली थी तथा सीधी कार्यवाही करने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने सभी सार्वजनिक सुविधाएँ और संस्थान दलितों के लिए खोलने की घोषणा कर दी थी। परन्तु विरोध के कारण दलित उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अन्ततः सीधी कार्यवाही करने के सिवा अपने अधिकार पाने के लिए कोई रास्ता दलितों के पास बचा ही नहीं था। ऐसे कुछ प्रयास, जो दलितों की सीधी कार्यवाही से जुड़े हैं और जो डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण ही सम्भव हो पाये थे।

इनमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय एवं पहली घटना 1924 में घटी त्रावनकोट स्टेट की है। वहाँ वाइकोम मन्दिर को जाने वाली सड़कों पर अछूतों को चलने का अधिकार नहीं था जबकि वे सड़कें सार्वजनिक थी और रख रखाव स्टेट करती थी। वहाँ बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में 1924 में अछूतों ने सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का हिन्दुओं पर कुछ असर हुआ और मन्दिर की ओर आने वाली सड़कों को चौड़ा किया और सड़कों को इस प्रकार बनाया गया कि अगर अछूत भी सड़कों का इस्तेमाल करें तो वे मन्दिर को अपवित्र करने वाले फासले से परे रहें। हिन्दुओं का उद्देश्य मन्दिर की पवित्रता को बनाए रखना था इसीलिए सड़कों को चौड़ा इस प्रकार किया कि मन्दिरों से अछूत दूर रहें।

इस सत्याग्रह का एक फायदा अछूतों को हुआ कि जिन सड़कों पर वे चल नहीं सकते थे उनको चलने दिया गया। लेकिन अछूतों को मन्दिरों से दूर ही कर रखा गया जो कि अछूतों को उनके अछूत होने का एहसास कराती है। ऐसी ही दूसरी घटना डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में 1927 में सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अधिकार को लेकर महाड़ में लड़ी थी। यह वह लड़ाई थी जिसमें दलितों ने इतिहास रचा था। महाड़ में चावदार तालाब था। जहाँ से अछूतों को पानी लेने पर पाबंदी थी, जबकि यह तालाब नगरपालिका के अधीन था और सार्वजनिक था। इसके बावजूद भी अछूतों को इस कुएँ से पानी लेने की मनाही थी। अछूतों को पानी केवल नगर से दूर अछूतों के क्षेत्र में स्थित कुएँ से ही मिल सकता था। 1923 में बम्बई की विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अछूत वर्गों को सभी सार्वजनिक सुविधाओं जैसे तालाब, कुओं, धर्मशालाओं आदि का उपयोग करने की छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव 5 फरवरी 1924 को पारित हुआ। परन्तु हिन्दुओं ने इसका पालन नहीं किया। अतः तीन साल बाद महाड़ में कोलाबा जनपद के अछूतों का एक सम्मेलन हुआ। यह कोलाबा में अछूतों का पहला सम्मेलन था 20 मार्च को ढाई हजार अछूतों के जत्थे ने डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में तालाब से पानी लिया। परन्तु हिन्दुओं ने तालाब को निजी सम्पत्ति बताकर अछूतों के विरुद्ध न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली।

सीधी कार्यवाही की तीसरी घटना नासिक की है, जो दलित आन्दोलन के इतिहास में धर्म-सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। नासिक में काला राम मन्दिर में अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में लोगों ने मन्दिर में प्रवेश किया। अछूतों और हिन्दुओं के बीच खुला संघर्ष हुआ। परिणामस्वरूप मन्दिर के प्रबंधकों ने एक वर्ष के लिए मन्दिर के दरवाजे ही बन्द कर दिए। लेकिन अछूतों को प्रवेश नहीं दिया।

सामाजिक और धार्मिक विरोधों के बाद डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि दलित आन्दोलन को राजनीतिक आयाम दिया जाना चाहिए उनकी मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक सत्ता के सवाल को उठाना जरूरी है। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरम सीमा पर था। डॉ. अम्बेडकर का गहरा विश्वास था वह

थी। इस लहर ने सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। इस लहर को पैदा करने में महात्मा ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। भारत में दलित आन्दोलन को दो भागों में विभाजित किया है। स्वतंत्रता से पहले के आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था। जिसमें मुख्य समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले, कबीर, पेरियार, ई. रामास्वामी, अछूतानन्द, रामास्वामी नायकर, चांद गुरु, गुरुघासीराम, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर, गांधी इत्यादि। इस आंदोलन का उद्देश्य आगे चलकर सामाजिक सुधार था, लेकिन, बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों के हकों के लिए भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।

वर्ण व्यवस्था को भारत में दलितों की दयनीय स्थिति के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। भारत में इस वर्ण व्यवस्था के निर्माण में धार्मिक ग्रंथों ने महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें मनु द्वारा लिखी 'मनुस्मृति' महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति ने भारतीय समाज को चार वर्णों में विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में कहा गया है कि, "ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति सिरों से तथा शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया कि यदि कोई ब्राह्मण धन लेकर शूद्र को पढ़ाता है तो वह देव और पित्रों दोनों के अनुष्ठान में त्याज्य है।²⁵ ब्राह्मण शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं है, समस्त धन उसके स्वामी का है,²⁶ इसका अर्थ है कि ब्राह्मण शूद्र से धन तो ले सकता है तथा शूद्र के धन का वह स्वामी है लेकिन वह उसे धन लेकर शिक्षा नहीं दे सकता है। ब्राह्मणों को डर था कि कहीं शूद्र शिक्षित न हो जाये इसलिए उसे शिक्षा से दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई, जिसका कार्य सम्पूर्ण समाज के भार को वहन करना माना गया। इसलिए शूद्रों का कार्य भी समाज के भार को वहन करना अर्थात् ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना (भार उठाना) माना गया है।²⁷

अन्य हिन्दू धार्मिक ग्रंथों तथा उपनिषदों में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। "ब्राह्मण कोष निषद" में ऐसा वर्णन है कि, "पहले ब्रह्म ही था। वह अकेला होने के कारण सृष्टि का कार्य नहीं कर सका। इसलिए उसने अपने सहयोग के लिए पहले देवताओं के चार वर्ण बनाए। उसमें ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों को बनाया इनमें इन्द्र, वरुण, सोम, प्रजन्त्य, यम ईशान एवं मृत्यु थे फिर वैश्य देवता बनाये गये, इनमें रुद्र, वसु, आदित्य आदि देवता बनाए गए। फिर देवताओं में वर्ण के आधार पर ही मनुष्यों से भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र बनाए गए।²⁸ धार्मिक ग्रंथों में वर्णव्यवस्था का उल्लेख यह दर्शाता है कि वह एक श्रेणीबद्ध और सत्तामूलक व्यवस्था है जिसमें दलित आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सभी प्रकार से सबसे निम्न स्तर पर है। समाज में शूद्रों को निम्न स्थान पर लाने में धार्मिक ग्रंथों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यदि हम स्वतंत्रता से पहले दलित आन्दोलन की बात करें तो उसमें ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, अछूतानन्द, मातादीन भंगी, उधमसिंह, चांद गुरु, गुरुघासीराम आदि नाम उल्लेखनीय हैं। दलित आन्दोलन के दूसरे चरण में डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है। दलित आन्दोलन का प्रथम चरण सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर था, वही दूसरे चरण में दलितों की सामाजिक स्थिति के साथ राजनैतिक भागीदारी को भी महत्व प्रदान किया गया। दलित आन्दोलन के दूसरे चरण के प्रवर्तक डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस आन्दोलन की विशेषता यह है कि इसमें हिन्दू व्यवस्था के विरुद्ध सीधी कार्यवाही के रूप में खुला विद्रोह किया। पहला मुख्य कारण था कि दलितों को यह अनुभव होने लगा था कि अपीलें और प्रतिरोध हिन्दू व्यवस्था को बदल नहीं सकते।

दलित आन्दोलन के पहले चरण में सिर्फ हिन्दुओं से अपीलें की जा रही थी लेकिन वो सब बेकार साबित हो रही है। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने संगठित होकर

अपीलों की जगह सीधी कार्यवाही करनी शुरू कर दी थी। जिन मन्दिरों तथा संस्थाओं, सार्वजनिक जगहों में दलितों का परिवेश निषिद्ध था। वहाँ अन्दर जाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश सरकार से इन सुधारों को सहायता प्रदान कर रही थी। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने संगठित होकर सीधी कार्यवाही शुरू कर दी थी। सीधी कार्यवाही का अर्थ यही है कि अपीलों की जगह अब विद्रोह ने ले ली थी तथा सीधी कार्यवाही करने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने सभी सार्वजनिक सुविधाएँ और संस्थान दलितों के लिए खोलने की घोषणा कर दी थी। परन्तु विरोध के कारण दलित उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अन्ततः सीधी कार्यवाही करने के सिवा अपने अधिकार पाने के लिए कोई रास्ता दलितों के पास बचा ही नहीं था। ऐसे कुछ प्रयास, जो दलितों की सीधी कार्यवाही से जुड़े हैं और जो डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण ही सम्भव हो पाये थे।

इनमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय एवं पहली घटना 1924 में घटी त्रावनकोट स्टेट की है। वहाँ वाइकोम मन्दिर को जाने वाली सड़कों पर अछूतों को चलने का अधिकार नहीं था जबकि वे सड़कें सार्वजनिक थी और रख रखाव स्टेट करती थी। वहाँ बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में 1924 में अछूतों ने सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का हिन्दुओं पर कुछ असर हुआ और मन्दिर की ओर आने वाली सड़कों को चौड़ा किया और सड़कों को इस प्रकार बनाया गया कि अगर अछूत भी सड़कों का इस्तेमाल करें तो वे मन्दिर को अपवित्र करने वाले फासले से परे रहे। हिन्दुओं का उद्देश्य मन्दिर की पवित्रता को बनाए रखना था इसीलिए सड़कों को चौड़ा इस प्रकार किया कि मन्दिरों से अछूत दूर रहें।

इस सत्याग्रह का एक फायदा अछूतों को हुआ कि जिन सड़कों पर वे चल नहीं सकते थे उनको चलने दिया गया। लेकिन अछूतों को मन्दिरों से दूर ही कर रखा गया जो कि अछूतों को उनके अछूत होने का एहसास कराती है। ऐसी ही दूसरी घटना डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में 1927 में सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अधिकार को लेकर महाड़ में लड़ी थी। यह वह लड़ाई थी जिसमें दलितों ने इतिहास रचा था। महाड़ में चावदार तालाब था। जहाँ से अछूतों को पानी लेने पर पाबंदी थी, जबकि यह तालाब नगरपालिका के अधीन था और सार्वजनिक था। इसके बावजूद भी अछूतों को इस कुँ से पानी लेने की मनाही थी। अछूतों को पानी केवल नगर से दूर अछूतों के क्षेत्र में स्थित कुँ से ही मिल सकता था। 1923 में बम्बई की विधान परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अछूत वर्गों को सभी सार्वजनिक सुविधाओं जैसे तालाब, कुओं, धर्मशालाओं आदि का उपयोग करने की छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव 5 फरवरी 1924 को पारित हुआ। परन्तु हिन्दुओं ने इसका पालन नहीं किया। अतः तीन साल बाद महाड़ में कोलाबा जनपद क अछूतों का एक सम्मेलन हुआ। यह कोलाबा में अछूतों का पहला सम्मेलन था 20 मार्च को ढाई हजार अछूतों के जत्थे ने डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में तालाब से पानी लिया। परन्तु हिन्दुओं ने तालाब को निजी सम्पत्ति बताकर अछूतों के विरुद्ध न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली।

सीधी कार्यवाही की तीसरी घटना नासिक की है, जो दलित आन्दोलन के इतिहास में धर्म-सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। नासिक में काला राम मन्दिर में अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। अछूतों और हिन्दुओं के बीच खुला संघर्ष हुआ। परिणामस्वरूप मन्दिर के प्रबंधकों ने एक वर्ष के लिए मन्दिर के दरवाजे ही बन्द कर दिए। लेकिन अछूतों को प्रवेश नहीं दिया।

सामाजिक और धार्मिक विरोधों के बाद डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि दलित आन्दोलन को राजनीतिक आयाम दिया जाना चाहिए उनकी मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक सत्ता के सवाल को उठाना जरूरी है। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरम सीमा पर था। डॉ. अम्बेडकर का गहरा विश्वास था वह

राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की चाहत थी। डॉ. अम्बेडकर के मन में सर्वाधिक शोषित, उत्पीड़ित वर्ग के हितों के संरक्षण में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर सन्देह बना रहता था कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके हितों को नजर अन्दाज कर दिया गया तो वह लोकतंत्र का जवाक बनकर रह जायेगा। इसलिए वह देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का सपना देख रहे थे। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसा लोकतंत्र चाहते थे जो स्वतंत्रता, समानता और समृद्धि जैसे जनवादी मूल्यों पर आधारित हो और जिसमें जाति, लिंग, धर्म और नस्ल के अभाव में भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। ऐसे लोकतंत्र को डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक लोकतंत्र बताते हुए कहा है कि "किसी लोकतांत्रिक सरकार की पूर्व शर्त लोकतांत्रिक सामाजिक की स्थापना करना है किसी भी लोकतंत्र की रूपरेखा में यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो उसका मूल्य नहीं है।" 29

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यदि हिन्दुओं के इस अलोकतांत्रिक और मानवीय समाज से मुक्ति चाहते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली के द्वारा राजकीय समाजवाद की स्थापना करनी होगी। 30 डॉ. अम्बेडकर ने भारत के समाज का अध्ययन करने के दौरान पाया कि उसमें 'समग्र वर्ग' चेतना का अभाव जिसके कारण उसमें सामाजिक एकता नहीं आई और वह एक असामाजिक समाज में ढलता चला गया।

डॉ. अम्बेडकर विचारधारा की केन्द्रीय अवधारणा भी यही है। 31 डॉ. अम्बेडकर ने दलित समस्या के समाधान के लिए दलितों को प्रशासन और शासन में सहभागिता और प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की मांग की। डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि अस्पृश्यता की समस्या को एक अस्पृश्य ही जान सकता है क्योंकि उन्होंने अस्पृश्य होने की पीड़ा, तिरस्कार और वेदना को महसूस और सहन किया है। उन्होंने सत्ता में दलितों की भागीदारी की मांग की। गोलमेज सम्मेलन में उन्हें दलित प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने दलित समस्याओं को रखा और उन्हें हिन्दुओं से पृथक मानते हुए उनके लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग की।

डॉ. अम्बेडकर की पृथक निर्वाचन की मांग ने कांग्रेस तथा गांधी दोनों को चिंतित कर दिया था। गांधी जी ने डॉ. अम्बेडकर की इस बात का विरोध किया कि दलित हिन्दू नहीं है साथ ही गांधी जी ने अलग निर्वाचन का विरोध किया। पृथक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध गांधी जी का तर्क यह था कि यह एक विशुद्ध धार्मिक मामला है। पृथक निर्वाचन मण्डल स्वयं दलितों के लिए हानिकारक होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि सवर्ण हिन्दुओं के बीच उनकी क्या स्थिति है। 32 गांधी जी इसके विरुद्ध आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में डॉ. अम्बेडकर के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम को उनकी सहभागिता को देखते हुए अम्बेडकर को झुकना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर और गांधी ने एक साथ समझौता किया जिसमें राज्य विधान परिषद में 142 स्थानों की दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों की एक मात्रा में राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी प्रारम्भ हो गई। 35 1930-1932 के गोलमेज सम्मेलन से ही कांग्रेस और डॉ. अम्बेडकर के मध्य तनाव पैदा हो गया था। इसके बावजूद भी डॉ. अम्बेडकर दलितों के लिए भिन्न प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे वहीं दूसरी ओर गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। 34

डॉ. अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बावजूद ही भारतीय इतिहास में दलितों को उनका हक मिलने जा रहा था और दलितों की राजनीतिक भागीदारी कुछ हद तक सम्भव होने जा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन की स्थापना, दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की थी। पहला भारत के शासन कार्य संबंधी गतिविधियों की जांच करना तथा अल्पसंख्यकों, दलितों व शोषितों के विकास कार्यों का मूल्यांकन करना। डॉ. अम्बेडकर के प्रयास से ही भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था, जब

ब्रिटिश सरकार ने अछूतों की समस्या पर ध्यान दिया था। जिसका परिणाम यह निकला कि केन्द्रीय असेम्बली नई दिल्ली में 14 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। जिसमें से एक स्थान अछूतों के लिए आरक्षित था। इसी प्रकार प्रान्तीय विधान सभाओं में भी इस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला। पहली बार अछूतों को विधान सभाओं में मनोनित किया। गोलमेज सम्मेलन (1930-32) की अल्पसंख्यकों समिति की भलाई के लिए नए संविधान में निम्नलिखित अधिकारों की मांग की, जिससे दलित वर्ग को समानता सामाजिक न्याय के भागीदारी प्राप्त हो सके—

- समान मूल अधिकार
- भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था
- दलितों के कल्याण के लिए अलग विभाग की स्थापना
- सामाजिक बहिष्कार करने वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था इत्यादि।

स्वतंत्रता से पूर्व महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर भारतीय राजनीति के दो विपरीत ध्रुव थे। दोनों ने अपने-अपने ढंग से भारत की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राजनीति विकास को गंभीरता से प्रभावित किया।³⁵ दोनों ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज व्यवस्था का महारोग माना। गांधी जी ने कहा था, “यदि हम भारत की आजादी के पांचवे हिस्से को स्थायी गुलामी की हालत में रखना चाहते हैं, तो ‘स्वराज’ एक अर्थहीन राज्य होगा।”³⁶ इसने विपरीत डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि ‘हमें मंदिर में प्रवेश के आन्दोलन में हिस्सा लेने के बजाय चातुर्वर्ण्य को समाप्त करने पर जोर देना चाहिए, अगर यह समाप्त हो जाएगा तो अस्पृश्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।’³⁷ दोनों के समान परिवर्तन में कानून की भूमिका पर भी गहरा मतभेद था। गांधी हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। किन्तु अम्बेडकर सिर्फ अस्पृश्यता को मिटाने बल्कि आर्थिक विषमताओं के साथ जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते थे। डॉ. अम्बेडकर ने अपने विचारों तथा कार्यों से दलितों को एक नवीन पहचान दी और उनके द्वारा प्रदान किए, राजनैतिक और सामाजिक सिद्धांतों ने दलितों में जागृति उत्पन्न की जो आज भी विद्यमान है। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को उनके अधिकारों तथा उन्हें राजनीति सहभागिता के लिए जागरूक किया।

डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार

डॉ. अम्बेडकर के सम्पूर्ण विचारों तथा क्रियाकलापों के मूल में नैतिक चिन्तन मिलता है। डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचारों में भी मानवतावादी नैतिक मूल्य विद्यमान थे। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि “मनुष्य ही सर्वोपरि है, विचारणीय तत्त्व है, किन्तु मनुष्य का वह रूप नहीं जिसे हम प्लेटों आदि के चिन्तन में पाते हैं”³⁸ डॉ. अम्बेडकर के दर्शन का केन्द्र बिन्दु एक ऐसा मनुष्य है, जो जीवित तो है, पर समाज की दुर्दशाओं और यातनाओं का शिकार है, ऐसा मनुष्य जिनकी आवाज भी उच्च लोगों को अपवित्र बना देती है, जिसका देखा जाना पाप और छुआ जाना महापाप समझा जाता था। स्वयं डॉ. अम्बेडकर भी इन्हीं में से एक थे, हालांकि वे पढ़ लिखकर सुशिक्षित होकर एक महान व्यक्ति बन गए थे, उनका मानना था कि मानव जीवन में निश्चय ही आर्थिक व्यवस्था का महत्व है।

जाति आधारित अर्थव्यवस्था का विरोध

डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण-व्यवस्था अथवा जातिधारित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, केवल मनुस्मृति को ही प्रामाणिक मानकर उनके ही अंशों की समीक्षा की है। ‘आदमी की सबसे

बड़ा आवश्यकता आर्थिक सुरक्षा हाता ह, जिसके अभाव में वह अपने का असुरक्षित अनुभव करता है, जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने माना, कोई आदमी किसी धन के, जिसका वह चुनाव कर सके अपने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, फिर भी यदि वह रोजगार की सुरक्षा से वंचित किया जाता है, तो वह मानसिक तथा शारीरिक दासता का शिकार हो जाता है जो स्वतंत्रता के मूल-सार का प्रतिरोध है आने वाले का निरंतर भय, अवरोधक संकट के डरावने भय आदि के कारण उसके जीवन में आनन्द एवं सौन्दर्य की उपयुक्त खोज नदारद हो जाती है जिससे प्रदर्शित होता है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना, स्वतंत्रता जीने योग्य नहीं है।' 39

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में, जाति आधारित अर्थव्यवस्था में धन के चुनाव सम्भव नहीं है, उसमें न कोई आर्थिक स्वतंत्रता है, और न ही कोई सुरक्षा। अकार भारतीय समाज में दलित, पिछड़ों के साथ आर्थिक अन्याय आज भी विद्यमान है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय परम्परावादी तथा जातियों पर आधारित अर्थव्यवस्था का पूर्णतः प्रतिरोध किया। "वर्णाधारित अर्थव्यवस्था ने देश के आम आदमी को मिला नहीं दिया। उसमें केवल अन्य वर्गों का ही आर्थिक कल्याण हुआ, क्योंकि बहुत शूद्र-अछूतों पर अनेक प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिबंध लगा दिये गये थे। वर्तमान अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत समस्या जैसे क्या उत्पादन किया जाए, उत्पन्न कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए तथा उपभोक्ता को कौन सी सुविधा प्रदान की जाए, का क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है और इसका पभाव समाज के प्रत्येक विशेषकर निर्धन वर्ग पर इतनी गहराई से पड़ता है कि इसकी जिम्मेदारी किसी वर्ग, जाति या वर्ग विशेष को सौंपना भारत जैसे देश में नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी घातक सिद्ध होगा।' 40

डॉ. अम्बेडकर ने समस्त आर्थिक क्रियाओं का जाति एवं वर्ग के दायरों से बाहर निकालने पर बल दिया। यदि हम उनकी दो ही कृतियाँ 'भारत में जातिप्रथा' एवं 'जातिप्रथा का उन्मूलन' का गहराई से अध्ययन करें, तो हम पायेंगे कि उन्होंने जातियों पर आधारित सम्पूर्ण समाज के विनाश की आवश्यकता बतलाई, क्योंकि ऐसी समान व्यवस्था ने मानव गरिमा, स्वतंत्रता, एवं समानता का गला घोटा है। करोड़ों शूद्र-अछूतों को विकट निर्धनता, दरिद्रता, निरक्षरता, हीनता आदि की गहरी खाईयों में दबा रखा है, अतः वर्ण अथवा जाति आधारित कोई भी अर्थव्यवस्था डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि से आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्रतिरोधी है। उनकी मान्यता थी कि सम्पत्ति और उत्पादन के असमान वितरण के कारण ही भारतीय समाज में विकट निर्धनता और व्यापक दरिद्रता, सदियों से चली आ रही है। कुछ लोगों, विशेषकर उच्च वर्गों के आर्थिक प्रभुता के सिंहासन पर बैठने के कारण ही जातिगत क्रूरताओं तथा शोषणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई, और कालान्तर में भी इनसे ही बेगार, बंधुआ मजदूरी तथा बालश्रम जैसी आर्थिक बुराईयाँ उत्पन्न हुई। इनको समाप्त किए बिना भारत में वह 'आर्थिक लोकतंत्र' स्थापित नहीं हो पायेगा। जिसकी डॉ. अम्बेडकर ने आकांक्षा की थी।

महिला सशक्तिकरण पर डॉ० अम्बेडकर के विचार

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए मनुस्मृति जिम्मेदार है, मनुस्मृति को जलाते हुए उन्होंने कहा था कि वे समाज के हर पिछड़े एवं शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति ने नारी वर्ग के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई जिसमें नारी को सिर्फ पुरुष की दासी के रूप में स्थापित किया तथा कहा गया कि यदि स्त्री आचार संहिता का पालन नहीं करती तो उसे दण्डित किया जाएगा। यदि स्त्री पुरुष की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो वह उसके सारे आमूषण छीनकर उसे तीन महीने के लिए निष्कासित कर सकता है। यदि स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती तो उसे बाँझ करार दिया गया था तथा मनुस्मृति पुरुषों में संतान

उत्पन्न न होने की स्थिति में दूसरे विवाह की भी छूट थी। उसे अमानवीय दण्ड दिए जाते थे। मनुस्मृति द्वारा स्थापित कुप्रथाओं ने स्त्री को बहुत ही दयनीय स्थिति में ला खड़ा किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। डॉ० अम्बेडकर ने देवदासी प्रथा का भी विरोध किया, क्योंकि इस प्रथा के द्वारा गरीब व दलित लड़कियों को कम उम्र में ईश्वर से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें देवदासी बना दिया जाता था।

इसी अन्धविश्वास के कारण उन्हें दूसरी पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। डॉ० अम्बेडकर ने स्त्रियों को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए पयत्न किए। उन्होंने महार जाति की महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे अपने इस अपमानजनक जीवन को छोड़कर आगे आए, इस प्रथा का विरोध करें, मेहनत द्वारा अपना गुजारा चलाए एवं किसी पुरुष से विवाह कर आजीवन सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें।

समाज में नर और नारी की समान रूप से सहभागिता होने को अनिवार्य मानते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा था— “मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है” 28 जुलाई 1928 को विधान परिषद में फैक्ट्री तथा अन्य संस्थाओं को कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश सुविधा देने संबंधी बिल पर अपने विचार रखते हुए बाबा साहेब ने कहा था— “महिलाओं को प्रसूति अवकाश सुविधा प्रदान करना राष्ट्रीय हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने बहस में इसकी जोरदार वकालत करते हुए यह भी कहा था, “यह राष्ट्रीय हित में है कि राष्ट्र की निर्मात्री की गर्भावस्था में विश्राम देने और उसे सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। बाबा साहेब के विचारों से सम्पूर्ण सदन प्रभावित हुआ था और यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था।⁴¹

डॉ० अम्बेडकर ने नारी शिक्षा को भी अनिवार्य बताया था। उनका मानना था कि “किसी भी व्यक्ति को उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बिना शिक्षा के सर्वत्र अंधेरा है। यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाए, तो हम और भी शीघ्र प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार।”⁴²

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ने खदानों में काम करने वाली महिलाओं को बराबर वेतन मत्ते देने का मामला उठाया एवं कोयला खदान मजदूरों के वेलफेयर फंड के प्रबंधन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। उनके प्रयासों के द्वारा ‘माइन्स मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट’ पास हुआ जिसके अन्तर्गत महिला के प्रसव के छः महीने पूर्व में यदि उसने 90 दिन तक खदान में काम किया है तो उसे प्रसव के दौरान छुट्टियाँ दी जाएंगी एवं गर्भ के दौरान उन्हें खदान के अन्दर नहीं भेजा जाएगा अपितु वे ऊपर भूतल पर काम करते हुए अपनी आजीविका कमा सकती हैं। बाबा साहेब महिलाओं की समान नागरिकता एवं आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान करने को नारी मुक्ति का प्रथम कदम मानते थे। हिन्दू कोड बिल को उन्होंने नारी मुक्ति का आधार माना। उन्होंने कहा कि स्त्रियों की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें सदियों से जकड़ी बेड़ियों से मुक्त कराने का साधन है।

डॉ० अम्बेडकर और हिन्दू कोड बिल

‘कोड’ का अर्थ है किसी कानून या विधि का सम्यक्तया संग्रह या एकीकरण। हिन्दू कोड का तात्पर्य यह है कि हिन्दुओं के इधर-उधर शास्त्रों में बिखरे पड़े अथवा शताब्दियों से चली आ रही ऐसी रूढ़ियों को, जो कानून से भी अधिक बलवती हो रही है, किन्तु

उनका अब कुछ भा उपादयता दिखाई नहा दता वरन् हिन्दू समाज के लिये धातक सिद्ध हो रही है, इन्हें सम्यकता कांट-छांट कर मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के (पर्सनला लॉ) वैयक्तिक कानून की तरह सामाजिक विधि विधान बनाना है। हिन्दू कोड में जहां-जहां हिन्दू शब्द का उपयोग हुआ है उसमें पूर्ण अन्य धर्मों या सम्प्रदायों का विशेष होता है और उन पर भी हिन्दू कोड प्रभावी होता है यह कहा जा सकता है कि 1954 में पारित होने वाला हिन्दू कोड उक्त सम्प्रदायों को भी हिन्दू मान कर हिन्दू कोड के विधि विधानों पर एक समान लागू होता है।⁴³

हिन्दू कोड बिल को डॉ० अम्बेडकर हिन्दुओं में प्रचलित विधि विधानों को संकलित करके एक ऐसे कानून का निर्माण कराना चाहते थे जिसमें सभी को सम्मिलित किया जा सके। संक्षेप में कहा जाए तो हिन्दू कोड में शताब्दियों से हिन्दुओं को पवित्र समझा जाने वाले विधि विधानों और रूढ़ियों का अन्त कर उनके स्थान पर नए ऐसे मौलिक विधि विधानों और नियमों को बनाना है, जो भारतीय हिन्दू समाज को आमूल चूल बदलने वाले हैं। संक्षेप में हिन्दू कोड में पुराने विधानों की जगह निम्न सुधार, विधि-विधान बनाये गए हैं।

1. हिन्दू विवाह अधिनियम
2. विशेष विवाह अधिनियम
3. गोद लेना (दत्तक ग्रहण)
4. हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम
5. निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण अधिनियम
6. संरक्षण सम्बंधी अधिनियम
7. उत्तराधिकारी अधिनियम
8. हिन्दू विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम
9. सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार

हिन्दू कोड बिल स्त्रियों को बहुत से अधिकार प्रदान करता है। विवाह संबंधी धाराएं— हिन्दू कोड बिल पर कार्य करते हुए डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मणकारी शास्त्रों का अध्ययन किया एवं कई मुद्दों पर उनके प्रतिपादन को ढूँढ़ा। संबंध विच्छेद के विषय में डॉ० अम्बेडकर ने कहा कि संबंध विच्छेद यानी तलाक का अधिकार न सिर्फ पुरुषों को अपितु स्त्रियों को भी दिया जाएगा। तलाक के बाद पुरुष को आजीवन भरण पोषण के लिए पत्नी को रख रखाव राशि देनी होगी। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण शास्त्रों का हवाला देते हुआ कहा कि शास्त्रों के अनुसार एक बार विवाह होने पर स्त्री की आजीवन भरण पोषण की जिम्मेदारी पुरुष की है।

स्त्री धन प्रथा के प्रतिबन्धित करना

डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दुओं की लगभग 137 स्मृतियों का हवाला देते हुए कहा कि स्त्री धन की प्रथा हिन्दुओं में सदा से माजूद थी। विवाह के समय माता-पिता अपनी पुत्री को आमूषण एवं धन राशि देते रहे हैं क्योंकि पुत्री का अपने पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था।

अतः विदा करते समय उसे कुछ देने की प्रथा सदा से चलती आ रही है। बाद में यह प्रथा दहेज प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गई। पुरुषों ने एक धारणा बना रखी थी धन

स्त्री को धन संभालने की समझ नहीं है, वह बहकावे में आ सकती है, इस धन को उनसे छीन लिया। डॉ० अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कहा कि स्त्री धन हमेशा उसी के पास रहना चाहिए ताकि वह उसका इस्तेमाल आकस्मिक समय में इसका उपयोग कर सके।

उत्तराधिकार का मुद्दा – हिन्दू कोड बिल के तहत डॉ० अम्बेडकर ने उत्तराधिकार के मुद्दे को उठाया। इसमें दो प्रकार के प्रावधान चल रहे थे 'मित अक्षर' एवं 'दया भाव' व्यवस्था। 'मित अक्षर' व्यवस्था में उत्तराधिकार एक वर्ष चलता है, इसमें एक पुरुष की संतानों को सम्पत्ति का अधिकार बराबरी से मिलता है लेकिन वह सम्पत्ति किसी की निजी सम्पत्ति नहीं बन पाती। यह उसको बचा सकता था। यदि एक पुत्र की मृत्यु हो जाए तो वह सम्पत्ति उसके मृत व्यक्ति के पुत्रों को स्थानान्तरित न होकर उसके बाकी बचे भाइयों में बंट जाती है। हिन्दू कोड बिल में 'दया भाव' व्यवस्था को अपनाया गया। हिन्दू कोड बिल में उत्तराधिकार के मामले में कई परिवर्तन किए गए। किसी व्यक्ति की विधवा, उसकी पुत्री या मृत पुत्र की विधवा, सभी को पुत्र के बराबर उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया।

सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार

स्त्रियों तथा विधवाओं का सम्पत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो वह सीमित हो अथवा पूर्ण जैसा कि इस बिल की धारा 91 एवं 93वें उल्लिखित है इन धाराओं में कहा गया है—स्त्री की सम्पत्ति के प्रकार (1) हम होड़ के अस्तित्व में सम्पूर्णतया आने के बाद किसी स्त्री द्वारा जो भी सम्पत्ति प्राप्त की जाएगी वह निश्चयात्मक या निजी सम्पत्ति होगी। 44 धारा 93 में स्त्रीधन पत्नी की अमानत— इस कोड के आरम्भ होने के बाद किसी विवाह के संस्कार सम्पूर्ण होने की अवस्था में कोई भी ऐसा स्त्री धन जो कि उस विवाह प्रसंग पर अथवा इसकी किसी शर्त के रूप में या उसके संबंध में एक उपहार के रूप में दिया गया है वह उस स्त्री की सम्पत्ति समझा जायेगा जिसका कि इस प्रकार विवाह संस्कार सम्पन्न किया गया है, 1937 में 'हिन्दू नारी सम्पत्ति अधिकार कानून' के तहत महिलाओं को उत्तराधिकार दिया गया था लेकिन कुछ शर्तें रखी गईं जिनमें प्रमुख थी कि उस महिला की आर्थिक स्थिति कैसी है, वह विवाहिता है या अविवाहित, उसके पुत्र है या नहीं इन सभी बातों को मद्देनजर रखकर ही महिला को उत्तराधिकार का अधिकार मिलता था। हिन्दू कोड बिल द्वारा इन शर्तों को पूर्णतया महत्व दिया है।

हिन्दू कोड बिल को 17 सितम्बर, 1951 को संसद में पेश किया किन्तु भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा और आन्दोलन आरम्भ हो गया।

हिन्दू कोड का विरोध

मारवाड़ी सेठों को अपनी सम्पत्ति में लडकी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, यह जानकर वह चीख उठे, सनातन धर्मी लोग, जिनमें नेता ब्राह्मण वर्ग मारवाड़ी सेठों के धन-बल पर सारे हिन्दू जगत में विरोध की मांग भड़काने में तत्पर हो गए और सरे बाजार प्रचार करने लगे कि हमारे हिन्दू धर्म को एक अच्छूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है। ऋषि-मुनियों के बनाए धर्म ग्रन्थों के विधि-विधानों का सत्यानाश कर रहा है। बड़े-बड़े जुलूस विज्ञापन और गोष्ठियों के माध्यम से बाबा साहब को खूब गालियां दी जा रही थीं। प्रतिदिन संसद के सामने हिन्दू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। बाबा साहब को धमकी भरे पत्र प्राप्त होते रहते थे कि हमारे हिन्दू धर्म में एक अच्छूत मंत्री को 'हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।'

डॉ० अम्बेडकर का मानना है कि इस बिल पर 1952 में कोल्हापुर के तेलगांव से प्राप्त अनुसूचित जाति संघ की मीटिंग के दौरान भाषण देते हुए कहा कि 'धन एवं सम्पत्ति कायम रखनी चाहिए ताकि वह अपनी स्वतंत्रता निर्धारित कर सके। एक दशक पहले 'आल

अन्त में यही कह सकते हैं कि अगर बाबा साहेब द्वारा हिन्दू कोड बिल को नहीं बनाया जाता और संसद में पेश नहीं किया जाता तो महिलाओं को सशक्त करने का सपना, सपना ही रह जाता लेकिन हिन्दू कोड बिल विधायी को कानूनी तौर पर सशक्त करता है। पुरुष प्रधान समाज को यह दर्श था कि अगर महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जायेगा तो वह पुरुषों से आगे निकल जाएंगी उन्हें अपनी सत्ता सिनती दिखाई दे रही थी। डॉ० अम्बेडकर के अथक प्रयासों द्वारा हिन्दू कोड बिल पास नहीं हुआ होता तो आज हम जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वह सम्भव ही नहीं थी।

डॉ० अम्बेडकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह चेतनाही दी थी कि सामाजिक प्रति को बदले बिना, आर्थिक सुधार सर्वहित में सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन कुछ समाजवादियों ने तर्क दिया कि आर्थिक सुधार होने पर जातिवाद, ऊँचीच, अत्याचार और अन्य स्वतः समाप्त हो जायेंगे। डॉ० अम्बेडकर ने यह गली भाँति समझ लिया था कि समाजवाद के विकास सिद्धान्त के माध्यम से ही भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं। उनका मानना था कि "यदि समाजवादी आन्दोलन सामाजिक असमता को नजरअंदाज करता है तो यह सफल नहीं होगा। डॉ० अम्बेडकर की दृढ़ दृष्टि थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सामाजिक आधार परिवर्तित होने चाहिए और यदि आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुविचारित आधार पर खड़ा नहीं किया जाता, तो मात्र कुछ ही लोगों को उसका लाभ मिलेगा, आम जनता, विशेषकर दलित, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक समानता से वंचित रहना पड़ेगा।

डॉ० अम्बेडकर की आर्थिक अन्तर्दृष्टि बड़ी ही विस्तृत थी वह एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने यहाँ समाज के कमजोर वर्गों के प्रति विशेष अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था। अपने ही जीवन-काल में डॉ० अम्बेडकर ने भारतीय समाज के निम्नतम स्तर पर रहने वाले दलितों, कमजोरों तथा पिछड़ों, निर्धनों को आयोजकों और अर्थशास्त्रियों की चेतना में बैठा दिया था, ताकि भारत की यथार्थ स्थिति उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाए। डॉ० अम्बेडकर चिंतित थे कि यहाँ के राजनीतिज्ञों की आर्थिक नीतियाँ कहीं ऐसी न हो जाए जिससे केवल धनाढ्य वर्गों को ही अधिक लाभ पहुँचे। यही कारण था कि डॉ० अम्बेडकर ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एवं कार्यक्षमता पर अधिक बल दिया था। साथ ही उनका यह भी विचार था कि राज्य की योजनाओं के माध्यम से ही भारतीय समाज के करोड़ों निर्धन, शूद्र-अशूतों को जातिगत अर्थ-चक्र और मनुरमृति की अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जा सकती है। राज्य द्वारा कानून तथा अवसर की समानता पर संचालित अर्थव्यवस्था की निम्नतम स्तर पर रहने वाले स्त्री-पुरुषों, बंधुआ मजदूरों, कृषि श्रमिकों और बेगार करने वाले लोगों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। डॉ० अम्बेडकर चाहते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक सुधार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संविधान निर्माता के रूप में डॉ० अम्बेडकर

डॉ० अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि "मैं समझता हूँ कि संविधान काम चलाऊ है, यह लचकदार है, यह देश की शान्ति व युद्ध दोनों वक्तों में संयुक्त रखने में सशक्त है। वास्तव में, यदि मैं यह कहूँ कि इस नए संविधान के अधीन हालात बिगड़े तो उसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान बुरा था, बल्कि कहना यह पड़ेगा कि इन्सान ही दुष्ट व निकम्मा था। 46 पं. नेहरू ने कहा था कि " डॉ० भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे।" 47

भारतीय संविधान द्वारा डॉ० अम्बेडकर ने भारत में एक नई क्रान्ति की नींव डाली। जिसे संविधान में (1) विधि के समक्ष समता (2) धर्म, मूलवर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान

इण्डिया डिप्रेस्ट बूमेन कान्फ्रेंस' नागपुर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को विशेषकर स्त्रियों को शिक्षा दीजिए। विवाह एक उत्तरदायित्व है, उसे बच्चों पर थोपिए मत। जब तक आपके बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक विवाह के बाद अपने सभी उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम नहीं हो जाते। उन्हें इस बंधन में मत बांधिए। लड़की जो विवाह के बंधन में बंधती है, वो इस तरह अपने पति के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके उससे दोस्त के रूप में, माँ-पिता की तरह के रूप में, न कि उसकी दारसी के रूप में परिणित हो।"

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा जब सभी को पैतृक सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। डॉ० अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा, शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। हिन्दू कोड बिल पास कराने के पीछे ऐसे बुनियादी सिद्धान्त स्थापित करने थे जिनका उल्लंघन दण्डनीय अपराध बन जाए। जैसे स्त्रियों के लिए विवाह विच्छेद (तलाक) का अधिकार, हिन्दू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए सर्वाधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और विधवाओं तथा अविवाहित कन्याओं को बिना शर्त पिता या पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार। उनका आग्रह था कि हिन्दू कानून में अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी जाए। इस बिल में अंतर्निहित ये न्यूनतम सिद्धान्त धार्मिक रीति से विवाहित रिश्तों के अधिकारों का इस्तेमाल करने और लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं।

उनका यह दृढ़ मत था कि स्त्रियाँ जातिवाद का प्रवेश द्वार हैं। जातिवाद को समाप्त करने पर कब्जा जमाए रखने के लिए जो जान लगा कर भी उद्यत रहे, वे जानता है कि उन्हें अधीन बनाए रखकर ही ऊँची-नीच पर आधारित जाति व्यवस्था बनाए रख सकरी हैं। इस तरह हिन्दू कोड बिल महिलाओं को पारंपरिक धर्मों से मुक्ति दिलाया गया था। गया एक ऐसा कदम था जो अन्त में हिन्दू समाज और लिंग के कारण पैदा हुआ था। जानता से मुक्त करा सकता था। सच तो यह है कि हिन्दू कोड बिल के जैसा महिलाओं की रक्षा करने वाला विधान बनाना भारतीय कानून के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। धर्म श्रष्ट होने की दुहाई देने वाले विद्वानों की विशेष बैठक डॉ० अम्बेडकर ने बुलाई विद्वानों को तर्क की कसौटी पर कसते हुए समझाया कि हिन्दू कोड बिल पास हो जाने से धर्म नष्ट नहीं होने वाला है। कानून शास्त्र के नजरिये से रामायण का विश्लेषण करते हुए कहा कि "अगर राम और सीता का मामला मेरे कोर्ट में होता तो मैं राम को आजीवन कारावास की सजा देता" संसद में हिन्दू कोड बिल पर बोलते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा कि "भारतीय स्त्रियों की अवस्था का कारण बुद्ध, नहीं मनु है" काफी वाद-विवाद के बाद अनुच्छेद चार पास हुआ। अंततः राजेन्द्र प्रसाद ने इस्तीफा की धमकी दी। पण्डित नेहरू इस बिल के पक्ष में थे, लेकिन वो ये भी बिल पास नहीं करा सके, अंततः डॉ० अम्बेडकर ने 27 सितम्बर को हिन्दू कोड बिल सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि बाद में यह बिल चार भाग में पास हुआ जो निम्न प्रकार है—

1. 18 मई 1955 — हिन्दू विवाह बिल पास
2. 17 जून 1956 — दलितों के अधिकार बताये गए
3. 25 अगस्त 1956 — अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले
4. 14 दिसम्बर 1956 — हिन्दू अछूत मिल बिल पास हुआ। (यह बिल बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद पास हुआ)।

अन्त में यही कह सकते हैं कि अगर बाबा साहेब द्वारा हिन्दू कोड बिल को नहीं बनाया जाता और संसद में पेश नहीं किया जाता तो महिलाओं को सशक्त करने का सपना, सपना ही रह जाता लेकिन हिन्दू कोड बिल स्त्रियों को कानूनी तौर पर सशक्त करता है। पुरुष प्रधान समाज को यह डर था कि अगर महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जायेगा तो वह पुरुषों से आगे निकल जाएंगी उन्हें अपनी सत्ता छिनती दिखाई दे रही थी। डॉ० अम्बेडकर के अथक प्रयासों द्वारा हिन्दू कोड बिल पास नहीं हुआ होता तो आज हम जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वह सम्भव ही नहीं थी।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह चेतावनी दी थी कि सामाजिक स्थिति को बदले बिना, आर्थिक सुधार सर्वहित में सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन कुछ समाजवादियों ने तर्क दिया कि आर्थिक सुधार होने पर जातिवाद, ऊँचनीच, अत्याचार और शोषण स्वतः समाप्त हो जायेंगे। डॉ. अम्बेडकर ने यह भली भाँति समझ लिया था कि योजना बुद्ध विकास सिद्धान्त के माध्यम से ही भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं। उनका मानना था कि “यदि समाजवादी आन्दोलन सामाजिक यथार्थता को नजरअंदाज करता है तो यह सफल नहीं होगा। डॉ. अम्बेडकर की दृढ़ मान्यता थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सामाजिक आधार परिवर्तित होने चाहिए⁴⁵ और यदि आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुविचारित आधार पर खड़ा नहीं किया जाता, तो मात्र कुछ ही लोगों को उसके लाभ मिलेंगे, आम जनता, विशेषकर दलित, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक सम्पन्नता से वंचित रहना पड़ेगा।

डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक अन्तर्दृष्टि बड़ी ही विस्तृत थी वह एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने यहाँ समाज के कमजोर वर्गों के प्रति विशेष अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था। अपने ही जीवन-काल में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज के निम्नतम स्तर पर रहने वाले दलितों, कमजोरों तथा पिछड़ों, निर्धनों को आयोजकों और अर्थशास्त्रियों की चेतना में बैठा दिया था, ताकि भारत की यथार्थ स्थिति उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाए। डॉ. अम्बेडकर चिंतित थे कि यहाँ के राजनीतिज्ञों की आर्थिक नीतियाँ कहीं ऐसी न हो जाए जिससे केवल धनाढ्य वर्गों को ही अधिक लाभ पहुँचे। यही कारण था कि डॉ. अम्बेडकर ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एवं कार्यकुशलता पर अधिक बल दिया था। साथ ही उनका यह भी विचार था कि राज्य की योजनाओं के माध्यम से ही भारतीय समाज के करोड़ों निर्धन, शूद्र-अछूतों को जातिगत अर्थ-चक्र और मनुस्मृति की अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जा सकती है। राज्य द्वारा कानून तथा अवसर की समानता पर संचालित अर्थव्यवस्था की निम्नतम स्तर पर रहने वाले स्त्री-पुरुषों, बंधुआ मजदूरों, कृषि श्रमिकों और बेगार करने वाले लोगों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक सुधार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संविधान निर्माता के रूप में डॉ. अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि “मैं समझता हूँ कि संविधान काम चलाऊ है, यह लचकदार है, यह देश की शान्ति व युद्ध दोनों वक्तों में संयुक्त रखने में सशक्त है। वास्तव में, यदि मैं यह कहूँ कि इस नए संविधान के अधीन हालात बिगड़े तो उसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान बुरा था, बल्कि कहना यह पड़ेगा कि इन्सान ही दुष्ट व निकम्मा था।⁴⁶ पं. नेहरू ने कहा था कि “ डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे।”⁴⁷

भारतीय संविधान द्वारा डॉ. अम्बेडकर ने भारत में एक नई क्रान्ति की नींव डाली। जिसे संविधान में (1) विधि के समक्ष समता (2) धर्म, मूलवर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान

अवसर नहीं मिला, उन्हें वह अवसर उनके बार-बार अनुरोध करने के बावजूद नहीं दिया गया, परिणामस्वरूप देश जिस सामाजिक व आर्थिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, वह हमारे सामने है अम्बेडकरवादी क्रान्ति के बगैर भारत का वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रह पाना शायद कठिन होगा।

संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, उस दिन भारत एक गणतंत्र बना, संविधान समा में ही डॉ. बी.आर.अम्बेडकर ने कहा था, " राजनीतिक लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र का अन्विष्ट है कि ऐसी जीवन पद्धति जो आजादी, बराबरी और मातृमाय को मान्यता देती हो ये तीनों एक साथ हैं, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इनको अलग-अलग करने का फल लोकतंत्र के उद्देश्यों ही को खत्म करना होगा" 48

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राज्य एवं सरकार

जनतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को डॉ. अम्बेडकर एक आवश्यक संस्था मानते थे। क्योंकि अशान्ति और विद्रोह के समय राज्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है डॉ. अम्बेडकर ने समाज को भी बहुत महत्व दिया लेकिन राज्य को भी उतना ही महत्व प्रदान किया। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य "49 समाज की आन्तरिक अवधारणा और वाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है" हालांकि डॉ. अम्बेडकर राज्य को निरपेक्ष शक्ति के रूप में नहीं मानते थे। उनका स्थान गौण है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, " किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया, जिसमें सब कुछ आना जाये या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्रोत हो।" 50

डॉ. अम्बेडकर राज्य के निरपेक्ष सिद्धांत को लेकर हीगल, हॉब्स, यीन, वॉसाके आदि से सहमत नहीं थे। इन विद्वानों के अनुसार " राज्य साधन नहीं है, वरन् एक साध्य है, जिसके स्वयं इतने शक्तिशाली अधिकार होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संघर्ष के साथ वह अपना अधिपत्य स्थापित कर लेता है।" 51 व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों का स्रोत नहीं है। वह राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है। राज्य का निरपेक्ष सिद्धांत यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च सत्ता हुये बिना कार्य नहीं कर सकता है। राज्य एक प्राकृतिक एवं अन्तिम मानव संस्था है और अपने अन्तिम विकास के चरण में वह " सर्वशक्तिमान एवं निरपेक्ष" दोनों ही है 52

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संगठन कम या अधिक, एक निश्चित व्यवस्था होती है। प्रत्येक समाज में अनेक भिन्नताएँ मिलती हैं, जिनका दर्शन हमें विभिन्न प्रकार के लोगों, भाषाओं, रीति रिवाजों, धर्मों, नैतिक सहितार्यों आदि में होता है। समाज में कुछ मजबूत सामाजिक इकाइयाँ होती हैं तो कुछ समुदाय बहुत कमजोर होते हैं। इनकी दृष्टि से, बड़ा राज्य व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि विभिन्नताओं में झगड़े-विवाद होना स्वाभाविक है राज्य उनके साथ सही-सही निर्णय लेकर व्यवहार कर सकता है। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि राज्य एक अच्छी व्यवस्था बनाये रखे और लोग उसके द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन करें। जो तत्सर्वे समाज कल्याण के लिए बनाये हैं, डॉ. अम्बेडकर लेन्स काइम की इस बात से सहमत थे कि शक्ति या दबाव के द्वारा राज्य अपने को दृढ़ बना सकता है लेकिन दबाव अनेक साधनों में से एक है। यह निर्विवाद तत्त्व नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, " राजनीतिक समुदायों को उत्पन्न करने, उनको अच्छी दिशा में ढालने, उनको विस्तृत रूप देने तथा उनको एकत्रित करने में दबाव से अधिक महत्वपूर्ण साधन पालन की मान्यता है। आज्ञापालन की भावना जो सरकार के कानूनी तत्त्व नियमों के प्रति परवर्धित की जाती है, व्यक्ति और सामाजिक समुदायों की कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर निर्भर करती है 53

के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (3) छुआछूत का अन्त मानव दण्ड और बलात् श्रम का प्रतिषेध (4) कारखानों में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आदि उपबंध किये। संविधान में वर्णित राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों को डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जैसे—

- (1) लोककल्याण की उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा
- (2) काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं का और प्रसूति-सहायता का उपलब्ध
- (3) श्रमिकों के लिए निर्वाद - मजदूरी
- (4) नागरिकों के लिए समान व्यवहार- संहिता
- (5) बेगार की समाप्ति
- (6) आहार पुष्टि तल और जीवन - स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य
- (7) सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी संहिता बनाना
- (8) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य अर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति
- (9) कार्यपालिका से न्याय पालिका का पृथक्करण आदि

डॉ. अम्बेडकर के संविधान में निम्नलिखित धाराओं में समाजवाद की रूपरेखा दिखती है।

धारा 38 : राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन को राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

धारा 39 : राज्य अपनी नीति का विशेषतः ऐसा संचालन करेगा कि यह सुनिश्चित हो (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, (ख) समुदाय को भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हो।

धारा 41 : राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता तथा अन्य अनेक अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपलब्ध करेगा।

धारा 46 : राज्य जनता के दुर्बलताएँ विभागों में विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों में विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा इस प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण भी करेगा।

यह सही है कि पं. नेहरू ने डॉ. अम्बेडकर को 'भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार' तो कहा लेकिन बाबा साहब की सर्वप्रथम संविधान को अपने समाजवादी विचारों के अनुसार ढालने नहीं दिया गया और फिर जैसा संविधान बना उसे कार्यान्वित करने का

अवसर नहीं मिला, उन्हें यह अवसर उनके बार-बार अनुरोध करने के बावजूद नहीं दिया गया, परिणामस्वरूप देश जिस सामाजिक व आर्थिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, वह हमारे सामने है अम्बेडकरवादी क्रान्ति के बगैर भारत का वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रह पाना शायद कठिन होगा।

संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, उस दिन भारत एक गणतंत्र बना, संविधान सभा में ही डॉ. बी.आर.अम्बेडकर ने कहा था, " राजनीतिक लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र का अमिप्राय है कि ऐसी जीवन पद्धति जो आजादी, बराबरी और भातृभाव को मान्यता देती हो ये तीनों एक साथ है, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इनको अलग-अलग करने का फल लोकतंत्र के उद्देश्यों ही को खत्म करना होगा" 48

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राज्य एवं सरकार

जनतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को डॉ. अम्बेडकर एक आवश्यक संस्था मानते थे। क्योंकि अशान्ति और विद्रोह के समय राज्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है डॉ. अम्बेडकर ने समाज को भी बहुत महत्व दिया लेकिन राज्य को भी उतना ही महत्व प्रदान किया। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य "49 समाज की आन्तरिक अवधारणा और वाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है" हालांकि डॉ. अम्बेडकर राज्य को निरपेक्ष शक्ति के रूप में नहीं मानते थे। उनका स्थान गौण है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, " किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया, जिसमें सब कुछ आना जाये या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्रोत हो।" 50

डॉ. अम्बेडकर राज्य के निरपेक्ष सिद्धान्त को लेकर हीगल, हॉन्स, ग्रीन, वोसांके आदि से सहमत नहीं थे। इन विद्वानों के अनुसार " राज्य साधन नहीं है, वरन एक साध्य है, जिसके स्वयं इतने शक्तिशाली अधिकार होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संघर्ष के साथ वह अपना अधिपत्य स्थापित कर लेता है।" 51 व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों का स्रोत नहीं है। वह राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है। राज्य का 'निरपेक्ष सिद्धान्त' यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च सत्ता हुये बिना कार्य नहीं कर सकता है। राज्य एक प्राकृतिक एवं अन्तिम मानव संस्था है और अपने अन्तिम विकास के चरण में वह " सर्वशक्तिमान एवं निरपेक्ष" दोनों ही है। 52

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संगठन कम या अधिक, एक मिश्रित व्यवस्था होती है। प्रत्येक समाज में अनेक भिन्नतायें मिलती हैं, जिनका दर्शन हमें विभिन्न प्रकार के लोगों, भाषाओं, रीति रिवाजों, धर्मों, नैतिक संहिताओं आदि में होता है। समाज में कुछ मजबूत सामाजिक इकाइयां होती हैं तो कुछ समुदाय बहुत कमजोर होते हैं। इनकी दृष्टि से, यहां राज्य व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इतनी विभिन्नताओं में झगड़े-विवाद होना स्वभाविक है: राज्य उनके साथ सही-सही निर्णय देकर न्याय कर सकता है। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि राज्य एक अच्छी व्यवस्था बनाये रखे और लोग उसके द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन करें। जो उसने समाज कल्याण के लिए बनाये हैं, डॉ. अम्बेडकर जेम्स क्राइम की इस बात से सहमत थे कि शक्ति या दबाव के द्वारा राज्य अपने को दृढ़ बना सकता है लेकिन दबाव अनेक साधनों में से एक है। यह निर्विवाद तत्व नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, " राजनैतिक समुदायों को उत्पन्न करने, उनको अच्छी दिशा में ढालने, उनको विस्तृत रूप देने तथा उनको एकत्रित करने में दबाव से अधिक महत्वपूर्ण आज्ञा-पालन की भावना है। आज्ञापालन की भावना जो सरकार के कानूनी तथा नियमों के प्रति प्रदर्शित की जाती है, व्यक्ति और सामाजिक समुदायों की कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर निर्भर करती है। 53

“ डॉ. अम्बेडकर ने इस सिद्धान्त का स्वागत किया कि “ वह सरकार उत्तम है जो कम से कम शासन करती है” लेकिन वे थ्यूरी के इस सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो यह कहता कि “वह सरकार उत्तम है जो बिल्कुल शासन नहीं करती है” शक का शासन बिल्कुल न हो, यह अराजकता के लिये खुला मार्ग है। राज्य के बिना, बहुत सी चीजों एवं व्यक्तियों को वह स्थान नहीं मिल पाता है जिसके लिये वे उपयुक्त हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर राज्य या सरकार का निरेपक मानते थे। उनका मानना था कि लोगों को किसी भी सरकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। सरकार कभी-कभी गलत काम भी कर सकती है और यदि जनता के विषय ठीक है तो उसे संघर्ष करना चाहिए।⁵⁴

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार प्राचीन समाज में एक ऐसी सामाजिक परम्परा थी कि व्यक्तिगत विचारों के लिए कम से कम स्थान होता था अर्थात् व्यक्ति को समुदाय और जाति के अधीन रहना पड़ता था। व्यक्ति को किसी सामाजिक समुदाय का सदस्य होना पड़ता था। उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वह जो चाहे सो करे। यदि वह ऐसा कर भी लेता था तो उसका जाति बहिष्कार अवश्यम्भावी था। उसमें अधिकारों को छीन लिया जाता था। वस्तुतः व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह समुदाय के नियमों को भंग करके व्यक्तिवाद का प्रतीक बने। जाति के रीति – रिवाजों तथा नियमों का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य था। डॉ. अम्बेडकर ने एक स्थान पर लिखा है, प्राचीन समय में, मानवजीवन विचार एवं क्रियाओं में सामुदायिक था, एक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा जो कुछ किया जाता था वह समुदाय का ही किया हुआ समझा जाता था। सभी प्राचीन समाज में, इकाई समुदाय या जाति थी, न कि व्यक्ति। परिणाम यह था कि एक व्यक्ति का दोष या अपराध सारे समुदाय का दोष या अपराध माना जाता था और सारे समुदाय का दोष या अपराध प्रत्येक व्यक्ति का दोष या अपराध समझा जाता था”⁵⁵

डॉ. अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए मध्यम मार्ग को राजनीतिक क्षेत्र भी माना और कहा कि गुण दो अतिशयवादि कोटियों के बीच मिलता है। उनके विचारों में यही मुख्य बात है जो उनके सामाजिक तथा राजनैतिक विचारों का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में डॉ० अम्बेडकर ने एकात्म और संघीय सरकार के बीच का एक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से सरकार और राज्य का एक ऐसा संघीय रूप रेखा जो केन्द्रीय और उसकी विभिन्न इकाइयों के सन्तुलन पर आधारित है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संघीय संविधान का प्रतिपादन किया और कहा, “ मैं यह अनुभव करता हूँ कि यह संविधान कारगर है, यह परिवर्तनशील है और कुछ इतना सबल है कि देश को युद्ध के समय और शान्ति के समय संगठित रूप से रख सकता है। वास्तव में, यदि मैं ऐसा कहूँ कि यदि नये संविधान की बातें गलत सिद्ध हो तो कारण यह नहीं कि हमारा संविधान दोषपूर्ण है, बल्कि हम केवल इतना ही कहेंगे कि मनुष्य दोषपूर्ण है।⁵⁶

डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तावना प्रणाली को अधिक पसन्द किया। उन्होंने राजतंत्र तथा निरंकुशता को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि “अराजकता तथा तानाशाही में स्वतंत्रता बिल्कुल लुप्त हो जाती है।”⁵⁷ वे अच्छी तरह जानते थे कि इन कदाचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव सम्मन समाप्त हो जाता है। अतः उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में एक ऐसी प्रतिनिधि या उत्तरदायी सरकार हो जो सामान्य हितों की रक्षा करे तथा उनकी स्वतंत्रताओं को सम्मानपूर्वक बनाये रखे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार के उपर कुछ प्रतिबन्ध हो ताकि वह स्वेच्छाचारी न बन सके।

डॉ. अम्बेडकर के राजनैतिक विचारों के महत्पूर्ण स्थान सरकार की शक्ति विभाजन का है जो संभवतः उन्होंने जान लॉक और मॉन्टेस्क्यू की रचनाओं से प्राप्त किया। इन दोनों सिद्धान्तों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकार की सुदृढ़ता के लिए सरकार की शक्तियों तथा कार्यों को तीन विभागों में विभाजित किया – कार्यपालिका, विधानपालिका और

कार्यपालिका। डॉ. अम्बेडकर जब अमेरिका में विद्यार्थी थे तब अमेरिकन संविधान से विशेषकर उसमें निहित शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनका संसदीय प्रणाली में अटूट विश्वास था और उसकी सुदृढ़ता तथा कार्य कुशलता के लिए उन्होंने सरकार के कार्यों को तीन विभागों में बांटना आवश्यक समझा (1) कानून बनाना (2) कानून को कार्यान्वित करना (3) जो कानून को भंग करे उसे दण्ड देना। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना शक्ति-विभाजन के सरकार अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकती है।⁵⁸

भारत की परिस्थितियों में ब्रिटेन जैसी पद्धति को सच्चे अर्थों में संसदीय व्यवस्था नहीं कहा। डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'साम्राज्यवाद' के सिवाय और कुछ नहीं कहा क्योंकि ब्रिटिश परम्परा में यहां के अल्पमत वर्गों के अधिकारों और सुविधाओं पर कुठारघात ही होगा। अछूत एवं शोषित वर्ग पीड़ित व्यवस्था में ही बने रहेंगे। इसीलिए विद्वान डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिकन कार्यपालिका को अधिक पसन्द किया क्योंकि वहां की सरकार अल्पमत वालों को उचित स्थान देती है, वह उनकी सुविधाओं की देखभाल करती है। तथा अल्पमत वाले सुयोग्य लोगों को अच्छे-अच्छे राजनैतिक पद प्रदान करती है लेकिन ब्रिटिश पद्धति में ऐसी कोई परम्परा नहीं है इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका जैसी कार्यपालिका को पसन्द किया। इसके अतिरिक्त अमेरिकन सरकार जनतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार भी जिसे वे अच्छा मानते थे।⁵⁹

डॉ. अम्बेडकर बहुत सी सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं और आन्दोलन के नेता थे, उन्हें शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में अद्वितीय सफलता भी मिली। इनका ज्ञान विस्तृत एवं गम्भीर था और उनका दिल और दिमाग उदारवादी तथा जनतांत्रिक था। इन सब विचारों ने उन्हें एक प्रभावशाली मानव बनने में सहायता दी। डॉ. अम्बेडकर की रचनाएँ प्रदर्शित करती हैं कि जनतांत्रिक सरकार की कठिनाइयाँ धीरे-धीरे और शान्तिपूर्वक कैसे कम की जा सकती हैं, किस प्रकार निरर्थक आर्थिक और राजनैतिक संस्थाएँ ऐच्छिक रूप से और संवैधानिक ढंग से सुधारी एवं परिवर्तित की जा सकती हैं एक उदारवादी मस्तिष्क का इनमें विश्वास था और उन्होंने अपने जीवन को निर्धन लोगों की सेवा में अर्पित किया। उनमें अटूट विश्वास था कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात् नवीन आदर्शों पर चलेगा और देश में रहने वाली विभिन्न जातियों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ होगा।

डॉ. अम्बेडकर के कार्यों एवं विचारों में उत्तरदायित्व की आधारशिला मिलती है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक कल्पना में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने मानव श्रम के प्रति आदर की भावना को मजबूत और अपनी सरकार तथा राज्य के प्रति विचारों को शोषण, समिष्टवाद तथा तानाशाही से प्रभावित नहीं होने दिया। उनके राजनैतिक विचार एवं सिद्धांत इंग्लिश के पाँच अक्षर P में आस्था रखते हैं & People (जनता), Party System (दल पद्धति), Pres (प्रेस), Parliament (संसद), Platform (प्लेटफार्म)⁶⁰

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, कोई दर्शन और विचार उस समय ही अच्छे समझे जायेंगे। जब वे मानववाद से सुशोभित हों। वे स्वयं भी मानववादी थे और उनके मानववाद का नाम है "सामाजिक मानववाद" उनका यह सिद्धांत उन सब विचारों का समर्थक है, जो मानव प्राणी के हित में है और जिससे मानवता की सेवा होती है, और इस उद्देश्य में वे आधारभूत बातें हैं, जो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। निःसंदेह आज मानववादी दर्शन की आवश्यकता है। बिना इसके संसार नहीं बच सकता। उनका मानववाद विचारों और मूल्यों पर आधारित है।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

वर्ग व्यवस्था को भारत में दलित समाज की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत की आजादी के पश्चात्, दलित आन्दोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक दर्जा हासिल करवाया। इससे पहले डॉ. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग को समानता व सामाजिक न्याय के भागीदारी के लिए समान मूल अधिकार, भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, दलितों के कल्याण के लिए अलग विभाग की स्थापना और सामाजिक बहिष्कार करने वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की माँग को सामने रखा। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, 1957 वाले चुनाव में आर.पी.आई. द्वारा चार सीटों को हासिल करना, 1960 में ही आर.पी.आई. द्वारा महाराष्ट्र में एक विशाल भूमि सत्याग्रह द्वारा कई लाख एकड़ भूमि दलितों के लिए हासिल करना तथा 1964 में उत्तरप्रदेश में भूमि सत्याग्रह द्वारा कई लाख एकड़ भूमि दलितों के लिए हासिल करना तथा केन्द्र सरकार को मजबूर किया ताकि सभी राज्य सरकारें राज्य की बेकार पड़ी भूमि को भूमिहीन दलित किसानों को बांटें।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों से ही प्रभावित होकर ही आज दलित समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत है दलित लेखकों ने लेखकों के माध्यम से दलितों को जागरूक किया। डॉ. अम्बेडकर के नाम पर सेमिनार, काव्य गोष्ठियाँ, चर्चाएं, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन हो रहा है। दलित साहित्य सम्मेलन स्व दलित हिस्ट्री कांग्रेस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दलित समस्याओं का उठाया जा रहा है। दलित सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से विभिन्न दलित महापुरुषों के जन्मदिवसों पर मेले का आयोजन करके एक नयी परम्परा की शुरुआत की है। सांस्कृतिक प्रतीकों की स्थापना के इसी क्रम में दलितों द्वारा 'जय भीम' का सम्बोधन डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्वयं की चेतना का प्रतीक है। ये इसी चेतना का परिणाम है कि दलितों में शिक्षा का प्रसार हुआ, दलित कार्यकर्ता गाँव-गाँव में घूमकर दलितों को शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। कार्यकर्ताओं ने डॉ. अम्बेडकर के नारे 'शिक्षा बनो' संगठित रहो, संघर्ष करो' को गाँवों तक पहुँचाया, जिसने दलितों में चेतना का संचार किया क्योंकि दलित शिक्षित होकर ही अपने गौरवमयी इतिहास तथा आरक्षण के महत्व को समझ सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर के बिना इन सबकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

डॉ. अम्बेडकर ने क्रूर सामाजिक स्थिति से उत्पीड़ित मनुष्य का मुक्ति दिलाई और उसे सभी अधिकारों से सुसज्जित किया। उन्होंने इसके लिए 'एक व्यक्ति एक मताधिकार' स्वीकार करा के, वैयक्तिक प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता को सुलभ कराया। छुआछूत, बेगार, बाल श्रम, स्त्री उत्पीड़न आदि को गैर-कानूनी घोषित करवाया ताकि भारतीय समाज में मानव व्यक्तित्व और उसकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा दे सकें। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों को स्वीकृति में एक नये युग का सूत्रपात परिलक्षित किया। उन्होंने अपने मानववादी दर्शन में 'सामाजिक मानववाद' की धारा को संचारित करके, जिसे व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के सिद्धान्तों को आवश्यक बतलाया। उनसे ही इंसान को सामाजिक मुक्ति मिलती है। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि मानव व्यक्ति के रूप में मात्र समान की कमाई ही नहीं है, अपितु उसमें अपनी बुद्धि और इच्छा-शक्ति भी होती है, जो उसके दायित्व को सम्भव बनाती है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत वाडमय के प्रमुख आधार कहे जाने वाले ग्रन्थों जिनमें वेद, उपनिषद, गीता तथा अन्य समस्त भारतीय चिन्तन के दार्शनिक सम्प्रदायों का अध्ययन किया, जिससे दलितों की उत्पत्ति एवं अमानवीय दशा का मूल कारण जाना जिससे कि उसका एक उचित समाधान किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन का उद्भव भारतीय सामाजिक स्थिति की देन है। उन्होंने यहाँ के समाज में उस मनुष्य को उत्पीड़ित एवं तड़पते देखा जिसे वह अपने अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बना पाये। क्योंकि मनुष्य हिन्दु समाज व्यवस्था की संकीर्ण एवं संकुचित

माओं से जकड़ा हुआ मनुष्य था, जो छुआछूत एवं ऊँचनीच की जंजीरों से बंधा हुआ था और वह जो अशिक्षा, अज्ञान तथा अन्याय से बोझिल बना दिया गया था। यह मनुष्य शुद्ध, छूत तथा दलित था। उस पर अनेक सामाजिक नियम थोप रखे थे। ऐसे नियम जिन्हें ईश्वरीय, पवित्र और अकाट्य कहा गया। ये सामाजिक नियम, जो वर्णाश्रम या जाति व्यवस्था द्वारा स्थापित किये गये थे, इतने कठोर थे कि उन्हें तोड़ना तथ संशोधित करना असंभव था। उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व का तो कभी एहसास नहीं हुआ। अतः डॉ. अम्बेडकर ने दिव्य सामाजिक नियमों एवं बंधनों से इनको सामाजिक आजादी दिलाने का संकल्प लिया था।

संदर्भ-सूची

- 1 एल : आर बाली, डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, (भीम पत्रिका, जालंधर, 2006)
- 2 घनन्जय कीर, डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, (पापुलर प्रकाशन, बम्बई, वर्ष 1962)
- 3 जनता 11 अप्रैल, 1934
- 4 दास, पिताम्बर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानववाद, (कला प्रकाशन, वाराणसी, 2009)
- 5 डॉ. भीमराव अम्बेडकर "ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक आय का विकास"
- 6 के. मोटवानी : सोशियोलॉजी-ए कम्परेटिव आउटलाइन, (न्यू बुक कम्पनी, बम्बई, वर्ष 1947)
- 7 जाटव डी. आर (डॉ.) : डॉ. अम्बेडकर का समाज दर्शन, (समता साहित्य सदन, जयपुर, वर्ष 1996)
- 8 केतकर - कास्ट (जातिप्रथा)
- 9 बाग साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड-1, भारत में जातिप्रथा उन्मूलन, कल्याण मंत्रालय, (भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 1993)
- 10 अम्बेडकर, बी.आर. (डॉ.), बुद्ध एण्ड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलिजन (लेख), वर्ष, 1950
- 11 घनन्जय कीर : डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, (पापुलर प्रकाशन, बम्बई, वर्ष 1946)
- 12 अम्बेडकर, बी.आर (डॉ.), एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, (थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, वर्ष 1937)
- 13 द स्टेट्स मैन, दिनांक 23 दिसम्बर 1951
- 14 अम्बेडकर, बी.आर. (डॉ.) एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, (थैकर एण्ड कम्पनी लि. वर्ष 1937)
- 15 जाटव बी.आर. (डॉ.) डॉ. अम्बेडकर का समाज दर्शन, (समता साहित्य सदन, जयपुर, वर्ष-1996)
- 16 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर है व्हॉट कांग्रेस एण्ड गाँधी है व इन (टू द अनटेचिबिलिटी, थैकर एण्ड कम्पनी लि. बम्बई, वर्ष 1946)
- 17 मनुस्मृति आध्याय, 20 सूत्र
- 18 डॉ. मीना चरान्दा 'उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलित विधायकों की भूमिका' में से भारत में दलित राजनीति-उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में (आलोक पर्व प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2017)
- 19 मुखर्जी रविन्द्रनाथ, भारतीय समाज एवं संस्कृति, (विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1997)
- 20 डॉ. अम्बेडकर, भारतीय श्रमिक आन्दोलन दशा व दिशा और दलित परिप्रेक्ष्य (समता प्रकाशन, जयपुर, वर्ष 2003)
- 21 डॉ. तेजसिंह, अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज (स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, 2006)
- 22 डॉ. तेजसिंह, अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज, (स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2008)

- 23 कंवल भारती, दलित विमर्श की भूमिका इतिहास (बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2002)
- 24 राजकिशोर, दलित राजनीति की समस्याएँ (वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2006)
- 25 गेल आम्बेट, अम्बेडकर टूवर्डस एण्ड एनलाईटमेंट इण्डिया (पेनगुइन पब्लिकेशन, इण्डिया, 1997)
- 26 गणेश मन्त्री गांधी और अम्बेडकर (दिल्ली प्रभात प्रकाशन, 1997)
- 27 यंग इण्डिया, 25 मई, 1921
- 28 जनता साप्ताहिक, 11 जनवरी, 1933
- 29 जाटव, डी. आर (डॉ.), डॉ. अम्बेडकर का समाज दर्शन, (समता साहित्य सदन, जयपुर वर्ष 1996)
- 30 संविधान सभा में नवम्बर, 1948 को भाषण
- 31 लोकसभा में भाषण, 6 दिसम्बर 1956
- 32 एल.आर. बाली डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, (पंजाब, भीम पत्रिका, 2006)
- 33 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, स्टेटस एण्ड माइनोरिटीज (थैकर एण्ड कंपनी, बम्बई, 1947)
- 34 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पाकिस्तान एण्ड द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, (थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, सन् 1946)
- 35 जाटव डी.आर. (डॉ.) : राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, (समता साहित्य सदन, जयपुर, वर्ष 1996)
- 36 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, (थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, सन् 1946)
- 37 जाट डी.आर (डॉ.) : राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, (समता साहित्य सदन जयपुर वर्ष 1996)
- 38 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हू वर द शूद्राज? (थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई वर्ष 1946)
- 39 "संविधान के प्रथम प्रारूप" को प्रस्तुत करते समय संविधान सभा में दिया गया भाषण, 1948
- 40 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, द बुद्ध एण्ड हिज थम्म, (सिद्धार्थ कालेज प्रकाशन, बम्बई, वर्ष 1957)
- 41 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, स्टेटस एण्ड माइनोरिटीज, (थैकर एण्ड कम्पनी, वर्ष 1947, बम्बई)
- 42 जाटव डी.आर (डॉ.) डॉ. अम्बेडकर का राजनीति दर्शन, (समता साहित्य सदन, जयपुर, वर्ष 1996)
- 43 जॉन स्टुअर्ट मिल, स्त्रियों की पराधीनता, (प्रकाशन राजकमल क्लासिक प्रकाशन (निबंध) संस्करण 2002-2009)
- 44 डॉ. निवेदिता मेनन, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे सं. (प्रकाशन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001)
- 45 डॉ. गोपा जोशी, भारत में स्त्री असमानता, एक विमर्श, (हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, वर्ष 1998)
- 46 डॉ. बी.एन. सिंह, भारत में सामाजिक आन्दोलन, सं. (प्रकाशन रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2005)
- 47 डॉ. गोपा जोशी, भारत में स्त्री असमानता-एक विमर्श, (हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006)

- 3 साधना आर्या, निवेदिता मेनन, नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे (हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन माला, दिल्ली विश्वविद्यालय 2001)
- 49 डॉ० कुसुम मेघवाल, भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ० बी.आर. अम्बेडकर परिवर्धित एवं अधिष्ठित (सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010)
- 50 सोहन लाल शास्त्री, हिन्दू कोड बिल और डॉ० अम्बेडकर
- 51 इलियनर जिलियट, दलित न्यू कल्चरल कटेक्स्ट फार ऐन ओल्ड मराठी वर्ल्ड, (कन्द्रीब्यूशन दू एशियन स्टडीज, 11, 1978)
- 52 शाह, घनश्याम, दलित ऑफ आइडेंटिटी एण्ड पालिटिक्स (सेज पब्लिकेशन भारत, नई दिल्ली 2007)
- 53 अय्यर, बी.आर.के., अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर (ए.आर.एस.आर.टी., नई दिल्ली, 1976)
- 54 माइकल, एस.एम., दलित इन मॉडर्न इंडिया, विजिन एण्ड वेल्थू (सेज पब्लिकेशनस, नई दिल्ली 2007)
- 55 कीर घनंज्य, डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, (बम्बई पापूलर पब्लिशर्स, 1981)
- 56 आहूजा, राय : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, (रावत पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर, राजस्थान, 1995)
- 57 कोठारी रजनी : भारत में राजनीति कल और आज, (वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2005)
- 58 पुजारी विजय कुमार : अम्बेडकर जीवन दर्शन, (गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, 2005)
- 59 मेघवाल, डॉ. कुसुम : भारतीय राजनीति के आंदोलनकर्ता कांशीराम, (राजस्थान दलित, साहित्य अकादमी, उदयपुर, राजस्थान, 2002)
- 60 दूबे, अभय कुमार : आधुनिकता के आइने में दलित, (वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2005)

विज्ञापनों का सामाजिक सन्दर्भ

रक्षा गीता व रेखा मीणा

हिंदी विभाग

*नाज़ परवीन, *रूपम मिश्रा, *शिवानी कौशिक, *निशा, *पारुल पांचाल

*तृतीय वर्ष हिंदी विशेष

कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय

rakshageeta14@gmail.com

शोधसार

“जो दिखता है वो बिकता है” आज आधुनिक माने जाने वाले समाज की टैग लाइन बन चुका है उत्पादन के सन्दर्भ में तो यह उक्ति सौ प्रतिशत सार्थक है। पर बेचने की इस प्रक्रिया में सामाजिक नैतिकता और संस्कृति पर होने वाले कुठाराघात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। विज्ञापन सामाजिक सन्दर्भ “विषय के अंतर्गत हमारी शोध छात्रायें यह जानने का प्रयास करेंगी कि विज्ञापन कैसे हमारे समाज और संस्कृति से लाभ उठाते हुए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं लेकिन इसी प्रक्रियामें वे हमारी संस्कृति को विकृत भी करते हैं, तो अप्रत्यक्षतः संस्कृति का विकास भी कर रहे होते हैं वैश्वीकरण के युग में संस्कृतियों का आदान-प्रदान एक सहज प्रक्रिया है किन्तु इस प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के स्वरूप को बनाने या बिगड़ने में विज्ञापन किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं इसी पर शोध किया जायेगा। यह विषय न केवल वर्तमान संदर्भों से जुड़ा है अपितु भविष्य में भी उनके काम आयेगा क्योंकि मिडिया से सम्बंधित यह विषय उनके पत्रकारिता विषयक रुचि व रोजगार को लाभान्वित करेगा।

“ विज्ञापन की छवियाँ इनके सन्दर्भों को स्पष्ट करती हैं ”




तन लेकर मन-से मस्तिष्क तक विज्ञापनों का कब्ज़ा




सामाजिक दायित्व निभाते व्यावसायिक विज्ञापन




जनहित में जारी व्यावसायिक , गैर व्यावसायिक विज्ञापन लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं



स्वच्छ भारत ,पर्यावरण का खयाल रखते ,आशा का संचार करते ,मानवता का सन्देश देते विज्ञापन




कुछ व्यावसायिक विज्ञापन जो समाज में सकारात्मक बदलावों के लिए पहल कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं।



जनहित में जारी गैर व्यावसायिक विज्ञापन

“साथी हाथ बटाना”



समाज में स्त्री पुरुष की बराबरी का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता विज्ञापन



आज की विज्ञापनों पर बैन लगाने से बेहतर है सरकार विज्ञापनों को सेंसर बोर्ड पास ही ना करे

प्रस्तावना

प्रारंभ में विज्ञापन सूचना देने वाले हुआ करते थे। लेकिन संघर्ष मीडिया के बढ़ते क्षेत्रफल में यह अवधारणा अब पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। आज के विज्ञापन व्यापार का अभिन्न अंग है, 'जो दिखता है वही विकसित है' के तर्ज पर चल रहा है। मॉड और आपूर्ति के समीकरणों के परे अब मॉड पैदा करना उसका उद्देश्य है। विज्ञापन का कार्य उत्पाद विशेष के लिए बाजार तैयार करना है। विज्ञापन के महत्व को इस ऐतिहासिक सत्य से समझा जा सकता है कि- "महात्मा गाँधी की हत्या की खबर को 'दी हिन्दू' समाचार पत्र में अंदर के पृष्ठ पर प्रकाशित किया, कारण उसके मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा था" (पेज 34)।

आज का आधुनिक युग तो विज्ञापन का युग है। आज विज्ञापन हमारी जीवन-शैली तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए विज्ञापन किसी भी तरह की सही-गलत अपील को अपना रहे हैं "स्त्री/पुरुष सम्बन्धी अपील का प्रयोग स्त्री/पुरुष के सौंदर्य को निखारने और उन्हें परफेक्ट मैन और वीमेन बनाने के रूप में की जाती है, (और उपभोक्ता इसके बहकावे में तुरंत आ जाता है) ...साहसिक अपील में का कल्पना का एक साहसिक संसार रचा जाता है कि इसके बाद आपकी जिन्दगी बदल जाएगी। कोल्डड्रिंक के विज्ञापन ऐसे ही होते हैं। ...रोमांस अपील विपरीत सेक्स को प्रभावित करने के लिए होता है विज्ञापनों का 50% हिस्सा इसी अपील पर आधारित है।" (215) 2 और आम उपभोक्ता इन अपीलों के घंगुल में फँस जाता है लेकिन बुद्धिजीवियों की आलोचना से विज्ञापनकर्ता बच नहीं पाते। उन पर सामाजिक पतन के आरोप भी लगते रहते हैं, साथ ही यह भी कटु सत्य है कि विज्ञापन उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति के अंदर भोग की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। "विज्ञापनों का प्रभाव न सिर्फ हमारे रहन सहन रीति-रिवाज पर पड़ता है अपितु ये हमारे

विदेशी कलाकार जेम्स बांड से गुटखे का विज्ञापन करना 'पहचान कामयाबी की' कहकर युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करना है।



‘ऊंचे लोग ऊंची पसंद’ जैसी टैग लाइन छलावा है



मसालों गुटखों की बहार ,ये जानते हुए भी कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विज्ञापनों की माया से बिक रहे हैं सरकार को बैन लगाकर कड़ा कदम उठाना होगा



अश्लील विज्ञापनों पर बैन लगाने से बेहतर है सरकार विज्ञापनों को सेंसर बोर्ड पास ही ना करें

प्रस्तावना

प्रारंभ में विज्ञापन सूचना देने वाले हुआ करते थे। लेकिन संचार मीडिया के बढ़ते क्षेत्रफल में यह अवधारणा अब पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। आज के विज्ञापन व्यापार का अभिन्न अंग है, 'जो दिखता है वही बिकता है' के तर्ज पर चल रहा है। माँग और आपूर्ति के समीकरणों के परे अब माँग पैदा करना उसका उद्देश्य है। विज्ञापन का कार्य उत्पाद विशेष के लिए बाजार तैयार करना है। विज्ञापन के महत्व को इस ऐतिहासिक सत्य से समझा जा सकता है कि- "महात्मा गाँधी की हत्या की खबर को "दी हिन्दू" समाचार पत्र में अंदर के पृष्ठ पर प्रकाशित किया, कारण उसके मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा था।" पेज 34}1

आज का आधुनिक युग तो विज्ञापन का युग है। आज विज्ञापन हमारी जीवन-शैली तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए विज्ञापन किसी भी तरह की सही-गलत अपील को अपना रहे हैं "स्त्री/पुरुष सम्बन्धी अपील का प्रयोग स्त्री, पुरुष के सौंदर्य को निखारने और उन्हें परफेक्ट मैन और वीमेन बनाने के रूप में की जाती है, (और उपभोक्ता इसके बहकावे में तुरंत आ जाता है) ...साहसिक अपील में का कल्पना का एक साहसिक संसार रचा जाता है कि इसके बाद आपकी जिन्दगी बदल जाएगी। कोल्डड्रिंक के विज्ञापन ऐसे ही होते हैं। ...रोमांस अपील विपरीत सेक्स को प्रभावित करने के लिए होता है विज्ञापनों का 50% हिस्सा इसी अपील पर आधारित है।" 215} 2 और आम उपभोक्ता इन अपीलों के चंगुल में फँस जाता है लेकिन बुद्धिजीवियों की आलोचना से विज्ञापनकर्ता बच नहीं पाते। उन पर सामाजिक पतन के आरोप भी लगते रहते हैं, साथ ही यह भी कटु सत्य है कि विज्ञापन उभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति के अंदर भोग की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। "विज्ञापनों का प्रभाव न सिर्फ हमारे रहन सहन रीति-रिवाज पर पड़ता है अपितु ये हमारे

सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव के कारक भी होते हैं, जैसा कि कहा जाता है, कि विज्ञापन समाज का दर्पण होता है इससे हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत और मूल्य का भी प्रदर्शन होता है। ...विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज को जड़ मन से तोड़ना। ...इतना जरूर है कि यह मनुष्य अथवा समाज की संरचना और संस्कृति में बदलाव नहीं कर सकते तो इसमें परिवर्तन तो जरूर ला सकते हैं" {102}3 जैसे कि हमने कहा कि आधुनिक युग विज्ञापन का युग है, समस्त उद्योग, धंधे एवं व्यापार विज्ञापनों पर निर्भर है। अब तक सूचना प्रेषित करने वाले तथा जानकारी देने वाले विज्ञापन, आधुनिक औद्योगिक जगत के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विस्तृत फलक पर कार्य कर रहे हैं। आज विज्ञापन की परिभाषा में हम उन सभी साधनों का समावेश करते हैं जिनके द्वारा विक्रेता एवं उपभोगकर्ता को नवीन वस्तुओं की उत्पत्ति गुण एवं मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा उपभोक्ता भी मिले इसका भी विश्वास विज्ञापन दिलाता है संक्षेप में किसी वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता का जनता के ऊपर प्रभाव डालने से संबंध रखती है। आज उत्पादक उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेकर अपने उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं का निर्माण करता है "विज्ञापन उद्योग आज मीडिया उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है विज्ञापन उद्योग में किस तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस विज्ञापन जगत का आकार वर्ष 2006 के अंत 1925 करोड़ रुपये था वह 14 मार्च 2007 तक पहुँचते - पहुँचते 16300 करोड़ हो गया था। (आज 2018 चल रहा है) यह 10 गुना बढ़ा है"। {पेज 16} विज्ञापन आज जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इसलिए इसके विविध पक्षों पर विमर्श करना अनिवार्य हो गया है। यह जानना जरूरी हो गया है कि विज्ञापन की दिशा किस ओर जा रही है, उसे कैसा होना चाहिये, मानव समाज के विकास में ये किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना होगा। विज्ञापन जगत को इससे नई दिशा-दृष्टि में लाभ मिलेगा इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु व्यावसायिकता की इस दौड़ में सामाजिक उत्तरदायित्वों को विज्ञापनकर्ता नज़रंदाज़ कर देता है। स्पर्धा-प्रतिस्पर्धा के रणक्षेत्र में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के लिए ही सामान रूप से महत्वपूर्ण हो चुके हैं। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक उत्पादक कर रहे हैं। ऐसे में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए, वस्तु के प्रति विश्वसनीयता पैदा करने के लिए और उपभोक्ता को वस्तु को खरीदने के लिए विवश करने के लिए विज्ञापन जी-जान लगा देता है। इसी संघर्ष में एक मीडिया जनित नवीन संस्कृति ने जन्म लिया है जो लोकप्रिय संस्कृति (पॉपुलर कल्चर) के नाम से जानी जाती है। मीडिया जनित "उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास से, इस मेल जोल की संस्कृति से एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे हम मीडिया संस्कृति अथवा पापुलर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इस संस्कृति के उदय का कारण आधुनिक जन संचार माध्यम है विज्ञापन जिसका एक हिस्सा ही है"। {104}5 यह संस्कृति बचत करना नहीं खर्च सिखाती जैसे अभी हाल ही में "पिज़्ज़ाहट" एक विज्ञापन में पिज़्ज़ा खाने के लिए दो युवा म्यूच्युअल फंड को तोड़ कर पिज़्ज़ा खरीदने की बात कर रहे हैं। इसलिये देखा जाये तो "फैंटेसी के प्लेग ने सभी को चिंतित कर दिया पुराने मूल्यों मान्यताओं नीतियों और जीवन शैली के मानक धड़ाधड़ टूट रहे हैं बाज़ार का आकार कई गुना बढ़ा है

वन के जो मूल्य बुरे माने जाते हैं, विज्ञापन में ध्यानाकर्षण और प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। उन ईर्ष्या या डाह को जीवन में बुरा माना जाता है लेकिन विज्ञापन में ईर्ष्या के बिना तैयार नहीं कर सकते" पृष्ठ 716 (जैसे एक टीवी का बहुत पुराना विज्ञापन जिसमें कहा जाता था neighbor envy owners pride)

विज्ञापन के मूल में आर्थिक उद्देश्य निहित हैं यानी विज्ञापन को व्यावसायीकरण से अलग नहीं किया जा सकता। संचार माध्यमों के विस्तार ने विज्ञापनों की पहुँच को और भी बढ़ाया, और विज्ञापन समाज और संस्कृति से प्रभावित होते गये प्रभावित करते गये। लेकिन विज्ञापनों की भोग-संस्कृति को बढ़ावा देनेवाली, तथा पूंजीवादियों के लाभ कमाने का अस्त्र, साथ ही यथार्थ विमुख मानकर इसकी निंदा भी की गयी। कहा गया कि "विज्ञापन में व्यक्त सौन्दर्य या सुन्दरता वस्तुतः यथार्थ से पलायन है। उसके तृप्तिदायक चित्र एक औषधि की तरह होते हैं। विज्ञापन का समाज अभिजात्यों का समाज है जिसमें भावुकता और मिथ्या भावमयता का बोलबाला है। यह पूंजीवादी बाज़ार और व्यवस्था से उपजे अंतर्विरोधों और तनावों से ध्यान हटाने का आज सबसे प्रभावी पूंजीवादी कलारूप है"। {पृ...-281}

विज्ञापन की परिभाषा

"विज्ञापन व्यापारिक अभिव्यक्ति का आधार होता है जो कि उत्पादित वस्तु अथवा विषय को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है एक प्रभावी विज्ञापन अपने सकारात्मक योगदान के रूप में बेचने वाले तथा खरीदने वाले दोनों को ही आर्थिक लाभ पहुँचाने में सक्षम होता है। विज्ञापन एक सम्प्रेषण का शक्तिशाली माध्यम है जिसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा कार्य करने के उद्देश्य से किया जाता है यदि आप समाज के बहुत बड़े वर्ग से कुछ करवाना चाहते हैं तो विज्ञापन व्यक्तियों को निरंतर अपने उद्देश्यों के अनुरूप मानने की एक कला है... (विलियम एम्. वेलकर 1974 एडवर्टाइजिंग द्विती संस्करण मेकिमलन पब्लिशिंग कम्पनी न्यूयार्क) ...विज्ञापन सूचनाये प्रचारित करने का वह साधन है जो किसी व्यापारिक केंद्र अथवा संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त कर हस्ताक्षरित होती है और इस सम्भावना को विकसित करने की इच्छा रखता है कि जिनके पास यह सूचना पहुंचेगी वे विज्ञापनदाता की इच्छानुसार सोचेंगे अथवा व्यवहार करेंगे।" {पृष्ठ 9,10 11} 8 इसलिए विज्ञापन आधुनिक जीवन का हृदय माना जाता है, जिसके बिना व्यावसायी व उपभोक्ता दोनों की उन्नति संभव नहीं। विज्ञापन उत्पादक अथवा निर्माता को लाभ पहुंचता है, उपभोक्ता को शिक्षित करता है, विक्रेता को सहायता देता है, व्यापारियों व उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और सबसे महत्वपूर्ण वह उत्पादन और उपभोक्ता के बीच सम्प्रेषण का काम करता है। "विज्ञापन ने हमें पुरातन और पारम्परिक सामाजिक जीवन शैली से निकल कर आधुनिक और स्वस्थ बनाया, (बहुत सुख सुविधाओं से सम्पन्न बनाने में विज्ञापन की अभूतपूर्व भूमिका है ए.सी. फैन, प्रेशरकूकर, म्यूजिक सिस्टम, आदि हमने विज्ञापन देखने बाद खरीदी जबकि पहले ये सब उच्च वर्ग तक सीमित था क्योंकि हमें जानकारी भी नहीं थी-----सिर से लेकर पाँव तक के पहनावे अब विज्ञापन तय करने लगे हैं। हर चीज़ जो बाज़ार में विज्ञापन के रूप में बिकाऊ हो वह आधुनिक

और नवीन कहलाएगी विज्ञापन मनुष्य की इसी मनोवृत्ति का फायदा उठाकर अपनी चीजों को बेचते हैं और बिकी हुई इसी नवीन संस्कृति का नाम है ग्लोबल संस्कृति [पृष्ठ 102, 106] 9 आजकल विज्ञापन उपभोक्ता को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे विज्ञापनों से वस्तुओं की गुणवत्ता का अंदाज़ा ना लगाये साथ ही भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से सावधान रहे। “विज्ञापन के प्रभाववश हमें मीडिया जनित चीजें, बातें, मिथ, नायक, नायिका, राजनेता, विचारधारा आकर्षित करते हैं वे हमें डिस्टर्ब नहीं करते इस प्रक्रिया में नये संस्कार और आदतें बनती हैं” {पृष्ठ 8} 10 “आदत को बदलना विज्ञापन का काम है लोगों को नए से नए आईडिया देना ...आज नकद कल उधार की पूरी अवधारणा को ही बदलते हुए यह अवधारणा विकसित कर दी कि आज खरीदों खाओ पियो मौज करो और कल भरो .. {क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन” {पृष्ठ 88} 11 विज्ञापन वस्तु या सेवा की माँग उत्पन्न करने की कला है, एक प्रकार की व्यापारिक शक्ति है “यह फैंटेसी की महामारी का युग है। इस युग में सत्य सबसे दुर्लभ चीज है इन दिनों बाज़ार में जीवन में विज्ञापन में मीडिया, राजनीति जीवन शैली आदि सभी क्षेत्रों में सत्य दुर्लभ हो गया है। सत्य को दुर्लभ बनाने में मासकलचर मीडिया की केन्द्रीय भूमिका है। जीवन मूल्य की दृष्टि से लालच बुरी चीज़ है लेकिन विज्ञापन में वस्तुओं के प्रति लालच पैदा करना अच्छी चीज़ माना जाता है वस्तुओं की लालच ही है जो बाज़ार को चंगा रखती है और घरों में वस्तुओं का ढेर लगा देती हैं। ---झूठ की नींव पर विज्ञापन खड़ा किया जाता है” {पृष्ठ 8-9} 12

विज्ञापनों के कार्य

विज्ञापन का प्रमुख कार्य वस्तुओं के विषय में सामान्य जनता को जानकारी देना होता है। जानकारी के बाद ही उपभोक्ता में उसे खरीदने की इच्छा जागृत होती है, तभी विक्रय की सम्भावना बड़ती है। माँग उत्पन्न होती है, जो विज्ञापन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। जब उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तु का बार-बार विज्ञापन एवं प्रचार किया जाता है, बाज़ार में वस्तु की माँग तभी पैदा होती है, और जनता में उसे क्रय करने की इच्छा जागृत होती है फलस्वरूप उसकी माँग बढ़ती है। माँग में वृद्धि के साथ-साथ नए-नए ग्राहकों को उत्पन्न करना व वस्तु की माँग में वृद्धि करना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। उत्पाद की प्रसिद्धि में वृद्धि करना, व्यवसाय में वृद्धि करना है उत्पादन करने वाली कंपनी के प्रति जनता में विश्वास जागृत होता है। ताकि बाज़ार में माँग स्थिर बनी रहे। उत्पाद की वैकल्पिक वस्तुओं के उपयोग के प्रति हतोत्साहित करना भी विज्ञापन का कार्य होता है विज्ञापन की मूल प्रकृति और स्वरूप के विषय में संजय बघेल लिखते हैं- विज्ञापन का मूल उद्देश्य है, बेचना ...इसके लिए कई प्रकार के उत्तेजक और उत्प्रेरक अवयवों का सहारा लिया जाता है। इनमें सर्वाधिक सफल अवयव मन जाता है सेक्स और रोमांस ...विज्ञापन में लड़की को मनुष्य (आदमी) की इच्छा पूरी करने वाली एक उत्पाद के रूप में दिखाया जाता है ...विज्ञापन सपने और उम्मीदों को बेचकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है उनका कहना है की वह ग्राहकों को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ वह ब्रांड से जुड़कर रोमांचित अनुभव करता है अपने आपको उसका हिस्सा मानता है, ...फ्रांक जेटकिंस= विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता

है की हमें क्या बेचना है अथवा हम क्या खरीदना चाहते हैं।...उपभोक्ता में रुचि पैदा हो जाती है वह उसे पाना चाहता है रुचि को चाहत की ओर ढकेलना {पृ 65 } {70} {74} {77} {84}.13..

उपर्युक्त कार्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रभावशाली होना अनिवार्य है, इसके लिए विज्ञापनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके उत्पाद का संभावित ग्राहक कौन है, उनकी शिक्षा, सामाजिक स्तर, आय के साधन, सामाजिक रीति-रिवाज आदि को भी ध्यान में रखना होगा उनके भीतर रुचि कैसे उत्पन्न की जा सके अर्थात् संभावित ग्राहकों की रुचि को दृष्टिगत रखकर विज्ञापन का प्रारूप तैयार करना चाहिए। उपभोक्ता को इस बात का एहसास जगाना चाहिये कि उस वस्तु को खरीद कर समाज में उसका रुतबा बन रहा है (आज रवि किशन पान मसाला(गुटखा) के विज्ञापन में कहता है कि अपना रुआब बदलो) विज्ञापन को प्रभावकारी बनाने के लिए उसमें वस्तु की नवीनता का प्रदर्शित किया जाता है, उसमें नए परिवर्तन के साथ नये सुधार दिखाए जाए जैसे साल में एक दो बार उत्पाद में कुछ नई तकनीक, डिजाइन या रंग के साथ या तो कुछ उपहार लाटरी आदि के साथ नया प्रस्तुतीकरण हो ताकि उपभोक्ता नवीनता के रोमांच में या लालच में उस वस्तु को खरीदे ही खरीदे। इसके लिए विज्ञापन में कई गुणों का एक साथ होना अनिवार्य है "जहाँ वाणिज्य और व्यवसाय के माध्यम से उपभोक्ता की मनःस्थिति और उसके वर्ग का निर्धारण किया जाता है वही प्रबंधन के माध्यम से वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था की जाती है डिजाइन की भूमिका विज्ञापन को आकर्षक एवं लुभावना बनाने में निहित है जबकि पत्रकारिता और साहित्य अपनी रचनात्मकता एवं सूचना देने की अपूर्व कला के माध्यम से आम उपभोक्ता तक अपनी पहुँच बनाने में है" {पृ. 21 }

विज्ञापन का वास्तविक कार्य जनता को जागरूक करना होता है उन्हें सचेत करना होता है। वस्तुतः सभी विज्ञापन उत्पाद बिक्री के लिए नहीं बनाये जाते, सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जनहित में जारी विज्ञापनों का मकसद ही होता है जनता को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने वाले विज्ञापन इस क्षेत्र के दिलचस्प उदाहरण हैं। इन विज्ञापनों में आम नागरिकों को हलके-फुल्के तरीके से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताते हैं। धूमपान, नशा, परिवार कल्याण तथा जनसँख्या नियंत्रण को लेकर बनाये गए विज्ञापनों ने समाज को जागरूक करने के अच्छे प्रयास किये हैं जो समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ये विज्ञापन हमें सूचना प्रदान करने के साथ साथ जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात् विज्ञापनों का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः इनका प्रयोग निजी लाभ के बजाय समाज की भलाई किया है और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा विषय टीवी-विज्ञापन है, जिसमें लम्बे समय से चली आ रही परम्परागत रुढ़िवादी अवधारणा को तोड़कर एक विकसित समाज के निर्माण का प्रयास किया गया है। ऐसे ही कुछ विज्ञापनों के निर्माण में निहित कारण और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण करना है।

विज्ञापन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व

भारतीय समाज और संस्कृति और विज्ञापन- विज्ञापन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। विज्ञापन को देखकर, उसके जाल में फँसकर अपनी रुचि बनाना, सामान खरीदना अब आम बात है जबकि अधिकतर विज्ञापन भ्रामक होते हैं, सामाजिक यथार्थ से कोसों दूर, जो हमें संवेदना के धरातल पर कमजोर करते हैं। उपभोक्ता की बुद्धिमत्ता को विज्ञापनों ने ठूँठ कर दिया। इसका सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि हम हमारी ही संस्कृति को हीन मानने लगे हैं। जलेबी, लड्डू, मोहन थाल, मालपुआ, चमचम, सन्देश, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, कृष्ण भोग, बर्फी, कलाकंद जैसी अनगिनत मिठाईयों की जगह "कुछ मीठा हो जाये" एकमात्र चाकलेट ने ले ली। आज का बच्चा इन मिठाईयों के नाम तक नहीं जानता स्वाद तो दूर की बात है। स्वदेशी उत्पाद भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। (बाबा रामदेव के पतंजलि के उत्पाद)

समाज व संस्कृति को दरकिनार करते हुए कुछ मिथ्या व्यावसायिक विज्ञापन आर्थिक लाभ को केंद्र में रखकर तैयार किये जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों का सामाजिक सरोकार लगभग न के बराबर होता है यहाँ पर व्यावसायिकता के दौर में सामाजिक दायित्व कहीं न कहीं पीछे छूटते नज़र आते हैं। "नैतिकता का सीधा सम्बन्ध अच्छे और बुरे की अवधारणा सही से जुड़ा है। इसके माध्यम से यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, कि क्या सही है क्या गलत। सही और गलत का निर्धारण समय और स्थान के अनुसार किया जाता है। इस सिद्धांत का निर्धारण कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं अपितु एक समूचे समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है। विज्ञापन का नैतिकता का प्रश्न सीधे सीधे किसी देश के सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन और वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा होता है विज्ञापनदाता उपभोक्ता को रिझाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता ... कई बार विज्ञापन अतिरंजित, मिथ्या, पूर्ण और अवसरवादी दिखाई देने लगते हैं। 107-108। भूमंडलीकरण के युग में टेलीविजन के साथ साथ अन्य संचार माध्यमों से समाज में भारतीय संस्कृति को विकृति करने वाले विज्ञापन खूब प्रसारित हो रहे हैं ऐसे अनेक विज्ञापन दिखाये जाते हैं जो उपभोक्ता को जोश से भर कर उनके तर्क तथा विवेक की सीमाएँ तोड़कर उन्हें सामाजिक हानि पहुँचाने वाले रास्तों की ओर ठेलते हैं। कम्पनियों के व्यापार तथा मुनाफों की खातिर उपभोक्ता को दिग्भ्रमित करते हैं। जो कि दीर्घकालीन दृष्टि से एक स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा का परिचायक नहीं है, बल्कि समाज विरोधी है। विज्ञापन बनाने के लिए देश में "एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इण्डिया या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् का अस्तित्व है इसकी विज्ञापन संहिता बहुत व्यापक तथा स्पष्ट है फिर भी इस संहिता का उल्लंघन हो रहा है उपभोक्ता परिषदें भी उपभोक्ताओं के हित में सक्रिय हैं फिर भी समाज विरोधी तथा खतरनाक विज्ञापनों की टीवी पर भरमार है देश की विज्ञापन एजेंसियाँ आज निरंकुश होकर सामाजिक दायित्व की अपेक्षा करने लगी हैं इस विकृति को रोका जाना अति आवश्यक है। बी.बी.डी.ओ. विज्ञापन एजेंसी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सृजनात्मक निदेशक जोजी पॉल विज्ञापन को मात्र ब्रांड या उत्पाद बेचने वाला नहीं मानते। उनके अनुसार "एक विचार, संकल्पना,

उसके व और समग्र मानवीय दर्शन को बढ़ावा देना भी विज्ञापन का काम है। इस प्रकार विज्ञापन एक आर्थिक प्रक्रिया न रहकर सामाजिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण हो जाता है" (पृ.256)

विज्ञापन अलिक पद्मसी का कहना है की भारतीय उपभोक्ता वर्ग विवेक से कम भावना से ज्यादा विज्ञापन भी उत्पाद से जुड़ता है इसलिये भारतीय विज्ञापन एजेंसियां अपने विज्ञापनों में किसी न किसी प्रकार से भावात्मक तत्व को जरूर डालना चाहते हैं। 224) 17 90 के दशक में सफोला का एक विज्ञापन आता था। इसमें एक छोटा सा बच्चा किसी बात पर जब घर छोड़कर जा रहा होता है तो उसे उसके रामू काका जलेबी का लालच देकर रोक लेते हैं। यह विज्ञापन आज भी हमारी स्मृति छाया हुआ है। सफोला ने शायद, इसी कारण घरों में जगह बना ली। "दूसरी ओर नैतिकता की आज के विज्ञापनों ने चिंदी चिंदी कर दी है विज्ञापन के प्रारम्भिक दौर में स्वयं हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के लोग (लिरिल साबुन का विज्ञापन) इस विज्ञापन के विरोध में थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक लड़की झरने के नीचे बिकनी में नहते हुए दिखाया जाये भारत जैसे परम्परागत समाज के लोगों को इस प्रकार की काल्पनिकता भरे विज्ञापन स्वीकार करना मुश्किल था लेकिन जैसे ही विज्ञापन को टीवी के परदे पर लाया गया, ओड़ी हुई सारी सामाजिकता और नैतिकता के बंधनों को तोड़ते हुए यह विज्ञापन लोगों की ज़बान पर चढ़ गया।" पेज 35) आज अश्लील विज्ञापनों का अनिवार्य गुण बन गया है "इस तरह के अश्लील विज्ञापनों से जनता का नैतिक पतन होता है और आजकल नग्न एवं अर्द्धनग्न स्त्रियों के चित्र विज्ञापन हेतु प्रदर्शित करना एक सामान्य बात हो गई है अतः इसका प्रभाव जनता पर अच्छा नहीं पड़ता। लिरिल साबुन के विज्ञापन के माध्यम से सेक्सुअल और अपील को पैदा किया गया था इससे क्या लगता है ...यह विज्ञापन युवाओं और एम उपभोक्ताओं के मन में एक ऐसी जिज्ञासा जगाता है जिसमें वे अपना प्रतिबिम्ब देखने लगता है" जिस देश में एक बाल्टी पानी सही ढंग से नसीब नहीं होता वह झरने की कल्पना ही बेवकूफी है" - (पद्मिनी) 233) 19

संस्कृति हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति, उपभोग की वस्तुओं के विषय में लोगों की पसंद, शैली, रहन सहन, खान पान, पहचान आदि से जुड़ी होती है और जीवन शैली को एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न बना सकती है। टेलीविजन की बात करें तो उसके दर्शक ज्यादातर वे लोग होते हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के संचार माध्यमों के विचारों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, साथ ही उनके प्रभाव को अपने जीवन में भी उतराने का प्रयास करते हैं। किसी एक सीरियल की विभिन्न कड़ियों में किसी उपभोग वस्तु या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद को दिखाकर उसका प्रचार-प्रसार के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं जैसे कोई मुख्य कलाकार एक विशेष ब्रांड का ड्रिक्स पीता है या किसी विशेष माडल की गाड़ी में बैठता अथवा फिर एक विशेष कंपनी का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रयोग करता है तो प्रत्यक्ष ही उस उत्पाद विशेष का प्रचार होता है। ऐसे दृश्यों के लिए कंपनियां, बहुत अधिक पैसे खर्च करती हैं और चूंकि टीवी द्वारा उत्पन्न की गई झूठ आवश्यकताओं को वह अपने लिए प्राथमिक आवश्यकताएं समझता है इस लिए उपभोग की

संस्कृति में ग्रस्त हो जाता है। "सामाजिक सरोकारों की लड़ाई करने वालों का तब तक कहना है कि आज टी.आर. पी. के खेल में मीडिया नग्नता कामुकता बाजारवाद और उपभोक्तावाद का मुख्य स्रोत बन गया है जिससे दिनोंदिन हमारी संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश होता जरूर है।....यहाँ लाभ-लोभ की संस्कृति काम कर रही है ना कि सामाजिक सुरक्षा और उसके उत्थान की।" 240} 20 विज्ञापन के कारण कई उपभोक्ता उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जो कि उनके लिए आवश्यक नहीं होती हैं इस प्रकार उनका सीमित धन अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च हो जाता है ऐसा करने से धन का अपव्यय होता है। बचत जैसी संकल्पना को विज्ञापन हतोत्साहित करते हैं।

समाज में विज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभाव

टेलीवीजन पर आने वाले आजकल के विज्ञापनों में उत्पाद की जानकारी देने के अलावा बाकी सब कुछ बताया जाता है। फिर चाहे वो किसी महिला के नंगे बदन की नुमाइश हो, किसी कंडोम के विज्ञापन में अलग अलग फ्लेवर का बिम्ब प्रस्तुत करना हो। और तो और, उनके ब्रांड विशेष के उत्पाद को इस्तेमाल न करने वाले को पिछड़ा बताया जाता है। कई बार तो विज्ञापन के माध्यम में उन्हें बरगलाया या उकसाया तक जाता है। एक परफ्यूम के विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कैसे एक नवविवाहिता किसी खास परफ्यूम से कुछ यूँ मदहोश हो जाती है कि घर बार की सभी मर्यादाओं को लाँघकर उसके पास कामेच्छा हेतु दौड़ पड़ती है। जो किसी भी शादीशुदा महिला के चरित्र का प्रश्नचिन्ह लगाती है, हालाँकि विज्ञापन कह रहा है कि नैतिकता के मानदंड तोड़ने में कोई बुराई नहीं। एक अन्य परफ्यूम के विज्ञापन को देखे जिसमें माँ अपनी बेटी के दोस्त पर आकर्षित हो जाता है उसपर कहती है कि मुझे आँटी नहीं मेरे नाम से पुकारो और यह कहने में उसका हाव-भाव उसकी लालसा को बता रहा है कि वो अपने से आधी से ज्यादा उम्र के लड़के वो भी उसकी बेटी का खास दोस्त, पर मोहित हो चुकी है। 'मीनाक्षी, मीनाक्षी कहो मुझे' रिश्तों की गरिमा का गला घोटकर जाने क्या स्थापित किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी इस तरह के विज्ञापनों से जो यह बता रही है कि सुगंध किसी भी रिश्ते की मर्यादा को तोड़ सकती है और वह गलत नहीं है। यह एक असामाजिक विज्ञापन है यद्यपि इसमें भौतिक अश्लीलता नहीं लेकिन फिर भी समाज की मर्यादाओं के खिलाफ है। यह संस्कारों को ताक पर रखते हुए माँ के द्वारा ही संस्कारों को विश्रुंखलित होते दिखाया गया है। सुगंध ने तमाम नैतिक सामाजिक रीति रिवाज आदि को हवा में उड़ा दे रहे हैं। वास्तव में "सेक्स अपील" सबसे सफल और प्रभावी अपील में मानी जाती है यह लोगो के अवचेतन और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई जिज्ञासाओं को जगाने में सबसे कामयाब अपील होती है। इस अपील का सबसे बड़ा उपभोक्ता युवा वर्ग होता है जो विश्व बाज़ार का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी होता है" पृ. 214} 21. इसी तरह अगर आपके टूथपेस्ट में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप का बेकार ही ब्रश करते हो, ऐसा जताया जाता है। इसी तरह "अपना लक पहन कर चलो" कहकर एक बनियान के विज्ञापन में यह प्रमाणित करने का प्रयास है कि बनियान नहीं आपकी किस्मत है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम यानी खुद अपनी किस्मत चमकाने के लिए इतना बड़ा अभिनेता जो अब फ्लॉप हो रहा है ऐसे विज्ञापनों का सहारा ले रहा है। वो आपकी किस्मत कैसे चमकाएगा। मगर

इसे विज्ञापन आपको भ्रमित कर अन्धविश्वासी बना रहे हैं जैसे एक साबुन के विज्ञापन में बच्चे से यह कहा जाता कि "आपका चेहरा मेरे लिए लकी है"। आज अगर हम देखें तो विज्ञापनों में नैतिकता पुरुषों, महिलाओं, बच्चे बूढ़े हरके के उत्पाद के विज्ञापनों में ध्वस्त हो रही है। खाने-पीने से लेकर मोबाइल, बाइक, कपडा कार बैंक आदि कही भी नज़र डाले वहां हमें पुरुष से ज्यादा 'महिला-मॉडल' कामुक परोसती नजर आयेंगी पता नहीं क्यों बगैर (सेक्सी) लडकी को दिखाए विज्ञापन पूरा ही नहीं होता है। "विज्ञापन... का शायद ही कोई सेगमेंट रहा हो जहन सेक्स के माध्यम से उसे बेचने की कोशिश की गई हो।... इस तरह के विज्ञापन ... सामाजिक और नैतिक पतन के रूप में व्याख्यित किया जाता है तो कभी यह कहकर उसकी आलोचना की जाती है कि समाज में जो दुराचार छेड़छाड़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं उसके लिए इस प्रकार के विज्ञापन जिम्मेदार हैं" (234-239), 22

विज्ञापन की प्रभावशाली प्रस्तुति समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को उनके नकारात्मक परिणाम के साथ समाज में सजगता बनाये रख सकती है मगर आर्थिक लाभ के लोभ में वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। मैगी पिज़्ज़ा कोका कोला आदि जंक फूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति की देन हैं इनका प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य पतन की ओर जा रहे हैं। लुभावने विज्ञापनों के मायाजाल, फ्री उपहार, एक के साथ एक फ्री जैसे झंझो में समाज का हर आयु वर्ग का व्यक्ति आसानी से इसमें फंस कर नये नये रोगों को मोल ले रहा है। और लोभ का कारोबार खूब फल-फूल रहा है भारत में विदेशी कंपनियों के समान थोक के भाव आ रहे हैं। स्वदेशी वस्तुएं पिछड़ती जा रही हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध में भारतीयता विलीन होती जा रही है रोजमर्रा की मामूली चीज़ों, दलीया उपमा, इडली सब कुछ रेडीमेड हो गया है हमारे खान-पान पर अब विदेशो का आधिपत्य हो गया है। हम अंग्रेजी मानसिकता के वशीभूत होकर मैगी पास्ता पिज़्ज़ा को अपना कर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, और सोचते हैं कि विदेशियों की तरह। हम अपने ही देश में विदेशी होते जा रहे हैं। अपने समाज को हेय तुच्छ मानकर उन विचारों को, दर्शन को भूलते जा रहे हैं। आज सेक्स अपील से भरपूर विज्ञापनों ने बच्चों के विकास की रूपरेखा नकारात्मक ढंग से बदल दी है। उसे खाने से लेकर खेलने तक, सब में बदलाव आ रहा है उनकी जिंदगी उन तमाम भौतिक वस्तुओं से घिर गयी है, जिन्हें विज्ञापनों ने उनकी अनिवार्य जरूरत बना दिया है, वे उन वस्तुओं के आदी हो रहे हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक परिणाम पड़ रहा है, ध्वंसात्मक वीडियो गेम्स, जंक फूड के साथ उटपटांग फ्री के खिलौने जिनके जरिये बच्चों के जीवन मूल्यों को ही बदल कर रख दिया है। इसी का नतीजा है कि बच्चों के स्वभाव में ज़रूरत से ज्यादा उग्रता जिद्दीपन आ गया है उन्हें इस बात की समझ नहीं विकसित हो रही कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी। छोटे बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करना उन्हें अपने उत्पाद के लिए ललचाना, जाल में फंसाना बहुत ही अनैतिक है। एक विज्ञापन आपको दो मिनट में खुशियों का वादा करता है, माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार दुलार से मैगी बनाकर खिला रही है, जबकि वो किसी भी भारतीय स्नेक्स से ज्यादा अस्वस्थकर है लेकिन मैगी ने सम्पूर्ण भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं कारगिल में बैठे सैनिकों के लिए भी वरदान की तरह दिखाई जाती है

मातृभक्ति से लेकर देशभक्ति जैसी भावनाओं का शोषण किया जा रहा है जोकि विडंबना पूर्ण है। इसकी गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगने के बाद भी विज्ञापन के तिलिस्म से कोई नहीं बच पाया है

हृद तो तब हो जाती है जब एक बच्चा कार्टून देख रहा है और वहां पर उसे सैनेटरी नैपकीन या कंडोम का विज्ञापन देखना पड़ता है उसका बचपन छीना जा रहा है समय से पहले उसे बड़ा बनाकर मानो उसे अपने उत्पाद के प्रयोग के लिए जिज्ञासु बनाकर खरीदने और उपयोग करने को विवश किया जा रहा है। बच्चे की खेलने कूदने की उम्र में बड़ों के उपयोग की चीज़ का विज्ञापन दिखाकर यह कम्पनियाँ सिर्फ अपना लाभ देख रही हैं उन्हें समाज की नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं। बच्चों के खिलौनों ने भी विज्ञापनों ने भेदभाव पैदा किया जैसे अमेरिका की बार्बी डॉल और भारत की गुड़िया। भारत में लोग सर्दियों में भी कपड़ों के अभाव में नंगे बदन घूमते हैं वहीं इन बार्बी डॉल के डिज़ाइनर कपड़े हेयर स्टाइल खेल भावना और बचपन को पीछे छोड़कर दिखावे और बनावटी दुनिया को बढ़ावा देती है। ये विज्ञापन हमारी छिपी हुई अतृप्त इच्छाओं को भड़काते हैं हमारे धैर्य और विवेक को कुचलने में माहिर होते हैं।

हम सिनेमाहाल में जो विज्ञापन देखते हैं वे सभी सेंसर से पास होकर काट छंट के साथ ही प्रसारित हो सकते हैं। लेकिन घर-घर में आने वाले विज्ञापनों पर सेंसर की कोई नज़र नहीं जाती यह आश्चर्यजनक है। यदि किसी विज्ञापन पर उसके अश्लीलता की वजह से प्रतिबन्ध लगता भी है तो वो भी किसी जनता की शिकायत के बाद लगाए गये हैं जब कोई जागरूक दर्शक या स्वयंसेवी संस्था शिकायत दर्ज करवाती है तब जाकर उसका प्रसारण बंद किया जाता है। एक समय पर मार्क रॉबिंसन और पूजा बेदी के एक विज्ञापन पर उसकी अश्लीलता को लेकर, काफी शोरशराबा हुआ था, पेप्सी के विज्ञापन में एक नाबालिग बच्चे को कोल्ड ड्रिंक की ट्रे को खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड में ले जाते हुए दिखाया गया था। बाद में ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि इससे बालश्रम को बढ़ावा मिलता है। नतीजन बोर्ड को यह विज्ञापन प्रतिबंधित करना पड़ा। इसी तरह मिलिंद सोमण और मधु सप्रे ने एक 'शू कंपनी' का विज्ञापन किया जो उनकी नग्नतावस्था के लिए चर्चा में रहा जिस पर खूब बहस, वाद विवाद हुए तब इस पर बैन लगया गया, लेकिन तब तक वो इतना चर्चित हो चुका था कि बैन के कोई मायने नहीं रह गये थे। लेकिन आज भी ऐसे सैकड़ों विज्ञापन हिंसा और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं और सेंसर बोर्ड सुप्तावस्था में है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापनों ने व (फिल्मों ने भी) हमारे समाज के लगभग हर वर्ग का एक टेस्ट कुरुचि विकसित कर दी जो बाज़ार के मनमुताबिक थी उन्हें जो सामन बेचना था वो तो बेचा ही लेकिन उन विज्ञापनों के साइड इफेक्ट के रूप में मानसिक कुरूपता को बढ़ावा मिला इसे हर सिरे से नज़रंदाज़ किया गया जिसके दुष्परिणाम अब नज़र आ रहे हैं। आजकल सभी न्यूज़ चैनलों पर हर ब्रेक में सनी लियोनी का कंडोम का एक विज्ञापन आता है, जिसमें एक गाना चलता है "मन क्यों बहका रे बहका आधी रात में " या अभी ना जाओ छोड़कर कि दल अभी भरा नहीं" और वह अश्लील ढंग से कपड़े उतरती है, और पलंग पर लेट जाती है, यह विज्ञापन परिवार व बच्चों के बीच बैठे एक सभ्य परिवार के के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। आखिर क्यों हमें परिवार के बीच में बैठ कर पोर्न देखने को

मजदूरी किया जा रहा है? क्या हम किसी भी वस्तु के प्रचार को सभ्य ढंग से नहीं दिखा सकते? क्या हर सामान को बेचने के लिए (चाहे वह एक पानी का बोतल हो या अंडरवेयर और बनियान, चाहे वह परफ्यूम हो या शेविंग ब्लेड) इनके विज्ञापनों में अधनंगी लड़कियाँ, किसिंग सीन का होना, भद्दे तरीके से लिपटा लिपटी दिखाना आवश्यक है? हम जान रहे होते हैं कि इन विज्ञापनों में, सेक्स एजुकेशन या एड्स या सावधानी जैसी तो कोई जानकारी या सूचना तो होती नहीं जैसे कि पहले के विज्ञापनों में हुआ करता था, जब डीलक्स निरोध का विज्ञापन आता था उसमें बताया जाता था कि "यौन रोग एवं एड्स की रोकथाम में लाभदायक." अभी जो एड्स आ रहे हैं इनका एड्स से कुछ लेना देना नहीं है। सेक्स एजुकेशन जैसा भी कुछ नहीं है सिर्फ अपना माल बेचना है। नंगई दिखाने के बजाय जानकारी दिखाएँ उन सेलिब्रिटीज को इस विज्ञापनों में शामिल करें जिन पर लोग भरोसा करते हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबको इस बहस का हिस्सा बनाएं। संस्कृति का ढोल पीटने से अश्लीलता का बाजार व्यापार बंद नहीं होगा और न ही एड्स और न सेक्स से जुड़ी बीमारियाँ। डॉक्टर के पास जाकर कोने में चुपके से अपनी बीमारी दिखाने से बेहतर है हम अपनी पीढ़ियों को जागरूक करें।

इसके अतिरिक्त जो भी विज्ञापन आरामदायक और विलासिता संबंधी वस्तुओं के संबंध में किये जाते हैं उसके कई सामाजिक दुष्परिणाम निकलते हैं जैसे जब भी कोई व्यक्ति को किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर किसी विशेष चीज के उपभोग का आदी हो जाता है तो उसका छूटना बहुत कठिन हो जाता है, जैसे गुटखा, शराब, पान मसाला या जंक फूड आदि। इसका एक कारगर उपाय तो यही है कि जिस प्रकार फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है उसी प्रकार से विज्ञापनों का भी सेंसर बोर्ड होना चाहिये। फिल्मों को 'ए' सर्टिफिकेट देकर एक खास वर्ग को देखने से रोका जा सकता है, लेकिन विज्ञापनों में सेंसर न होने की वजह से सभी उम्र वर्ग के लोग साथ साथ उसे देख रहे हैं ये जानते समझते हुए कि सबकी सोच, मानसिक सत्र अलग-अलग होता है, अलग-अलग प्रभावित होता है, अलग-अलग प्रतिक्रिया भी करता है। केबल और डीटीएच के इस दौर में दिन-रात विज्ञापनों से ही टीवी चैनल्स की कमाई का गन्दा धंधा समाज में अनैतिकता अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, इस बाड़ को रोक पाना असंभव लग रहा है। ऐसे में सभी तरह के अनसेंसर्ड कमर्शियल विज्ञापन दिन-रात प्रसारित होते रहते हैं।

विज्ञापनों में नारी सौन्दर्य के मिथक

"विज्ञापन बनाने वालों को इस बात का एहसास हो गया है कि विज्ञापन का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है क्योंकि वही विज्ञापन देखकर घरेलू सामान की खरीददारी करती हैं इसलिये विज्ञापन बनाने वालों ने महिलाओं का महत्व समझा पहली अमेरिकी विज्ञापन कंपनी ने सेक्स का उपयोग उत्पाद बेचने के लिए किया जो मूलतः महिलायों के लिए बनाया गया विशेष प्रकार का साबुन था। इस साबुन के विज्ञापन के नीचे लिखा था "एक ऐसी त्वचा जिसे आप बार-बार छूना चाहे" *"the skin you love to touch"* [एडवर्टाइजिंग स्लोगन वूडवरी सोप कम्पनी द स्किन यू लव टू टच-

जे. वॉल्टर थोम्पसन कम्पनी 1911 पेज 30) विज्ञापनों में महिलाओं के मुख्यतः दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो पूर्णतः पारम्परिक, सामंती मूल्यों को जारी रखने के रूप में जिसमें घर और पितृसत्तात्मक संस्कृति को बनाये रखने का भाव पूर्णरूप से दिखाई देता है, जितने भी घरेलू उत्पादों के विज्ञापन हैं उनमें महिलाओं का वही पारंपरिक सांस्कृतिक रूप ही दिखाया जाता है। ऐसे घरेलू उत्पादों के विज्ञापनों में श्रम विभाजन की रूपरेखा को पुख्ता किया जाता है और दूसरा पूर्णतः बाजारवाद जिसमें महिला का उत्तेजक व अश्लील रूप में मिलता है। एक में लिंग - भेद पर आधारित पितृसत्तात्मक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। घरेलू रोजमर्रा की चीजें जैसे-डिटर्जेंट पाउडर, मिर्च, हल्दी (मसालों) बर्तन धोने के उत्पादों आदि के विज्ञापनों में पुरुषों की उपस्थिति दर्ज होने पर उनका पुरुषत्व को केंद्र में रखा जाता है, जिसमें उनका वर्चस्व झलकता है। जबकि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में, देह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ सामंतवादी सोच जो आज भी समाज में अपनी जड़ फैलायी हुई है। अन्य घरेलू उत्पादों के विज्ञापनों में भी स्त्री की उसी छवि को दर्शाया जाता है। जैसे मसालों, डिटर्जेंट, डिशबार, बच्चों के एनर्जी ड्रिंक आदि विज्ञापनों में स्त्री को इनका उपयोग करने की प्रक्रिया में दिखाया जाता है जबकि अन्यो को उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाया जाता है। इसी प्रकार कोई भी बर्तन चमकाने वाला उत्पाद हो या टॉयलेट क्लीनर का विज्ञापन हो तो पुरुष उनमें विज्ञापनों में सेल्समैन की भूमिका में होता है। ये पूरी की पूरी सोच पुरुष के वर्चस्व की भूमिका तथा घरेलू कामकाज के लिये महिलाओं की भूमिका की स्थापना करते हैं। पुरुष का घरेलू कामों से कोई लेना-देना नहीं क्योंकि घर का मुखिया है स्त्री उसकी सहयोगी नहीं बल्कि सहायक के रूप में दिखाई जाती है जैसे कि समाज की आम धारणा है। रेखा सेठी कहती है "विज्ञापन स्त्री की जिस छवि का निर्माण करता है उसमें उसकी स्वतंत्र अस्मिता या वैयक्तिकता की पहचान नहीं होती। ये छवियाँ सामान्य, सामूहिक, वर्ग चरित्र केन्द्रित हैं जो समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप्स गढ़ती हैं"। [पृ. 256] 24. हालांकि बीच-बीच में ऐसे विज्ञापन भी आते रहे हैं जहाँ स्त्रियों की इस स्टीरियोटाइप इस छवि को तोड़ने के प्रयास हुये हैं और सफल भी हुए हैं। नब्बे का दशक की शुरुआत में 'हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा' का जिगल, जिसमें नारी के सशक्तिकरण वाला विज्ञापन भी आया। जो एक गाड़ी को कीचड़ वाले गड्ढे से निकालने में सफल होती है। उन्हें कपड़े गंदे होने की चिंता नहीं वो तो निरमा से धुलाई करती हैं। सर्फ का विज्ञापन की टैग लाइन "दाग अच्छे हैं" इसी विज्ञापन का परिष्कृत रूप है, जिसके हर विज्ञापन में इस तथ्य को बताया जाता है कि किसी भी तरह की सामाजिक भलाई करने में दाग लग भी जाए तो 'दाग अच्छे हैं' यह विज्ञापन समाज को कल्याणकारी कार्यों के लिये प्रेरित कर रहे हैं। इसी तरह कैडबरी चॉकलेट के विज्ञापन ने भी न केवल इस धारणा को ही तोड़ा कि कैडबरी सिर्फ बच्चों का ब्रांड है बल्कि साथ ही साथ एक उन्मुक्त स्त्री-छवि को भी हमारे सामने पेश किया। विज्ञापन में अपने प्रेमी खिलाड़ी द्वारा शतक पूरा करने पर लड़की स्वछंदता के साथ मैदान में उतर कर डांस करने लगती है, उसकी खुशी का इजहार उसकी उन्मुक्त छवि को हमारे सामने प्रस्तुत करता है।

हवेल्स के विज्ञापनों में 'हवा बदलेगी' और 'रेस्पेक्ट वीमेन' नाम की दोनों मुहिम इसका प्रमाण हैं कि समाज बदल रहा है हवेल्स के इन विज्ञापनों की संख्या दस से भी अधिक है। अपनी 'रेस्पेक्ट वीमेन' नाम की मुहिम में हवेल्स भारतीय समाज में औरतों को घरेलू उपकरण मात्र मानने का विरोध करते हुए हमारे सामने आधुनिक औरत की सशक्त छवि को पेश करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में सभी घरेलू काम-काज महिलाओं के लिये अनिवार्य होते हैं, स्वच्छात्मक कदापि नहीं। आधुनिक युग में तो कामकाजी महिलायें ऑफिस के साथ-साथ घर के भी सारे काम निबटाती हैं क्योंकि घर के कार्य तो करने ही उन्हें हैं तो कुल मिलाकर माना जाये कि ऐसी कामकाजी महिलाये तो पुरुषों से अधिक ही नहीं वरन् अत्याधिक कार्य करती हैं तो गलत नहीं होगा फिर भी कभी पुरुषों क्यों घर का घरेलू काम करते हुए नहीं दिखाया जाता, क्यों स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों के पारम्परिक ढर्रे को ज्यों का त्यों दिखाकर उन्हें नये आयाम के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता। अगर कोई विज्ञापन ऐसा दिखाता भी हो तो वह अपवाद स्वरूप ही होगा वास्तव में विज्ञापन भी उसी पारम्परिक सामंती-पितृसत्तात्मक संस्कृति को बरकार रखते हुए बनाये जा रहे हैं जिसमें महिला अपने निर्धारित परिपाटी से बाहर नहीं निकलती। महिलाओं के लिये घरेलू कार्य उसीके लिये निर्धारित हैं जो उसे ही पूरे करने होंगे। इसी सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिक सोच को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बनाये जाते हैं। विज्ञापन बाजार ने इसी सामाजिक संरचना को बेचने का मूलधार बनाया जिसके चक्रव्यूह जिसमें फँसकर नवयुवतियां नारी-मुक्ति, नारी सशक्तिकरण के नाम पर इनका शिकार हो रही हैं। महिलाओं की देह उत्पाद बेचने का अनिवार्य उपकरण बन चुका है। जिससे उपभोक्ताओं के बीच अनावश्यक मांग पैदा हो रही है हमें नहीं भूलना चाहिए विज्ञापन केवल व्यावसायिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विज्ञापन विज्ञापन व्यापारिक अभिव्यक्ति का आधार है, इनका प्रभाव नकारात्मक व सकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक प्रभाव का अगर सोचे तो उनके सही होने पर हम क्या खरीदे क्यों खरीदे, इसका अंदाजा लगा सकता है। आज तेजी से बदलते आधुनिक समाज में नये-नए उत्पादों की संख्या बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पाद बेचने के लिए सही और गलत की सीमा रेखा ही समाप्त हो गई है नारी देह की सीमायें भी टूट रही हैं। विज्ञापन मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रतिघात कर रहे हैं 'सैमसंग' मोबाइल के एक विज्ञापन में एक छोटा बच्चा जिस तरह से कहता है की "आपके पास नहीं है अंकल"? समाज के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति असम्मान की भावना को बढ़ावा देता ही है साथ ही हीन भावना का भी संप्रेषित करता है कि जिसके पास यह मोबाइल नहीं वह समाज का तुच्छ व्यक्ति है। पूंजीवादी बाजारवाद ने महिला वर्ग में पढ़ी-लिखी महिलाओं को भी इस दिशा में पथभ्रष्ट किया है, जिसमें वे अपनी दैहिक कमनीयता को दैहिक मुक्ति के नाम पर नग्नता की ओर बढ़ रही हैं सब भौतिकता की चकाचौंध में अंधाधुंध चल रही है बिना परिणाम सोचे, यदि देखा जाये तो यह एक प्रकार की मानसिक गुलामी ही है, जिसमें महिलाओं की बौद्धिकता को जानबूझकर नाकारा गया और उसके दैहिक सौन्दर्य को वस्तु की तरह उपयोग किया गया। विज्ञापन में नारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को उसकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, गौरव, अस्तित्व आदि को नजरंदाज कर, मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि उत्पाद (प्रोडक्ट) के अभिन्न रूप की तरह प्रस्तुत की जाती है मानो उत्पाद खरीदने पर

अनिवार्य रूप पदार्थ के रूप में दिखाया गया है की यदि इसका सेवन न किया तो हम पिछड़े हुए माने जायें। पान मसाले के विज्ञापन जोकि वास्तव में गुटखे को ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं जैसे 'उंचे लोग उंची पसंद', 'अपना रुआब बदलो', 'कण-कण में केसर' आदि। युवावर्ग जो अपनी मंजिल की तलाश में होते हैं इनको देखकर भटक जाते हैं, पान यूँ तो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, मगर पान मसाले के नाम पर ये कंपनियाँ कूड़ा करकट बेच रही हैं जो कई तरह की बीमारियाँ जैसे कैंसर का के कारक हैं। शौक में शुरू किये गए ये प्रयोग आदत बन जाते हैं, शरीर में खून की तरह बस जाते हैं यदि नहीं खायेंगे तो ये तड़पते रहेंगे। पर ये विज्ञापन आपको यूँ महसूस करवाते हैं कि यदि आप इनका सेवन नहीं करने तो आप आगे नहीं बढ़ सकते आप पिछड़ जायेंगे 'केसर, दाने-दाने में है दम' उस पर तिरंगे के केसरिया को हथियार बना रहे हैं देश भक्ति की झूठी बयार चला रहे हैं। ये नशीले खाद्य पदार्थ आजकल हर कोई इन्हें ऐसे खा रहे हैं मानों ये कोई टॉफी है, कारण-इनके विज्ञापनों को इतनी भव्यता के साथ बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है कि हर कोई इसे खाकर स्वयं को भी भव्य विशिष्ट मान लेता है क्योंकि इन विज्ञापनों में बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों के अतिरिक्त जेम्सबॉन्ड जैसे कलाकार भी जुड़ गये हैं, उन्हें तो विज्ञापन के लिये मिली बड़ी रकम से मतलब है इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये नशीले पदार्थ कैंसर के कारक हैं, दांत भद्दे हो जाते हैं मुँह में सैकड़ों कीटाणु घर बना लेते हैं, जगह जगह थूककर चारों ओर गन्दगी फैलाना, बीमारियाँ फैलाना आदि इसके भयंकर परिणाम हैं। लेकिन इन पानमसालों के विज्ञापन इतने भव्यता से बनाये जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज पान गुटखे के जाल में फँसते चले जाते हैं। उस पर सोचने वाली बात यह है की १-२ रुपये की चीज़ के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं क्यों? सीधा सा जवाब है हमारी संस्कृति को खोखला करने की और विदेश में पैसा भेजने की कवायद है भूमिका है ये विज्ञापन का ही प्रताप है कि लोग तेज़ाब जैसी चीज़ को जीभ पर रखने को तैयार हो जाते हैं, कूड़ा करकट खा जाते हैं।

सामाजिक विकास में विज्ञापनों की भूमिका

जैसे-जैसे सामाजिक मानसिकता में बदलाव आ रहा है वैसे-वैसे विज्ञापन अपना स्वरूप बदल रहे हैं, सामाजिक बदलावों को सकारात्मक ढंग से आत्मसात कर रहे हैं। आज उपभोक्ता की सोच बदल रही है तो विज्ञापन को भी अपना स्वरूप बदलना ही पड़ा। विज्ञापन उन परंपरागत छवियों या कहे स्टीरियोटाइप्स का प्रयोग करते रहे हैं जिनको समाज में स्वीकृति प्राप्त हैं, परन्तु आज के विज्ञापन का अपनी अवधारणा को बदल रहे हैं। मीडिया में स्टीरियोटाइप होना एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम अपने समाज को कुछ पूर्व प्रचलित और सामान्यीकृत मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, फिर वो मान्यताएं चाहे कुछ वर्ग के लिए हितकारी हो और ज्यादातर लोगों के लिए अहितकर उन्हीं के आधार पर मापदंड बना दिए जाते हैं। अतिसरलीकृत और सामान्यीकृत होने के कारण यह हमारे समक्ष वास्तविकता की एक अधूरी, एकांगी और कई बार झूठी छवि पेश करते हैं। स्टीरियोटाइप्स प्रायः परंपरा पर आधारित होते हैं एवं समाज में आ रहे आधुनिक बदलावों को

पूजा, पुष्प, अंडरवियर, बनियान से लेकर ब्लेड तक में स्त्री को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जहाँ उसकी प्रस्तुति पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा शब्दजाल बुना जाता है कि उसकी प्रति न होने पर भी उसका एहसास हो जाता है बच्चों के एक स्नैक्स 'क्रैक्स' में पंडित जी पूछता है लड़की कैसी चाहिये तो पिता, दादा, चाचा सभी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे किसी लड़की के उत्तेजक स्वरूप को दर्शा रहे हैं जो कि एक पारिवारिक माहौल के अशोभनीय हैं, अतः शोचनीय है। ये अनावश्यक कामुकता और अश्लीलता से भरे हुए विज्ञापन पारिवारिक नैतिकता की धजियाँ उड़ाते हैं। एक मिनट के विज्ञापनों ने अश्लीलता को घर-घर तक पहुँचा दिया है। इन विज्ञापनों में स्त्रियों की गरिमा तथा उनकी अस्मिता पर जबरदस्त कुठाराघात करने का कार्य किया है। आखिर क्यों इसकी अनिवार्यता निर्मित की गई, कि स्त्री देह को, उसकी कामुकता को उत्पाद बेचने का साधन बना दिया गया है? आज हर छोटी बड़ी विज्ञापन एजेंसिया इसी कामुक, अश्लील मानसिकता के वशीभूत हो विज्ञापन बना रही हैं।

आर्थिक लाभ की मोहमाया में पड़कर, बेचने की होड़ में कंपनियाँ सौन्दर्य के ऐसे मानक परोस रही हैं, जो परंपरागत सौन्दर्य मानदंडों (रंगभेद) की लालसा को, उनके 'ब्यूटी मिथ' को जागृत उत्पाद बेचने में सफल हो रही हैं यही कारण है कि गोरा बनाने वाली क्रीम के दर्जनों ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं जो किसी भी साँवली लड़की को गोरा बनाकर उसके जीवन को सफलता का परिचायक सिद्ध करती हैं, जैसे गोरा होते ही लड़की में आत्मविश्वास आ जाता है, या अच्छी जॉब मिल जाती है अथवा कल तक शादी नहीं हो पा रही थी, गोरा बनते ही अब वह खुद ही शादी के लिए इंकार करती है, क्योंकि गोरी होने पर वह पूर्णतः सक्षम है। लेकिन ऐसे विज्ञापन झूठ के पुलिंदे हैं जो हमारे समाज की उन तमाम साँवली लड़कियों के भीतर कुंठाओं को बढ़ावा देती हैं, हर प्रकार से समर्थ व सक्षम होने के बावजूद वास्तव में पिछड़ जाती हैं क्योंकि वे आगे बढ़ने का साहस ही नहीं जुटा पाती। ये विज्ञापन ऐसी सामाजिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ साँवली लड़कियों के लिए कहीं जगह नहीं, जो कि खतरनाक है। भारतीय समाज में तो वैसे भी गोरे रंग का प्रतिशत बहुत कम है तो क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं हुआ कि भारतीय लोग किसी भी गोरे विदेशी से हमेशा कमतर होंगे, मगर इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है लेकिन विदेश उत्पाद अपने उत्पाद को बेचने के लिए हमारे देश में हमें ही कमतर घोषित कर रहा है और हम उसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। ये विज्ञापनों का हमारी संस्कृति बहुत बड़ा हमला है जिसे हमारा युवा वर्ग समझ नहीं पा रहा। रंगभेद को बढ़ावा देने वाले ये विज्ञापन किसी अपराध से कम नहीं जो हमारे समाज में उस कुरीति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें भारत का एक बड़ा भाग अपना आत्मविश्वास खोकर हीन भावना से ग्रस्त हो रहा है।

विज्ञापन उपभोक्ताओं को इस प्रकार मोहित करता है कि उपभोक्ता उस चीज़ को खरीदे बिना नहीं रह सकते। एक तरफ़ सरकार ने जहाँ शराब गुटखे और सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी लगा रखी है वहीं दूसरी ओर इन्हीं के सरोगेट विज्ञापनों में बड़ा चढ़ा कर उन्हें उच्च जीवन-शैली, तथा सफल व्यक्ति के माध्यम के रूप में दिखाया जाता है। "ऊँचे लोग ऊँची पसंद" इसे विज्ञापन हमारे समाज के हर स्तर के लोगों को गुमराह करते हैं विज्ञापन में इसे सामाजिक स्तर से जोड़कर

अनिवार्य खाद्य पदार्थ के रूप में दिखाया गया है की यदि इसका सेवन न किया तो हम पिछड़े हुए माने जायेंगे। पान मसाले के विज्ञापन जोकि वास्तव में गुटखे को ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। जैसे 'ऊंचे लोच की पसंद', 'अपना रुआब बदलो', 'कण-कण में केसर' आदि। युवावर्ग जो अपनी मंजिल की तलाश में होते हैं इनको देखकर भटक जाते हैं, पान यूँ तो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, मगर पान मसाले के नाम पर ये कंपनियाँ कूड़ा करकट बेच रहीं हैं जो कई तरह की बीमारियों जैसे कैंसर का कारक हैं। शौक में शुरू किये गए ये प्रयोग आदत बन जाते हैं, शरीर में खून की तरह बस जाते हैं यदि नहीं खायेंगे तो ये तड़पते रहेंगे। पर ये विज्ञापन आपको यूँ महसूस करवाते हैं कि यदि आप इनका सेवन नहीं करने तो आप आगे नहीं बढ़ सकते आप पिछड़ जायेंगे 'केसर, दाने-दाने में है दम' उस पर तिरंगे के केसरिया को हथियार बना रहे हैं देश भक्ति की झूठी बयार चला रहे हैं। ये नशीले खाद्य पदार्थ आजकल हर कोई इन्हें ऐसे खा रहे हैं मानों ये कोई टॉफी है, कारण-इनके विज्ञापनों को इतनी भव्यता के साथ बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है कि हर कोई इसे खाकर स्वयं को भी भव्य विशिष्ट मान लेता है क्योंकि इन विज्ञापनों में बड़े बड़े फ़िल्मी कलाकारों के अतिरिक्त जेम्सबॉन्ड जैसे कलाकार भी जुड़ गये हैं, उन्हें तो विज्ञापन के लिये मिली बड़ी रकम से मतलब है इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये नशीले पदार्थ कैंसर के कारक हैं, दांत भद्दे हो जाते हैं मुँह में सैकड़ों कीटाणु घर बना लेते हैं, जगह जगह थूककर चारों ओर गन्दगी फैलाना, बीमारियाँ फैलाना आदि इसके भयंकर परिणाम हैं। लेकिन इन पानमसालों के विज्ञापन इतने भव्यता से बनाये जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज पान गुटखे के जाल में फँसते चले जाते हैं। उस पर सोचने वाली बात यह है की १-२ रुपये की चीज़ के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं क्यों? सीधा सा जवाब है हमारी संस्कृति को खोखला करने की और विदेश में पैसा भेजने की कवायद है भूमिका है ये विज्ञापन का ही प्रताप है कि लोग तेज़ाब जैसी चीज़ को जीभ पर रखने को तैयार हो जाते हैं, कूड़ा करकट खा जाते हैं।

सामाजिक विकास में विज्ञापनों की भूमिका

जैसे-जैसे सामाजिक मानसिकता में बदलाव आ रहा है वैसे-वैसे विज्ञापन अपना स्वरूप बदल रहे हैं, सामाजिक बदलावों को सकारात्मक ढंग से आत्मसात कर रहे हैं। आज उपभोक्ता की सोच बदल रही है तो विज्ञापन को भी अपना स्वरूप बदलना ही पड़ा। विज्ञापन उन परंपरागत छवियों या कहे स्टीरियोटाइप्स का प्रयोग करते रहे हैं जिनको समाज में स्वीकृति प्राप्त हैं, परन्तु आज के विज्ञापन का अपनी अवधारणा को बदल रहे हैं। मीडिया में स्टीरियोटाइप होना एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम अपने समाज को कुछ पूर्व प्रचलित और सामान्यीकृत मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, फिर वो मान्यताएं चाहे कुछ वर्ग के लिए हितकारी हो और ज्यादातर लोगों के लिए अहितकर उन्हीं के आधार पर मापदंड बना दिए जाते हैं। अतिसरलीकृत और सामान्यीकृत होने के कारण यह हमारे समक्ष वास्तविकता की एक अधूरी, एकांगी और कई बार झूठी छवि पेश करते हैं। स्टीरियोटाइप्स प्रायः परंपरा पर आधारित होते हैं एवं समाज में आ रहे आधुनिक बदलावों को

आसानी से स्वीकार कर पाते और उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में पाए जाते हैं परंतु सामान्यतः इनका दूसरा रूप ही अधिक प्रचलित है।

मिर्ची सुनने वाले आलवेस खुश रुदाली से आशय है की यदि किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती थी तो राजस्थान में रुदालियाँ बुलाई जाती थी हालांकि अब इनका प्रचालन नहीं है पर इस विज्ञापन के माध्यम से लुप्तप्राय प्रथा को दर्शाया गया है पर बिल्कुल अलग अंदाज़ में आज के रेडियो को सुन सुन कर रोना भूल गई है मानो यही मिर्ची इनके भुलावे होने का कारण हो। पर ये विज्ञापन हमें सदा खुश रहने की प्रेरणा दे रहा है

सकारात्मक विज्ञापनों की श्रेणी में गैर व्यवसायिक विज्ञापन भी हैं जो लोक कल्याण की बात करते हैं जनहित में जारी ये विज्ञापन समाज और राष्ट्र के विकास के ही में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जैसे भारत में कई प्रकार के रोग जो महामारी के जैसे फैलते थे प्रकोप थे विज्ञापनों के कारण समाज में जाग्रति आई। चेचक, प्लेग, पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसी बिमारियों से बचने में विज्ञापनों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। पोलियो के प्रति तो इन विज्ञापनों ने ऐतिहासिक कारनामा अंजाम देते हुए आज पूरे भारत को पोलियोमुक्त देश बना दिया है। लोग आरोग्यता के प्रति सजग हुए। इसी प्रकार आज कुपोषण से शिकार होने वाले बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के विविध टीकाकरण आहार विहार, बाल कल्याण मातृत्व कल्याण नारी कल्याण जैसी योजनाओं के विज्ञापनों ने मृत्यु दर को कम किया है। इन विज्ञापनों में कोई छल कपट नहीं होता, शुद्ध भावना के साथ साफ-सुथरे चित्रों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर उन्हें सुंदर स्वच्छ जीवन की ओर अग्रसर करना इनका लक्ष्य होता है। इन विज्ञापनों से सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। ये विज्ञापन पूरी तरह से अपने दायित्वों पर खरा उतरते हुए समाज को सूचना के माध्यम से जागरूक करने का कार्य करते हैं। वह चाहे टैक्स सम्बंधी सूचनाओं का मामला हो ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो, ऐसे विज्ञापन अपनी ज़िम्मेदारियों पर खरा उतरते नज़र आते हैं। आज तो राजनीति के नये समीकरण बनाने में ये विज्ञापन अहम् भूमिका निभा रहे हैं। और विज्ञापनों के प्रभावस्वरूप वो पार्टियाँ भी जीत जाती हैं जिनको बुद्धिजीवियों ने नकार दिया था। पूरे योजनाबद्ध तरीके से विज्ञापनों की रणनीति तैयार की जाती है अरबों रुपया खर्च हो जाता है, जिसे समाज कल्याण में लगाया जा सकता है लेकिन वो विज्ञापन कर्ताओं को मिल जाते हैं।

“विज्ञापन ने हमें यह भी सिखाया कि खाने से पहले हाथ धोने के क्या फायदे हैं? बिजली कैसे बचाये, अपने आस पास की सफाई रखने के क्या फायदे हैं आदि आदि... एड्स और कैंसर जैसी बिमारियों के रोकथाम दहेज़ प्रथा उन्मूलन परिवार नियोजन शिक्षा का महत्व को बताने आदि सरकारी योजनाओं को पिछड़े वर्गों तक पहुँचाने में विज्ञापन अहम् भूमिका अपनाते हैं।” {103} 25 सामाजिक कुप्रथाएं हमारे देश की पुरातन समस्याएँ हैं। जात-पात और छुआ-छूत के अंधविश्वास ने बरसों से हमारे समाज में अपनी जगह बना रखी है। इस क्षेत्र में भी इस तरह के विज्ञापनों ने अपनी सकारात्मक छाप छोड़ने में सफलता प्राप्त की है। चाय का एक विज्ञापन जिसमें चाय की खुशबु से

पहले तो दू पड़ोसी का मन करता है कि चाय पी ली जाए मगर क्योंकि महिला पड़ोसी मुसलमान है इसलिए वो हिचकिचाता है पर चाय की खुशबु धर्मों की दीवार गिरा देती है और वह भी धर्मों की भी दीवार बिना कर उनके घ चाय के लिय चला जाता है।

सकारात्मक विज्ञापन की श्रेणी के संदर्भ में दाग अच्छे है का विज्ञापन भी एक बेहतरीन विज्ञापन है जिसमें सामाजिक सरोकारों की बात भी निकल कर आती है। इसमें ईद के मौके पर एक विज्ञापन आया था जिसमें छोटा बच्चा ईदी में मिले नये वस्त्र पहन कर घर से बाहर निकलता ही तो एक बूढ़ा व्यक्ति जलेबी समोसे बेच रहा जैसे कोई नहीं खरीद रहा तो बच्चे अपनी जेब में सामान भरकर बेचने में उसकी मदद करते हैं पर इसमें उसके कपडे गंदे हो जाते है पर उसकी माँ प्यार से कहती है कि 'किसी की मदद करना भी इबादत है मदद करने में दाग लग जाये तो दाग अच्छे है' -इस विज्ञापन में मदद करने की भावना जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है उसे बखूबी दर्शाया गया है जिसे हम आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में भूलते चले जा रहे हैं

तनिष्क गोल्ड ने अपना एक विज्ञापन बनाया जिस पर काफी चर्चा हुई ,चर्चा की वज़ह थी कि इस विज्ञापन कई पारंपरिक अवधारणाओं को एकसाथ ध्वस्त किया। जिसमें प्रथम तो यह कि माडल सांवले रंग की है जो स्थापित अवधारणा को चुनौती देती है की गोरा रंग ही सुंदर हो सकता है। इसके अलावा टीवी विज्ञापन के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी स्त्री का पुनर्विवाह दिखाया गया है। साथ ही साथ यह भी दिखाया गया है कि स्त्री के पहले विवाह एक बेटी जी हों बेटी है। दूसरे बेटी के साथ उस माँ को नवपत्नी का सम्मान देना निसंदेह यह पहल स्वागत योग्य है जो भारतीय समाज में नारियों के प्रति बोल्ड बदलते नजरिये को हमारे सामने रखती है। इसी प्रकार एक हैवेल्स कॉफी मेकर के विज्ञापन में एक आधुनिक औरत हमें साफ़ साफ़ शब्दों में साधिकार समझाती है कि अब आप उसे रसोई का उपकरण मानने की गलती न करे । विज्ञापन में एक एन.आर.आई. लड़के की माँ अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाना चाहती है जो उसे हर समय कॉफी बनाकर देने के लिए तैयार रहे। और वह लड़की उस महिला के हाथ में कॉफी मेकर थमा कर कहती है -'24 आवर्स कॉफी, नो वीसा प्रॉब्लम, इसी के साथ सेटल हो जाइये ना' कुछ इसी अंदाज़ में 'हवेल्स' रसोई और घर के अन्य उपकरणों जैसे जूसर, मिक्सर, प्रेस आदि के विज्ञापनों के माध्यम से हमारे समाज में औरतों को हमेशा घरेलु उपकरण माने जाने वाली स्टीरियोटाइप सोच का विरोध कर एक नयी स्त्री छवि को गढ़ता है। जो समाज में आने वाले बदलाव को स्वीकार करने के लिय मानो विवश करता है। इसी प्रकार हवेल्स के दूसरे विज्ञापनों में भी समाज की कई परंपरागत अवधारणाओं को तोड़ती है। ये विज्ञापन सदियों से जन्म के साथ ही जाति एवं धर्म को जोड़ देने को परम्परा का विरोध करता है तथा एक व्यक्ति के जीवन में धर्म को उसका व्यक्तिगत निर्णय होने की स्थापना करता है। जैसे एक विज्ञापन में एक हिन्दू-मुस्लिम विवाहित जोड़ा अपने नवजात शिशु के जन्म प्रमाण-पत्र में उसके धर्म की जगह को खाली छोड़वा देते है और कहता है कि 'बड़ा होकर खुद ही डिसाइड कर लेंगा कि उसे क्या बनना है?' जिसकी टैग लाइन है 'हवा बदलेगी' ये विज्ञापन बदलाव की बयार को पाचन करवा रहे हैं।

आसानी से स्वीकार कर पाते और उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में पाए जाते हैं परंतु सामान्यतः इनका दूसरा रूप ही अधिक प्रचलित है।

मिर्ची सुनने वाले आलवेस खुश रुदाली से आशय है की यदि किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती थी तो राजस्थान में रुदालियाँ बुलाई जाती थी हालांकि अब इसका प्रचालन नहीं है पर इस विज्ञापन के माध्यम से लुप्तप्राय प्रथा को दर्शाया गया है पर बिल्कुल अलग अंदाज़ में आज के रेडियो को सुन सुन कर रोना भूल गई है मानो यही मिर्ची इनके रोने का कारण हो। पर ये विज्ञापन हमें सदा खुश रहने की प्रेरणा दे रहा है

सकारात्मक विज्ञापनों की श्रेणी में गैर व्यवसायिक विज्ञापन भी जो लोक कल्याण की बात करते हैं जनहित में जारी ये विज्ञापन समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जैसे भारत में कई प्रकार के रोग जो महामारी के जैसे फैलते थे प्रकोप थे विज्ञापनों के कारण समाज में जागृति आई। चेचक, प्लेग, पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू, मूँगी जैसी बिमारियों से बचने में विज्ञापनों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। पोलियो के प्रति तो इन विज्ञापनों ने ऐतिहासिक कारनामा अंजाम देते हुए आज पूरे भारत को पोलियोमुक्त देश बना दिया है। लोग आरोग्यता के प्रति सजग हुए। इसी प्रकार आज कुपोषण से शिकार होने वाले बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के विविध टीकाकरण आहार विहार, बाल कल्याण मातृत्व कल्याण नारी कल्याण जैसी योजनाओं के विज्ञापनों ने मृत्यु दर को कम किया है। इन विज्ञापनों में कोई छल कपट नहीं होता, शुद्ध भावना के साथ साफ-सुथरे चित्रों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर उन्हें सुंदर स्वच्छ जीवन की ओर अग्रसर करना इनका लक्ष्य होता है। इन विज्ञापनों से सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। ये विज्ञापन पूरी तरह से अपने दायित्वों पर खरा उतरते हुए समाज को सूचना के माध्यम से जागरूक करने का कार्य करते हैं। वह चाहे टैक्स सम्बंधी सूचनाओं का मामला हो ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो, ऐसे विज्ञापन अपनी ज़िम्मेदारियों पर खरा उतरते नज़र आते हैं। आज तो राजनीति के नये समीकरण बनाने में ये विज्ञापन अहम भूमिका निभा रहे हैं। और विज्ञापनों के प्रभावस्वरूप वो पार्टियाँ भी जीत जाती हैं जिनको बुद्धिजीवियों ने नकार दिया था। पूरे योजनाबद्ध तरीके से विज्ञापनों की रणनीति तैयार की जाती है अरबों रुपया खर्च हो जाता है, जिसे समाज कल्याण में लगाया जा सकता है लेकिन वो विज्ञापन कर्ताओं को मिल जाते हैं।

“विज्ञापन ने हमें यह भी सिखाया कि खाने से पहले हाथ धोने के क्या फायदे हैं? बिजली कैसे बचाये, अपने आस पास की सफाई रखने के क्या फायदे हैं आदि आदि... एड्स और कैंसर जैसी बिमारियों के रोकथाम दहेज़ प्रथा उन्मूलन परिवार नियोजन शिक्षा का महत्व को बताने आदि सरकारी योजनाओं को पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने में विज्ञापन अहम भूमिका अपनाते हैं।” .{103}25 सामाजिक कुप्रथाएं हमारे देश की पुरातन समस्याएँ हैं। जात-पात और छुआ-छूत के अंधविश्वास ने बरसों से हमारे समाज में अपनी जगह बना रखी है। इस क्षेत्र में भी इस तरह के विज्ञापनों ने अपनी सकारात्मक छाप छोड़ने में सफलता प्राप्त की है। चाय का एक विज्ञापन जिसमें चाय की खुशबु से

पहले तो हिन्दू पड़ोसी का मन करता है कि चाय पी ली जाए मगर क्योंकि महिला पड़ोसी मुसलमान है इसलिए वो हिचकिचाता है पर चाय की खुशबु धर्मों की दीवार गिरा देती है और वह भी धर्मों की भी दीवार गिराकर उनके घ चाय के लिय चला जाता है।

सकारात्मक विज्ञापन की श्रेणी के संदर्भ में दाग अच्छे है का विज्ञापन भी एक बेहतरीन विज्ञापन है जिसमें सामाजिक सरोकारों की बात भी निकल कर आती है। इसमें ईद के मौके पर एक विज्ञापन आया था जिसमें छोटा बच्चा ईदी में मिले नये वस्त्र पहन कर घर से बाहर निकलता ही तो एक बूढ़ा व्यक्ति जलेबी समोसे बेच रहा जैसे कोई नहीं खरीद रहा तो बच्चे अपनी जेब में सामान भरकर बेचने में उसकी मदद करते हैं पर इसमें उसके कपडे गंदे हो जाते हैं पर उसकी माँ प्यार से कहती है कि 'किसी की मदद करना भी इबादत है मदद करने में दाग लग जाये तो दाग अच्छे है' -इस विज्ञापन में मदद करने की भावना जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है उसे बखूबी दर्शाया गया है जिसे हम आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में भूलते चले जा रहे हैं

तनिष्क गोल्ड ने अपना एक विज्ञापन बनाया जिस पर काफी चर्चा हुई, चर्चा की वज़ह थी कि इस विज्ञापन कई पारंपरिक अवधारणाओं को एकसाथ ध्वस्त किया। जिसमे प्रथम तो यह कि माडल सांवले रंग की है जो स्थापित अवधारणा को चुनौती देती है की गोरा रंग ही सुंदर हो सकता है। इसके अलावा टीवी विज्ञापन के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी स्त्री का पुनर्विवाह दिखाया गया है। साथ ही साथ यह भी दिखाया गया है कि स्त्री के पहले विवाह एक बेटी जी हाँ बेटी है। दूसरे बेटी के साथ उस माँ को नवपत्नी का सम्मान देना निसंदेह यह पहल स्वागत योग्य है जो भारतीय समाज में नारियों के प्रति बोल्ड बदलते नजरिये को हमारे सामने रखती है। इसी प्रकार एक हैवेल्स कॉफी मेकर के विज्ञापन में एक आधुनिक औरत हमें साफ़ साफ़ शब्दों में साधिकार समझाती है कि अब आप उसे रसोई का उपकरण मानने की गलती न करे। विज्ञापन में एक एन.आर.आई. लड़के की माँ अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाना चाहती है जो उसे हर समय कॉफी बनाकर देने के लिए तैयार रहे। और वह लड़की उस महिला के हाथ में कॉफी मेकर थमा कर कहती है -'24 आवर्स कॉफी, नो वीसा प्रॉब्लम, इसी के साथ सेटल हो जाइये ना' कुछ इसी अंदाज़ में 'हवेल्स' रसोई और घर के अन्य उपकरणों जैसे जूसर, मिक्सर, प्रेस आदि के विज्ञापनों के माध्यम से हमारे समाज में औरतों को हमेशा घरेलु उपकरण माने जाने वाली स्टीरियोटाइप सोच का विरोध कर एक नयी स्त्री छवि को गढ़ता है। जो समाज में आने वाले बदलाव को स्वीकार करने के लिय मानो विवश करता है। इसी प्रकार हवेल्स के दूसरे विज्ञापनों में भी समाज की कई परंपरागत अवधारणाओं को तोड़ती है। ये विज्ञापन सदियों से जन्म के साथ ही जाति एवं धर्म को जोड़ देने को परम्परा का विरोध करता है तथा एक व्यक्ति के जीवन में धर्म को उसका व्यक्तिगत निर्णय होने की स्थापना करता है। जैसे एक विज्ञापन में एक हिन्दू-मुस्लिम विवाहित जोड़ा अपने नवजात शिशु के जन्म प्रमाण-पत्र में उसके धर्म की जगह को खाली छोड़वा देते हैं और कहता है कि 'बड़ा होकर खुद ही डिसाइड कर लेंगा कि उसे क्या बनना है?' जिसकी टैग लाइन है 'हवा बदलेगी' ये विज्ञापन बदलाव की बयार को पाचन करवा रहे हैं।

डाबर वाटिका हेयर आयल का 'ब्रेव एंड ब्यूटीफुल' के नाम से एक विज्ञापन जिसके माध्यम से उस सर्वप्रचलित अवधारणा को नकारा गया है कि जिन स्त्रियों के लम्बे, घने बाल होते हैं वाही खूबसूरत दिख सकती हैं टीवी पर तेल और शैम्पू के ऐसे विज्ञापनों को हम देखते आए हैं जिनमें स्त्री की सुन्दरता का आधार उनके बालों को माना जाता रहा है। हमारे समाज में कैंसर की वजह से अपने बाल खो चुकी स्त्रियों के लिए जीवन बदरंग सा हो जाता है, ऐसे में डाबर वाटिका का यह विज्ञापन समाज में प्रचलित सुन्दरता के लिए निर्धारित प्रतिमान को चुनौती देता। इसमें परिवार और समाज का सहयोग उसे उसके अस्तित्व को खूबसूरत होने का एहसास दिलाता है 'खूबसूरती चेहरे पे नहीं, दिल में होती है।' इस तरह के विज्ञापन एक मिसाल कायम करते हैं।

आईडिया फोन के एक विज्ञापन में जब एक यात्री का फोन टैक्सी में छूट जाता है, मगर वह टैक्सी वाला उस यात्री को फोन लौटाकर हमारे मन-मस्तिष्क में बनी उस धारणा को तोड़ता है कि ऑटो या टैक्सी में छूट गई वस्तु कभी वापस नहीं मिलती। विज्ञापन इस निम्न वर्ग के प्रति समाजिक संवेदनशीलता के साथ ही साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति बेईमानी करेगा ऐसा बिलकुल नहीं है।

वर्तमान समय में जब भारत-पाक विभाजन के इतने सालों के बाद हिन्दू-मुस्लिम समुदायों में तनाव ज्यों का त्यों बना हुआ हो जगह-जगह से सांप्रदायिक वैमनस्य की खबरें आती रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे समाज में इन दोनों समुदायों के बीच हमेशा से ही द्वेष की स्टीरियोटाइप धारणा बन चुकी है जो समय के साथ और गहरी होती जा रही हो, इसी बीच गूगल का विज्ञापन सुखद सन्देश लेकर आता है। विज्ञापन में दो दोस्तों की कहानी है जो विभाजन के समय बिछुड़ गए थे परन्तु आज भी उनके दिलों में एक दूसरे की याद ताज़ा बनी हुई है। हिन्दू बलदेव की पोती गूगल के जरिए पाकिस्तान में रह गए अपने दादा के मुसलमान दोस्त युसुफ को ढूँढ निकालती हैं। फिर युसुफ का पोता भी अपने दादा को हिंदुस्तान लेकर आता है। यह विज्ञापन विभाजन के बाद के एक ऐसे पक्ष को हमारे सामने रखता है जो प्रेम शांति भाईचारे का सन्देश स्थापित करता है। विभाजन में कितने लोग अपनों से बिछुड़े थे जिसकी कसक आज भी बरसों बाद उनको दिलों में बनी हुयी है। यह विज्ञापन दो धर्मों के बीच ही शांति, सौहार्द की बात नहीं कर रहा बल्कि दो देशों के बीच भी शांतिपूर्ण संबंधों की बात करता है।

डिटर्जेंट पाउडर के विज्ञापनों में सबसे फेमस 'वॉशिंग पाउडर निरमा' से लेकर 'दाग अच्छे हैं' तक परिवार में बराबरी की भावना को पुरुषों तक पहुँचाने का बेहतरीन माध्यम है घर की महिला औरत, खासकर यदि वह शादीशुदा है तो पति के साथ पूरे परिवार के भी कपड़े धोती है और ये बड़ी ही सामान्य सी बात है यदि कभी पति मदद कर भी दे, तो उसे एक सामान्य पुरुष नहीं, बल्कि देवता के समकक्ष मानते हैं। जबकि महिलाओं का पुरुषों के अंतःवस्त्र भी धोना उनका फर्ज माना जाता है। 'कंफर्ट डिटर्जेंट' (Comfort Ad breaks stereotypes in childhood) को एक बड़ी बात कहने में, समाज के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी करने में, मात्र 44 सेकंड लगाये कि समाज में बदलाव तभी

आएगा, जब हम अपने नन्हे बेटों को पुरुष और औरत की बराबरी के बारे में बताएंगे कपड़े धोना केवल औरत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में सीधे-सपाट शब्दों के साथ बड़े कम समय बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है बच्ची मां से पूछती है कि उसके कपड़े साफ़ हैं या नहीं मां कहती है कि वो कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर में उन्हें भिगो रही है तभी छोटी बच्ची का भाई अपनी बड़ी बहन से कहता है कि वो भी कपड़े धोना सीख ले, आगे काम आएगा स्पष्ट है कि बच्चे ने अपने आस-पास महिलाओं को ही कपड़े धोते हुए देखा है अतः ये लड़कियों के काम हैं मगर मां का जवाब बेमिसाल है वो बड़े प्यार से बेटे को बुलाती है और उसे प्यार से समझाती है कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, और अंत में कहती है कि कि बहन और भाई, दोनों को ये सीखना ज़रूरी है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। इसी श्रेणी में “वुश” वाशिंग पाउडर का विज्ञापन जिसे बड़े बड़े फ़िल्मी सितारे टैग लाइन बोलते नजर आ रहे हैं “बराबरी घर से शुरू करो” यानी इसमें बताया गया है कि कपड़े धोने के काम से स्त्री-पुरुष की बराबरी की शुरुआत की जा सकती है॥ एरियल के #Share the load विज्ञापन में भी पुरुषों और औरतों को मिलकर काम करने की सीख देता है कि अगर बचपन में ही बेटों और बेटियों को न सिखाया गया कि उनके काम में उनका लड़का लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो एक बड़े सच से कभी रूबरू न हो पाएंगे और ना ही वे कभी अपनी बहनों, पत्नियों और मांओं की मदद कर पायेंगे एक बार जो सोच बचपन निर्धारित हो जाती है तो उसे बदलने में कभी कभी पूरा जीवन लग सकता है। अगर बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखाया गया कि उनकी सोच महिलाओं के प्रति कैसी होनी चाहिए, तो ये समाज औरतों के लिए एक बेहतर स्थान दिला पाएंगे।

निष्कर्ष

विज्ञापन के इस दौर में अच्छे बुरे की पहचान आसान नहीं पहले वस्तु की गुणवत्ता को खुली आँखों से समझदारी से पहचान लिया जाता था मगर विज्ञापन हमारे विवेक पर पट्टी बाँध देता है। ‘फैशन के दौर में गारंटी न करें’ जैसे संवाद भी विज्ञापनों के प्रति सावधान करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना से हर तरह के झूठ, धोखा, प्रपंच, अंग-प्रदर्शन आदि गलत बातों का सहारा लिया जाता है, जो विज्ञापन का नकारात्मक प्रभाव ही हैं। लेकिन आज का विज्ञापन सामाजिक बदलावों से अछूता नहीं है, वह बदलावों का पूर्णतया समर्थक बनकर उन्हें एक समय में जो विज्ञापन समाज के की रूढ़ियों को और अधिक बढ़ावा देने का काम कर रहे थे अब वहीं ये विज्ञापन सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले इन स्टीरियोटाइप्स पैमानों को तोड़ रहे हैं। इस प्रकार विज्ञापन सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक लम्बी एवं धीरे-धीरे आकर लेने वाली प्रक्रिया है, ऐसे में जहाँ विज्ञापन का मूल उद्देश्य ही व्यावसायिक हो उससे एकदम सामाजिक एवं प्रगतिशील हो जाने की

इच्छा रखना बेमानी ही है। विज्ञापनों में आ रहे बदलावों की हमें सराहना करनी चाहिए, भविष्य में भी और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
2. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
3. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
4. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
5. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
6. चतुर्वेदी जगदीश्वर सिंह सुधा डिजिटल युग में मासकल्चर और विज्ञापन (प्रथम संस्करण 2010),- अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूशर्स प्र. लिमिटेड।
7. चतुर्वेदी जगदीश्वर सिंह सुधा डिजिटल युग में मासकल्चर और विज्ञापन (प्रथम संस्करण 2010),- अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूशर्स प्र. लिमिटेड
8. भाटिया डॉ तारेण, आधुनिक विज्ञापन और जनसंपर्क तक्षशिला प्रकाशन (संस्करण 2007) दरियागंज तृतीय
9. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
10. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
11. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
12. चतुर्वेदी जगदीश्वर सिंह सुधा डिजिटल युग में मासकल्चर और विज्ञापन (प्रथम संस्करण 2010),- अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूशर्स प्र. लिमिटेड
13. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
14. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
15. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
16. विज्ञापन डॉट कॉम : डॉ रेखा सेठी, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2012
17. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
18. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
19. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
20. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
21. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
22. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल
23. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल

24. सेठी डॉ रेखा "विज्ञापन डॉट कॉम", (प्रथम संस्करण 2012), वाणी प्रकाशन

25. बघेल संजय, "विज्ञापन और ब्रांड (प्रथम संस्करण 2016) सस्ता साहित्य मंडल

लड़की होना है या लड़कियों को हमें लड़का होना चाहिए ऐसा लगता है। कुछ लोगों को लेकिन किशोरावस्था में युवा अवस्था में या उसके बाद भी ट्रांसजेंडर होने का एहसास होता है। मैं निश्चित कौन हूँ, ये सनझ में नहीं आता। मैं पुरुष हूँ, पर स्त्री जैसा अमुक काम करना अच्छा लगता है, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ पर पुरुषों जैसा फलों का काम करना अच्छा लगता है, ये एहसास होने लगता है। तभी खुद को खोजने की शुरुआत होती है। स्वयं पर अलग-अलग प्रयोग करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपनी इस आइडेंटिटी को झट से अपना लेते हैं, कुछ लोगों को लेकिन खुद शर्म महसूस होती है। कुछ लोग बहुत उलझन में रहते हैं। अपने लिंग और लिंगाभाव इन दोनों के बारे में कुछ लोग बहुत असंतुष्ट हैं। इनमें से बहुत से लोग "हम ट्रांसजेंडर हैं" इसको स्वीकार करते हैं और जेंडर रीआसाइमेंट कर लेते हैं।" (पृ.174 मैं हिजड़ा ...लक्ष्मी)

साहित्य का मूल उद्देश्य पाठक की भावनाओं को झंकृत करना होता है ताकि समाज के अंधेरे कोनों को प्रकाशित किया जा सके तथा अब तक के अनछूए अनकहे विषयों को लेखन के माध्यम से सबके बीच संवेदनशील ढंग से विचार के लिए रखा जा सके। साहित्य की गद्य विधाओं में आत्मकथा को सबसे अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि अन्य विधाओं में यथार्थ के साथ कल्पना का भी मिश्रण होता है लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के छोटी-छोटी घटनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करता है जिससे कथा में प्रामाणिकता बनी रहती है। इस विधा के द्वारा लेखक अपने जीवन संघर्षों को दर्ज कर अपने पाठकों को साहस और उत्साह बनाए रखने के प्रेरणा स्रोत देता है। किन्नर आत्मकथाओं में भी इन जीवन स्रोतों को आसानी से खोजा जा सकता है। किन्नर समाज के आइकॉन बन चुके लक्ष्मी और मानोबी (मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी और पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन) की हिन्दी में प्रकाशित आत्मकथा ने किन्नर जीवन की विडंबनाओं, जिज्ञासाओं और पीड़ाओं को देवाकी से कहकर किन्नर विमर्श को धार देने का काम किया। इस क्रम में पहली किन्नर आत्मकथा के रूप में सन 2010 में तमिल भाषा में रेवती की आत्मकथात्मक पुस्तक "आई द ड्रुय अवाउट मी" का प्रकाशन हुआ जिसने किन्नर जीवन के अनदेखे अनछूए पहलुओं को प्रकाश में लाकर भारतीय साहित्य में किन्नर विमर्श की शुरुआत की। इस आत्मकथा के द्वारा अपने जीवन की कहानी कहने में रेवती ने हतप्रभ कर देने वाला साहस दिखाया और हजारों लाखों किन्नरों की आवाज को समाज में दर्ज किया। अपनी आत्मकथा में रेवती ने खुद को गलत शरीर में होने की पीड़ा को व्यक्त किया। अपनी पहचान के लिए अपने परिवार और समाज द्वारा किए गए अत्याचारों से बचने के लिए किन्नर समुदाय की शरण में जाने के लिए मजबूर हुई। इस पुस्तक में रेवती अपने कटु अनुभवों को साझा करते हुए एक घटना का उल्लेख किया है 'उस भीड़ में पुरुषों ने हमारे कंधों पर हमारी पीठ पर हाथ लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने हमारी छातियों को पकड़ने का प्रयास किया। मूल या डुप्लीकेट? ...ऐसे क्षणों में मुझे निराशा महसूस हुई और आश्चर्य हुआ कि हमारे लिए गरिमा के साथ जीने का कोई तरीका नहीं है?' (पृ.121 यर्ड जेंडर विमर्श)

आत्मकथा के आईने में किन्नर जीवन

विभा ठाकुर

हिंदी विभाग, कालिन्दी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 110008

vibha.india1@gmail.com

शोधसार

साहित्य के केंद्र में किन्नर विमर्श के आने के बाद इनके जीवन से जुड़े रहस्य खुलने लगे हैं अब ये किसी तिलस्मी कथाओं की भांति गुप्त और रहस्यमय चरित्र नहीं लगते। यह सुखद है कि इस समुदाय को लेकर अब चर्चा होने लगी है क्योंकि आज से पहले घृणा और उपेक्षा के शिकार किन्नर समुदाय समाज और नीति-नियंताओं की सोच की परिधि में आता ही नहीं था। भारतीय समाज में आज तक स्त्री, पुरुष के अलावा तीसरे लिंग को सामाजिक स्वीकृति दी ही नहीं गई और न ही इस वर्ग को हाशिये पर स्थित दलित, आदिवासी और स्त्री के समान पिछड़े वर्ग शामिल किया गया। इसलिए जरूरत के मद्देनजर थर्ड जेंडर को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने के लिए जनजागरण अभियान के अंतर्गत इनके जीवन पर आधारित साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। साहित्य का मूल उद्देश्य पाठक की भावनाओं को इंकृत करना है और अंधेरे कोनों को प्रकाशित किया जा सके तथा अब तक के अनछूए अनकहे विषयों का लेखन के माध्यम से सबके बीच संवेदनशील ढंग से विचार के लिए रखा जा सके। मेरे इस शोधपत्र में इनके द्वारा लिखे गए आत्मकथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण इनके जीवन के अंधेरे कोनों को प्रकाश में लाने और समझने में मदद करेगा।

किन्नरों के विषय में हमारी जानकारीयां बहुत कम हैं इसलिए प्रायः जो सामान्य स्त्री पुरुष से अलग दिखते हैं उन्हें हम किन्नर के रूप में जानते हैं जबकि ऐसा नहीं है। कई बार हम ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल का प्रयोग एक ही के लिए करते हैं जबकि दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। ट्रांसजेंडर प्राकृतिक लिंग से अलग पहचान रखते हैं जबकि ट्रांससेक्सुअल वे हैं जिन्होंने लिंग चिकित्सकीय सहायता से बदले हैं। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर क्यों होते हैं, इसकी कोई भी एक वजह निश्चित नहीं बता सकते, और न ही उनका ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। ट्रांसजेंडर के लिंगभाव की अभिव्यक्ति, उसके बारे में इतने अलग-अलग हैं कि उसमें कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं आता। लेकिन जींस का परिणाम, गर्भ में होते वक्त हार्मोन्स का स्तर जैसी कुछ जीवशास्त्रीय बातें और बचपन में, किशोरावस्था में और बाद में बड़ा होने के बाद आए हुए कुछ अनुभव कुल मिलाकर इनका जो प्रभाव होता है उससे ट्रांसजेंडर आईडेंटिटी तैयार होती है। ... खुद ट्रांसजेंडर होने का एहसास उस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। कुछ लोगों को बचपन से 'हम स्त्रीत्व या पुरुषत्व में नहीं समाते' इसका थोड़ा-थोड़ा एहसास होता है अथवा लड़कों को मुझे

लड़की होना है या लड़कियों को हमें लड़का होना चाहिए ऐसा लगता है। कुछ लोगों को लेकिन किशोरावस्था में युवा अवस्था में या उसके बाद भी ट्रांसजेंडर होने का एहसास होता है। मैं निश्चित कौन हूँ, ये समझ में नहीं आता। मैं पुरुष हूँ, पर स्त्री जैसा अमुक काम करना अच्छा लगता है, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ पर पुरुषों जैसा फलां काम करना अच्छा लगता है, ये एहसास होने लगता है। तभी खुद को खोजने की शुरुआत होती है। स्वयं पर अलग-अलग प्रयोग करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपनी इस आइडेंटिटी को झट से अपना लेते हैं, कुछ लोगों को लेकिन खुद शर्म महसूस होती है। कुछ लोग बहुत उलझन में रहते हैं। अपने लिंग और लिंगाभाव इन दोनों के बारे में कुछ लोग बहुत असंतुष्ट हैं। इनमें से बहुत से लोग "हम ट्रांसजेंडर हैं" इसको स्वीकार करते हैं और जेंडर रीआसाइमेंट कर लेते हैं।" (पृ.174 मैं हिजड़ा ...लक्ष्मी)

साहित्य का मूल उद्देश्य पाठक की भावनाओं को झंकृत करना होता है ताकि समाज के अंधेरे कोनों को प्रकाशित किया जा सके तथा अब तक के अनछूए अनकहे विषयों को लेखन के माध्यम से सबके बीच संवेदनशील ढंग से विचार के लिए रखा जा सके। साहित्य की गद्य विधाओं में आत्मकथा को सबसे अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि अन्य विधाओं में यथार्थ के साथ कल्पना का भी मिश्रण होता है लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के छोटी-छोटी घटनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करता है जिससे कथा में प्रामाणिकता बनी रहती है। इस विधा के द्वारा लेखक अपने जीवन संघर्षों को दर्ज कर अपने पाठकों को साहस और उत्साह बनाए रखने के प्रेरणा स्रोत देता है। किन्नर आत्मकथाओं में भी इन जीवन स्रोतों को आसानी से खोजा जा सकता है। किन्नर समाज के आइकॉन बन चुके लक्ष्मी और मानोबी (मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी" और पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन) की हिन्दी में प्रकाशित आत्मकथा ने किन्नर जीवन की विडंबनाओं, जिजासाओं और पीड़ाओं को बेबाकी से कहकर किन्नर विमर्श को धार देने का काम किया। इस क्रम में पहली किन्नर आत्मकथा के रूप में सन 2010 में तमिल भाषी ए रेवती की आत्मकथात्मक पुस्तक "आई द ड्रुथ अबाऊट मी" का प्रकाशन हुआ जिसने किन्नर जीवन के अनदेखे अनछूए पहलुओं को प्रकाश में लाकर भारतीय साहित्य में किन्नर विमर्श की शुरुआत की। इस आत्मकथा के द्वारा अपने जीवन की कहानी कहने में रेवती ने हतप्रभ कर देने वाला साहस दिखाया और हजारों लाखों किन्नरों की आवाज़ को समाज में दर्ज किया। अपनी आत्मकथा में रेवती ने खुद को गलत शरीर में होने की पीड़ा को व्यक्त किया। अपनी पहचान के लिए अपने परिवार और समाज द्वारा किए गए अत्याचारों से बचने के लिए किन्नर समुदाय की शरण में जाने के लिए मजबूर हुई। 'इस पुस्तक में रेवती अपने कटु अनुभवों को साझा करते हुए एक घटना का उल्लेख किया है ' उस भीड़ में पुरुषों ने हमारे कंधों पर हमारी पीठ पर हाथ लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने हमारी छातियों को पकड़ने का प्रयास किया। मूल या डुप्लीकेट? ...ऐसे क्षणों में मुझे निराशा महसूस हुई और आश्चर्य हुआ कि हमारे लिए गरिमा के साथ जीने का कोई तरीका नहीं है? (पृ.121 थर्ड जेंडर विमर्श)

सन 2001 में प्रकाशित दयानीता सिंह द्वारा लिखी गई किन्नर जीवन पर आधारित किताब :माई सेल्फ मोना अहमद , फोटोबुक जीवनी ,आत्मकथा और कथा का मिश्रण है ।दयानीता सिंह ने मोना के कटु अनुभवों को इन शब्दों में लिखा है -मैं लगातार सोचती हूँ ,भगवान ने मुझे हिजड़ा क्यों बनाया ? बेशक यह भगवान की देन है ,लेकिन केवल एक लड़के को क्यों लगता है कि वह एक औरत की तरह कपड़े पहने ? यह क्या है ,मुझे समझ में नहीं आता है । कोई भी इस सवाल को समझा नहीं सकता है । एक हिजड़े के पास शरीर पुरुष का होता है , लेकिन आत्मा स्त्री की होती है । ऐसा क्यों होता है? (पृ 124 थर्ड जेंडर विमर्श)

किसी भी थर्ड जेंडर के लिए अपने जेंडर की पहचान निर्धारित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है । जीवन भर उपेक्षा व अपमान के साथ यौन शोषण के दंश को सहने के लिए मजबूर इस किन्नर समुदाय के पास अपनी पीड़ा कहने और सुनाने का कोई प्लेटफार्म न होने के कारण इनका जीवन रहस्यमय ही बना रहा लेकिन इनके आत्मकथाओं के प्रकाशन ने इनके जीवनसंघर्ष की कहानी को प्रकाश में लाकर इनके नारकीय जीवन के जिम्मेदार तथाकथित सभ्य समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया । यह सच है कि अपने अस्तित्व की पहचान के लिए इनका संघर्ष सबसे पहले खुद से फिर परिवार से और अंत में समाज से होता है । जेंडर का प्रश्न और समाज के प्रश्न के भीतर से ही उभरता है । जेंडर का संबंध एक ओर पहचान से है तो दूसरी ओर सामाजिक विकास की प्रक्रिया के तहत स्त्री-पुरुष की भूमिका से है । पारंपरिक पहचान से अलग प्रजनन क्षमता के अभाव में समाज में इनकी भूमिका शून्य मान ली जाती है । मेडिकल साइंस की प्रगति के साथ अपने जीवन को अभिशाप मानने वाला यह समुदाय अब आत्मचेतस हुआ है और आज सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले किन्नर को अपने किन्नर होने पर गर्व है ।

अपने किन्नर होने के गर्व और स्वाभिमान की कहानी कहने वाली लक्ष्मी 1979 में ठाणे महाराष्ट्र में जन्मी एक कर्मठ और जुझारू किन्नर है । सन 2012 में मराठी में प्रकाशित आत्मकथा - "मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी " में अपना बचपन याद करते हुए त्रिपाठी कहती हैं- मेरा पूरा बचपन बीमारी में ही बीता । बचपन से ही मुझे अस्थिमा था । ' (पृ 26 मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी") नृत्य और संगीत में रुचि के कारण बीमारी के बावजूद लक्ष्मी ने नृत्य करना नहीं छोड़ा । 'पर मेरे ये चाहत कुछ लोगों को ज्यादा ही खलने लगी थी । नाचना यानी लड़की औरत ...ऐसे समीकरण हमारे समाज ने बनाया है । लोग मुझे बायक्या,छक्का ,मामू ऐसा कहकर चिढ़ाने लगे थे । ... मैं एक लड़का था और मुझमें जो कला थी ,वो औरत की थी ...और इसी वजह से समाज की नजर में मैं कलाकार न होकर बायक्या था...नाचनेवाला था । लेकिन हैरत तो यह थी कि मैं भी सचमुच एक औरत जैसा था । मेरा स्वभाव ,मेरा बोलना , मेरा चलना औरतों के जैसा ही था । पर वो वैसा क्यों है ये समझने के लिए मेरे उम्र काफी नहीं थी।' (पृ 27 मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी") बचपन से ही यौन शोषण की यातना सहने के लिए मजबूर लक्ष्मी अपना कटु अनुभव साझा करते हुए कहती है ' जब मैं सात साल का था तब पहली बार मेरा यौन शोषण हुआ । ...चचेरे भाई की शादी थी ...बड़े लोग काम में मशगूल थे ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते एक रिश्तेदार का लड़का मुझे अंधेरे कमरे में ले गया और ...वो क्या कर रहा है,ये

समझने के लिए बहुत छोटा था। (पृ.28 मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी") अनेक पुरस्कारों से सम्मानित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने संघर्ष को याद करते हुए कहती हैं--' बहुत कुछ पाया है मैंने आज तक पर उसे पाते समय बहुत कुछ गंवाया भी है... आज मैं कैसी दिखती हूँ, ग्लैमरस तड़क - भड़क हैवी मेकअप करने वाली खुद की इमेज का खयाल रखने वाली ,किसी पर किसी का कोई भी अन्याय सहन न करने वाली ,उसके खिलाफ खड़ी रहने वाली , जरूरत पड़ी तो भारी भरकम गालियां भी देने वाली , पर असल में ऐसी थी ही नहीं। मैं सीधी सादी थी ,शांत थी ज्यादा बातें न करने वाली बहुत भावुक थी ... उस लक्ष्मी से इस लक्ष्मी तक का सफर मैं बिलकुल मुँह पर नकाब पहन कर करती रही। यह नकाब ही धीरे धीरे कब मेरा चेहरा बनाता गया मुझे ही पता नहीं चला। लोगों को मैं जो दिखा रही हूँ ,शुरु में वो सांप की तरह डसता था मुझे। धीरे धीरे वह चुभन भी कम होती गई ,मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा मैं खुद को पहले समझती थी और बाद में बताती गई। सभी भावनाओं को जहर की तरह पी कर खड़ी रही। सबके लिए मैं खुद जिम्मेदार बनती गई पर मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ ऐसा बताने वाला कोई भी मुझे नहीं मिला।' (पृ156 मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी')

मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी... आत्मकथा को शब्दांकित करने वाली वैशाली रोड़े लिखती हैं -"शायद हिजड़ों और उनकी जिंदगी के बारे में जिज्ञासाएँ खत्म नहीं होंगी। उन्हें खत्म करना उनकी जिंदगी की सनसनीपूर्ण बातों को बाहर लाना इस किताब का उद्देश्य कभी नहीं था। अलग लैंगिगता होने के बाबाजूद एक व्यक्ति को घर से सहारा मिलने पर वह क्या-क्या कर सकता है इसका जीता जागता उदाहरण पाठकों के सामने लाने की यह कोशिश है और इसी नजरिए से पढ़ा जाए ऐसी अपेक्षा है। (पृ 14 मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी) ' यह आत्मकथा वस्तुतः लक्ष्मी का आत्मकथ्य होकर भी समस्त हिजड़ा समुदाय की आपबीती है। वे जन्म से क्या भोगते हैं ,समाज उन्हें किस प्रकार हाशिये पर रखता है ,किस भांति वे अपमान का घूंट पीकर मर कर जीने को विवश है इन सभी स्थितियों को इस आत्मकथा के माध्यम से समझा जा सकता है। सन 2012 में थर्ड जेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा 'मी हिजड़ा मी लक्ष्मी' मराठी में प्रकाशित हुई। दो साल तक लगातार असमंजस में रहने के बाद लक्ष्मी इसे लिखने के लिए तैयार हुई। ' सन 2015 में इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ। हिन्दी अनुवाद में प्रकाशित इस आत्मकथा ने हिन्दी पट्टी को चौंका दिया और हिन्दी साहित्य में किन्नर विमर्श को विस्तृत आधार दिया। यह आत्मकथा उनके जीवन संघर्षों को क्रमशः शब्द देती है। बचपन का द्वंद्व ,यौवन का भटकाव और समाज की उदासीनता को सहने के लिए अभिशप्त एक हिजड़ा जन्म से मृत्यु तक कितनी वेदना झेलता है ,वह भी एकाकी, इसका यथावत चित्रण यह आत्मकथा करती है।

सन 2017 में मनोबी बंदोपाध्याय और झिमली मुखर्जी पाण्डेय द्वारा लिखी 'ए गिफ्ट आफ गाडसे लक्ष्मी' (पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन) प्रकाशित हुई। यह पुस्तक अपनी पहचान को परिभाषित करने और उपलब्धि के नए मानकों को निर्धारित करने के लिए एक ट्रांसजेंडर की असाधारण और साहसी आत्मकथा कही जा सकती है। मानोबी के शब्दों - मुझे सारा जीवन लोगों के

मुख से हिजड़ा बृहन्नला, नपुंसक, खोजा, लौंडा... जैसे शब्द सुनकर मैंने जीवन के इतने वर्ष यह जानते हुए बिताए हैं कि मैं एक जातिच्युत व परित्यक्त हूँ। इसमें मुझे पीड़ा का अनुभव हुआ ? हुआ और इसने मुझे बुरी तरह से आहत किया है। परंतु चलन से बाहर हो चुके मुहावरे का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि समय बड़- बड़े घाव भर देता है। मेरे मामले में इस कहावत ने थोड़ा सा अलग तरह से अपना प्रभाव दिखाया है। कष्ट तो अब भी है पर समय के साथ साथ दर्द घट गया है। यह मेरे जीवन के एकांत क्षणों में मुझे आ घेरता है, जब मैं अपने अस्तित्व संबंधी यथार्थ से जूझ रही होती हूँ। मैं कौन हूँ और मैं एक पुरुष की देह में कैद स्त्री के रूप में क्यों जन्मी ? (पृ.5 पुरुष तन में फंसा.....)

लक्ष्मी नारायण और मानोबी के आत्मकथा में बहुत सी समानताएँ देखी जा सकती हैं। दोनों का जन्म संभ्रांत परिवारों में पुत्र के रूप में हुआ। दोनों की शारीरिक और मानसिक संरचना सामान्य बच्चों की तरह ही थी लेकिन धीरे-धीरे बढ़ती उम्र के भीतर और बाहर के असंतुलन को महसूस करने के कारण इनके समक्ष पहचान का संघर्ष पैदा होता है कारण इनकी लैंगिक पहचान पुरुष के रूप में थी लेकिन मन से वह स्वयं का स्त्री थी। तन और मन का संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। लोग क्या कहेंगे, परिवार की बदनामी होगी... जैसे विचारों से लड़ते लड़ते आखिरकार एक दिन सबके सामने पुरुष का चोला उतार कर स्त्री के रूप में अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम उठाती है और अपने भीतरी संघर्ष से मुक्त हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है अपनी पहचान का सामाजिक संघर्ष। दोनों के पुरुष से किन्नर बनने का सफर त्रासद एवं संघर्षपूर्ण रहा। लक्ष्मी और मनोबी दोनों ही अपने अस्तित्व की लड़ाई में एकदम अकेली थी।

दो लड़कियों के बाद सोमनाथ का जन्म लड़के के रूप में बंदोपाध्याय परिवार में हुआ था सभी बहुत खुश थे। लक्ष्मी की भाँति ही कुछ समय बाद सोमनाथ अपने पुरुष शरीर में स्त्री मन को कैद देख भीतर और बाहर की पीड़ा से व्यथित रहने लगा और फिर शुरू हुआ अपनी पहचान पाने का संघर्ष। " मैं बहुत भ्रमित थी मेरा जीवन एक अंतहीन भूल-भुलैया बन गया था-हर बार मैं एक ही मोड़ पर आ जाती मैं कौन थी ? मेरी देह मेरी आत्मा से अलग क्यों थी ? या मुझे अपनी पहचान को जानने में भूल हो रही थी ? मेरा जन्म इस तरह क्यों हुआ ?... मैं जितने लोगों को जानती थी उनमें से अधिकतर का यही मानना था कि मैं एक होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक थी। उन्होंने मुझे एक जनाना लड़का बना दिया था जो हिजड़ा बनाने की तैयारी में था। ... मैं पूरी तरह निश्चित थी कि मैं कोई होमोसेक्सुअल नहीं, एक लड़की हूँ। मैं अपनी हमउम्र लड़कियों की तरह पुरुषों की ओर आकर्षित होती थी और उन्हें अपने साथी की तरह पाना चाहती थी। ...पर विपरीतकामी लोगों की दुनिया ने मेरे प्रवेश पर रोक लगा दी थी ! उन्होंने केवल मेरा शोषण करते हुए मेरे स्तर का मखौल उड़ाया। उस समय ट्रांसजेंडर शब्द लोगों के लिए अनजान था। ... जब हम छोटे थे तो मज़ाक मज़ाक में एक दूसरे से पूछते, 'तुम एक मेल हो फ्रीमेल हो या कैमल हो ?' मुझे लगा कि मैं इस कैमल श्रेणी से थी और मेरे आगे एक पूरी बदकिस्मत जिंदगी पड़ी थी। पर मैं फिर भी अपने प्रश्नों के उत्तर चाहती थी। (पृ 36 पुरुष तन में फंसा.....)

बुद्धि और शरीर से स्वस्थ सोमनाथ पढ़ने लिखने में मेधावी छात्र था। पढ़ने में अच्छा होने के बाद भी सोमनाथ को विज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शन की जरूरत थी जिसमें उसके स्कूल सीनियर इन्द्र दा ने उसकी बहुत मदद की। उन्हीं की मदद से वह मनोचिकित्सक से मिला। उस डाक्टर ने सोमनाथ की कहानी धैर्य के साथ सुनी और समझाया की काउन्सलिंग की मदद से वह अपने-आप को यकीन दिला सकेगी कि वह एक पुरुष की तरह जन्मी है और वह पुरुष ही है। लेकिन वहाँ से आने के बाद सोमनाथ की सोच में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी स्वयं को लड़की मानती थी। उसे अपने शरीर से घृणा होने लगी थी। एक बार फिर इन्द्र दा ने उसे मैनाक मुखोपाध्याय से मिलने को कहा। मैनाक ने ही उसे बताया की सोमनाथ अपने बारे में जो भी सोच रखती थी वह कही से भी गलत नहीं थी। मानव शरीर में जटिल हार्मोनल असंतुलन के कारण ऐसी असामान्यता आ जाती है जिसे आधुनिक मेडिकल तकनीकों व इलाज की मदद से सुधारा जा सकता है। उन्होंने ही उसे बतलाया था कि वह सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवा सकती है पर इसके लिए ऑपरेशन से पहले और बाद में भी हार्मोनल उपचार की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही काउंसलिंग भी जारी रखनी होगी ताकि मानोबी का देह और मस्तिष्क आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल हो सकें। (पृ.39 पुरुष तन में फंसा....)

अपनी पहचान को लेकर मानोबी घर और बाहर निरंतर अपमान और तिरस्कार को झेलते हुए अपने वजूद के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी थी। बड़ी विडम्बना है कि जो लोग इनके खंडित देह को हेय दृष्टि से देख रहे थे वही लोग एकांत में इसका यौन शोषण करने से भी बाज नहीं आते थे। लक्ष्मी का यौन शोषण जिस तरह अपनों के द्वारा हुआ उसी प्रकार सोमनाथ का अपना ही 'कज़िन हर रात शराब के नशे में घरवालों को बेइज्जत करता और उसका यौन शोषण भी करता सिर्फ इतना ही नहीं उसके मुहल्ले के ज्यादातर लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका यौन शोषण किया था। "तब तक मैं धीरे धीरे पड़ोस के बहुत से लोगों के हाथों का सेक्स का खिलौना बन गयी थी। कुछ लोग तो बाहर ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का साहस रखते तो कुछ केवल आस-पास से निकलते हुए मेरे हालात की खिल्ली और मज़ाक उड़ा कर ही संतुष्ट हो लेते। (पृ.40 पुरुष तन में फंसा....) लेकिन सोमनाथ सामान्य से भिन्न दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी शिक्षा जारी रखते हुए कालेज में प्रवेश किया वहाँ भी अपने खंडित अस्तित्व को पूर्णता दिलाने के लिए अपनी पहचान और सम्मान के लिए उसे सबसे संघर्ष करना पड़ा। "उन्हें लगा कि सोमनाथ बंधोपाध्याय नामक कोई युवक होगा और उन्हें अपनी कक्षा में मेरे जैसे छात्र के आने का कोई अंदेशा नहीं था। ...मेरे कुछ दोस्तों को लगा कि मैं ट्रांसवेस्टाइट हूँ यानी विपरीत लिंगी के कपड़े पहनना पसंद है। मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि मैं एक औरत थी जो मर्द के जिस्म में कैद थी उस समय मुझे ट्रांसजेंडर शब्द की कोई जानकारी नहीं थी। (पृ.44 पुरुष तन में फंसा.....)

प्रेम पाने की चाहत में सोमनाथ ने भी लक्ष्मी की तरह प्रेम में अनगिनत धोखा खाने और हर बार छले जाने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। कालेज में अभि के साथ प्रेमप्रसंग और उसके माता पिता के विरोध के बाद उससे अलग होने की पीड़ा उसके जीवन का दूसरा धोखा था। सुखद

पारिवारिक जीवन जीने का सपना अधूरा ही रह गया। अपनी खूबसूरती जहाँ से वह अपने कॉलेज में सबके आकर्षण का केंद्र थी सभी लड़के उसके दीवाने थे। सब धूमना फिरना, सेक्स करना उसके दिनचर्या में शामिल था लेकिन उसके मन को तो एक स्वतंत्र बंध की तलाश थी जो उसकी आत्मा को उन्नत बना सके। "मैं युवा और भावुक प्रकृति की थी अपने लिए किसी मजबूत सहारे की तलाश में थी। कोई ऐसा जो मेरी निगाहों से होते हुए आत्मा की प्यास को बुझा देता। जो मेरी राह में आए वे मेरे लिए ऐसा कोई एहसास नहीं रखते थे मैं पूरी तरह से उन्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सबके साथ मौज मना रही थी और यह सब मेरी इच्छा से हो रहा था। मैं जानती थी कि यह सब अच्छा नहीं था और मेरे जैसी अच्छी छात्रा को यह सब करना शोभा नहीं देता पर मैं चाह कर भी अपनी अस्थायी रंगरेलियों से छुटकारा नहीं पा सकी। (पृ.47 पुरुष तन में फंसा.....) " प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी छलना रही, फिर भी मैं प्रेम या प्रेम करने से नहीं हारी। जब भी मैं अपने एक के बाद एक सामने आने वाले उन विविध प्रेम प्रसंगों का स्मरण करती हूँ तो एक गहरी हृदय-विदारक आह के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। हर अनुभव ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, मेरे वजूद को चूर-चूर किया, पर यह अपने साथ एक नई अनुभूति लेकर आता जो मुझे पहले से कहीं परिपक्व और आत्मविश्वासी बना जाती। आज मुझे एहसास है कि प्रेम, जीवन की तरह ही, कुछ समय बाद समाप्त होता है और आपको इसे छोड़ना आना चाहिए। (पृ. 23 पुरुष तन में फंसा.....) अपने यौन संबंधों के बारे में लक्ष्मी कहती हैं 'एक दिन मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। आज तक मेरे जिन-जिन लोगों के साथ संबंध रहे थे, इस सब में मेरे शरीर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रवि के साथ स्थापित हुए सम्बन्धों में भी शरीर था, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो थी, वो था मेरा दिल... वो किसी की भी नहीं सुन रहा था ... हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा...? ये सवाल मेरे जहन में आया। वो मेरे साथ शादी नहीं बना सकता ... मेरे साथ रह नहीं सकता ... ये संभव ही नहीं था, हमारे समाज में ये बात कभी स्वीकार नहीं की जा सकती " (पृ37 में हिजड़ा)

इन सबके बावजूद लक्ष्मी का डांस पेशन और मानोबी के पढ़ने का जूनून ने दोनों को अपने अपने क्षेत्र में ख्याति दिलाने का काम किया। लक्ष्मी के शब्दों में "कलाकार की हैसियत से मिलनेवाली यह प्रसिद्धि मुझे आत्मविश्वास दे रही थी। लोग कुछ भी कहें, कैसा भी चिढ़ायें मैं खुद ऐसा कुछ कर सकता हूँ इसका एहसास ही मेरे लिए सुखद था। जो मुझे पसंद था, चाहिए था, वही मैं कर रहा हूँ, इसका संतोष भी था। ग्लैमर के क्षेत्र में कोई मेरे तरफ गलत नजरों से भी नहीं देख रहा था, और इस आत्मविश्वास के कारण ही मैं जेंडर के विषय में और बोल्ड और निश्चयी होने लगा था। (पृ.45 में हिजड़ा) 'मैं शिक्षित थी, एस्टब्लिश डांसर थी। ग्लैमर की दुनिया में कैरियर बनाना चाहती थी। उसमें मुझे सफलता भी मिली थी। पृ 53 में हिजड़ा ...)

सोमनाथ के व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पक्ष था उसका लेखन कौशल, जो उसे निरंतर सब संघर्षों से जूझने की प्रेरणा दे रहा था यही वजह थी कि सोमनाथ इन सबसे ऊपर उठकर पत्र पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र लेखन करने लगा जिसने न सिर्फ उसे ख्याति दिलाई अपितु कॉलेज में

अब सब उसका सम्मान भी करने लगे। अखबार के लिए काम करते हुए उसके सहयोगियों ने उसे पूरा सम्मान दिया। यहाँ से मिले नए आत्मविश्वास और स्वाभिमान से सशक्त होकर उसने एक साहसिक कदम उठाया ट्रांसजेंडर की पहचान स्वीकार करते हुए सबके सामने आने का साहस किया लेकिन माता-पिता उसकी इस पहचान को झुठलाते रहे और सबसे यही कहते रहे कि सोमनाथ गलत संगत में पड़कर ऐसा कह रहा है। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर सोमनाथ ने एक नई दुनिया में कदम रखा और शंख घोष सर की प्रेरणा से वह बौद्धिक आदान प्रदान के प्रोत्साहित होकर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर जल्दी ही जेयू में लोकप्रिय छात्र के रूप में अपनी पहचान बना लेती है। यहाँ एक बार फिर सागर बोस के प्रेम में पड़कर छली जाती है जब उसे यह पता चलता है कि सागर के सिर्फ उससे ही नहीं कई दूसरी लोगों से भी शारीरिक संबंध है। इसके बाद वह कई विदेशी छात्रों के साथ भी दैहिक संबंध बनाती है लेकिन मन के भीतर का अकेलापन इनमें से कोई भी नहीं भर पाता। महिला मित्रों के साथ भावात्मक बल लेते हुए एम.ए. करने के बाद उसे नौकरी की आवश्यकता थी जो उसे आत्मनिर्भर बना सके। शीघ्र ही उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसे बगुला के श्री कृष्णा कॉलेज में 125 रुपया प्रतिमाह वेतन पर अंशकालिक लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हो जाती है और कुछ दिनों बाद ही उसे स्कूल में स्थायी अध्यापक की नौकरी भी मिल जाती है। वहाँ अध्यापन के साथ साथ डांस और थियेटर की स्थापना कर छात्रों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ने लग जाती है। उसी स्कूल में अपने सहयोगी बिमान के आकर्षणवश वह उससे प्रेम करने लगती है बिमान भी उससे प्रेम करता है। दोनों विवाह के बाद एक परिवार बनाना चाहते थे। चूंकि दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे इस लिए लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता दोनों को न थी। बिमान सोमनाथ को पत्नी बनाना चाहता था इसलिए वह सोमनाथ से ऑपरेशन करवाने के लिए आग्रह कर रहा था दोनों एक मनोचकित्सक से मिलने जाते हैं दोनों से अलग अलग बातचीत करते हुए डॉक्टर, बिमान को इस संबंध से दूर रहने की सलाह देता है इस बात की जानकारी मिलते ही सोमनाथ बिमान पर टूट पड़ती है उसे बिमान के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयों से पता लग जाती है कि बिमान कितना कायर आदमी है और एक बार फिर वो अपने दिल के हाथों आहत होती है। इसी अवसाद के बीच उसे सर्विस कमीशन के द्वारा पश्चिम बंगाल के कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति का पत्र प्राप्त होता है।

यहाँ से उसके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। नए माहौल और नए वातावरण में चुनौतियाँ ज्यादा कठिन थी। इस कालेज के दो नेता टाईप प्रोफेसर सूरि सेनगुप्ता और शशांक (जो इस कॉलेज के सम्राट थे) ने एक ट्रांसजेंडर को प्रोफेसर के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। जबकि कालेज के प्रिंसिपल को इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। दोनों प्रोफेसर के अभद्र व्यवहार का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जिसका जिक्र कराते हुए सोमनाथ लिखता है "एक बार उनमें से दो लोगों ने मुझे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया ... मेरी छतियों के निम्पल इतनी जोर से दबाए कि मेरी कराह निकल गई। हिजड़े अपनी जुबान बंद रख।" ("पृ.85 पुरुष तन में फंसा.....) लेकिन अपने छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के एहसास के कारण सब कुछ चुपचाप

सहने के लिए मजबूर थी। शिक्षा में बदलाव की जरूरत को महसूस करते ही सोमनाथ मानती थी कि "एक समाज के रूप में हमें पारंपरिक उच्च शिक्षा के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसकी बजाय अगर हम उन बच्चों को पेशिवर प्रशिक्षण दे सकें तो वे अपने जीवन में कोई काम कर सकेंगे और उन्हें बेरोजगार नहीं रहना होगा।" (पृ.86 पुरुष तन में फंसा.....)

सामाजिक दायित्वों का निर्वाह लक्ष्मी और मानोबी को आत्मिक संतोष देता था इसलिए मानोबी ने तय किया कि वह छोटी मोटी बाधाओं से अपने उत्साह को मंद नहीं होने देगी और गाँव के नवयुग और युवतियों से मित्रता कर समाज में लोगों की सहायता करेगी। इन सब घटनाक्रमों के बाद वह जीवन की एक ओर सीढ़ी चढ़ते हुए पी एच डी करने का निर्णय लेती है और गाइड के रूप में जेएनयू की प्रोफेसर और नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की भूतपूर्व पत्नी नवनीता देवसेन को चुनती है। नवनीता ट्रांसजेंडर की समस्याओं और अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहती थी। नवनीता सोमनाथ को इन्हीं के जीवन पर शोध करने के लिए प्रेरित भी करती है लेकिन उसकी दूसरी गाइड शर्मीला दी को यह विषय पसंद न आने की वजह से वह इस विषय पर शोधकार्य नहीं कर पाती। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हिजड़े समुदाय के बारे में बारीकी से जानने और उनके जीवन के अनदेखे पहलुओं को प्रकाश में लाने उद्देश्य से वह भारत की पहली ट्रांसजेंडर पत्रिका अबोमानाब नाम की पत्रिका निकालने का निर्णय लेती है। इसके लिए उसे उनके जीवन को निकट से देखने की जरूरत महसूस हुई तो वह उस घराने दीक्षा लेने के लिए स्यामोली दी के आश्रम जाती है जिसको केंद्र में रखकर वह उपन्यास भी लिखती है। अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद मीडिया में सोमनाथ को कवरेज मिलने लगी नाम और शोहरत के साथ कालेज के विरोधियों के मुहों भी बंद हो गए लेकिन वह अभी अपनी अपूर्णता के साथ जूझ रही थी जिसमें उसका साथ दिया एडोक्रिनोलोजिस्ट अनिरबान मजूमदार ने जिन्होंने अखबार में सोमनाथ का लेख पढ़कर उससे संपर्क किया। सोमनाथ उनका पहला केस था। उन्हीं के देखरेख में तीन वर्षों की थेरेपी के बाद उसके शारीरिक बनावट में बदलाव दिखने लगे थे। कमर, छाती, पेट का आकार बदलने लगा था। अब अगला कदम था ऑपरेशन का जिसको लेकर पहले तो वह डगमगाई और एक साल के सोच विचार के बाद वह 2002 में इस ऑपरेशन के लिए तैयार हुई जिसके पीछे उसके एक और प्रेमसंबंध की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बार के प्रेमी का नाम था सोरेन। सोरेन ने भी उसे छला है यह उसे बहुत देर बार पता चला लेकिन सोरेन के प्रेम में पागल सोमनाथ का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सोरेन ने भी उसे छला है। समय के साथ यह घाव भी भर जाता है। एकबार फिर अपने नए प्रेमी अरिंदम के प्रेम में पड़कर दांपत्य जीवन के सपने सँजोने लगती है। 'अब मेरे सामने जीवन का एक ही लक्ष्य था -विवाह, पति और परिवार। बेशक मैं उस तरह औरत नहीं बन सकती थी जैसी कुदरत ने बनाई है ...मुझे रक्त साव नहीं होगा और मैं न ही माँ बन सकूँगी पर मेरे पास योनि और वक्षस्थल होगा, जो मेरे लैंगिकता को बढ़ाने में मदद करेगा।' लेकिन इस संबंध में भी वह एक बार फिर धोखा खाती है। सेक्स चेंज कराने के बाद कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर मानोबी रख

लेता है। जिसका अर्थ बताते हुए कहतीं हैं- " मानोबी नाम मैंने इस लिए चुना क्योंकि इसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट मादा-प्रकृति -जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है । (पृ 139 पुरुष तन में फंसा.....)

सोमनाथ से मानोबी बनाने का सफर कृष्णनगर वूमन कालेज की प्रिन्सिपल पद पर पहुँच कर पूरा होता है । इसके साथ ही समाज में सम्मान और आदर के साथ भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज की प्रिन्सिपल बनाने का गौरव मिलता है । तमाम विरोधों उपहासों और व्यंग्य को सहते हुए मनोबी पुरुष तन का चौला उतार स्त्री मन के साथ शरीर धारण करने में सफल होती है । मानोबी की तरह लक्ष्मी ने भी अपने दम पर अपनी पहचान बनाने का एक लंबा सफर तय किया और कई देशों में (अमेरिका कनाडा ,यूरोप मेक्सिको ,मलेशिया थाईलैंड) अपनी कम्यूनिटी का प्रतिनिधित्व भी किया । अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के साथ साथ कैंसर पीड़ित व एच आई वी के लिए भी कार्य करती रही है । हिजड़ों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाली पहली भारतीय हिजड़ा का सम्मान पा चुकी है । सिर्फ इतना ही नहीं ,दस का दम ,सच का सामना टीवी शो के अलावा बिगबास सीजन -5 की प्रतिभागी भी रह चुकी हैं । आज उनकी पहचान एक सेलिब्रेटी के रूप में की जाती है।

कहा जा सकता है कि इनकी सफलता का मूल मंत्र है- "दृढ़ निश्चय " । अपने अटूट आत्मविश्वास और उच्च शिक्षा के बल पर ब्रूमेन कालेज में प्राचार्य के पद पर आसीन होकर मानोबी सिद्ध कर देती है कि यदि थर्ड जेंडर को परिवार और समाज का साथ मिले तो उनकी ऊर्जा एवं शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाकर समाज में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाई जा सकती है । इसी प्रकार लक्ष्मी ने किन्नर को देखने का नजरिया ही बदल दिया है और इस समुदाय के लिए फैशन और ग्लैमर के क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम खोल दिए हैं जरूरत है तो बस इतनी कि इस तरह के बच्चों को परिवार का भरपूर प्रेम और विश्वास मिले तो ये भी सफलता के शिखर तक पहुँचकर परिवार का सहारा बन सकते हैं ।

दोनों आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि हार्मोनल दोष हो या लैंगिक दोष से पीड़ित बच्चों को परिवारिक ,सामाजिक संरक्षण के साथ इनको उपेक्षित होने से बचाया जा सकता है तथा शिक्षित करके इन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है । एड्स इस दिशा में साल 2004 में तमिलनाडु में सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए खासतौर से एक कल्याण बोर्ड गठित किया गया. सरकार ने उनको बुनियादी सकारात्मक उपाय दिए, जैसे रिआयती आवास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र । इसके साथ ही उन्हें खास सरकारी अस्पतालों में सेक्स बदलने वाली सर्जरियां निःशुल्क करवाने की सुविधा दी । अगस्त 2018 में केरल देश का दूसरा राज्य बन गया जहां पर सेक्स बदलवाने से जुड़ी सर्जरियों के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को 2 लाख रुपये का सहयोग दिया जाता है । भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सरकार से इसी तरह के समर्थन की आपात जरूरत है ताकि उन्हें पर्याप्त तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और संदेहास्पद चिकित्सकीय पेशेवरों के हाथों उन्हें

जैसे शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है वे उससे बच सकें। मिलाकर सरकार के सहयोग और परिवार के प्रयासों द्वारा इन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।

दोनों आत्मकथाओं ने समाज में ट्रांसजेंडर के जीवन के अभेद्य किले काह कर हाशिये पर जीने के लिए विवश इस समुदाय को मुख्यधारा में स्थान दिलवाने की पहल की है। इस समुदाय की आईकन लक्ष्मी और मनोबी का जीवन संघर्ष यह सिद्ध करता है कि इनकी स्वीकार्यता का रास्ता परिवार से शुरू होकर ही समाज की ओर जाता है सिर्फ समाज और सरकार को दोष देने से इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता इसके लिए सर्वप्रथम परिवार का पूर्वाग्रहों से मुक्त आधुनिक व वैज्ञानिक सोच ही किन्नर समुदाय को न्यायोचित अधिकार दिला

संदर्भ ग्रंथ

1. त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण "मैं हिजड़ा ...मैं लक्ष्मी" (प्रथम संस्करण :2015),वाणी प्रकाशन ,नई दिल्ली, अनुवाद डॉ शशिकला राय ,सुरेखा बनकर
2. बंधोपाध्याय मानोबी, (अनुवाद-- झिमली मुखर्जी पाण्डेय) "पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन" ,(प्रथम संस्करण :2018) ,राजपाल एंड संस दिल्ली ,
3. संपा. सिंह शरद थर्ड जेंडर विमर्श -, संस्करण: 2019 सामायिक प्रकाशन नई दिल्ली
4. संपा. भारद्वाज महेश थर्ड जेंडर विशेषांक त्रैमासिक पत्रिका- ,सामयिक सरस्वती -अप्रैल-सितंबर,वर्ष 4,अंक-13-14 कार्यकारी

भारतीय दर्शनों में आध्यात्मिक चिंतन

मंजु लता

संस्कृतविभागः, कालिन्दीमहाविद्यालयः, दिल्लीविश्वविद्यालयः, नवदेहली- ११०००८

अणु-संकेतः manjulata1965@gmail.com

सारांशिका

भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अन्योन्य सम्बन्ध है। मनीषियों ने अपना चिन्तन लौकिक कर्तव्यों के साथ साथ सभी के मूल में अध्यात्म का अनुप्रवेश कराया था। आस्तिक हो या नास्तिक उभयविध दर्शनों के अन्तःस्थल में आध्यात्मिक भावना निःस्रवित होती रहती है। भारतीय दार्शनिकता की अध्यात्मिकता की चरमसीमा के दर्शन मात्र इसी तथ्य से दृष्टिगोचर हो जाती है कि सबका मार्ग परस्पर विरोधी अथवा विभिन्नता को धारण करते हुए भी एक मात्र परम सत्ता में ही जाकर विलीन हो जाती है।

दर्शन शब्द दृश धातु से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है “जिसके द्वारा देखा जाये या देखना या साक्षात्कार करना।” भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं – 1. ऐन्द्रिय अनुभूतियाँ 2. अनेन्द्रिय अनुभूतियाँ। ऐन्द्रिय अनुभूतियाँ सांसारिक वस्तु पदार्थों के उपभोग (रस, गंध, दर्शन आदि) से सम्बंधित हैं जबकि अनेन्द्रियक अनुभूतियाँ आत्मा परमात्मा के दर्शन अनुभव या साक्षात्कार से सम्बंधित होती हैं। भारतीय दर्शनों में विद्यमान साम्यता ही भारतीय दर्शन की विशेषताएं कहलाती हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं –

1. दुःखमय संसार
2. आत्मा की सत्ता में विश्वास
3. कर्म सिद्धान्तकी मान्यता
4. पुनर्जन्म में आस्था
5. दर्शन में पुरुषार्थों की कल्पना
6. अज्ञानता बन्धन का मूल कारण
7. योग सिद्धान्त
8. आत्मप्रबंधन का सिद्धान्त
9. जगत की सत्यता में विश्वास

दुःखमय संसार-

प्रायः सभी दर्शनों ने इस संसार को दुःखमय माना है। विभिन्न रोगों, वृद्धावस्था, मृत्यु, मानसिक कष्टों आदि के कारण व्यक्ति का चित्त सदा उद्विग्न रहता है। संसार में दुःख तीन प्रकार के माने गए हैं-

- क. आध्यात्मिक दुःख
- ख. आधिभौतिक दुःख
- ग. आधिदैविक दुःख

आध्यात्मिक दुःखों के कारण मनुष्य निरंतर क्लेश पाता है। शारीरिक और मानसिक प्रकार के दुःख आध्यात्मिक दुःख होते हैं। पशु और मानव आदि बाहरी जगत के प्राणियों से जो दुःख प्राप्त होते हैं वो आधिभौतिक दुःख कहलाते हैं। जैसे- चोरी, डकैती, हत्या इत्यादि। अप्राकृतिक शक्तियों से जो प्राप्त होते हैं वे आधिदैविक दुःख कहलाते हैं। जैसे - भूत-प्रेत, बाढ़, अकाल और भूकंप भारतीय दर्शन इन सभी दुःखों के कारणों को जानने का

के मतानुसार बालक का रोना, हँसना अर्थात् उसकी समस्त गतिविधियाँ उसके पूर्वजन्म की अनुभूतियों को दर्शाती है। सांख्य के अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती अपितु सूक्ष्म शरीर ही स्थूल के नष्ट होने के बाद दूसरे स्थूल शरीर में ही प्रवेश करता है।

दर्शन में पुरुषार्थों की कल्पना-

संसार के दुखों को दूर करने के लिए ही दर्शनों का विकास हुआ है भारत में धर्म और दर्शन के आचार्यों ने मानव जीवन में चार पुरुषार्थों की कल्पना की है- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें मोक्ष चरम पुरुषार्थ है। चार्वाक के आलावा अन्य सभी दर्शन मोक्ष में पूर्ण आस्था रखते हैं, चार्वाक अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ मानता है। मोक्ष का अर्थ है -दुःख का विनाश। बौद्ध दर्शन मोक्ष को निर्वाण कहता है इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ है, आत्मा द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। वैशेषिकदर्शन में मोक्ष को दुःख के उच्छेद की अवस्था कहा गया है। सांख्य में दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रिविध दुःखों से मुक्ति मोक्ष कहलाता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार सुख-दुःख से परे की अवस्था मोक्ष कहलाती है और अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का ब्रह्म में लीन हो जाना है।

अज्ञानता बन्धन का मूल कारण-

सभी भारतीय दर्शन अज्ञानता को व्यक्ति के बन्धन का मूल कारण मानते हैं परन्तु प्रत्येक दर्शन अज्ञान को अपने अनुसार व्यक्त करता है। जैसे- बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्त्यों का ज्ञान ना रहने को अज्ञान मानता है। सांख्य और योग दर्शन मानव के अविवेक को अज्ञान मानते हैं। सभी भारतीय दर्शनों का यह मानना है कि मानव का यह अज्ञान ही उसके बन्धन का कारण है जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो जाता कि जो आत्मा उसमें है, वही आत्मा सब में है। तब तक वह राग, द्वेष, माया मोह में लिप्त रहता है। जैसे ही उसका यह अज्ञान दूर हो जाता है वैसे ही उसे उस परमतत्त्व के दर्शन हो जाते हैं।

योग सिद्धांत -

भारतीय दर्शन योगाभ्यास की भी चर्चा करता है यह योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि आदि आठ अंगों को मानते हैं। दर्शनों में शरीर, मन और वचन की साधना को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है।

आत्मप्रबंधन का सिद्धांत-

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों से उत्पन्न पाशविक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भारतीय दर्शन में आत्मसंयम पर बल दिया गया है। सभी भारतीय दर्शन आत्मसंयम हेतु अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्या का पालन और विषयासक्ति के त्याग पर बल देते हैं। दर्शन इन्द्रियों के दमन पर नहीं अपितु उनके नियंत्रण पर बल देते हैं। मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण करके ही उस परम तत्त्व को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति का अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो वह इधर उधर भटकता रहेगा और अपने परमतत्त्व (ध्येय) को प्राप्त नहीं कर पायेगा।

जगत की सत्यता में विश्वास-

भारतीय दर्शनों में केवल अद्वैत वेदांत दर्शन ही है जो संसार की पारमार्थिक सत्ता का खण्डन करता है। वह केवल ब्रह्म को सत्य मानता है। मीमांसा दर्शन संसार को सत्य मानता है यह संसार के निर्माण का कारण परमाणुओं को एवं कर्म के नियमों को मानता है। बौद्ध दर्शन संसार का अस्तित्व तब तक मानता है जब तक उसकी अनुभूति है। सांख्य व योग भी जगत को सत्य मानते हैं। न्याय वैशेषिक भी जगत को सत्य मानते हैं यह संसार को दिशा और काल में स्थित मानते हैं। चार्वाक दर्शन संसार को पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से निर्मित मानता है। जैन दर्शन के अनुसार यह संसार दिशा और काल में विद्यमान परमाणुओं से मिलकर बना है।

प्रयास करते हैं और दुःख निरोध के कारणों को खोजते हैं। वास्तविक दुःख निरोध ही मोक्ष है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शन मोक्ष को ही जीवन का चरम प्रयोजन मानते हैं। मोक्ष की स्थिति में दुःख का पूर्ण अभाव हो जाता है, मोक्ष को आनन्दमय अवस्था माना गया है।

आत्मा की सत्ता में विश्वास-

भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास रखता है। भारतीय ऋषि कहते हैं- “आत्मानं विद्धि” अर्थात् स्वयं को आत्मा जानो। भारतीय दार्शनिक आत्मा को अमर और अविनाशी मानते हैं। यह आत्मा मनुष्य की भौतिक देह से भिन्न होती है क्योंकि देह विनाशी हुआ करती है। चार्वाक दर्शन आत्मा को शरीर का ही पर्याय मानता है उनके अनुसार शरीर की तरह आत्मा भी विनाशी है, उनका यह मत देहात्मवाद कहलाता है। बौद्ध दर्शन क्षणिक आत्मा की सत्ता को मानता है इनके अनुसार आत्मा, चेतना का प्रवाह है। बौद्ध ने वास्तविक आत्मा को भ्रम कहकर उसे व्यवहारिक आत्मा माना है और यह स्वीकार किया है कि यह आत्मा निरंतर परिवर्तनशील रहती है। जैन दर्शन जीव को चैतन्य युक्त मानता है इनके अनुसार आत्मा में चेतना सदा विद्यमान रहती है, आत्मा ही ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता है। आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन तथा अनन्त आनन्द होता है। आत्मा से सम्बंधित न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का मत यथार्थवादी मत कहलाता है। इनके अनुसार चेतना का संचार आत्मा में तभी होता है जब आत्मा का सम्पर्क मन, शरीर और इन्द्रियों से होता है जब मोक्ष की अवस्था होती है तब वह चैतन्य गुण से रहित होती है। मीमांसा दर्शन में भी आत्मा को नित्य तथा विभु माना गया है। सांख्य दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानता है चेतना आत्मा का मुख्य लक्षण है आत्मा सदा ज्ञाता होती है ज्ञान का विषय नहीं होती यह आत्मा को अकर्ता, आनन्दविहीन और त्रिगुणातीत मानता है।

कर्म सिद्धान्त की मान्यता-

आस्तिक तथा नास्तिक सभी दर्शनों ने कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। भारतीय दर्शन का कर्मसिद्धान्त है- “शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार किये हुए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। बिना कर्म किये कोई फल प्राप्त नहीं होता हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। हमारे अतीत जीवन के कर्मों का फल हमारा वर्तमान जीवन बनता है। कर्म तीन प्रकार के माने गए हैं- संचित कर्म- यह अतीत कर्मों से उत्पन्न होता है, किन्तु वर्तमान जीवन में उसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ होता।

प्रारब्ध कर्म - यह वो कर्म हैं जिनका फल मिलना अभी शुरू हुआ है कर्म भी अतीत जीवन से सम्बन्ध रखते हैं।

संचयीमान कर्म - ये वर्तमान जीवन के कर्म हैं जिनका फल भविष्य में प्राप्त होगा।

पुनर्जन्म में आस्था -

भारतीय दार्शनिकों के अनुसार इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जन्म मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है एक जन्म में किये गए कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है तथा पुनर्जन्म में किये गए कर्मों के फल को भोगती है। वैदिक काल में माना जाता था कि जो व्यक्ति अपना कर्म पूर्णतः ज्ञान से युक्त होकर नहीं करता वही पृथ्वी पर बार बार जन्म लेता है। गीता के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति पुराना फटा हुआ वस्त्र उतार कर नवीन वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार यह आत्मा जर्जर-वृद्ध शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को तो मानता है पर आत्मा के बिना। इनके अनुसार जिस प्रकार एक दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक को प्रकाशित किया जाता है उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था (वृद्धावस्था) से भविष्य जीवन की पहली (बाल्यावस्था) का निर्माण होता है। चार्वाक दर्शन न आत्मा को मानता है और न ही पुनर्जन्म को मानता है। इनके मतानुसार शरीर का नाश होने के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। न्याय और वैशेषिक दर्शन

के मतानुसार एक का रोना, हँसना अर्थात् उसकी समस्त गतिविधियाँ उसके पूर्वजन्म की अनुभूतियों को दर्शाती है। सांख्य के अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती अपितु सूक्ष्म शरीर ही स्थूल के नष्ट होने के बाद दूसरे स्थूल शरीर में ही प्रवेश करता है।

दर्शन में पुरुषार्थों की कल्पना-

संसार के दुखों को दूर करने के लिए ही दर्शनों का विकास हुआ है भारत में धर्म और दर्शन के आचार्यों ने मानव जीवन में चार पुरुषार्थों की कल्पना की है- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें मोक्ष चरम पुरुषार्थ है। चार्वाक के आलावा अन्य सभी दर्शन मोक्ष में पूर्ण आस्था रखते हैं, चार्वाक अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ मानता है। मोक्ष का अर्थ है -दुःख का विनाश। बौद्ध दर्शन मोक्ष को निर्वाण कहता है इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ है, आत्मा द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। वैशेषिकदर्शन में मोक्ष को दुःख के उच्छेद की अवस्था कहा गया है। सांख्य में दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रिविध दुःखों से मुक्ति मोक्ष कहलाता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार सुख-दुःख से परे की अवस्था मोक्ष कहलाती है और अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का ब्रह्म में लीन हो जाना है।

अज्ञानता बन्धन का मूल कारण-

सभी भारतीय दर्शन अज्ञानता को व्यक्ति के बन्धन का मूल कारण मानते हैं परन्तु प्रत्येक दर्शन अज्ञान को अपने अनुसार व्यक्त करता है। जैसे- बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्त्यों का ज्ञान ना रहने को अज्ञान मानता है। सांख्य और योग दर्शन मानव के अविवेक को अज्ञान मानते हैं। सभी भारतीय दर्शनों का यह मानना है कि मानव का यह अज्ञान ही उसके बन्धन का कारण है जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो जाता कि जो आत्मा उसमें है, वही आत्मा सब में है। तब तक वह राग, द्वेष, माया मोह में लिप्त रहता है। जैसे ही उसका यह अज्ञान दूर हो जाता है वैसे ही उसे उस परमतत्त्व के दर्शन हो जाते हैं।

योग सिद्धांत -

योग दर्शन योगाभ्यास की भी चर्चा करता है यह योग के यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि आदि आठ अंगों को मानते हैं। दर्शनों में शरीर, मन और वचन की साधना को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है।

आत्मप्रबंधन का सिद्धांत-

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों से उत्पन्न पाशविक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भारतीय दर्शन में आत्मसंयम पर बल दिया गया है। सभी भारतीय दर्शन आत्मसंयम हेतु अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्या का पालन और विषयासक्ति के त्याग पर बल देते हैं। दर्शन इन्द्रियों के दमन पर नहीं अपितु उनके नियंत्रण पर बल देते हैं। मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण करके ही उस परम तत्त्व को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति का अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो वह इधर उधर भटकता रहेगा और अपने परमतत्त्व (ध्येय) को प्राप्त नहीं कर पायेगा।

जगत की सत्यता में विश्वास-

भारतीय दर्शनों में केवल अद्वैत वेदांत दर्शन ही है जो संसार की पारमार्थिक सत्ता का खण्डन करता है। वह केवल ब्रह्म को सत्य मानता है। मीमांसा दर्शन संसार को सत्य मानता है यह संसार के निर्माण का कारण परमाणुओं को एवं कर्म के नियमों को मानता है। बौद्ध दर्शन संसार का अस्तित्व तब तक मानता है जब तक उसकी अनुभूति है। सांख्य व योग भी जगत को सत्य मानते हैं। न्याय वैशेषिक भी जगत को सत्य मानते हैं यह संसार को दिशा और काल में स्थित मानते हैं। चार्वाक दर्शन संसार को पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से निर्मित मानता है। जैन दर्शन के अनुसार यह संसार दिशा और काल में विद्यमान परमाणुओं से मिलकर बना है।

अंत में इस प्रकार उपरिलिखित बिन्दुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराकर त्रिविध दुःखों की आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग दिखाना तथा ब्रह्मानुभूति करना ही अंतर्गत दर्शनों का वास्तविक लक्ष्य है ।

नाट्यशास्त्र में लोकजीवन : नायक के सन्दर्भ से

डा. विश्वजीत विद्यालङ्कार

संस्कृतविभागः, कालिन्दीमहाविद्यालयः, दिल्लीविश्वविद्यालयः, नवदेल्ही- ११०००८

अणु-सङ्केतः v.jeetverma@gmail.com

सारांशिका

लोकभाषा अथवा लोकव्यवहार का मानदण्ड का प्रतीक अथवा रूपक के रूप में रूपान्तरण ही नाट्य का अभिधेय है। आद्याचार्य भरतमुनि के अनुसार नाट्य के प्रत्येक विषय का चयन लोकजीवन से सम्बद्ध होना चाहिए। विषय की सम्बद्धता होते ही उसके पात्रों एवं कथावस्तु में लोक स्वतः ही समाहित हो जाता है। नाटक का प्राणरूप अथवा धुरि के समान प्रतिष्ठित नायक ही होता है जिसके इतस्ततः सबकी संरचना होती है। नायक से अभिप्रायः नाट्य के नायिका एवं नायक एवं उनसे सम्बद्ध सभी पात्रों का ग्रहण नाट्यसिद्धान्तों में स्वीकृत है।

संस्कृत वाङ्मय में आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र एवं काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान युग में भी नाट्य, सङ्गीत, नृत्य, गीत आदि में निपुणता हेतु भरतमुनि की प्रसिद्ध रचना की नितान्त आवश्यकता होती ही है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित नाट्य से सम्बन्धित एक पेपर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें से नायक की विविधता ने सर्वाधिक आकर्षित किया। आधुनिक चलचित्रों को दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, जो सामान्य विद्यार्थियों के लिए सहज विषय होता है। बचपन से ही चलचित्र अथवा नाटक का नायक बस नायक होता है उनके लिए। लेकिन इस पेपर के अध्ययन के पश्चात् अब उनके मानस में भी नायकों की श्रेणी निर्धारण का छोटा सा प्रयास स्वतः ही होने लगा है। ऐसा लगता है कि नायक अथवा प्रतिनायक ही नहीं चलचित्र का हरेक पात्र लोकजीवन को ही आधार बनाकर बनाया जाता है।

नायक से सम्बन्धित ज्ञान के बिना किसी भी काव्य का बस दो ही स्वभाव होता है, सामान्यजन के लिए नायक का; इनमें से एक अच्छा वाला होता है और दूसरा अच्छा नहीं होता। लेकिन नायक के प्रकार को पढ़कर अब इसके विविधता का भी परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

संस्कृत नाट्यशास्त्र में नायक को सर्वप्रथम चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है-

- धीरललितःⁱ
- धीरप्रशान्तःⁱⁱ
- धीरोद्धतःⁱⁱⁱ और
- धीरोदात्तः^{iv}

सामान्य रूप से इनके स्वभाव को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है कि, ये सभी स्वभाव से क्रमशः हंसी मजाक वाला, थोड़ा गम्भीर एवं सामान्यगुण स्वभाववाला, थोड़ा उदण्ड एवं अन्तिम वाला हर प्रकार से अनुशासित एवं लोक में दूसरों के लिए प्रेरणादायक स्वभाववाला होता है। नाट्य में इन सब नायक पात्रों के अतिरिक्त स्वभाव वालों को विदूषक, विट, चेट आदि रूपों में रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे लोकजीवन को ही काव्य में अप्रत्यक्ष रूप से उतारने के लिए नायक के नानाविध प्रकार की रचना की गयी है। वैसे भी नाट्यशास्त्रकार ने अपने ग्रन्थ में इस लोकजीवन की प्रस्तुति को अपना लक्ष्य बताया है-

नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्।^v

एवं नायिका से प्रेम एवं वियोग को लेकर ही हमेशा चिन्तित रहते हैं। अनेक जगह तो इनके परिजन विशेषतः इनकी पत्नी भी इनके व्यवहार से नाराज होती है अथवा क्रुद्ध रहती है किन्तु उसका इनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस प्रकार के आचरण का अपने लोकजीवन में अन्वेषण करते हैं तो पाते हैं कि, हमारे समाज में ऐसे चरित्र वाले पात्रों की बहुतायात सङ्ख्या पायी जाती है। समाज का सामान्य जन हो अथवा कोई प्रतिष्ठित जन, सरकारी कर्मचारी हो अथवा व्यापारी, कानून बनाने वाले लोकनेता हो अथवा उसकी रक्षा करने वाले पुलिस इन सभी में ज्यादातर धीरललित चरित्र का वास होता है। इन सभी के जीवन का अधिकतर समय अपने लिए ही व्यतीत होता है चाहे उनकी मीजमस्ती हो या प्रेम प्रसङ्ग के प्रति उनकी लुक-छुपी। यदि उपर्युक्त सभी अपने कर्तव्य को लोकजीवन में प्रथम स्थान पर मानते तो आज समाज में उत्पन्न व्यक्ति, परिवार या समाज से सम्बन्धित इतनी समस्या होती ही नहीं। अतः हमें ऐसी प्रतीति होती है कि धीरललित नायक की अवधारणा लोकजीवन के इन्हीं प्रसंग से ग्रहण किया गया होगा।

इसके प्रसंग में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस नायक के लिए प्रायः राजा को योग्य माना गया है एवं हमारे लोकसमाज में राजा प्रायः ऐसे ही विलासी जीवन जीते थे एवं वर्तमान के राजा राजनेता एवं उनका परिवार का सदस्य भी धीरललित के सभी गुणों को पूर्ण करता है।

धीरप्रशान्त नायक एवं लोकजीवन

नायक के इस द्वितीय भेद में भी धीर पद सामान्य पद है अर्थात् धैर्यवान् होना किसी भी नायक के लिए सर्वप्रमुख गुण होना चाहिए। इस श्रेणी का नायक राजा या राजकुमार या देवता आदि विशिष्ट पुरुष न होकर एक सामान्य गुण वाला ब्राह्मण आदि को माना गया है। रूपक के दश भेदों में से प्रकरण नामक विधा में ऐसे नायक होते हैं।

सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरप्रशान्तो द्विजादिकः ।।

- दशरूपकम्, द्वितीय प्रकाश

शूद्रक द्वारा रचित 'मृच्छकटिकम्' नामक नाटक में चारुदत्त धीरप्रशान्त नायक का प्रसिद्ध उदाहारण है। इसमें उसे दिखाया गया है कि वह अपनी प्रतिष्ठा एवं परम्परा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर देता है। दरिद्रता जैसी विपरीत परिस्थिति में भी दान देने का स्वभाव, दूसरों की सहायता करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता है। इसके कारण वह बहुत सारी विपत्ति में पड़ जाता है। लेकिन उसकी इस चरित्र से लोकजीवन में अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं एवं उसे एक आदर्श पुरुष मानते हुए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोग बेईमान लोगों की नजरों में बहुत खटकते हैं जैसे चारुदत्त राजा के साले द्वारा प्रताडित किया जाता है।

लोकजीवन में ऐसे चरित्र का अन्वेषण करते हैं तो समाज में मध्यम वर्ग को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रायः मध्यमवर्गीय परिवार में दिखावा बहुत होता है। सामर्थ्य नहीं होने पर भी लोक में प्रतिष्ठा कमाने के लिए कई बार आर्थिक झूठ या मानसिक तनाव को भी सहते हैं लेकिन बस स्वयं को आदर्श पुरुष दिखाने की ललक उनमें बनी रहती है।

धीरोद्भूत नायक एवं लोकजीवन

इस श्रेणी के नायक में भी धीर पद सामान्य है अर्थात् धैर्यवान् होना एक सामान्य गुण है। इसके अतिरिक्त इसके स्वभाव में सभी गुण ऐसे हैं जो कि समाज में उपेक्षित होते हैं लेकिन फिर भी इनको नायक की श्रेणी में रखा गया है। दर्प, मात्सर्य, मायावी कार्यों में निपुणता, अहङ्कारी, चण्ड आदि सभी गुण ऐसे ही हैं जिसे लोक में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है।

दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छापरायणः ।

धीरोद्भूतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकल्पनः ।। दशरूपक द्वितीय प्रकाश

संस्कृत काव्य के लिए निर्धारित नायकों की लोकजीवन से सम्बद्धता को यह शोधपत्र एक संक्षिप्त परिचर्चा के रूप में प्रस्तुत है जिसमें कुछ चयनित संस्कृत के नाटकों के नायकों की लोक-सम्बद्धता पर प्रकाश डाला गया है।

क्रम संख्या	नाटक का नाम	नायक	नायक प्रकार
१.	स्वप्नवासवदत्तम्	उदयन	धीरललित
२.	मालविकाग्निमित्रम्	अग्निमित्र	धीरललित
३.	विक्रमोर्वशीयम्	विक्रम	धीरललित
४.	अभिज्ञानशाकुन्तलम्	दुष्यन्त	धीरोदात्त
५.	मृच्छकटिकम्	चारुदत्त	धीरप्रशान्त
६.	उत्तररामचरितम्	राम	धीरोदात्त
७.	मुद्राराक्षस	चाणक्य	धीरोदात्त
८.	रत्नावली	उदयन	धीरललित
९.	वेणीसंहार	भीम	धीरोदात्त

किसी भी काव्य का नायक उसे माना जाता है जिसके इर्द-गिर्द सम्पूर्ण कथावस्तु घुमती रहती है अथवा जो कथा के केन्द्र में होता है। कथा के विकास के साथ ही उसका फल भी नायक को ही प्राप्त होता है। इसी कारण हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित मुद्राराक्षस में नायक कौन है? इसमें विवाद है। फिर भी नायक का चरित्र ही नाटक में प्रमुख होता है चाहे वह नायिका, प्रतिनायक ही क्यों न हो। कुछ प्रमुख संस्कृत नाटकों के नायकों के चरित्र के आधार पर लोकजीवन के प्रति जो समानता प्राप्त होती है उसका अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है।

धीरललित नायक और लोकजीवन

नाट्यशास्त्र के आचार्यों ने नायक के चारों भेदों में एक सामान्य पद को स्वीकार किया है। उनका मत है कि नायक चाहे किसी भी श्रेणी का हो उसे धैर्यवान् होना चाहिए यानि नायक बनने के लिए आपमें धैर्य होना आवश्यक है। नाट्यशास्त्र को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाले आचार्य धनञ्जय ने नायक के प्रथम श्रेणी को परिभाषित करते हुए बताया है कि जो नायक अपने वास्तविक कार्यों के प्रति निश्चित अर्थात् उदासीन रहे, गीत, नृत्य, चित्र आदि कला के प्रति विशेष रुचि रखता हो, मृदु स्वभाव वाला हो तथा हमेशा सुखी जीवन व्यतित करता हो उसे धीरललित नायक कहा जाता है-

निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ॥

-दशरूपकम्, द्वितीय प्रकाश

महाकवि भास द्वारा लिखा गया 'स्वप्नवासवदत्तम्' तथा महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया 'मालविकाग्निमित्रम्' एवं 'विक्रमोर्वशीयम्' नामक नाटकों के नायकों को संस्कृत के आलोचकों ने इस समूह में रखा है। जब हम इन नायकों के स्वभाव पर चर्चा करते हैं तो क्रमशः उदयन, अग्निमित्र एवं विक्रम में इन सभी गुणों को पाते हैं। ये सभी अपने राजपाट को अपने मन्त्री आदि अधिकारियों पर छोड़कर स्वयं एक आरामदायक एवं विलासी जीवन को जी रहे हैं। अपने वास्तविक कर्तव्यों की ओर इनका ध्यान कभी गया ही नहीं है। नाटक में बस अपने कलाप्रेम

एवं नायिका से प्रेम एवं वियोग को लेकर ही हमेशा चिन्तित रहते हैं। अनेक जगह तो इनके परिजन विशेषतः इनकी पत्नी भी इनके व्यवहार से नाराज होती है अथवा क्रुद्ध रहती है किन्तु उसका इनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस प्रकार के आचरण का अपने लोकजीवन में अन्वेषण करते हैं तो पाते हैं कि, हमारे समाज में ऐसे चरित्र वाले पात्रों की बहुतायात सङ्ख्या पायी जाती है। समाज का सामान्य जन हो अथवा कोई प्रतिष्ठित जन, सरकारी कर्मचारी हो अथवा व्यापारी, कानून बनाने वाले लोकनेता हो अथवा उसकी रक्षा करने वाले पुलिस इन सभी में ज्यादातर धीरललित चरित्र का वास होता है। इन सभी के जीवन का अधिकतर समय अपने लिए ही व्यतीत होता है चाहे उनकी मौजमस्ती हो या प्रेम प्रसङ्ग के प्रति उनकी लुक-छुपी। यदि उपर्युक्त सभी अपने कर्तव्य को लोकजीवन में प्रथम स्थान पर मानते तो आज समाज में उत्पन्न व्यक्ति, परिवार या समाज से सम्बन्धित इतनी समस्या होती ही नहीं। अतः हमें ऐसी प्रतीति होती है कि धीरललित नायक की अवधारणा लोकजीवन के इन्हीं प्रसंग से ग्रहण किया गया होगा।

इसके प्रसंग में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नायक के लिए प्रायः राजा को योग्य माना गया है एवं हमारे लोकसमाज में राजा प्रायः ऐसे ही विलासी जीवन जीते थे एवं वर्तमान के राजा राजनेता एवं उनका परिवार का सदस्य भी धीरललित के सभी गुणों को पूर्ण करता है।

धीरप्रशान्त नायक एवं लोकजीवन

नायक के इस द्वितीय भेद में भी धीर पद सामान्य पद है अर्थात् धैर्यवान् होना किसी भी नायक के लिए सर्वप्रमुख गुण होना चाहिए। इस श्रेणी का नायक राजा या राजकुमार या देवता आदि विशिष्ट पुरुष न होकर एक सामान्य गुण वाला ब्राह्मण आदि को माना गया है। रूपक के दश भेदों में से प्रकरण नामक विधा में ऐसे नायक होते हैं।

सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरप्रशान्तो द्विजादिकः ।।

- दशरूपकम्, द्वितीय प्रकाश

शूद्रक द्वारा रचित 'मृच्छकटिकम्' नामक नाटक में चारुदत्त धीरप्रशान्त नायक का प्रसिद्ध उदाहारण है। इसमें उसे दिखाया गया है कि वह अपनी प्रतिष्ठा एवं परम्परा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर देता है। दरिद्रता जैसी विपरीत परिस्थिति में भी दान देने का स्वभाव, दूसरों की सहायता करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता है। इसके कारण वह बहुत सारी विपत्ति में पड़ जाता है। लेकिन उसकी इस चरित्र से लोकजीवन में अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं एवं उसे एक आदर्श पुरुष मानते हुए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोग बेईमान लोगों की नजरों में बहुत खटकते हैं जैसे चारुदत्त राजा के साले द्वारा प्रताडित किया जाता है।

लोकजीवन में ऐसे चरित्र का अन्वेषण करते हैं तो समाज में मध्यम वर्ग को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रायः मध्यमवर्गीय परिवार में दिखावा बहुत होता है। सामर्थ्य नहीं होने पर भी लोक में प्रतिष्ठा कमाने के लिए कई बार आर्थिक ऋण या मानसिक तनाव को भी सहते हैं लेकिन बस स्वयं को आदर्श पुरुष दिखाने की ललक उनमें बनी रहती है।

धीरोद्धत नायक एवं लोकजीवन

इस श्रेणी के नायक में भी धीर पद सामान्य है अर्थात् धैर्यवान् होना एक सामान्य गुण है। इसके अतिरिक्त इसके स्वभाव में सभी गुण ऐसे हैं जो कि समाज में उपेक्षित होते हैं लेकिन फिर भी इनको नायक की श्रेणी में रखा गया है। दर्प, मात्सर्य, मायावी कार्यों में निपुणता, अहङ्कारी, चण्ड आदि सभी गुण ऐसे ही हैं जिसे लोक में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है।

दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्वपरायणः ।

धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकृत्यनः ।। दशरूपक द्वितीय प्रकाश

वेणीसंहार नामक नाटक में भीम तथा महाभारत का दुर्योधन इस पात्र के उदाहरण के रूप में आते हैं। वेणीसंहार में भीम बार बार उत्तेजित होकर बिना कुछ सोच विचार किये ही कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है। स्वयं के सामर्थ्य के प्रति अहङ्कार कूट-कूट कर भरा रहता है। दुर्योधन भी महाभारत में ऐसी श्रेणी का ही है जो किसी भी प्रकार साम-दाम-दण्ड-भेद से अपने ज़िद को पुरा करना चाहता है। इसके लिए वह कोई भी छद्म या माया करने को हमेशा तैयार रहता है।

लोकजीवन में इस श्रेणी के चरित्र का दर्शन प्रायः अनुपयुक्त पुरुष की किसी श्रेष्ठ पद पर नियुक्त हो जाने पर होता है। ऐसे लोग स्वयं को सर्वोत्तम मानते हुए समाज में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं एवं लोकनिन्दा का पात्र बनते हैं किन्तु उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य के भय से कोई उनका विरोध भी नहीं करता है। योग्य एवं कर्मठ जनों के प्रति इनमें एक स्वाभाविक घृणा का भाव एवं शत्रुता रहती है।

धीरोदात्त नायक एवं लोकजीवन

लोकजीवन में जिसे एक आदर्श पुरुष माना जाता है वहीं सब गुण धीरोदात्त नायक का निर्माण करता है। सत्त्वगुण वाला, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, अपने प्रतिज्ञा पर डटने वाला, स्थिर स्वभाव वाला, अहङ्काररहित अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ जो होगा उसे ही धीरोदात्त नायक कहा जा सकता है।

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकल्पन।

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥ दशरूपकम्, द्वितीय प्रकाश

कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् का दुष्यन्त, उत्तररामचरितम् का राम, मुद्राराक्षस का चाणक्य इस श्रेणी के नायक माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व लोकजीवन में दुर्लभ ही होते हैं एवं जो होते हैं उनकी प्रतिष्ठा सभी करते हैं। इनके प्रति किसी का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। किन्तु नाटक में अभिज्ञान. के नायक के प्रारम्भिक व्यवहार को जब आश्रम के उपवन में उपस्थित होता है उस समय को एक आदर्श नहीं माना जा सकता है। किन्तु बाकि अन्य सभी अवस्था को आदर्श माना जा सकता है। इसी प्रकार राम अपने सभी कार्यों में प्रशंसा पाते हैं किन्तु राजा के रूप में ही। पति के रूप में उनको भी निन्दा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक सुदृढ़ एवं आदर्श राज्य की स्थापना के लिए चाणक्य प्रशंसनीय हैं तो एक व्यक्ति से व्यक्ति के प्रति व्यवहार में निन्दित है।

लोकसमाज में भी एक आदर्श पुरुष के जीवन में कोई न कोई पक्ष अधूरा अवश्य रह जाता है जैसे गौतम या महावीर को भी देखे तो उनका भी पारिवारिक पक्ष निन्दनीय कहा जा सकता है। किन्तु लोक में समष्टि स्तर पर किसी को यदि आदर्श स्थापित करना है तो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन को उपेक्षित करना ही पड़ता है तभी वह धीरोदात्त नायक बन सकता है।

उपसंहार

इस प्रकार हम पाते हैं कि नाट्य में नायक की श्रेणी निर्धारण में हमारे लोकजीवन के विभिन्न स्वभावों का निरूपण मात्र ही किया जाता है। वैसे भी नाटक लोक की भावनाओं का ही आनन्द वा प्रेरणा हेतु प्रदर्शन मात्र होता है। परिवर्तित देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप इनके चरित्र में भी परिवर्तन आता रहता है। यही चक्रयमान संसार की नियति है।

सन्दर्भ सूची

१. निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः॥ दशरूपक द्वितीय प्रकाश

२. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरप्रशान्तो द्विजादिकः॥ दशरूपक द्वितीय प्रकाश

iii दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः। धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः॥ दशरूपक द्वितीय प्रकाश

iv महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थन। स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥ दशरूपक द्वितीय प्रकाश

v ना.शा. १.११२



Kalindi College

East Patel Nagar, New Delhi-110008
E-mail : kalindisampark.du@gmail.com
Website : www.kalindi.du.ac.in